मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल डाक परिमंडल, के पत्र क्रमांक 22/153, दिनांक 10-1-06 द्वारा पूर्व भुगतान योजनान्तर्गत डाक व्यय की पूर्व अदायगी डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.

पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन
म. प्र.-108-भोपाल-09-11.

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 33] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 13 अगस्त 2010—श्रावण 22, शक 1932

भाग ४

विषय-सूची

(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद में पुर:स्थापित विधेयक.
(ख) (1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद के अधिनियम.
(ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अन्तिम नियम.

भाग ४ (क)—कुछ नहीं

भाग ४ (ख)

संसद् के अधिनियम

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 4 जून 2010

क्र. 2531/1-21-अ-वि.स.-2010.—भारत के राजपत्र असाधारण भाग 2 अनुभाग-1 क, खण्ड XLV सं. 2, दिनांक 14 मई, 2009, में प्रकाशित **असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 (2008 का अधिनियम संख्यांक 33)** का हिन्दी अनुवाद जो राजभाषा अधिनियम, 1963 (1963 का 19) की धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन उसका प्राधिकृत हिन्दी पाठ समझा जायेगा, सर्वसाधारण की जानकारी के लिए एतद्द्वारा पुन: प्रकाशित किया जा रहा है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुरेश कुमार श्रीवास्तव, उपसचिव.

असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008

(2008 का अधिनियम संख्यांक 33)

[30 दिसम्बर, 2008]

असंगठित कर्मकारों की सामाजिक सुरक्षा और उनके कल्याण का तथा उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक अन्य विषयों का उपबंध करने के लिए अधिनियम

भारत गणराज्य के उनसठवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

अध्याय 1

प्रारंभिक

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 है।

(2) इसका विस्तार संपूर्ण भारत पर है।

(3) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे।

परिभाषाएं।

2. इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "नियोजक" से ऐसा व्यक्ति या व्यक्तियों का संगम अभिप्रेत है जिसने या तो सीधे या अन्यथा पारिश्रमिक के लिए कोई असंगठित कर्मकार लगाया है या नियोजित किया है;

(ख) "आस्थानी कर्मकार" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो किसी नियोजक के लिए अपने घर में या नियोजक के कार्य-स्थल से भिन्न अपनी इच्छा के किसी अन्य परिसर में पारिश्रमिक के लिए, इस बात का विचार किए बिना कि नियोजक उपस्कर, सामग्री या अन्य निवेश उपलब्ध कराता है अथवा नहीं, माल के उत्पादन या सेवाओं में लगा हुआ है;

(ग) "पहचान पत्र" से धारा 10 की उपधारा (3) के अधीन जिला प्रशासन द्वारा असंगठित कर्मकार को जारी किया गया कार्ड, दस्तावेज या प्रमाणपत्र अभिप्रेत है;

(घ) "राष्ट्रीय बोर्ड" से धारा 5 की उपधारा (1) के अधीन गठित राष्ट्रीय असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा बोर्ड अभिप्रेत है;

(ङ) "अधिसूचना" से राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना अभिप्रेत है;

(च) "संगठित सेक्टर" से ऐसा उद्यम अभिप्रेत है, जो असंगठित सेक्टर नहीं है;

(छ) "विहित" से, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है;

(ज) "रजिस्ट्रीकृत कर्मकार" से धारा 10 की उपधारा (3) के अधीन रजिस्ट्रीकृत असंगठित कर्मकार अभिप्रेत है;

(झ) "अनुसूची" से अधिनियम से संलग्न अनुसूची अभिप्रेत है;

(ञ) "राज्य बोर्ड" से धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन गठित (राज्य का नाम) राज्य असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा बोर्ड अभिप्रेत है;

(ट) "स्वनियोजित कर्मकार" से ऐसा कोई व्यक्ति अभिप्रेत है जो किसी नियोजक द्वारा नियोजित नहीं है, बल्कि असंगठित सेक्टर में किसी उपजीविका में स्वयं को मासिक रूप से ऐसी रकम अर्जित करने के अधीन रहते हुए लगा हुआ है जो केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित की जाए, अथवा ऐसी अधिकतम सीमा के अधीन रहते हुए कृषि योग्य भूमि धारण करता है जो राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित की जाए;

(ठ) "असंगठित सेक्टर" से व्यष्टियों या स्वनियोजित कर्मकारों के स्वामित्वाधीन और किसी प्रकार के माल के उत्पादन या विक्रय में या सेवा प्रदान करने में लगा हुआ उद्यम अभिप्रेत है और जहां उद्यम कर्मकारों को नियोजित करता है वहां ऐसे कर्मकारों की संख्या दस से कम है;

(ड) "असंगठित कर्मकार" से असंगठित सेक्टर में आस्थानी कर्मकार, स्वनियोजित कर्मकार या मजदूरी कर्मकार अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत संगठित सेक्टर का ऐसा कर्मकार भी आता है जो इस अधिनियम की अनुसूची 2 में उल्लिखित किसी भी अधिनियम के अंतर्गत नहीं आता है; और

(ढ) "मजदूरी कर्मकार" से किसी नियोजक द्वारा प्रत्यक्ष रूप से या किसी ठेकेदार के माध्यम से असंगठित सेक्टर में, चाहे कार्य-स्थल कोई भी हो, पारिश्रमिक के लिए नियोजित व्यक्ति अभिप्रेत है, चाहे वह अनन्य रूप से किसी एक नियोजक या एक या अधिक नियोजकों के लिए नियोजित हो, चाहे नकद मजदूरी मिलती हो या वस्तु रूप में, चाहे वह आस्थानी कर्मकार के रूप में या अस्थायी या दैनिक मजदूर के रूप में अथवा प्रवासी कर्मकार के रूप में या घरेलू कर्मकारों सहित गृहस्थियों द्वारा नियोजित कर्मकार के रूप में और ऐसी रकम की मासिक मजदूरी पर लगा हो जो, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित की जाए।

अध्याय 2

सामाजिक सुरक्षा फायदे

स्कीम विरचित करना।

3. (1) केन्द्रीय सरकार समय-समय पर असंगठित कर्मकारों के लिए निम्नलिखित से संबंधित विषयों के संबंध में उपयुक्त कल्याणकारी स्कीमें विरचित और अधिसूचित करेगी—

(क) जीवन और नि:शक्तता सुरक्षा;

(ख) स्वास्थ्य और प्रसूति फायदे;

(ग) वृद्धावस्था संरक्षण; और

(घ) ऐसा कोई अन्य फायदा जो केन्द्रीय सरकार द्वारा अवधारित किया जाए।

(2) इस अधिनियम की अनुसूची 1 में सम्मिलित स्कीमों को उपधारा (1) के अधीन कल्याणकारी स्कीमें समझा जाएगा।

(3) केन्द्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम से संलग्न अनुसूचियों का संशोधन कर सकेगी।

(4) राज्य सरकार, समय-समय पर, असंगठित कर्मकारों के लिए निम्नलिखित से संबंधित स्कीमों सहित उपयुक्त कल्याणकारी स्कीमें विरचित और अधिसूचित कर सकेगी,—

(क) भविष्य निधि;

(ख) नियोजन क्षति फायदा;

(ग) आवासन;

(घ) बालकों के लिए शिक्षा संबंधी स्कीमें;

(ङ) कर्मकारों के कौशल का उन्नयन;

(च) अंत्येष्टि सहायता; और

(छ) वृद्धाश्रम।

केन्द्रीय सरकार की स्कीमों का वित्तपोषण।

4. (1) केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किसी स्कीम का,—

(i) केन्द्रीय सरकार द्वारा पूर्णत: वित्तपोषण किया जा सकेगा; या

(ii) भागत: केन्द्रीय सरकार द्वारा और भागत: राज्य सरकार द्वारा वित्तपोषण किया जा सकेगा; या

(iii) भागत: केन्द्रीय सरकार द्वारा, भागत: राज्य सरकार द्वारा और भागत: स्कीम के हिताधिकारियों या नियोजकों से संगृहीत किए गए अभिदायों के माध्यम से, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा स्कीम में विहित किए जाएं, वित्तपोषण किया जा सकेगा।

(2) केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित प्रत्येक स्कीम में ऐसे विषयों का जिसमें निम्नलिखित से संबंधित विषय भी सम्मिलित हैं, उपबंध किया जाएगा जो स्कीम के, दक्ष कार्यान्वयन के लिए आवश्यक हैं,—

(i) स्कीम का विस्तार क्षेत्र;

(ii) स्कीम के हिताधिकारी;

(iii) स्कीम के संसाधन;

(iv) वह अभिकरण या वे अभिकरण जो योजना को क्रियान्वित करेंगे;

(v) शिकायत प्रतितोषण; और

(vi) कोई अन्य सुसंगत मामला।

अध्याय 3

राष्ट्रीय असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा बोर्ड

राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड।

5. (1) केन्द्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा, राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड नामक एक राष्ट्रीय बोर्ड का गठन करेगी जो इस अधिनियम के अधीन उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करेगा तथा सौंपे गए कृत्यों का निर्वहन करेगा।

(2) राष्ट्रीय बोर्ड में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात:—

(क) केन्द्रीय श्रम और रोजगार मंत्री—अध्यक्ष, पदेन;

(ख) महानिदेशक (श्रम कल्याण)—सदस्य-सचिव, पदेन; और

(ग) केन्द्रीय सरकार द्वारा नामनिर्देशित किए जाने वाले चौंतीस सदस्य, जिनमें से—

(i) असंगठित सेक्टर कर्मकारों का प्रतिनिधित्व करने वाले सात सदस्य;

(ii) असंगठित सेक्टर के नियोजकों का प्रतिनिधित्व करने वाले सात सदस्य;

(iii) नागरिक समाज के प्रख्यात व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व करने वाले सात सदस्य;

(iv) लोक सभा का प्रतिनिधित्व करने वाले दो और राज्य सभा का प्रतिनिधित्व करने वाला एक सदस्य;

(v) केंन्द्रीय सरकार के संबंधित मंत्रालयों और विभागों का प्रतिनिधित्व करने वाले पांच सदस्य;

(vi) राज्य सरकारों का प्रतिनिधित्व करने वाले पांच सदस्य।

(3) बोर्ड का अध्यक्ष और अन्य सदस्य श्रम कल्याण, प्रबंध, वित्त, विधि और प्रशासन के क्षेत्रों में विख्यात व्यक्तियों में से होंगे।

(4) राष्ट्रीय बोर्ड में उपधारा (2) के खंड (ग) में विनिर्दिष्ट प्रवर्गों में से प्रत्येक से सदस्यों के रूप में नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले व्यक्तियों की संख्या, सदस्यों की पदावधि और उनकी सेवा की अन्य शर्तें, सदस्यों द्वारा अपने कृत्यों के निर्वहन में अनुसरित की जाने वाली प्रक्रिया और सदस्यों के बीच रिक्तियों को भरने की रीति वह होगी जो विनिर्दिष्ट की जाए:

परंतु अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अल्पसंख्यक समुदायों के व्यक्तियों और महिलाओं को पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया जाएगा।

(5) राष्ट्रीय बोर्ड का कार्यकाल तीन वर्ष का होगा।

(6) राष्ट्रीय बोर्ड वर्ष में कम से कम तीन बार ऐसे समय और स्थान पर अधिवेशन करेगा तथा अपने अधिवेशनों में कारबार के संव्यवहार से संबंधित प्रक्रिया के ऐसे नियमों का पालन करेगा जो विहित किए जाएं।

(7) सदस्य ऐसे भत्ते प्राप्त कर सकेंगे जो राष्ट्रीय बोर्ड के अधिवेशनों में उपस्थित होने के लिए विहित किए जाएं।

(8) राष्ट्रीय बोर्ड निम्नलिखित कृत्यों का निर्वहन करेगा, अर्थात्:—

(क) असंगठित कर्मकारों के विभिन्न वर्गों के लिए उपयुक्त स्कीमों की केन्द्रीय सरकार को सिफारिश करना;

(ख) इस अधिनियम के प्रशासन से उद्भूत होने वाले ऐसे विषयों पर केन्द्रीय सरकार को सलाह देना जो उसे निर्दिष्ट किए जाएं;

(ग) असंगठित कर्मकारों के लिए ऐसी सामाजिक कल्याणकारी स्कीमों को मानीटर करना जो केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रशासित की जाएं;

(घ) असंगठित कर्मकारों के रजिस्ट्रीकरण और उनको पहचान पत्र जारी किए जाने की प्रगति का पुनर्विलोकन करना;

(ङ) राज्य स्तर पर किए गए अभिलेख रखने से संबंधित कृत्यों का पुनर्विलोकन करना;

(च) विभिन्न स्कीमों के अधीन निधियों से व्यय का पुनर्विलोकन करना; और

(छ) ऐसे अन्य कृत्य करना जो केन्द्रीय सरकार द्वारा उसे समय-समय पर समनुदेशित किए जाएं।

अध्याय 4

राज्य असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा बोर्ड

राज्य सामाजिक सुरक्षा बोर्ड।

6. (1) प्रत्येक राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा (राज्य का नाम) राज्य सामाजिक सुरक्षा बोर्ड नामक एक राज्य बोर्ड का गठन करेगी जो इस अधिनियम के अधीन उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करेगा और सौंपे गए कृत्यों का निर्वहन करेगा।

(2) राज्य बोर्ड में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात्:—

(क) संबंधित राज्य का श्रम और रोजगार मंत्री — अध्यक्ष, पदेन;

(ख) प्रधान सचिव अथवा सचिव (श्रम) — सदस्य-सचिव, पदेन; और

(ग) राज्य सरकार द्वारा नामनिर्देशित किए जाने वाले अट्ठाईस सदस्य जिनमें से—

(i) असंगठित कर्मकारों का प्रतिनिधित्व करने वाले सात सदस्य;

(ii) असंगठित कर्मकार नियोजकों का प्रतिनिधित्व करने वाले सात सदस्य;

(iii) संबंधित राज्य की विधान सभा का प्रतिनिधित्व करने वाले दो सदस्य;

(iv) नागरिक समाज के प्रख्यात व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व करने वाले पांच सदस्य; और

(v) राज्य सरकार के संबंधित विभागों का प्रतिनिधित्व करने वाले सात सदस्य।

(3) बोर्ड का अध्यक्ष और अन्य सदस्य श्रम कल्याण, प्रबंध, वित्त, विधि और प्रशासन के क्षेत्रों में विख्यात व्यक्तियों में से होंगे।

(4) राज्य बोर्ड में उपधारा (2) के खंड (ग) में विनिर्दिष्ट प्रवर्गों में से प्रत्येक से सदस्यों के रूप में नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले व्यक्तियों की संख्या, सदस्यों की पदावधि और उनकी सेवा की अन्य शर्तें, सदस्यों द्वारा अपने कृत्यों के निर्वहन में अनुसरित की जाने वाली प्रक्रिया और सदस्यों के बीच रिक्तियों को भरने की रीति वह होगी जो विनिर्दिष्ट की जाए:

परंतु अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अल्पसंख्यक समुदायों के व्यक्तियों और महिलाओं को पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया जाएगा।

(5) राज्य बोर्ड का कार्यकाल तीन वर्ष का होगा।

(6) राज्य बोर्ड तिमाही में कम से कम में एक बार ऐसे समय और स्थान पर अधिवेशन करेगा तथा अपने अधिवेशनों में कारबार के संव्यवहार से संबंधित प्रक्रिया के ऐसे नियमों का पालन करेगा जो विहित किए जाएं।

(7) सदस्य ऐसे भत्ते प्राप्त कर सकेंगे जो राज्य बोर्ड के अधिवेशनों में उपस्थित होने के लिए विहित किए जाएं।

(8) राज्य बोर्ड निम्नलिखित कृत्यों का निवर्हन करेगा, अर्थात्:—

(क) असंगठित सेक्टर कर्मकारों के विभिन्न वर्गों के लिए उपयुक्त स्कीमें तैयार करने में राज्य सरकार को सिफारिश करना;

(ख) इस अधिनियम के प्रशासन से उद्भूत होने वाले ऐसे विषयों पर राज्य सरकार को सलाह देना जो उसे निर्दिष्ट किए जाएं;

(ग) असंगठित कर्मकारों के लिए ऐसी सामाजिक कल्याणकारी स्कीमों को मानीटर करना, जो राज्य सरकार द्वारा प्रशासित की जाएं;

(घ) जिला स्तर पर किए गए अभिलेख रखने से संबंधित कृत्यों का पुनर्विलोकन करना;

(ङ) असंगठित सेक्टर कर्मकारों के रजिस्ट्रीकरण और उनको पहचान पत्र जारी किए जाने की प्रगति का पुनर्विलोकन करना;

(च) विभिन्न स्कीमों के अधीन निधियों से व्यय का पुनर्विलोकन करना; और

(छ) ऐसे अन्य कृत्य करना जो राज्य सरकार द्वारा उसे समय-समय पर समनुदेशित किए जाएं।

राज्य सरकार की स्कीमों का वित्त-पोषण।

7. (1) राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किसी स्कीम का,—

(i) राज्य सरकार द्वारा पूर्णत: वित्तपोषण किया जा सकेगा; या

(ii) भागत: राज्य सरकार द्वारा और भागत: स्कीम के हिताधिकारियों या नियोजकों से संगृहीत किए गए अभिदायों के माध्यम से, जो राज्य सरकार द्वारा स्कीम में विहित किए जाएं, वित्तपोषण किया जा सकेगा।

(2) राज्य सरकार उसके द्वारा तैयार की गई स्कीमों के लिए केन्द्रीय सरकार से वित्तीय सहायता मांग सकेगी।

(3) केन्द्रीय सरकार स्कीमों के प्रयोजनों के लिए ऐसी अवधि के लिए और ऐसे निबंधनों और शर्तों पर जो वह ठीक समझे, राज्य सरकारों को ऐसी वित्तीय सहायता प्रदान कर सकेगी।

जिला प्रशासन द्वारा अभिलेख का रखा जाना।

8. इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए अभिलेख रखने के कार्य जिला प्रशासन द्वारा किए जाएंगे:

परंतु राज्य सरकार यह निदेश दे सकेगी कि अभिलेख रखने का कार्य—

(क) ग्रामीण क्षेत्रों में जिला पंचायत द्वारा किया जाएगा; और

(ख) शहरी क्षेत्रों में शहरी स्थानीय निकायों द्वारा किया जाएगा।

कर्मकार सुविधा केन्द्र।

9. राज्य सरकार ऐसे कर्मकार सुविधा केन्द्रों की स्थापना कर सकेगी जो समय-समय पर निम्नलिखित कृत्यों का निर्वहन करने के लिए आवश्यक समझे जाएं:—

(क) असंगठित कर्मकारों के लिए उपलब्ध सामाजिक सुरक्षा स्कीमों से संबंधित जानकारी का प्रसार करना;

(ख) असंगठित कर्मकारों के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन पत्रों को फाइल करना, उन पर कार्यवाही करना तथा उन्हें अग्रेषित करना;

(ग) असंगठित कर्मकार की जिला प्रशासन से रजिस्ट्रीकरण प्राप्त करने में सहायता करना;

(घ) सामाजिक सुरक्षा स्कीमों में रजिस्ट्रीकृत असंगठित कर्मकार का नामांकन सुकर बनाना।

अध्याय 5

रजिस्ट्रीकरण

रजिस्ट्रीकरण और सामाजिक सुरक्षा फायदों के लिए पात्रता।

10. (1) प्रत्येक असंगठित कर्मकार निम्नलिखित शर्तों को पूरा करने के अधीन रहते हुए, रजिस्ट्रीकरण के लिए पात्र होगा, अर्थात्:—

(क) वह चौदह वर्ष की आयु का हो गया हो या हो गई हो; और

(ख) उसके द्वारा एक स्व-घोषणा यह पुष्ट करते हुए की गई हो कि वह एक असंगठित कर्मकार है।

(2) प्रत्येक पात्र असंगठित कर्मकार रजिस्ट्रीकरण के लिए जिला प्रशासन को विहित प्ररूप में आवेदन करेगा।

(3) प्रत्येक असंगठित कर्मकार को जिला प्रशासन द्वारा रजिस्ट्रीकृत किया जाएगा और उसे एक पहचान पत्र जारी किया जाएगा जो एक स्मार्ट कार्ड होगा जिस पर एक विशिष्ट पहचान संख्या होगी और जो साथ में रखा जा सकेगा।

(4) यदि किसी स्कीम में रजिस्ट्रीकृत असंगठित कर्मकार द्वारा अभिदाय करने की अपेक्षा की जाती है तो वह ऐसे अभिदाय का संदाय करने पर ही स्कीम के अधीन सामाजिक सुरक्षा फायदों के लिए पात्र होगा।

(5) जहां स्कीम केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा अभिदाय करने की अपेक्षा करती है वहां, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार स्कीम के निबंधनों के अनुसार नियमित रूप से अभिदाय करेगी।

अध्याय 6

प्रकीर्ण

केन्द्रीय सरकार की निदेश देने की शक्ति।

11. केन्द्रीय सरकार—

(i) राष्ट्रीय बोर्ड; या

(ii) किसी राज्य सरकार या उस राज्य के राज्य बोर्ड,

को इस अधिनियम के उपबंधों के कार्यान्वयन से संबंधित विषयों की बाबत निदेश दे सकेगी।

रिक्तियों आदि से कार्यवाहियों का अविधिमान्य न होना।

12. राष्ट्रीय बोर्ड या किसी राज्य बोर्ड की कोई कार्यवाहियां केवल इस आधार पर अविधिमान्य नहीं होंगी कि यथास्थिति, राष्ट्रीय बोर्ड या राज्य बोर्ड में कोई रिक्ति है या इसके गठन में त्रुटि है।

केन्द्रीय सरकार की नियम बनाने की शक्ति।

13. (1) केन्द्रीय सरकार इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए नियम, अधिसूचना द्वारा, बना सकेगी।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध कर सकेंगे, अर्थात्:—

(क) धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन स्कीम के हिताधिकारियों या नियोजकों से संगृहीत किए जाने वाले अभिदाय;

(ख) धारा 5 की उपधारा (4) के अधीन राष्ट्रीय बोर्ड में नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले व्यक्तियों की संख्या, सदस्यों की पदावधि और सेवा की अन्य शर्तें, राष्ट्रीय बोर्ड द्वारा कृत्यों के निर्वहन में अनुसरित की जाने वाली प्रक्रिया तथा उसमें रिक्तियों को भरने की रीति;

(ग) धारा 5 की उपधारा (6) के अधीन राष्ट्रीय बोर्ड के अधिवेशन में कारबार के संव्यवहार से संबंधित प्रक्रिया के नियम;

(घ) धारा 5 की उपधारा (7) के अधीन राष्ट्रीय बोर्ड के अधिवेशनों में उपस्थित होने के लिए भत्ते;

(ङ) धारा 10 की उपधारा (2) के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन करने का प्ररूप; और

(च) कोई अन्य विषय जो विहित किया जाना अपेक्षित है या विहित किया जाए।

राज्य सरकार की नियम बनाने की शक्ति।

14. (1) राज्य सरकार, इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए नियम, अधिसूचना द्वारा, बना सकेगी।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध कर सकेंगे, अर्थात्:—

(क) धारा 6 की उपधारा (4) के अधीन राज्य बोर्ड में नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले व्यक्तियों की संख्या, सदस्यों की पदावधि और सेवा की अन्य शर्तें, राज्य बोर्ड द्वारा कर्तव्यों के निर्वहन में अनुसरित की जाने वाली प्रक्रिया तथा उसमें रिक्तियों को भरने की रीति;

(ख) धारा 6 की उपधारा (6) के अधीन राज्य बोर्ड के अधिवेशनों में कारबार के संव्यवहार से संबंधित प्रक्रिया के नियम;

(ग) धारा 6 की उपधारा (7) के अधीन राज्य बोर्ड के अधिवेशनों में उपस्थित होने के लिए भत्ते;

(घ) धारा 7 की उपधारा (1) के अधीन स्कीम के हिताधिकारियों या नियोजकों से संगृहीत किए जाने वाले अभिदाय;

(ङ) वह प्ररूप जिसमें धारा 10 की उपधारा (2) के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन किया जाएगा; और

(च) कोई अन्य विषय जो विहित किया जाना अपेक्षित है या विहित किया जाए।

नियमों का रखा जाना।

15. (1) इस अधिनियम के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम, बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा। यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी। यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा। यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् वह निष्प्रभाव हो जाएगा। किन्तु नियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(2) इस अधिनियम के अधीन राज्य सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम, उसके अधिसूचित किए जाने के पश्चात्, यथाशीघ्र, राज्य विधान-मंडल के समक्ष रखा जाएगा।

कतिपय विधियों की व्यावृत्ति।

16. इस अधिनियम की कोई बात राज्य में कल्याणकारी स्कीमों का उपबंध करने वाली ऐसी किसी तत्स्थानी विधि के प्रवर्तन को प्रभावित नहीं करेगी जो असंगठित कर्मकारों के लिए इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन उनके लिए उपबंधित कल्याणकारी स्कीमों से अधिक फायदाप्रद हों।

कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति।

17. (1) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने में कोई कठिनाई उद्भूत होती है तो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, ऐसे उपबंध कर सकेगी जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हों और जो कठिनाई को दूर करने के लिए उसे आवश्यक प्रतीत हों:

परंतु इस धारा के अधीन् ऐसा कोई आदेश इस अधिनियम के प्रारंभ से दो वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जाएगा।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, उसके किए जाने के पश्चात्, यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा।

अनुसूची 1

[धारा 2(झ) और धारा 3 देखिए]

असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा स्कीमें

क्र०सं०	स्कीम का नाम
1.	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन स्कीम।
2.	राष्ट्रीय कुटुंब फायदा स्कीम।
3.	जननी सुरक्षा योजना।
4.	हथकरघा बुनकर समग्र कल्याण स्कीम।
5.	हस्तशिल्प कारीगर समग्र कल्याण स्कीम।
6.	मास्टर क्राफ्ट व्यक्तियों के लिए पेंशन।
7.	मछुआरों के कल्याण और प्रशिक्षण के लिए राष्ट्रीय स्कीम तथा उनका विस्तार।
8.	जनश्री बीमा योजना।
9.	आम आदमी बीमा योजना।
10.	राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना।

अनुसूची 2

[धारा 2(ड) देखिए]

क्र०सं०	अधिनियम का नाम
1.	कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923 (1923 का 8)।
2.	औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14)।
3.	कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34)।
4.	कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19)।
5.	प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम, 1961 (1961 का 53)।
6.	उपदान संदाय अधिनियम, 1972 (1972 का 39)।

मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग.

कमांक 2531/2/21–अ/वि.स./2010 भोपाल, दिनांक 16/2010

भारत के राजपत्र असाधारण भाग 2 अनुभाग–1 क, खण्ड XLV सं. 2 दिनांक 14 मई, 2009, में प्रकाशित राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 (2008 का अधिनियम संख्याक 34) का हिन्दी अनुवाद जो राजभाषा अधिनियम, 1963 (1963 का 19) की धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन उसका प्राधिकृत हिन्दी पाठ समझा जायेगा, सर्वसाधारण की जानकारी के लिए एतद्द्वारा पुनः प्रकाशित किया जा रहा है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(सुरेश कुमार श्रीवास्तव)
उप सचिव,
म0प्र0शासन,विधि और विधायी कार्य विभाग.

राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008

(2008 का अधिनियम संख्यांक 34)

[31 दिसम्बर, 2008]

भारत की संप्रभुता, सुरक्षा और अखंडता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों से मैत्रीपूर्ण संबंधों को प्रभावित करने वाले अपराधों और अंतरराष्ट्रीय संधियों, करारों, अभिसमयों तथा संयुक्त राष्ट्र, उसके अभिकरणों और अन्य अंतरराष्ट्रीय संगठनों के संकल्पों को कार्यान्वित करने के लिए अधिनियमित किए गए अधिनियमों के अधीन अपराधों का अन्वेषण और अभियोजन करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक अन्वेषण अभिकरण का गठन करने और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के उनसठवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

अध्याय 1

प्रारंभिक

संक्षिप्त नाम, विस्तार और लागू होना ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 है ।

(2) इसका विस्तार संपूर्ण भारत पर है और यह—

(क) भारत से बाहर भारत के नागरिकों को ;

(ख) सरकार की सेवा में व्यक्तियों को, जहां भी वे हों ; और

(ग) भारत में रजिस्ट्रीकृत पोतों और वायुयानों पर, जहां भी वे हों, व्यक्तियों को, भी लागू होता है ।

परिभाषाएं ।

2. (1) इस अधिनियम में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "अभिकरण" से धारा 3 के अधीन गठित राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अभिप्रेत है ;

(ख) "संहिता" से दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 अभिप्रेत है ; 1974 का 2

(ग) "उच्च न्यायालय" से वह उच्च न्यायालय अभिप्रेत है जिसकी अधिकारिता के भीतर विशेष न्यायालय स्थित है ;

(घ) "विहित" से नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है ;

(ङ) "लोक अभियोजक" से धारा 15 के अधीन नियुक्त लोक अभियोजक या अपर लोक अभियोजक या विशेष लोक अभियोजक अभिप्रेत है ;

(च) "अनुसूची" से इस अधिनियम की अनुसूची अभिप्रेत है ;

(छ) "अनुसूचित अपराध" से अनुसूची में विनिर्दिष्ट अपराध अभिप्रेत है ;

(ज) "विशेष न्यायालय" से, यथास्थिति, धारा 11 या धारा 22 के अधीन गठित विशेष न्यायालय अभिप्रेत है ;

(झ) उन शब्दों और पदों के, जो इस अधिनियम में प्रयुक्त हैं, किन्तु परिभाषित नहीं हैं और संहिता में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे जो संहिता में हैं ।

(2) इस अधिनियम में किसी अधिनियमिति या उसके किसी उपबंध के प्रति किसी निर्देश का, ऐसे किसी क्षेत्र के संबंध में, जिसमें ऐसी अधिनियमिति या ऐसा उपबंध प्रवर्तन में नहीं है, यह अर्थ लगाया जाएगा मानो वह उस क्षेत्र में प्रवृत्त तत्स्थानी विधि या तत्स्थानी विधि के सुसंगत उपबंध के, यदि कोई हो, प्रतिनिर्देश है ।

अध्याय 2

राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण

राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण का गठन ।

3. (1) केन्द्रीय सरकार, पुलिस अधिनियम, 1861 में किसी बात के होते हुए भी, अनुसूची में विनिर्दिष्ट अधिनियमों के अधीन अपराधों के अन्वेषण और अभियोजन के लिए राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण नामक एक विशेष अभिकरण का गठन कर सकेगी । 1861 का 5

(2) ऐसे किन्हीं आदेशों के अधीन रहते हुए, जो केन्द्रीय सरकार इस निमित्त करे, अभिकरण के अधिकारियों को अनुसूचित अपराधों के अन्वेषण और ऐसे अपराधों में सम्पृक्त व्यक्तियों की गिरफ्तारी के संबंध में संपूर्ण भारत में वे सभी शक्तियां, कर्तव्य, विशेषाधिकार और दायित्व होंगे जो उनके अधीन कारित अपराधों के अन्वेषण के संबंध में पुलिस अधिकारियों को होते हैं ।

(3) अभिकरण का, उपनिरीक्षक की या उससे ऊपर की पंक्ति का, कोई अधिकारी, ऐसे किन्हीं आदेशों के अधीन रहते हुए, जो केन्द्रीय सरकार इस निमित्त करे, संपूर्ण भारत में उस क्षेत्र के जिसमें वह तत्समय उपस्थित हो, पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी की किसी शक्ति का प्रयोग कर सकेगा और ऐसी शक्तियों का प्रयोग करते समय, यथापूर्वोक्त ऐसे किन्हीं आदेशों के अधीन रहते हुए, ऐसा अधिकारी अपने थाने की सीमाओं के भीतर कृत्यों का निर्वहन करने वाला पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी समझा जाएगा ।

राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण का अधीक्षण ।

4. (1) अभिकरण का अधीक्षण केन्द्रीय सरकार में निहित होगा ।

(2) अभिकरण का प्रशासन केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त नियुक्त महानिदेशक के रूप में अभिहित अधिकारी में निहित होगा जो अभिकरण की बाबत किसी राज्य में पुलिस बल की बाबत पुलिस महानिदेशक द्वारा प्रयोक्तव्य ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा जिन्हें केन्द्रीय सरकार इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे ।

5. इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए, अभिकरण का गठन ऐसी रीति में किया जाएगा जो विहित की जाए और अभिकरण में नियोजित व्यक्तियों की सेवा की शर्तें वे होंगी जो विहित की जाएं । अभिकरण के गठन की रीति और सदस्यों की सेवा की शर्तें ।

अध्याय 3

राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण द्वारा अन्वेषण

6. (1) किसी अनुसूचित अपराध से संबंधित सूचना की प्राप्ति पर और संहिता की धारा 154 के अधीन उसको अभिलिखित किए जाने पर, पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी उस रिपोर्ट को तत्काल राज्य सरकार को अग्रेषित करेगा । अनुसूचित अपराधों का अन्वेषण ।

(2) राज्य सरकार, उपधारा (1) के अधीन रिपोर्ट की प्राप्ति पर, उस रिपोर्ट को यथासंभव शीघ्रता से केन्द्रीय सरकार को अग्रेषित करेगी ।

(3) केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार से रिपोर्ट की प्राप्ति पर, राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई या अन्य स्त्रोतों से प्राप्त सूचना के आधार पर, रिपोर्ट की प्राप्ति की तारीख से पंद्रह दिन के भीतर, यह अवधारित करेगी कि अपराध अनुसूचित अपराध है या नहीं और अपराध की गंभीरता और अन्य सुसंगत तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, वह भी अवधारित करेगी कि क्या वह अपराध अभिकरण द्वारा अन्वेषण किए जाने के लिए उपयुक्त मामला है ।

(4) जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि अपराध अनुसूचित अपराध है और वह अभिकरण द्वारा अन्वेषण किए जाने के लिए उपयुक्त मामला है वहां वह अभिकरण को उक्त अपराध का अन्वेषण करने के लिए निदेश देगी ।

(5) इस धारा में किसी बात के होते हुए भी, यदि केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि कोई अनुसूचित अपराध कारित किया गया है जिसका इस अधिनियम के अधीन अन्वेषण किया जाना अपेक्षित है तो वह, स्वप्रेरणा से, अभिकरण को उक्त अपराध का अन्वेषण करने के लिए निदेश दे सकेगी ।

(6) जहां कोई निदेश उपधारा (4) या उपधारा (5) के अधीन दिया गया है वहां राज्य सरकार और अपराध का अन्वेषण करने वाला राज्य सरकार का कोई पुलिस अधिकारी आगे अन्वेषण नहीं करेगा और तत्काल सुसंगत दस्तावेजों और अभिलेखों को अभिकरण को पारेषित करेगा ।

(7) शंकाओं को दूर करने के लिए यह घोषणा की जाती है कि अभिकरण द्वारा मामले का अन्वेषण प्रारंभ करने तक, पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी का यह कर्तव्य होगा कि वह अन्वेषण जारी रखे ।

7. इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का अन्वेषण करते समय, अभिकरण, अपराध की गंभीरता और अन्य सुसंगत बातों को ध्यान में रखते हुए,— अन्वेषण राज्य सरकार को अंतरित करने की शक्ति ।

(क) यदि ऐसा करना समीचीन है तो राज्य सरकार को यह अनुरोध कर सकेगा कि वह स्वयं अन्वेषण से सहबद्ध हो ; या

(ख) केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से मामले को अपराध के अन्वेषण और विचारण के लिए राज्य सरकार को अंतरित कर सकेगा ।

8. अभिकरण, किसी अनुसूचित अपराध का अन्वेषण करते समय किसी ऐसे अन्य अपराध का भी अन्वेषण कर सकेगा जिसका अभियुक्त द्वारा किया जाना अभिकथित है यदि वह अपराध अनुसूचित अपराध से संसक्त है । संसक्त अपराधों का अन्वेषण करने की शक्ति ।

9. राज्य सरकार अनुसूचित अपराधों के अन्वेषण के लिए अभिकरण को सभी प्रकार की सहायता और सहयोग देगी । राज्य सरकार का राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण को सहायता देना ।

अनुसूचित अपराधों का अन्वेषण करने की राज्य सरकार की शक्ति ।

10. इस अधिनियम में जैसा अन्यथा उपबंधित है उसके सिवाय, इस अधिनियम की कोई बात किसी अनुसूचित अपराध या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन अन्य अपराधों का अन्वेषण और अभियोजन करने की राज्य सरकार की शक्तियों पर प्रभाव नहीं डालेगी ।

अध्याय 4

विशेष न्यायालय

विशेष न्यायालयों का गठन करने की केन्द्रीय सरकार की शक्ति ।

11. (1) केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, अनुसूचित अपराधों के विचारण के लिए ऐसे क्षेत्र या क्षेत्रों के लिए या, ऐसे मामले या मामलों के वर्ग या समूह के लिए, जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किए जाएं, एक या अधिक विशेष न्यायालयों का गठन करेगी ।

(2) जहां किसी विशेष न्यायालय की अधिकारिता के बारे में कोई प्रश्न उद्भूत होता है वहां वह प्रश्न केन्द्रीय सरकार को निर्देशित किया जाएगा जिसका उस विषय में विनिश्चय अंतिम होगा ।

(3) विशेष न्यायालय का पीठासीन न्यायाधीश ऐसा न्यायाधीश होगा जो केन्द्रीय सरकार द्वारा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति की सिफारिश पर नियुक्त किया जाएगा ।

(4) अभिकरण विशेष न्यायालय में पीठासीन होने के लिए किसी न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति को आवेदन कर सकेगा ।

(5) मुख्य न्यायमूर्ति, उपधारा (4) के अधीन आवेदन की प्राप्ति पर, यथासंभवशीघ्र और सात दिन के अपश्चात्, विशेष न्यायालय में पीठासीन होने के लिए नियुक्त किए जाने वाले न्यायाधीश के नाम की सिफारिश करेगा ।

(6) केन्द्रीय सरकार, यदि अपेक्षित हो, विशेष न्यायालय में, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति की सिफारिश पर, एक या अधिक अपर न्यायाधीशों की नियुक्ति कर सकेगी ।

(7) विशेष न्यायालय के न्यायाधीश या अपर न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए कोई व्यक्ति तभी अर्हित होगा जब वह ऐसी नियुक्ति से ठीक पूर्व किसी राज्य में सेशन न्यायाधीश या अपर सेशन न्यायाधीश हो ।

(8) शंकाओं को दूर करने के लिए, यह उपबंध किया जाता है कि विशेष न्यायालय के न्यायाधीश या अपर न्यायाधीश के रूप में नियुक्त व्यक्ति द्वारा उस सेवा में, जिससे वह संबंधित है, उसे लागू होने वाले नियमों के अधीन अधिवर्षिता की आयु प्राप्त कर लेना उसके ऐसे न्यायाधीश या अपर न्यायाधीश के रूप में बने रहने को प्रभावित नहीं करेगा और केन्द्रीय सरकार आदेश द्वारा यह निदेश दे सकेगी कि वह किसी विनिर्दिष्ट तारीख तक या उसके समक्ष मामले या मामलों का, जो उस आदेश में विनिर्दिष्ट किए जाएं, विचारण पूरा होने तक, न्यायाधीश बना रहेगा ।

(9) जहां विशेष न्यायालय में एक या अधिक अपर न्यायाधीश नियुक्त किए जाते हैं वहां विशेष न्यायालय का न्यायाधीश, समय-समय पर, साधारण या विशेष लिखित आदेश द्वारा सभी न्यायाधीशों के, जिनके अंतर्गत वह स्वयं और अपर न्यायाधीश भी हैं, बीच विशेष न्यायालय के कारबार के वितरण के लिए और अपनी अनुपस्थिति या किसी अपर न्यायाधीश की अनुपस्थिति की दशा में अत्यावश्यक कारबार के निपटारे के लिए भी उपबंध कर सकेगा ।

बैठक का स्थान ।

12. विशेष न्यायालय, अपनी स्वप्रेरणा से या लोक अभियोजक द्वारा किए गए आवेदन पर और यदि वह ऐसा करना समीचीन या वांछनीय समझे, अपनी किसी कार्यवाही के लिए बैठक के सामान्य स्थान से भिन्न किसी अन्य स्थान पर बैठक कर सकेगा ।

विशेष न्यायालयों की अधिकारिता ।

13. (1) संहिता में किसी बात के होते हुए भी, अभिकरण द्वारा अन्वेषण किए गए प्रत्येक अनुसूचित अपराध का विचारण केवल उसी विशेष न्यायालय द्वारा किया जाएगा जिसकी स्थानीय अधिकारिता के भीतर वह अपराध किया गया था ।

(2) यदि, किसी राज्य में विद्यमान स्थिति की अत्यावश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए,-

(क) ऋजु, निष्पक्ष या त्वरित विचारण संभव नहीं है ; या

(ख) शांति भंग हुए बिना या अभियुक्त, साक्षियों, लोक अभियोजक या विशेष न्यायालय के न्यायाधीश या इनमें से किसी की सुरक्षा को गंभीर खतरे में डाले बिना विचारण व्यवहार्य नहीं है ; या

(ग) यह अन्यथा न्याय के हित में नहीं है,

तो उच्चतम न्यायालय किसी विशेष न्यायालय के समक्ष लंबित किसी मामले को उसी राज्य में या किसी अन्य राज्य में किसी अन्य विशेष न्यायालय को अंतरित कर सकेगा और उच्च न्यायालय उस राज्य में स्थित किसी विशेष न्यायालय के समक्ष लंबित किसी मामले को उसी राज्य के भीतर किसी अन्य विशेष न्यायालय को अंतरित कर सकेगा ।

(3) यथास्थिति, उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय इस धारा के अधीन कार्यवाही या तो केन्द्रीय सरकार के या हितबद्ध किसी पक्षकार के आवेदन पर कर सकेगा और ऐसा कोई आवेदन समावेदन के माध्यम से किया जाएगा जो उस दशा के सिवाय जब आवेदक भारत का महान्यायवादी है, शपथ पत्र या प्रतिज्ञान द्वारा समर्थित होगा ।

अन्य अपराधों के संबंध में विशेष न्यायालयों की शक्तियां ।

14. (1) विशेष न्यायालय, जब वह किसी अपराध का विचारण कर रहा हो, उसी विचारण में ऐसे किसी अन्य अपराध का भी विचारण कर सकेगा जिसका अभियुक्त पर, संहिता के अधीन, आरोप लगाया जा सकेगा, यदि वह अपराध ऐसे अन्य अपराध से संसक्त है ।

(2) यदि किसी अपराध के इस अधिनियम के अधीन किसी विचारण के अनुक्रम में यह पाया जाता है कि अभियुक्त व्यक्ति ने इस अधिनियम के अधीन या किसी अन्य विधि के अधीन कोई अन्य अपराध किया है तो विशेष न्यायालय ऐसे व्यक्ति को ऐसे अन्य अपराध के लिए दोषसिद्ध ठहरा सकेगा और, यथास्थिति, इस अधिनियम द्वारा या ऐसी अन्य विधि के अधीन प्राधिकृत कोई दंडादेश पारित कर सकेगा या दंड अधिनिर्णीत कर सकेगा ।

लोक अभियोजक ।

15. (1) केन्द्रीय सरकार किसी व्यक्ति को लोक अभियोजक नियुक्त करेगी और एक या अधिक व्यक्तियों को अपर लोक अभियोजक के रूप में नियुक्त कर सकेगी :

परंतु केन्द्रीय सरकार किसी मामले या मामलों के किसी वर्ग या समूह के लिए विशेष लोक अभियोजक भी नियुक्त कर सकेगी ।

(2) इस धारा के अधीन लोक अभियोजक या अपर लोक अभियोजक या विशेष लोक अभियोजक के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए कोई व्यक्ति तभी पात्र होगा जब वह कम से कम सात वर्ष तक अधिवक्ता के रूप में विधि व्यवसाय में रहा है या संघ या किसी राज्य के अधीन कम से कम सात वर्ष की अवधि तक ऐसा कोई पद धारण कर चुका है जिसके लिए विधि का विशेष ज्ञान अपेक्षित है ।

(3) इस धारा के अधीन लोक अभियोजक या अपर लोक अभियोजक या विशेष लोक अभियोजक के रूप में नियुक्त प्रत्येक व्यक्ति को संहिता की धारा 2 के खंड (प) के अर्थान्तर्गत लोक अभियोजक समझा जाएगा और तदनुसार संहिता के उपबंध लागू होंगे ।

विशेष न्यायालयों की प्रक्रिया और शक्तियां ।

16. (1) विशेष न्यायालय ऐसे तथ्यों का परिवाद प्राप्त होने पर जो ऐसे अपराध का गठन करते हैं या ऐसे तथ्यों की पुलिस रिपोर्ट प्राप्त होने पर अभियुक्त को उसके विचारण के लिए सुपुर्द किए बिना किसी अपराध का संज्ञान कर सकेगा ।

(2) जहां विशेष न्यायालय द्वारा विचारणीय कोई अपराध तीन वर्ष से अनधिक की अवधि के कारावास से या जुर्माने से, या दोनों से दंडनीय है, वहां विशेष न्यायालय, संहिता की धारा 260 की उपधारा (1) या धारा 262 में किसी बात के होते हुए भी, अपराध का विचारण संहिता में विहित प्रक्रिया के अनुसार संक्षिप्त रूप में कर सकेगा और संहिता की धारा 263 से धारा 265 तक के उपबंध जहां तक हो सके ऐसे विचारण को लागू होंगे :

परंतु जब, इस उपधारा के अधीन संक्षिप्त विचारण के अनुक्रम में, विशेष न्यायालय को यह प्रतीत होता है कि मामले की प्रकृति ऐसी है कि उसका संक्षिप्त रूप में विचारण करना वांछनीय नहीं है तो विशेष न्यायालय ऐसे किन्हीं साक्षियों को, जिनकी परीक्षा की जा चुकी है, पुनः बुलाएगा और ऐसे अपराध के विचारण के लिए संहिता के उपबंधों द्वारा उपबंधित रीति में मामले की पुनः सुनवाई करने के लिए अग्रसर होगा और उक्त उपबंध विशेष न्यायालय को और उसके संबंध में इस प्रकार लागू होंगे जैसे वे किसी मजिस्ट्रेट को या उसके संबंध में लागू होते हैं :

परंतु यह और कि इस धारा के अधीन किसी संक्षिप्त विचारण में किसी दोषसिद्धि के मामले में विशेष न्यायालय के लिए एक वर्ष से अनधिक की अवधि के कारावास या ऐसे जुर्माने का, जो पांच लाख रुपए तक का हो सकेगा, दंडादेश पारित करना विधिपूर्ण होगा ।

(3) इस अधिनियम के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए, विशेष न्यायालय को, किसी अपराध के विचारण के प्रयोजन के लिए, सेशन न्यायालय की सभी शक्तियां होंगी और वह जहां तक हो सके ऐसे अपराध का विचारण सेशन न्यायालय के समक्ष विचारण के लिए संहिता में विहित प्रक्रिया के अनुसार इस प्रकार करेगा मानो वह सेशन न्यायालय हो ।

(4) इस अधिनियम के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए, धारा 13 की उपधारा (2) के अधीन विशेष न्यायालय को अंतरित प्रत्येक मामले पर इस प्रकार कार्यवाही की जाएगी मानो ऐसा मामला संहिता की धारा 406 के अधीन उस विशेष न्यायालय को अंतरित किया गया हो ।

(5) संहिता में किसी बात के होते हुए भी, किंतु संहिता की धारा 299 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, विशेष न्यायालय, यदि वह ठीक समझे और उसके द्वारा लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से, अभियुक्त या उसके प्लीडर की अनुपस्थिति में विचारण की कार्यवाही कर सकेगा और प्रतिपरीक्षा के लिए साक्षी को पुनः बुलाने के अभियुक्त के अधिकार के अधीन रहते हुए किसी साक्षी का साक्ष्य अभिलिखित कर सकेगा ।

साक्षियों की संरक्षा ।

17. (1) संहिता में किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियां, यदि विशेष न्यायालय ऐसी वांछा करे तो लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से, बन्द कमरे में की जा सकेंगी ।

(2) यदि विशेष न्यायालय का उसके समक्ष किसी कार्यवाही में किसी साक्षी द्वारा या ऐसे साक्षी के संबंध में लोक अभियोजक द्वारा किए गए आवेदन पर या स्वःप्रेरणा से यह समाधान हो जाता है कि ऐसे साक्षी का जीवन खतरे में है तो वह लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से, उस साक्षी की पहचान और पते को गुप्त रखने के लिए ऐसे उपाय कर सकेगा जो वह ठीक समझे ।

(3) विशिष्टतया और उपधारा (2) के उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे उपायों में, जो उस उपधारा के अधीन विशेष न्यायालय कर सकेगा, निम्नलिखित भी सम्मिलित हो सकेंगे,—

(क) विशेष न्यायालय द्वारा विनिश्चित किए जाने वाले किसी स्थान पर कार्यवाहियां करना ;

(ख) अपने आदेशों या निर्णयों में या जनसाधारण की पहुंच योग्य मामले के किन्हीं अभिलेखों में साक्षियों के नाम और पतों के उल्लेख से बचना ;

(ग) यह सुनिश्चित करने के लिए कि साक्षियों की पहचान और पते प्रकट न किए जाएं, कोई निर्देश जारी करना ;

(घ) यह विनिश्चय कि ऐसा आदेश करना लोकहित में है कि उस न्यायालय के समक्ष लंबित सभी या कोई कार्यवाहियां किसी भी रीति में प्रकाशित नहीं की जाएंगी ।

(4) कोई व्यक्ति, जो उपधारा (3) के अधीन जारी किए गए किसी विनिश्चय या निर्देश का उल्लंघन करेगा, ऐसी अवधि के कारावास से, जो तीन वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से, जो एक हजार रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा ।

अभियोजन के लिए मंजूरी।

18. इस अधिनियम द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में की गई या किए जाने के लिए तात्पर्यित किसी बात की बाबत अभिकरण के किसी सदस्य या उसकी ओर से कार्य करने वाले किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई भी अभियोजन, वाद या अन्य विधिक कार्यवाही किसी न्यायालय में, केन्द्रीय सरकार की पूर्व मंजूरी के सिवाय, संस्थित नहीं की जाएगी ।

विशेष न्यायालय द्वारा विचारण की अग्रता होना ।

19. विशेष न्यायालय द्वारा किसी अपराध का इस अधिनियम के अधीन विचारण सभी कार्यदिवसों पर दिन-प्रतिदिन के आधार पर किया जाएगा और किसी अन्य न्यायालय में (जो विशेष न्यायालय नहीं है) अभियुक्त के विरुद्ध किसी अन्य मामले के विचारण पर उसकी अग्रता होगी तथा उसे ऐसे अन्य मामले के विचारण पर अधिसानता देकर पूरा किया जाएगा और तदनुसार ऐसे अन्य मामले का विचारण, यदि आवश्यक हो, आस्थगित रहेगा ।

नियमित न्यायालयों को मामले अंतरित करने की शक्ति ।

20. जहां किसी अपराध का संज्ञान लेने के पश्चात् विशेष न्यायालय की यह राय है कि अपराध उसके द्वारा विचारणीय नहीं है तो वह इस बात के होते हुए भी कि उसको उस अपराध का विचारण करने की अधिकारिता नहीं है, ऐसे अपराध के विचारण के लिए मामले को संहिता के अधीन अधिकारिता रखने वाले किसी न्यायालय को अंतरित करेगा और वह न्यायालय, जिसको मामला अंतरित किया गया है, अपराध के विचारण पर इस प्रकार कार्यवाही करेगा मानो अपराध का संज्ञान उसने लिया हो ।

अपीलें ।

21. (1) संहिता में किसी बात के होते हुए भी, किसी विशेष न्यायालय के किसी निर्णय, दंडादेश या आदेश से, जो अंतरवर्ती आदेश नहीं है, तथ्य और विधि दोनों के संबंध में, अपील उच्च न्यायालय को होगी ।

(2) उपधारा (1) के अधीन प्रत्येक अपील की सुनवाई उच्च न्यायालय के दो न्यायाधीशों की न्यायपीठ द्वारा की जाएगी और जहां तक संभव हो, अपील ग्रहण करने की तारीख से तीन मास के भीतर उसका निपटारा किया जाएगा ।

(3) यथापूर्वोक्त के सिवाय, किसी विशेष न्यायालय के किसी निर्णय, दंडादेश या आदेश से, जिसके अंतर्गत अंतरवर्ती आदेश भी है, किसी न्यायालय में कोई अपील या पुनरीक्षण नहीं होगा ।

(4) संहिता की धारा 378 की उपधारा (3) में किसी बात के होते हुए भी, जमानत मंजूर करने या उससे इंकार करने के विशेष न्यायालय के आदेश के विरुद्ध अपील उच्च न्यायालय को होगी ।

(5) इस धारा के अधीन प्रत्येक अपील उस निर्णय, दंडादेश या आदेश की, जिसके विरुद्ध अपील की गई है, तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर की जाएगी :

परंतु उच्च न्यायालय तीस दिन की उक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् किसी अपील को ग्रहण कर सकेगा, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि अपीलार्थी के पास तीस दिन की अवधि के भीतर अपील न करने का पर्याप्त कारण था :

परंतु यह और कि नब्बे दिन की समाप्ति के पश्चात् कोई अपील ग्रहण नहीं की जाएगी ।

विशेष न्यायालय गठित करने की राज्य सरकार की शक्ति ।

22. (1) राज्य सरकार, अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी या सभी अधिनियमितियों के अधीन अपराधों के विचारण के लिए, एक या अधिक विशेष न्यायालयों का गठन कर सकेगी ।

(2) इस अध्याय के उपबंध उपधारा (1) के अधीन राज्य सरकार द्वारा गठित किए गए विशेष न्यायालयों को लागू होंगे और निम्नलिखित उपांतरणों के अधीन रहते हुए प्रभावी होंगे, अर्थात् :—

(i) धारा 11 और धारा 15 में, "केंद्रीय सरकार" के प्रति निर्देशों का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वे "राज्य सरकार" के प्रति निर्देश हैं ;

(ii) धारा 13 की उपधारा (1) में, "अभिकरण" के प्रति निर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह "राज्य सरकार के अन्वेषण अभिकरण" के प्रति निर्देश है ;

(iii) धारा 13 की उपधारा (3) में, "भारत के महान्यायवादी" के प्रति निर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह "राज्य के महाधिवक्ता" के प्रति निर्देश है।

(3) किसी विशेष न्यायालय को इस अधिनियम द्वारा प्रदत्त अधिकारिता का, इस अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी अपराध के मामले में उपधारा (1) के अधीन राज्य सरकार द्वारा कोई विशेष न्यायालय गठित किए जाने तक संहिता में किसी बात के होते हुए भी, उस खंड के सेशन न्यायालय द्वारा प्रयोग किया जाएगा जिसमें ऐसा अपराध किया गया है और उसको सभी शक्तियां होंगी तथा वह इस अध्याय के अधीन उपबंधित प्रक्रिया का पालन करेगा ।

(4) उस तारीख से ही, जब राज्य सरकार द्वारा विशेष न्यायालय का गठन किया जाता है, इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन राज्य सरकार द्वारा अन्वेषण किए गए किसी अपराध का विचारण, जिसका विशेष न्यायालय के समक्ष किया जाना अपेक्षित होता, उस तारीख को, जिसको उसका गठन किया गया है, उस न्यायालय में अंतरित हो जाएगा ।

अध्याय 5

प्रकीर्ण

नियम बनाने की उच्च न्यायालयों की शक्ति ।

23. उच्च न्यायालय, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, ऐसे नियम बना सकेगा, जिन्हें वह अपने राज्यक्षेत्र के भीतर विशेष न्यायालयों के संबंध में इस अधिनियम के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए आवश्यक समझे ।

कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति ।

24. (1) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो केंद्रीय सरकार, राजपत्र में प्रकाशित ऐसे आदेश द्वारा ऐसे उपबंध कर सकेगी, जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हों और जो उस कठिनाई को दूर करने के लिए उसे आवश्यक या समीचीन प्रतीत होते हों :

परंतु इस धारा के अधीन ऐसा कोई आदेश इस अधिनियम के प्रारंभ से दो वर्ष की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जाएगा ।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, किए जाने के पश्चात्, यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा ।

नियम बनाने की शक्ति ।

25. (1) केंद्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी ।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम, निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध कर सकेंगे, अर्थात् :—

(क) धारा 5 के अधीन अभिकरण के गठन की रीति और अभिकरण में नियोजित व्यक्तियों की सेवा की शर्तें ;

(ख) कोई अन्य विषय, जिसका विहित किया जाना अपेक्षित है या जो विहित किया जाए ।

नियमों का रखा जाना ।

26. इस अधिनियम के अधीन केंद्रीय सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम, उसके बनाए जाने के पश्चात्, यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा । यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी । यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा । यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् वह नियम निष्प्रभाव हो जाएगा । किंतु नियम के इस प्रकार परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

अनुसूची

[धारा 2(1)(च) देखिए]

1. परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962 (1962 का 33);

2. विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 (1967 का 37);

3. यान हरण निवारण अधिनियम, 1982 (1982 का 65);

4. सिविल विमानन सुरक्षा विधिविरुद्ध कार्य दमन अधिनियम, 1982 (1982 का 66);

5. दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन अभिसमय (आतंकवाद दमन) अधिनियम, 1993 (1993 का 36);

6. सामुद्रिक नौपरिवहन और महाद्वीपीय मग्नतट भूमि पर स्थिर प्लेटफार्मों की सुरक्षा के विरुद्ध विधिविरुद्ध कार्यों का दमन अधिनियम, 2002 (2002 का 69);

7. सामूहिक संहार के आयुध और उनकी परिदान प्रणाली (विधिविरुद्ध क्रियाकलापों का प्रतिषेध) अधिनियम, 2005 (2005 का 21);

8. निम्नलिखित के अधीन अपराध—

(क) भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) के अध्याय 6 [धारा 121 से धारा 130 (जिनमें ये दोनों धाराएं सम्मिलित है)];

(ख) भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की धारा 489 क से धारा 489ङ (जिनमें ये दोनों धाराएं सम्मिलित हैं)।

मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग.

क्रमांक 2531/3/21–अ/वि.स./2010 भोपाल, दिनांक 4/6/2010

भारत के राजपत्र असाधारण भाग 2 अनुभाग–1 क, खण्ड XLV सं. 2 दिनांक 14 मई, 2009, में प्रकाशित **विधिविरूद्ध क्रियाकलाप (निवारण) संशोधन अधिनियम, 2008 (2008 का अधिनियम संख्यांक 35)** का हिन्दी अनुवाद जो राजभाषा अधिनियम, 1963 (1963 का 19) की धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन उसका प्राधिकृत हिन्दी पाठ समझा जायेगा, सर्वसाधारण की जानकारी के लिए एतद्द्वारा पुनः प्रकाशित किया जा रहा है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(सुरेश कुमार श्रीवास्तव)
उप सचिव,
म0प्र0शासन,विधि और विधायी कार्य विभाग.

विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) संशोधन अधिनियम, 2008

(2008 का अधिनियम संख्यांक 35)

[31 दिसम्बर, 2008]

विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967
का और संशोधन
करने के लिए
अधिनियम

भारत गणराज्य के उनसठवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

संक्षिप्त नाम। 1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) संशोधन अधिनियम, 2008 है।

1967 का 37

उद्देशिका का अंत:स्थापन। 2. विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 में (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है), वृहत नाम के पश्चात् और अधिनियमन सूत्र से पहले निम्नलिखित उद्देशिका अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

"संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् ने, 28 सितम्बर, 2001 को अपनी 4385वीं बैठक में, संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के अध्याय 7 के अधीन संकल्प 1373 (2001) को अंगीकार किया जिसमें सभी राज्यों से अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद का मुक़ाबला करने के लिए उपाय करने की अपेक्षा की गई है;

और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् के संकल्प 1267 (1999), संकल्प 1333 (2000), संकल्प 1363 (2001), संकल्प 1390 (2002), संकल्प 1455 (2003), संकल्प 1526 (2004), संकल्प 1566 (2004), संकल्प 1617 (2005), संकल्प 1735 (2006) और संकल्प 1822 (2008) में राज्यों से कतिपय आतंकवादियों और आतंकवादी संगठनों के विरुद्ध कार्रवाई करने, आस्तियों और अन्य आर्थिक संसाधनों पर रोक लगाने, अपने राज्यक्षेत्रों में प्रवेश करने या राज्यक्षेत्र में से अभिवहन करने को निवारित करने और अनुसूची में सूचीबद्ध व्यष्टियों या अस्तित्वों को आयुध और गोला बारूद के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रदाय, विक्रय या अंतरण का निवारण करने की अपेक्षा की गई है;

और केन्द्रीय सरकार ने, संयुक्त राष्ट्र (सुरक्षा परिषद्) अधिनियम, 1947 की धारा 2 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आतंकवाद का निवारण और दमन (सुरक्षा परिषद् के संकल्पों का कार्यान्वयन) आदेश, 2007 किया है; 1947 का 43

और उक्त संकल्पों और आदेश को प्रभावी करने और आतंकवादी क्रियाकलापों का निवारण करने और उनका मुकाबला करने तथा उससे संबद्ध या उसके आनुषंगिक विषयों के लिए विशेष उपबंध करना आवश्यक समझा गया है।"।

धारा 2 का संशोधन। 3. मूल अधिनियम की धारा 2 में,—

(i) खंड (घ) के अंत में "और इसमें राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 की धारा 11 के अधीन या धारा 21 के अधीन गठित कोई विशेष न्यायालय सम्मिलित है;" शब्द और अंक अंत:स्थापित किए जाएंगे;

(ii) खंड (ङ) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

'(ङक) "आदेश" से, समय-समय पर, यथा संशोधित आतंकवाद का निवारण और दमन (सुरक्षा परिषद् के संकल्पों का कार्यान्वयन) आदेश, 2007 अभिप्रेत है;';

(iii) खंड (छ) में "किसी आतंकवादी संगठन" शब्दों के पश्चात् "या आतंकवादी गैंग" शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे;

(iv) खंड (ज) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखे जाएंगे, अर्थात्:—

'(ज) "संपत्ति" से प्रत्येक वर्णन की संपत्ति और आस्तियां, चाहे वे मूर्त या अमूर्त, जंगम या स्थावर, भौतिक या अभौतिक हों और, बैंक-प्रत्ययों, यात्री चेकों, बैंक चेकों, मनी आर्डरों, शेयरों, प्रतिभूतियों, बंधपत्रों, ड्राफ्ट, प्रत्यय पत्रों, नकदी और बैंक खाते, जिसमें किसी भी प्रकार से अर्जित निधि सम्मिलित है, के माध्यम से ऐसी संपत्ति या आस्तियों के हक या उनमें हित के साक्ष्यस्वरूप किसी भी रूप में, जिसके अंतर्गत इलैक्ट्रानिक या अंकीय रूप भी है, विधिक दस्तावेज, विलेख और लिखतें अभिप्रेत हैं;

(जक) "अनुसूची" से इस अधिनियम की अनुसूची अभिप्रेत है;'।

धारा 15 के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन। 4. मूल अधिनियम की धारा 15 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात्:—

आतंकवादी कार्य। "15. जो कोई, भारत की एकता, अखंडता, सुरक्षा या प्रभुता को संकट में डालने या संकट में डालने की संभावना के आशय से या भारत में या किसी विदेश में जनता अथवा जनता के किसी वर्ग में आतंक फैलाने या आतंक फैलाने की संभावना के आशय से—

(क) बमों, डाइनामाइट या अन्य विस्फोटक पदार्थों या ज्वलनशील पदार्थों या अग्न्यायुधों या अन्य प्राणहर आयुधों या विषों या अपायकर गैसों या अन्य रसायनों या परिसंकटमय प्रकृति के किन्हीं अन्य पदार्थों का (चाहे वे जैविक रेडियोधर्मी, न्यूक्लीयर हों या अन्यथा) या किसी भी प्रकृति के किन्हीं अन्य साधनों का उपयोग करके ऐसा कोई कार्य करता है जिससे,—

(i) किसी व्यक्ति या व्यक्तियों की मृत्यु होती है या उन्हें क्षति होती है या होने की संभावना है; या

(ii) संपत्ति की हानि या उसका नुकसान या विनाश होता है या होने की संभावना है; या

(iii) भारत में या किसी विदेश में समुदाय के जीवन के लिए अनिवार्य किन्हीं प्रदायों या सेवाओं में विघ्न कारित होता है या होने की संभावना है; या

(iv) भारत की प्रतिरक्षा या भारत सरकार, किसी राज्य सरकार या उनके किन्हीं अभिकरणों के किन्हीं अन्य प्रयोजनों के संबंध में उपयोग की जाने वाली या उपयोग किए जाने के लिए आशयित भारत में या किसी विदेश में किसी संपत्ति का नुकसान या विनाश होता है या होने की संभावना है; या

(ख) लोक कृत्यकारियों को आपराधिक बल के द्वारा या आपराधिक बल का प्रदर्शन करके आतंकित करता है या ऐसा करने का प्रयत्न करता है या किसी लोक कृत्यकारी की मृत्यु कारित करता है या किसी लोक कृत्यकारी की मृत्यु कारित करने का प्रयत्न करता है; या

(ग) किसी व्यक्ति को निरुद्ध करता है, उसका व्यपहरण या अपहरण करता है या ऐसे व्यक्ति को मारने या क्षति पहुंचाने की धमकी देता है या भारत सरकार, किसी राज्य सरकार या किसी विदेश की सरकार या किसी अन्य व्यक्ति को कोई कार्य करने या किसी कार्य को करने से प्रविरत रहने के लिए बाध्य करने के लिए कोई अन्य कार्य करता है,

तो वह आतंकवादी कार्य करता है।

स्पष्टीकरण-इस धारा के प्रयोजन के लिए, लोक कृत्यकारी से संवैधानिक प्राधिकारी और केन्द्रीय सरकार द्वारा राजपत्र में, लोक कृत्यकारी के रूप में अधिसूचित कोई अन्य कृत्यकारी अभिप्रेत हैं।''।

5. मूल अधिनियम की धारा 16 के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात्:— नई धारा 16क का अंत:स्थापन।

''16क. जो कोई साशय, किसी आतंकवादी कार्य में सहायता करने, उसे दुष्प्रेरित करने या करने के आशय से बल का प्रयोग करके या बल प्रयोग करने की धमकी देकर या किसी अन्य साधन द्वारा, किसी बम, डायनामाइट या अन्य विस्फोटक पदार्थ या ज्वलनशील पदार्थों या अग्न्यायुधों या अन्य प्राणहर हथियारों या विषैले या अपायकर या अन्य रसायनों या किसी जैविक, रेडियोधर्मी, न्यूक्लीयर सामग्री या युक्ति की मांग करेगा, तो वह ऐसी अवधि के कारावास से, जो दस वर्ष तक की हो सकेगी, दंडनीय होगा और जुर्माने के लिए भी दायी होगा।''। रेडियोधर्मी पदार्थों, न्यूक्लीयर युक्तियों, आदि की मांग करने के लिए दंड।

6. मूल अधिनियम की धारा 17 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात्:— धारा 17 के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन।

''17. जो कोई, भारत में या किसी विदेश में प्रत्यक्षत: या अप्रत्यक्षत:, निधियां जुटाएगा या निधियों का संग्रहण करेगा; या यह जानते हुए किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को निधियां उपलब्ध कराएगा या किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को निधियां उपलब्ध कराने का प्रयत्न करेगा कि ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा ऐसी निधियों का उपयोग किसी आतंकवादी कार्य को करने में किए जाने की संभावना है, तो इस बात पर ध्यान न देते हुए कि ऐसी निधियों का वास्तविक रूप से उपयोग ऐसे कार्य को करने के लिए किया गया था या नहीं, वह ऐसी अवधि के कारावास से, जो पांच वर्ष से कम नहीं होगी किंतु जो आजीवन कारावास तक की हो सकेगी, दंडनीय होगा, और जुर्माने के लिए भी दायी होगा।''। आतंकवादी कार्य के लिए निधियां जुटाने के लिए दंड।

7. मूल अधिनियम की धारा 18 में, ''उद्दीपन करेगा या जानबूझकर उसका किया जाना सुकर बनाएगा'' शब्दों के स्थान पर, ''उद्दीपन करेगा, निदेश देगा या जानबूझकर उसका किया जाना सुकर बनाएगा'' शब्द रखे जाएंगे। धारा 18 का संशोधन।

नई धारा 18क और धारा 18ख का अंत:स्थापन।

8. मूल अधिनियम की धारा 18 के पश्चात्, निम्नलिखित धाराएं अंत:स्थापित की जाएंगी, अर्थात्:—

आतंकवादी शिविर आयोजित करने के लिए दंड।

"18क. जो कोई आतंकवाद में प्रशिक्षण देने के लिए किसी शिविर या शिविरों का आयोजन करेगा या कराएगा, तो वह ऐसी अवधि के कारावास से, जो पांच वर्ष से कम नहीं होगी किंतु जो आजीवन कारावास तक की हो सकेगी, दंडनीय होगा और जुर्माने के लिए भी दायी होगा।

आतंकवादी कार्य के लिए किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को भर्ती करने के लिए दंड।

18ख. जो कोई किसी आतंकवादी कार्य को करने के लिए किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को भर्ती करेगा या कराएगा, तो वह ऐसी अवधि के कारावास से, जो पांच वर्ष से कम की नहीं होगी, किंतु जो आजीवन कारावास तक की हो सकेगी, दंडनीय होगा, और जुर्माने के लिए भी दायी होगा।"।

धारा 23 का संशोधन।

9. मूल अधिनियम की धारा 23 में,—

(क) उपधारा (1) में, "यदि कोई व्यक्ति, किसी आतंकवादी की सहायता करने के आशय से" शब्दों के स्थान पर "यदि कोई व्यक्ति, किसी आतंकवादी या किसी आतंकवादी संगठन या किसी आतंकवादी गैंग की सहायता करने के आशय से" शब्द रखे जाएंगे;

(ख) उपधारा (2) में, "किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में, जो" शब्दों के स्थान पर "किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में, जो किसी आतंकवादी या आतंकवादी संगठन या आतंकवादी गैंग की सहायता करने के आशय से" शब्द रखे जाएंगे।

धारा 24 का संशोधन।

10. मूल अधिनियम की धारा 24 की उपधारा (2) में "आतंकवाद के आगम, चाहे किसी आतंकवादी द्वारा या" शब्दों के पश्चात्, "किसी आतंकवादी संगठन द्वारा या आतंकवादी गैंग द्वारा या" शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे।

धारा 25 का संशोधन।

11. मूल अधिनियम की धारा 25 की उपधारा (5) के स्पष्टीकरण के खंड (ग) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"(गक) क्रेडिट या डेबिट कार्ड या ऐसे कार्ड जो उनका जैसा प्रयोजन सिद्ध करते हैं";।

नई धारा 43क से धारा 43च का अंत:स्थापन।

12. मूल अधिनियम की धारा 43 के पश्चात्, निम्नलिखित धाराएं अंत:स्थापित की जाएंगी, अर्थात्:—

गिरफ्तार करने, तलाशी लेने, आदि की शक्ति।

'43क. अभिहित प्राधिकरण का ऐसा कोई अधिकारी, जो, यथास्थिति, केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार के किसी साधारण या विशेष आदेश द्वारा इस निमित्त सशक्त किया गया है, इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध को कारित करने की योजना के संबंध में जानकारी रखता है या जिसके पास व्यक्तिगत जानकारी या किसी व्यक्ति द्वारा दी गई और लिखित में ली गई ऐसी सूचना पर यह विश्वास करने का कारण है कि किसी व्यक्ति ने इस अधिनियम के अधीन कोई दंडनीय अपराध किया है या कोई दस्तावेज, वस्तु या ऐसी अन्य चीज जो ऐसे अपराध के किए जाने का साक्ष्य दे सकेगी, या कोई अवैध रूप से अर्जित संपत्ति या ऐसे दस्तावेज या अन्य वस्तु, जो किसी अवैध रूप से अर्जित संपत्ति के धारण का साक्ष्य दे सकेगी, जो इस अध्याय के अधीन अभिग्रहण किए जाने या रोक लगाए जाने या समपहरण किए जाने के लिए दायी है, किसी भवन, वाहन या स्थान में रखी गई है या छिपाई गई है, तो वह अपने अधीनस्थ किसी अधिकारी को ऐसे किसी व्यक्ति को, चाहे दिन में या रात में, गिरफ्तार करने या ऐसे किसी भवन, वाहन या स्थान की तलाशी लेने के लिए प्राधिकृत कर सकेगा या स्वयं ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकेगा या ऐसे किसी भवन, वाहन या स्थान की तलाशी ले सकेगा।

गिरफ्तारी, अभिग्रहण, आदि की प्रक्रिया।

43ख. (1) धारा 43क के अधीन किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने वाला कोई अधिकारी, यथासंभवशीघ्र उसे ऐसी गिरफ्तारी के आधारों की सूचना देगा।

(2) धारा 43क के अधीन गिरफ्तार प्रत्येक व्यक्ति और अभिगृहीत वस्तु को बिना किसी अनावश्यक विलंब के निकटतम पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी को अग्रेषित किया जाएगा।

(3) ऐसा प्राधिकारी या अधिकारी, जिसे उपधारा (2) के अधीन कोई व्यक्ति या वस्तु अग्रेषित की गई है, सब सुविधापूर्ण शीघ्रता से ऐसे उपाय करेगा जो संहिता के उपबंधों के अनुसार आवश्यक हों।

संहिता के उपबंधों का लागू होना।

43ग. संहिता के उपबंध, जहां तक वे इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हों, इस अधिनियम के अधीन की गईं सभी गिरफ्तारियों, तलाशियों और अभिग्रहणों को लागू होंगे।

संहिता के कतिपय उपबंधों का उपांतरित रूप में लागू होना।

43घ. (1) संहिता या किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के अधीन दंडनीय प्रत्येक अपराध संहिता की धारा 2 के खंड (ग) के अर्थ के भीतर संज्ञेय अपराध समझा जाएगा और उस खंड में यथा परिभाषित "संज्ञेय मामला" का तदनुसार अर्थ लगाया जाएगा।

(2) संहिता की धारा 167 ऐसे किसी मामले के संबंध में, जिसमें इस अधिनियम के अधीन दंडनीय कोई अपराध अंतर्वलित है, इस उपांतरण के अधीन रहते हुए लागू होगी कि उपधारा (2) में—

(क) "पन्द्रह दिन", "नब्बे दिन" और "साठ दिन" के प्रतिनिर्देशों का, जहां कहीं वे आते हैं, यह अर्थ लगाया जाएगा कि वे क्रमशः "तीस दिन", "नब्बे दिन" और "नब्बे दिन" के प्रतिनिर्देश है; और

(ख) परंतुक के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:—

"परंतु यह और कि यदि नब्बे दिन की उक्त अवधि के भीतर अन्वेषण पूरा करना संभव नहीं है तो न्यायालय, यदि वह लोक अभियोजक की अन्वेषण की प्रगति और नब्बे दिनों की उक्त अवधि से परे, अभियुक्त को निरुद्ध रखने के लिए विनिर्दिष्ट कारणों को उपदर्शित करने वाली रिपोर्ट से संतुष्ट है, उक्त अवधि को एक सौ अस्सी दिन तक विस्तारित कर सकेगा:

परंतु यह भी कि यदि इस अधिनियम के अधीन अन्वेषण करने वाला पुलिस अधिकारी अन्वेषण के प्रयोजनों के लिए, न्यायिक अभिरक्षा में स्थित किसी व्यक्ति को न्यायिक अभिरक्षा से पुलिस अभिरक्षा में सौंपने का अनुरोध करता है तो वह ऐसा करने के कारणों का कथन करते हुए एक शपथपत्र फाइल करेगा और ऐसी पुलिस अभिरक्षा का अनुरोध करने के लिए किसी विलंब, यदि कोई हो, को भी स्पष्ट करेगा।"।

(3) संहिता की धारा 268 ऐसे किसी मामले के संबंध में जिसमें इस अधिनियम के अधीन दंडनीय कोई अपराध अंतर्वलित है, इस उपांतरण के अधीन रहते हुए लागू होगी कि—

(क) उसकी उपधारा (1) में,—

(i) "राज्य सरकार" के प्रतिनिर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह "केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार" के प्रतिनिर्देश है;

(ii) "राज्य सरकार के आदेश" के प्रतिनिर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह "यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के आदेश" के प्रतिनिर्देश है; और

(ख) उसकी उपधारा (2) में "राज्य सरकार" के प्रतिनिर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह "यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार" के प्रतिनिर्देश है।

(4) संहिता की धारा 438 में की कोई बात, किसी ऐसे मामले के संबंध में लागू नहीं होगी जिसमें किसी ऐसे अभियुक्त व्यक्ति की गिरफ्तारी अंतर्वलित है, जिसने इस अधिनियम के अधीन दंडनीय कोई अपराध किया है।

(5) संहिता में किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के अध्याय 4 और अध्याय 6 के अधीन दंडनीय किसी अपराध का अभियुक्त कोई व्यक्ति, यदि वह अभिरक्षा में है, जमानत पर या अपने ही बंधपत्र पर तब तक नहीं छोड़ा जाएगा जब तक लोक अभियोजक को ऐसे छोड़े जाने के लिए आवेदन पर सुनवाई का अवसर न दे दिया गया हो:

परंतु ऐसा अभियुक्त व्यक्ति जमानत पर या अपने ही बंधपत्र पर छोड़ा नहीं जाएगा यदि न्यायालय

की केस डायरी या संहिता की धारा 173 के अधीन दी गई रिपोर्ट के परिशीलन पर यह राय है कि यह विश्वास करने के लिए युक्तियुक्त आधार हैं कि उस व्यक्ति के विरुद्ध अभियोग प्रथमदृष्ट्या सही है।

(6) उपधारा (5) में विनिर्दिष्ट जमानत मंजूर किए जाने पर निर्बंधन, संहिता या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन जमानत मंजूर करने संबंधी निर्बंधनों के अतिरिक्त हैं।

(7) उपधारा (5) और उपधारा (6) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, कोई जमानत इस अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी अपराध के अभियुक्त व्यक्ति को अतिआपवादिक परिस्थितियों में के सिवाय और ऐसे कारणों से जो लेखबद्ध किए जाएं, मंजूर नहीं की जाएगी, यदि वह भारत का नागरिक नहीं है और उसने देश में अप्राधिकृत रूप से या अवैध रूप से प्रवेश किया है।

धारा 15 के अधीन अपराधों के बारे में उपधारणा।

43ङ. धारा 15 के अधीन किसी अपराध के लिए अभियोजन में, यदि यह साबित हो जाता है कि—

(क) उक्त धारा में विनिर्दिष्ट आयुध या विस्फोटक या कोई अन्य पदार्थ अभियुक्त के कब्जे से बरामद किए गए थे और यह विश्वास करने का कारण है कि ऐसे आयुध या उसी प्रकृति के विस्फोटक या अन्य पदार्थ ऐसे अपराध को कारित करने में प्रयोग किए गए थे; या

(ख) विशेषज्ञ के साक्ष्य द्वारा, अभियुक्त व्यक्ति की अंगुली छाप या ऐसा कोई अन्य निश्चित साक्ष्य जिससे अभियुक्त के अपराध में अंतर्वलित होने का संकेत मिलता है, अपराध स्थल पर या किसी अन्य वस्तु पर जिसके अंतर्गत ऐसे अपराध के किए जाने के संबंध में उपयोग किए गए आयुध और यान भी हैं, पाया गया था,

तो न्यायालय, जब तक इसके प्रतिकूल दर्शित न किया गया हो, यह उपधारणा करेगा कि अभियुक्त ने ऐसा अपराध किया है।

सूचना देने की बाध्यता।

43च. (1) किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का अन्वेषण करने वाला अधिकारी, पुलिस अधीक्षक से अनिम्न पंक्ति के किसी अधिकारी के लिखित पूर्व अनुमोदन से, केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी या किसी बैंक या किसी कंपनी या किसी फर्म या किसी अन्य संस्था, स्थापन, संगठन के किसी अधिकारी या प्राधिकारी या किसी व्यष्टि से मुद्दों या विषयों पर ऐसे अपराध के संबंध में उसके कब्जे में की ऐसी जानकारी देने की अपेक्षा कर सकेगा जहां अन्वेषण करने वाले अधिकारी के पास यह विश्वास करने का कारण है कि ऐसी सूचना इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए उपयोगी या उनसे सुसंगत होगी।

(2) उपधारा (1) के अधीन मांगी गई जानकारी देने में असफल रहना या जानबूझकर मिथ्या जानकारी देना, कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से, दंडनीय होगा।

(3) संहिता में किसी बात के होते हुए भी, उपधारा (2) के अधीन किसी अपराध का विचारण संक्षिप्त मामले के रूप में किया जाएगा और उक्त संहिता के अध्याय 21 में [धारा 262 की उपधारा (2) के सिवाय] विहित प्रक्रिया उसको लागू होगी।'।

धारा 45 का संशोधन।

13. मूल अधिनियम की धारा 45 को उसकी उपधारा (1) के रूप में पुन:संख्यांकित किया जाएगा और इस प्रकार पुन:संख्यांकित उपधारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

"(2) उपधारा (1) के अधीन अभियोजन के लिए मंजूरी, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा नियुक्त ऐसे प्राधिकारी की रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् ही ऐसे समय के भीतर दी जाएगी, जो विहित किया जाए जो अन्वेषण के अनुक्रम में एकत्रित साक्ष्य का स्वतंत्र रूप से पुनर्विलोकन करेगा और, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार को ऐसे समय के भीतर, जो विहित किया जाए, सिफारिश करेगा।"।

नई धारा 51क का अंत:स्थापन।

14. मूल अधिनियम की धारा 51 के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

केन्द्रीय सरकार की कतिपय शक्तियां।

"51क. आतंकवादी क्रियाकलापों का निवारण करने और उनका मुकाबला करने के लिए केन्द्रीय सरकार को निम्नलिखित कार्य करने की शक्ति होगी,—

(क) आदेश की अनुसूची में सूचीबद्ध व्यष्टियों या अस्तित्वों या आतंकवाद में लगे या लगे होने के लिए संदिग्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा या उनकी ओर से या उनके निदेश पर धारित निधियों और अन्य वित्तीय आस्तियों या आर्थिक संसाधनों पर रोक लगाना, उनका अभिग्रहण करना या उन्हें कुर्क करना;

(ख) आदेश की अनुसूची में सूचीबद्ध व्यष्टियों या अस्तित्वों या आतंकवाद में लगे या लगे होने के लिए संदिग्ध किसी अन्य व्यक्ति के फायदे के लिए निधियों, वित्तीय आस्तियों या आर्थिक संसाधनों से संबद्ध सेवाओं को उपलब्ध कराने से किसी व्यष्टि या अस्तित्व को प्रतिषिद्ध करना;

(ग) आदेश की अनुसूची में सूचीबद्ध व्यष्टियों या आतंकवाद में लगे या लगे होने के लिए संदिग्ध किसी अन्य व्यक्ति के भारत में प्रवेश करने या भारत से उसके अभिवहन को रोकना।"।

धारा 52 का संशोधन।

15. मूल अधिनियम की धारा 52 की उपधारा (2) में खंड (ङ) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"(ङङ) वह समय जिसके भीतर धारा 45 की उपधारा (2) के अधीन अभियोजन के लिए मंजूरी दी जाएगी और केन्द्रीय सरकार को सिफारिश की जाएगी; और"।

धारा 53 का संशोधन।

16. मूल अधिनियम की धारा 53 को उसकी उपधारा (1) के रूप में पुन:संख्यांकित किया जाएगा और इस प्रकार पुन:संख्यांकित उपधारा के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

"(2) अनुसूची की प्रविष्टि 33 में निर्दिष्ट आदेश और उस आदेश में किया गया प्रत्येक संशोधन किए जाने के पश्चात्, यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो; कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा। यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी।"।

अनुसूची का संशोधन।

17. मूल अधिनियम की अनुसूची में प्रविष्टि 32 के पश्चात्, निम्नलिखित प्रविष्टि अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

1947 का 43

"33. संयुक्त राष्ट्र (सुरक्षा परिषद्) अधिनियम, 1947 की धारा 2 के अधीन बनाए गए और समय-समय पर यथासंशोधित आतंकवाद का निवारण और दमन (सुरक्षा परिषद् के संकल्पों का कार्यान्वयन) आदेश, 2007 की अनुसूची में सूचीबद्ध संगठन।"।

मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग.

क्रमांक 2531/5/21–अ/वि.स./2010 भोपाल, दिनांक 4/8/2010

भारत के राजपत्र असाधारण भाग 2 अनुभाग–1 क, खण्ड XLV सं. 2 दिनांक 14 मई, 2009, में प्रकाशित **राज्यपाल (उपलब्धियां, भत्ते और विशेषाधिकार) संशोधन अधिनियम,2008 (2008 का अधिनियम संख्यांक1)** का हिन्दी अनुवाद जो राजभाषा अधिनियम, 1963 (1963 का 19) की धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन उसका प्राधिकृत हिन्दी पाठ समझा जायेगा, सर्वसाधारण की जानकारी के लिए एतद्द्वारा पुनः प्रकाशित किया जा रहा है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(सुरेश कुमार श्रीवास्तव)
उप सचिव,
म0प्र0शासन,विधि और विधायी कार्य विभाग.

राज्यपाल (उपलब्धियां, भत्ते और विशेषाधिकार) संशोधन अधिनियम, 2008

(2009 का अधिनियम संख्यांक 1)

[2 जनवरी, 2009]

राज्यपाल (उपलब्धियां, भत्ते और विशेषाधिकार) अधिनियम, 1982 का और संशोधन करने के लिए अधिनियम

भारत गणराज्य के उनसठवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

संक्षिप्त नाम। 1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम राज्यपाल (उपलब्धियां, भत्ते और विशेषाधिकार) संशोधन अधिनियम, 2008 है।

1982 का 43

धारा 2 का संशोधन। 2. राज्यपाल (उपलब्धियां, भत्ते और विशेषाधिकार) अधिनियम, 1982 की (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) धारा 2 के खंड (ग) में "पत्नी या पति और आश्रित संतानें" शब्दों के स्थान पर "पत्नी या पति, आश्रित संतानें और आश्रित माता-पिता" शब्द रखे जाएंगे और 1 जनवरी, 2007 से रखे गए समझे जाएंगे।

धारा 3 का संशोधन। 3. मूल अधिनियम की धारा 3 में "छत्तीस हजार रुपए प्रतिमास" शब्दों के स्थान पर "एक लाख दस हजार रुपए प्रतिमास" शब्द रखे जाएंगे और 1 जनवरी, 2006 से रखे गए समझे जाएंगे।

कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति। 4. (1) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, ऐसे उपबंध कर सकेगी जो इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल

अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हों और जो उस कठिनाई को दूर करने के प्रयोजन के लिए उसे आवश्यक या समीचीन प्रतीत हों:

परन्तु इस धारा के अधीन ऐसा कोई आदेश इस अधिनियम के प्रवृत्त होने की तारीख से दो वर्ष की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जाएगा।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, उसके किए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा।

मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग.

कमांक 2531/5/21–अ/वि.स./2010 भोपाल, दिनांक 4/6/2010

भारत के राजपत्र असाधारण भाग 2 अनुभाग–1 क, खण्ड XLV सं. 2 दिनांक 14 मई, 2009, में प्रकाशित संविधान (अनुसूचित जनजातियां) (संघ राज्यक्षेत्र) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2008 (2009 का अधिनियम संख्याक 2) का हिन्दी अनुवाद जो राजभाषा अधिनियम, 1963 (1963 का 19) की धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन उसका प्राधिकृत हिन्दी पाठ समझा जायेगा, सर्वसाधारण की जानकारी के लिए एतद्द्वारा पुनः प्रकाशित किया जा रहा है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(सुरेश कुमार श्रीवास्तव)
उप सचिव,
म0प्र0शासन,विधि और विधायी कार्य विभाग.

संविधान (अनुसूचित जनजातियां) (संघ राज्यक्षेत्र) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2008

(2009 का अधिनियम संख्यांक 2)

[7 जनवरी, 2009]

संविधान (अनुसूचित जनजातियां) (संघ राज्यक्षेत्र) आदेश, 1951 का और संशोधन करने के लिए अधिनियम

भारत गणराज्य के उनसठवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम संविधान (अनुसूचित जनजातियां) (संघ राज्यक्षेत्र) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2008 है। संक्षिप्त नाम।

2. संविधान (अनुसूचित जनजातियां) (संघ राज्यक्षेत्र) आदेश, 1951 की अनुसूची के भाग 1–लक्षद्वीप में, निम्नलिखित परन्तुक और स्पष्टीकरण अंत में अंत:स्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:— संविधान (अनुसूचित जनजातियां) (संघ राज्यक्षेत्र) आदेश, 1951 के भाग 1 का संशोधन।

'परन्तु ऐसे बालक जो लक्षद्वीप के निवासियों से भारत के मुख्य भू–भाग में किसी अन्य स्थान पर जन्म लेते हैं, द्वीपों में जन्में निवासी समझे जाएंगे यदि ऐसे बालक द्वीपों में स्थायी रूप से बस जाते हैं।

स्पष्टीकरण—''स्थायी रूप से बस जाते हैं'' पद का वही अर्थ होगा जो लक्षद्वीप पंचायत विनियम, 1994 के खंड 3(1)(घ) में परिभाषित है।'। 1994 का विनियम 4

मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग.

क्रमांक 2531/6/21–अ/वि.स./2010 भोपाल, दिनांक 4/8/2010

भारत के राजपत्र असाधारण भाग 2 अनुभाग–1 क, खण्ड XLV सं. 2 दिनांक 14 मई, 2009, में प्रकाशित **ग्राम न्यायालय अधिनियम, 2008 (2009 का अधिनियम संख्याक 4)** का हिन्दी अनुवाद जो राजभाषा अधिनियम, 1963 (1963 का 19) की धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन उसका प्राधिकृत हिन्दी पाठ समझा जायेगा, सर्वसाधारण की जानकारी के लिए एतद्द्वारा पुनः प्रकाशित किया जा रहा है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(सुरेश कुमार श्रीवास्तव)
उप सचिव,
म0प्र0शासन,विधि और विधायी कार्य विभाग.

ग्राम न्यायालय अधिनियम, 2008

(2009 का अधिनियम संख्यांक 4)

[7 जनवरी, 2009]

नागरिकों की उनके निकटतम स्थान पर न्याय तक पहुंच उपलब्ध कराने के प्रयोजनों के लिए ग्रामीण स्तर पर ग्राम न्यायालयों की स्थापना करने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोई नागरिक सामाजिक, आर्थिक या अन्य निःशक्तता के कारण न्याय प्राप्त करने के अवसरों से वंचित तो नहीं हो रहा है, और उनसे संबंधित या उनके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के उनसठवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

अध्याय 1

प्रारंभिक

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम ग्राम न्यायालय अधिनियम, 2008 है।

(2) इसका विस्तार जम्मू-कश्मीर राज्य, नागालैंड राज्य, अरुणाचल प्रदेश राज्य, सिक्किम राज्य और जनजातीय क्षेत्रों के सिवाय संपूर्ण भारत पर है।

स्पष्टीकरण—इस उपधारा में, "जनजातीय क्षेत्रों" पद से संविधान की छठी अनुसूची के पैरा 20 के नीचे सारणी के भाग 1, भाग 2, भाग 2क और भाग 3 में क्रमशः असम राज्य, मेघालय राज्य, त्रिपुरा राज्य और मिजोरम राज्य के विनिर्दिष्ट क्षेत्र अभिप्रेत हैं।

(3) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा, नियत करे और भिन्न-भिन्न राज्यों के लिए भिन्न-भिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी।

परिभाषाएं।

2. इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,--

(क) "ग्राम न्यायालय" से धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन स्थापित न्यायालय अभिप्रेत हैं;

(ख) "ग्राम पंचायत" से संविधान के अनुच्छेद 243ख के अधीन ग्रामीण क्षेत्रों के लिए ग्राम स्तर पर गठित स्वायत्त शासन की कोई संस्था (किसी भी नाम से ज्ञात हो) अभिप्रेत है;

(ग) "उच्च न्यायालय" से अभिप्रेत है,--

(i) किसी राज्य के संबंध में, उस राज्य का उच्च न्यायालय;

(ii) उस संघ राज्यक्षेत्र के संबंध में, जिसके लिए किसी राज्य के उच्च न्यायालय की अधिकारिता विधि द्वारा विस्तारित की गई है, वह उच्च न्यायालय;

(iii) किसी अन्य संघ राज्यक्षेत्र के संबंध में, उस राज्यक्षेत्र के लिए भारत के उच्चतम न्यायालय से भिन्न, दांडिक अपील का सर्वोच्च न्यायालय;

(घ) "अधिसूचना" से राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना अभिप्रेत है और "अधिसूचित" पद का तदनुसार अर्थ लगाया जाएगा;

(ङ) "न्यायाधिकारी" से धारा 5 के अधीन नियुक्त ग्राम न्यायालय का पीठासीन अधिकारी अभिप्रेत है;

(च) "मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत" से संविधान के भाग 9 के उपबंधों के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों के लिए संविधान के अनुच्छेद 243ख के अधीन मध्यवर्ती स्तर पर गठित स्वायत्त शासन की संस्था (किसी भी नाम से ज्ञात हो) अभिप्रेत है;

(छ) "विहित" से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है;

(ज) "अनुसूची" से इस अधिनियम से संलग्न अनुसूची अभिप्रेत है;

(झ) संघ राज्यक्षेत्र के संबंध में "राज्य सरकार" से संविधान के अनुच्छेद 239 के अधीन नियुक्त उसका प्रशासक अभिप्रेत है;

(ञ) उन शब्दों और पदों के जो, इसमें प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं किंतु सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 या दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे, जो उन संहिताओं में हैं। 1908 का 5 1974 का 2

अध्याय 2

ग्राम न्यायालय

ग्राम न्यायालयों की स्थापना।

3. (1) राज्य सरकार, इस अधिनियम द्वारा ग्राम न्यायालय को प्रदत्त अधिकारिता और शक्तियों का प्रयोग करने के प्रयोजन के लिए, उच्च न्यायालय से परामर्श करने के पश्चात्, अधिसूचना द्वारा, जिले में मध्यवर्ती स्तर पर प्रत्येक पंचायत या मध्यवर्ती स्तर पर निकटवर्ती पंचायतों के समूह के लिए या जहां किसी राज्य में मध्यवर्ती स्तर पर कोई पंचायत नहीं है वहां निकटवर्ती ग्राम पंचायतों के समूह के लिए एक या अधिक ग्राम न्यायालय स्थापित कर सकेगी।

(2) राज्य सरकार, उच्च न्यायालय से परामर्श करने के पश्चात्, अधिसूचना द्वारा, ऐसे क्षेत्र की स्थानीय सीमाएं विनिर्दिष्ट करेगी, जिस पर ग्राम न्यायालय की अधिकारिता विस्तारित की जाएगी और किसी भी समय, ऐसी सीमाओं को बढ़ा सकेगी, कम कर सकेगी या परिवर्तित कर सकेगी।

(3) उपधारा (1) के अधीन स्थापित ग्राम न्यायालय तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन स्थापित न्यायालयों के अतिरिक्त होंगे।

ग्राम न्यायालय का मुख्यालय।

4. प्रत्येक ग्राम न्यायालय का मुख्यालय उस मध्यवर्ती पंचायत के मुख्यालय पर जिसमें ग्राम न्यायालय स्थापित है या ऐसे अन्य स्थान पर अवस्थित होगा, जो राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए।

न्यायाधिकारी की नियुक्ति।

5. राज्य सरकार, उच्च न्यायालय के परामर्श से, प्रत्येक ग्राम न्यायालय के लिए एक न्यायाधिकारी की नियुक्ति करेगी।

न्यायाधिकारी की नियुक्ति के लिए अर्हताएं।

6. (1) कोई व्यक्ति, न्यायाधिकारी के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए तभी अर्हित होगा, जब वह प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए पात्र हो।

(2) न्यायाधिकारी की नियुक्ति करते समय, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, स्त्रियों तथा ऐसे अन्य वर्गों या समुदायों के सदस्यों को प्रतिनिधित्व दिया जाएगा, जो राज्य सरकार द्वारा, समय-समय पर, अधिसूचना द्वारा, विनिर्दिष्ट किए जाएं।

न्यायाधिकारी का वेतन, भत्ते और सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें।

7. न्यायाधिकारी को संदेय वेतन और अन्य भत्ते तथा उसकी सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें वे होंगी, जो प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट को लागू हों।

न्यायाधिकारी का उन कार्यवाहियों में पीठासीन न होना, जिनमें वह हितबद्ध है।

8. न्यायाधिकारी ग्राम न्यायालय की उन कार्यवाहियों में पीठासीन नहीं होगा जिनमें उसका कोई हित है या वह विवाद की विषय-वस्तु में अन्यथा अंतर्वलित है या उसका ऐसी कार्यवाहियों के किसी पक्षकार से संबंध है और ऐसे मामले में न्यायाधिकारी मामले को, किसी अन्य न्यायाधिकारी को अंतरित किए जाने के लिए, यथास्थिति, जिला न्यायालय या सेशन न्यायालय को भेजेगा।

न्यायाधिकारी का ग्रामों में चल न्यायालय लगाना और कार्यवाहियां करना।

9. (1) न्यायाधिकारी अपनी अधिकारिता के अंतर्गत आने वाले ग्रामों का आवधिक रूप से दौरा करेगा और ऐसे किसी स्थान पर विचारण या कार्यवाहियां करेगा, जिसे वह उस स्थान के निकट समझता है जहां पक्षकार सामान्यतया निवास करते हैं या जहां संपूर्ण वाद हेतुक या उसका कोई भाग उद्भूत हुआ था:

परन्तु जहां ग्राम न्यायालय अपने मुख्यालय से बाहर चल न्यायालय लगाने का विनिश्चय करता है वहां वह उस तारीख और स्थान के बारे में, जहां वह चल न्यायालय लगाने का प्रस्ताव करता है, व्यापक प्रचार करेगा।

(2) राज्य सरकार, ग्राम न्यायालय को सभी सुविधाएं प्रदान करेगी जिनके अंतर्गत उसके मुख्यालय से बाहर विचारण या कार्यवाहियां करते समय न्यायाधिकारी द्वारा चल न्यायालय लगाने के लिए वाहनों की व्यवस्था भी है।

ग्राम न्यायालय की मुद्रा।

10. इस अधिनियम के अधीन स्थापित प्रत्येक ग्राम न्यायालय, न्यायालय की मुद्रा का उपयोग ऐसे आकार और विमाओं में करेगा जो उच्च न्यायालय द्वारा राज्य सरकार के अनुमोदन से विहित की जाएं।

अध्याय 3

ग्राम न्यायालय की अधिकारिता, शक्तियां और प्राधिकार

ग्राम न्यायालय की अधिकारिता।

1974 का 2
1908 का 5

11. दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 या सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, ग्राम न्यायालय सिविल और दांडिक, दोनों अधिकारिता का प्रयोग इस अधिनियम के अधीन उपबंधित रीति में और सीमा तक करेगा।

दांडिक अधिकारिता।

1974 का 2

12. (1) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, ग्राम न्यायालय किसी परिवाद पर या पुलिस रिपोर्ट पर किसी अपराध का संज्ञान ले सकेगा और—

(क) पहली अनुसूची के भाग 1 में विनिर्दिष्ट सभी अपराधों का विचारण करेगा; और

(ख) उस अनुसूची के भाग 2 में सम्मिलित अधिनियमितियों के अधीन विनिर्दिष्ट सभी अपराधों का विचारण करेगा और अनुतोष, यदि कोई हो, प्रदान करेगा।

(2) उपधारा (1) के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ग्राम न्यायालय उन राज्य अधिनियमों के अधीन ऐसे सभी अपराधों का भी विचारण करेगा या ऐसा अनुतोष प्रदान करेगा, जो धारा 14 की उपधारा (3) के अधीन राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किए जाएं।

सिविल अधिकारिता।

1908 का 5

13. (1) सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी और उपधारा (2) के अधीन रहते हुए, ग्राम न्यायालय की निम्नलिखित अधिकारिता होगी,—

(क) दूसरी अनुसूची के भाग 1 में विनिर्दिष्ट वर्गों के विवादों के अधीन आने वाले सिविल प्रकृति के सभी वादों या कार्यवाहियों का विचारण करना;

(ख) उन सभी वर्गों के दावों और विवादों का विचारण करना, जो धारा 14 की उपधारा (1) के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा और उक्त धारा की उपधारा (3) के अधीन राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किए जाएं।

(2) ग्राम न्यायालय की धनीय सीमाएं वे होंगी, जो उच्च न्यायालय द्वारा, राज्य सरकार के परामर्श से समय-समय पर अधिसूचना द्वारा, विनिर्दिष्ट की जाएं।

अनुसूचियों का संशोधन करने की शक्ति।

14. (1) जहां केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह अधिसूचना द्वारा, यथास्थिति, पहली अनुसूची के भाग 1 या भाग 2 अथवा दूसरी अनुसूची के भाग 2 में किसी मद को जोड़ सकेगी या उससे लोप कर सकेगी और वह तदनुसार संशोधित की गई समझी जाएगी।

(2) उपधारा (1) के अधीन जारी की गई प्रत्येक अधिसूचना संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखी जाएगी।

(3) यदि राज्य सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है तो वह उच्च न्यायालय के परामर्श से अधिसूचना द्वारा, पहली अनुसूची के भाग 3 या दूसरी अनुसूची के भाग 3 में किसी मद को जोड़ सकेगी या उससे किसी ऐसी मद का लोप कर सकेगी, जिसकी बाबत राज्य विधान-मंडल विधियां बनाने के लिए सक्षम है और तदुपरि, यथास्थिति, पहली अनुसूची या दूसरी अनुसूची तदनुसार संशोधित की गई समझी जाएगी।

(4) उपधारा (3) के अधीन जारी की गई प्रत्येक अधिसूचना राज्य विधान-मंडल के समक्ष रखी जाएगी।

परिसीमा।

15. (1) परिसीमा अधिनियम, 1963 के उपबंध ग्राम न्यायालय द्वारा विचारणीय वादों को लागू होंगे। 1963 का 36

(2) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अध्याय 36 के उपबंध ग्राम न्यायालय द्वारा विचारणीय अपराधों के संबंध में लागू होंगे। 1974 का 2

लंबित कार्यवाहियों का अंतरण।

16. (1) यथास्थिति, जिला न्यायालय या सेशन न्यायालय ऐसी तारीख से, जो उच्च न्यायालय द्वारा अधिसूचित की जाए, अपने अधीनस्थ न्यायालयों के समक्ष लंबित सभी सिविल या दांडिक मामलों को, ऐसे मामलों का विचारण या निपटारा करने के लिए सक्षम ग्राम न्यायालय को अंतरित कर सकेगा।

(2) ग्राम न्यायालय अपने विवेकानुसार उन मामलों का या तो पुनः विचारण कर सकेगा या उन पर उस प्रक्रम से आगे कार्यवाही कर सकेगा, जिस पर वे उसे अंतरित किए गए थे।

अनुसचिवीय अधिकारियों के कर्तव्य।

17. (1) राज्य सरकार, ग्राम न्यायालय को उसके कृत्यों के निर्वहन में सहायता करने के लिए अपेक्षित अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की प्रकृति और प्रवर्गों का अवधारण करेगी और ग्राम न्यायालय को उतने अधिकारी और अन्य कर्मचारी उपलब्ध कराएगी, जितने वह ठीक समझे।

(2) ग्राम न्यायालय के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को संदेय वेतन और भत्ते तथा उनकी सेवा की अन्य शर्तें वे होंगी जो राज्य सरकार द्वारा विहित की जाएं।

(3) ग्राम न्यायालय के अधिकारी और अन्य कर्मचारी ऐसे कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे जो, समय-समय पर, न्यायाधिकारी द्वारा उन्हें समनुदेशित किए जाएं।

अध्याय 4

दांडिक मामलों में प्रक्रिया

दांडिक विचारण में अधिनियम का अध्यारोही प्रभाव।

18. इस अधिनियम के उपबंध, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 या किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी प्रभावी होंगे, किन्तु इस अधिनियम में अभिव्यक्त रूप से जैसा उपबंधित है उसके सिवाय, संहिता के उपबंध, जहां तक वे इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत नहीं हैं, ग्राम न्यायालय के समक्ष कार्यवाहियों 1974 का 2

को लागू होंगे और संहिता के उक्त उपबंधों के प्रयोजन के लिए ग्राम न्यायालय प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट का न्यायालय समझा जाएगा।

1974 का 2

ग्राम न्यायालय द्वारा संक्षिप्त विचारण प्रक्रिया का अपनाया जाना।

19. (1) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 260 की उपधारा (1) या धारा 262 की उपधारा (2) में किसी बात के होते हुए भी, ग्राम न्यायालय अपराधों का विचारण उक्त संहिता के अध्याय 21 में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार संक्षिप्त रूप में करेगा और उक्त संहिता की धारा 262 की उपधारा (1) तथा धारा 263 से धारा 265 के उपबंध, जहां तक हो सके, ऐसे विचारण को लागू होंगे।

(2) जब संक्षिप्त विचारण के दौरान न्यायाधिकारी को यह प्रतीत हो कि मामले की प्रकृति ऐसी है कि उसका संक्षिप्त विचारण करना अवांछनीय है तो न्यायाधिकारी ऐसे किसी साक्षी को पुन: बुलाएगा, जिसकी परीक्षा हो चुकी हो और दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अधीन उपबंधित रीति में मामले की पुन: सुनवाई के लिए अग्रसर होगा।

1974 का 2

ग्राम न्यायालय के समक्ष सौदा अभिवाक्।

20. अपराध में अभियुक्त व्यक्ति उस ग्राम न्यायालय में, जिसमें ऐसे अपराध का विचारण लंबित है, सौदा अभिवाक् के लिए आवेदन फाइल कर सकेगा और ग्राम न्यायालय दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अध्याय 21क के उपबंधों के अनुसार मामले का निपटारा करेगा।

1974 का 2

ग्राम न्यायालय में मामलों का संचालन और पक्षकारों को विधिक सहायता।

21. (1) सरकार की ओर से ग्राम न्यायालय में दांडिक मामलों का संचालन करने के प्रयोजन के लिए दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 25 के उपबंध लागू होंगे।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, ग्राम न्यायालय के समक्ष दांडिक कार्यवाही में परिवादी अभियोजन के मामले को प्रस्तुत करने के लिए ग्राम न्यायालय की इजाजत से अपने खर्चे पर अपनी पसंद के किसी अधिवक्ता को नियुक्त कर सकेगा।

1987 का 39

(3) विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 6 के अधीन गठित राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, अधिवक्ताओं का एक पैनल तैयार करेगा और उनमें से कम-से-कम दो को प्रत्येक ग्राम न्यायालय के साथ लगाए जाने के लिए समनुदेशित करेगा, जिससे कि ग्राम न्यायालय द्वारा उनकी सेवाएं अधिवक्ता की नियुक्ति करने में असमर्थ रहने वाले अभियुक्त को उपलब्ध कराई जा सकें।

निर्णय का सुनाया जाना।

22. (1) प्रत्येक विचारण में निर्णय, न्यायाधिकारी द्वारा विचारण के समाप्त होने के ठीक पश्चात् या पन्द्रह दिन से अनधिक ऐसे किसी पश्चात्वर्ती समय पर, जिसकी सूचना पक्षकारों को दी जाएगी, खुले न्यायालय में सुनाया जाएगा।

(2) ग्राम न्यायालय अपने निर्णय की एक प्रति दोनों पक्षकारों को तत्काल नि:शुल्क प्रदान करेगा।

अध्याय 5

सिविल मामलों में प्रक्रिया

1908 का 5

सिविल कार्यवाहियों में अधिनियम का अध्यारोही प्रभाव।

23. इस अधिनियम के उपबंध, सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 या किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी प्रभावी होंगे, किन्तु इस अधिनियम में अभिव्यक्त रूप से जैसा उपबंधित है उसके सिवाय, संहिता के उपबंध, जहां तक वे इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत नहीं हैं, ग्राम न्यायालय के समक्ष कार्यवाहियों को लागू और संहिता के उक्त उपबंधों के प्रयोजन के लिए ग्राम न्यायालय सिविल न्यायालय समझा जाएगा।

सिविल विवादों में विशेष प्रक्रिया।

24. (1) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के अधीन प्रत्येक वाद, दावा या विवाद ग्राम न्यायालय में ऐसे प्ररूप में, ऐसी रीति में और एक सौ रुपए से अनधिक की ऐसी फीस के साथ, जो उच्च न्यायालय द्वारा, समय-समय पर, राज्य सरकार के परामर्श से विहित की जाए, आवेदन करके संस्थित किया जाएगा।

(2) जहां कोई वाद, दावा या विवाद सम्यक् रूप से संस्थित किया गया है, वहां ग्राम न्यायालय द्वारा उपधारा (1) के अधीन किए गए आवेदन की प्रति के साथ विरोधी पक्षकार को ऐसी तारीख तक जो समनों में विनिर्दिष्ट की जाए, हाजिर होने और दावे का उत्तर देने के लिए समन जारी किए जाएंगे और उनकी तामील ऐसी रीति में की जाएगी जो उच्च न्यायालय द्वारा विहित की जाए।

(3) विरोधी पक्षकार द्वारा अपना लिखित कथन फाइल कर दिए जाने के पश्चात्, ग्राम न्यायालय सुनवाई के लिए तारीख नियत करेगा और सभी पक्षकारों को व्यक्तिगत रूप से या अपने अधिवक्ताओं के माध्यम से हाजिर होने की सूचना देगा।

(4) सुनवाई के लिए नियत तारीख को, ग्राम न्यायालय दोनों पक्षकारों की उनके अपने-अपने प्रतिविरोधों के संबंध में सुनवाई करेगा और जहां विवाद में कोई साक्ष्य अभिलिखित करना अपेक्षित नहीं है वहां निर्णय सुनाएगा और ऐसे मामले में जहां साक्ष्य अभिलिखित करना अपेक्षित है वहां ग्राम न्यायालय आगे कार्यवाही करेगा।

(5) ग्राम न्यायालय को निम्नलिखित की शक्ति भी होगी,—

(क) व्यतिक्रम के लिए किसी मामले को खारिज करना या एक पक्षीय कार्यवाही करना; और

(ख) व्यतिक्रम के लिए खारिजी के ऐसे किसी आदेश या मामले की एकपक्षीय सुनवाई के लिए उसके द्वारा पारित किसी आदेश को अपास्त करना।

(6) किसी ऐसे आनुषंगिक विषय के संबंध में, जो कार्यवाहियों के दौरान उत्पन्न हो, ग्राम न्यायालय ऐसी प्रक्रिया अपनाएगा, जो वह न्याय के हित में न्यायसंगत और युक्तियुक्त समझे।

(7) कार्यवाहियां, जहां तक व्यवहार्य हो, न्याय के हितों से संगत होंगी और सुनवाई दिन-प्रतिदिन के आधार पर उसके निष्कर्ष तक जारी रहेगी, जब तक कि ग्राम न्यायालय ऐसे कारणों से, जिन्हें लेखबद्ध किया जाएगा, सुनवाई को अगले दिन से परे स्थगित करना आवश्यक नहीं पाता।

(8) ग्राम न्यायालय उपधारा (1) के अधीन किए गए आवेदन का निपटारा उसके संस्थित किए जाने की तारीख से छह मास की अवधि के भीतर करेगा।

(9) प्रत्येक वाद, दावे या विवाद में निर्णय ग्राम न्यायालय द्वारा सुनवाई के समाप्त होने के ठीक पश्चात् या पन्द्रह दिन से अनधिक ऐसे किसी पश्चात्वर्ती समय पर, जिसकी सूचना पक्षकारों को दी जाएगी, खुले न्यायालय में सुनाया जाएगा।

(10) निर्णय में मामले का संक्षिप्त विवरण, अवधारण के लिए प्रश्न, उस पर विनिश्चय और ऐसे विनिश्चय के कारण अंतर्विष्ट होंगे।

(11) निर्णय की एक प्रति दोनों पक्षकारों को निर्णय सुनाए जाने की तारीख से तीन दिन के भीतर निःशुल्क परिदान की जाएगी।

ग्राम न्यायालय की डिक्रियों और आदेशों का निष्पादन।

25. (1) सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 में किसी बात के होते हुए भी, ग्राम न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एक डिक्री समझा जाएगा और उसका निष्पादन ग्राम न्यायालय द्वारा सिविल न्यायालय की डिक्री के रूप में किया जाएगा और इस प्रयोजन के लिए, ग्राम न्यायालय को सिविल न्यायालय की सभी शक्तियां होंगी। 1908 का 5

(2) ग्राम न्यायालय, सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 में यथा उपबंधित किसी डिक्री के निष्पादन के संबंध में प्रक्रिया से आबद्ध नहीं होगा और वह नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों से मार्गदर्शित होगा। 1908 का 5

(3) डिक्री का निष्पादन या तो उस ग्राम न्यायालय द्वारा, जिसने इसे पारित किया है या ऐसे किसी अन्य ग्राम न्यायालय द्वारा, जिसे निष्पादन के लिए वह भेजी गई है, किया जा सकेगा।

सिविल विवादों के सुलह और समझौते के लिए प्रयास करने का ग्राम न्यायालय का कर्तव्य।

26. (1) प्रत्येक वाद या कार्यवाही में ग्राम न्यायालय द्वारा प्रथम अवसर पर यह प्रयास किया जाएगा कि जहां मामले की प्रकृति और परिस्थितियों से संगत ऐसा करना संभव हो, वहां वह वाद, दावे या विवाद की विषयवस्तु के संबंध में किसी समझौते पर पहुंचने में पक्षकारों की सहायता करे, उन्हें मनाए और उनमें सुलह कराए और इस प्रयोजन के लिए ग्राम न्यायालय ऐसी प्रक्रिया अपनाएगा, जो उच्च न्यायालय द्वारा विहित की जाए।

(2) जहां किसी वाद या कार्यवाही में किसी प्रक्रम पर ग्राम न्यायालय को यह प्रतीत होता है कि पक्षकारों के बीच समझौते की युक्तियुक्त संभावना है वहां ग्राम न्यायालय कार्यवाहियों को ऐसी अवधि के लिए स्थगित कर सकेगा जिसे वह ऐसा समझौता करने का प्रयास करने में उन्हें समर्थ बनाने के लिए ठीक समझे।

(3) जहां उपधारा (2) के अधीन किसी कार्यवाही को स्थगित किया जाता है वहां ग्राम न्यायालय, अपने विवेकानुसार, पक्षकारों के बीच समझौता कराने के लिए मामले को एक या अधिक सुलहकारों को निर्देशित कर सकेगा।

(4) उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्ति कार्यवाहियों को स्थगित करने की ग्राम न्यायालय की किसी अन्य शक्ति के अतिरिक्त होगी, न कि उसके अल्पीकरण में।

सुलहकारों की नियुक्ति।

27. (1) धारा 26 के प्रयोजनों के लिए, जिला न्यायालय, जिला मजिस्ट्रेट के परामर्श से, सुलहकारों के रूप में नियुक्ति के लिए ग्राम स्तर पर सत्यनिष्ठा रखने वाले ऐसे सामाजिक कार्यकर्ताओं के नामों का एक पैनल तैयार करेगा, जिनके पास ऐसी अर्हताएं और अनुभव हों, जो उच्च न्यायालय द्वारा विहित किए जाएं।

(2) सुलहकारों को संदेय बैठक फीस और अन्य भत्ते तथा उनके नियोजन के अन्य निबंधन और शर्तें वे होंगी, जो राज्य सरकार द्वारा विहित की जाएं।

सिविल विवादों का अंतरण।

28. अधिकारिता रखने वाला जिला न्यायालय, किसी पक्षकार द्वारा किए गए आवेदन पर या जब किसी एक ग्राम न्यायालय के पास काफी मामले लंबित हों या जब कभी वह न्याय के हित में ऐसा आवश्यक समझे, किसी ग्राम न्यायालय के समक्ष लंबित किसी मामले को अपनी अधिकारिता के भीतर किसी अन्य ग्राम न्यायालय को अंतरित कर सकेगा।

अध्याय 6

साधारणतः प्रक्रिया

कार्यवाहियों का राज्य की राजभाषा में होना।

29. ग्राम न्यायालय के समक्ष कार्यवाहियां और उसका निर्णय, जहां तक व्यवहार्य हो, अंग्रेजी भाषा से भिन्न राज्य की राजभाषाओं में से किसी एक में होंगे।

भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 का लागू होना।

30. ग्राम न्यायालय साक्ष्य के रूप में ऐसी किसी रिपोर्ट, कथन, दस्तावेज, सूचना या विषय को ग्रहण कर सकेगा जो, उसकी राय में, किसी विवाद को प्रभावी रूप से निपटाने में उसकी सहायता करता हो, चाहे वह भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 के अधीन अन्यथा सुसंगत या ग्राह्य हो या नहीं। 1872 का 1

मौखिक साक्ष्य का लेखबद्ध किया जाना।

31. ग्राम न्यायालय के समक्ष वादों या कार्यवाहियों में साक्षियों के साक्ष्य को विस्तार से लेखबद्ध करना आवश्यक नहीं होगा, किंतु न्यायाधिकारी, जैसे ही प्रत्येक साक्षी की परीक्षा अग्रसर होती है, साक्षी द्वारा दिए गए अभिसाक्ष्य के सार का ज्ञापन लेखबद्ध करेगा या लेखबद्ध कराएगा और ऐसे ज्ञापन पर साक्षी और न्यायाधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे तथा वह अभिलेख का भाग बनेगा।

औपचारिक प्रकृति के साक्ष्य का शपथ पत्र पर होना।

32. (1) किसी व्यक्ति का साक्ष्य, जहां ऐसा साक्ष्य औपचारिक प्रकृति का है, शपथ-पत्र द्वारा दिया जा सकेगा और सभी न्यायसंगत अपवादों के अधीन रहते हुए, ग्राम न्यायालय के समक्ष किसी वाद या कार्यवाही में साक्ष्य में पढ़ा जा सकेगा।

(2) ग्राम न्यायालय, यदि वह ठीक समझे, वाद या कार्यवाही में किसी पक्षकार के आवेदन पर ऐसे किसी व्यक्ति को समन कर सकेगा और उसके शपथ-पत्र में अंतर्विष्ट तथ्यों के बारे में उसकी परीक्षा करेगा।

अध्याय 7

अपीलें

दांडिक मामलों में अपील।

33. (1) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 या किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, ग्राम न्यायालय के किसी निर्णय, दंडादेश या आदेश के विरुद्ध कोई अपील इसमें यथा उपबंधित के सिवाय नहीं होगी। 1974 का 2

(2) कोई अपील उस दशा में नहीं होगी जहां,—

(क) अभियुक्त व्यक्ति ने दोषी होने का अभिवाक् किया है और उसे उस अभिवाक् पर दोषसिद्ध किया गया है;

(ख) ग्राम न्यायालय ने केवल एक हजार रुपए से अनधिक के जुर्माने का दंडादेश पारित किया है।

(3) उपधारा (2) के अधीन रहते हुए, ग्राम न्यायालय के किसी अन्य निर्णय, दंडादेश या आदेश के विरुद्ध अपील सेशन न्यायालय को होगी।

(4) इस धारा के अधीन प्रत्येक अपील ग्राम न्यायालय के निर्णय, दंडादेश या आदेश की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर होगी:

परंतु यदि सेशन न्यायालय का समाधान हो जाता है कि अपीलार्थी के पास तीस दिन की उक्त अवधि के भीतर अपील न करने का पर्याप्त कारण था तो वह उक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् अपील ग्रहण कर सकेगा।

(5) उपधारा (3) के अधीन की गई अपील की सेशन न्यायालय द्वारा सुनवाई और ऐसी अपील का निपटारा उसके फाइल किए जाने की तारीख से छह मास के भीतर किया जाएगा।

(6) सेशन न्यायालय, अपील के निपटारे के लंबित रहने के दौरान, उस दंडादेश या आदेश के निलंबन का निदेश दे सकेगा, जिसके विरुद्ध अपील की गई है।

(7) उपधारा (5) के अधीन सेशन न्यायालय का विनिश्चय अंतिम होगा और सेशन न्यायालय के विनिश्चय के विरुद्ध कोई अपील या पुनरीक्षण नहीं होगा:

परंतु इस उपधारा की कोई बात किसी व्यक्ति को संविधान के अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 के अधीन उपलब्ध न्यायिक उपचारों का उपभोग करने से नहीं रोकेगी।

सिविल मामलों में अपील।

34. (1) सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 या किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी और उपधारा (2) के अधीन रहते हुए, ग्राम न्यायालय के प्रत्येक निर्णय या ऐसे आदेश से, जो अंतर्वर्ती आदेश नहीं है, अपील जिला न्यायालय को होगी। 1908 का 5

(2) ग्राम न्यायालय द्वारा पारित किसी निर्णय या आदेश के विरुद्ध कोई अपील,—

(क) पक्षकारों की सहमति से नहीं होगी;

(ख) जहां किसी वाद, दावे या विवाद की विषयवस्तु की रकम या मूल्य एक हजार रुपए से अधिक नहीं है, वहां नहीं होगी;

(ग) जहां ऐसे वाद, दावे या विवाद की विषयवस्तु की रकम या मूल्य पांच हजार रुपए से अधिक नहीं है वहां विधि के किसी प्रश्न के सिवाय नहीं होगी।

(3) इस धारा के अधीन प्रत्येक अपील ग्राम न्यायालय के निर्णय या आदेश की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर की जाएगी:

परंतु यदि जिला न्यायालय का समाधान हो जाता है कि अपीलार्थी के पास तीस दिन की उक्त

अवधि के भीतर अपील न करने का पर्याप्त कारण था तो वह उक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् अपील ग्रहण कर सकेगा।

(4) उपधारा (1) के अधीन की गई अपील की जिला न्यायालय द्वारा सुनवाई और ऐसी अपील का निपटारा उसके फाइल किए जाने की तारीख से छह मास के भीतर किया जाएगा।

(5) जिला न्यायालय, अपील के निपटारे के लंबित रहने के दौरान उस निर्णय या आदेश के निष्पादन पर रोक लगा सकेगा, जिसके विरुद्ध अपील की गई है।

(6) उपधारा (4) के अधीन जिला न्यायालय का विनिश्चय अंतिम होगा और जिला न्यायालय के विनिश्चय के विरुद्ध कोई अपील या पुनरीक्षण नहीं होगा:

परंतु इस उपधारा की कोई बात किसी व्यक्ति को संविधान के अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 के अधीन उपलब्ध न्यायिक उपचारों का उपभोग करने से नहीं रोकेगी।

अध्याय 8

प्रकीर्ण

ग्राम न्यायालयों को पुलिस की सहायता।

35. (1) ग्राम न्यायालय की अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर कार्यरत प्रत्येक पुलिस अधिकारी ग्राम न्यायालय की उसके विधिपूर्ण प्राधिकार के प्रयोग में सहायता करने के लिए आबद्ध होगा।

(2) जब कभी ग्राम न्यायालय, अपने कृत्यों के निर्वहन में, किसी राजस्व अधिकारी या पुलिस अधिकारी या सरकारी सेवक को ग्राम न्यायालय की सहायता करने का निदेश देगा तब वह ऐसी सहायता करने के लिए आबद्ध होगा।

न्यायाधिकारियों और कर्मचारियों आदि का लोक सेवक होना।

36. न्यायाधिकारियों और ग्राम न्यायालयों के अधिकारियों तथा अन्य कर्मचारियों के बारे में, जब वे इस अधिनियम के किसी उपबंध के अनुसरण में कार्य कर रहे हैं या उनका कार्य करना तात्पर्यित है, यह समझा जाएगा कि वे भारतीय दंड संहिता की धारा 21 के अर्थ के भीतर लोक सेवक हैं। 1860 का 45

ग्राम न्यायालयों का निरीक्षण।

37. उच्च न्यायालय, न्यायाधिकारी की पंक्ति से वरिष्ठ किसी न्यायिक अधिकारी को प्रत्येक छह मास में एक बार या ऐसी अन्य अवधि में, जो उच्च न्यायालय विहित करे, अपनी अधिकारिता के भीतर ग्राम न्यायालयों का निरीक्षण करने और ऐसे अनुदेश जारी करने के लिए, जो वह आवश्यक समझे तथा उच्च न्यायालय को रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए प्राधिकृत कर सकेगा।

कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति।

38. (1) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, ऐसे उपबंध कर सकेगी जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हों और जो उसे कठिनाई को दूर करने के लिए आवश्यक या समीचीन प्रतीत हों:

परंतु इस धारा के अधीन कोई भी आदेश इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से तीन वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जाएगा।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, उसके किए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा।

उच्च न्यायालय की नियम बनाने की शक्ति।

39. (1) उच्च न्यायालय, इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए नियम अधिसूचना द्वारा, बना सकेगा।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियमों में निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध किया जा सकेगा, अर्थात्:—

(क) धारा 10 के अधीन ग्राम न्यायालय की मुद्रा का आकार और विवरण;

(ख) धारा 24 की उपधारा (1) के अधीन वाद, दावा या कार्यवाही संस्थित किए जाने के लिए प्ररूप, रीति और फीस;

(ग) धारा 24 की उपधारा (2) के अधीन विरोधी पक्षकार पर तामील की रीति;

(घ) धारा 26 की उपधारा (1) के अधीन सुलह के लिए प्रक्रिया;

(ङ) धारा 27 की उपधारा (1) के अधीन सुलहकारों की अर्हताएं और अनुभव;

(च) धारा 37 के अधीन ग्राम न्यायालय के निरीक्षण के लिए अवधि।

(3) उच्च न्यायालय द्वारा जारी की गई प्रत्येक अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित की जाएगी।

राज्य सरकार की नियम बनाने की शक्ति।

40. (1) राज्य सरकार इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए नियम अधिसूचना द्वारा बना सकेगी।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियमों में निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध किया जा सकेगा, अर्थात्:—

(क) धारा 17 की उपधारा (2) के अधीन ग्राम न्यायालयों के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को संदेय वेतन और भत्ते तथा उनकी सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें;

(ख) धारा 27 की उपधारा (2) के अधीन सुलहकारों को संदेय बैठक फीस और अन्य भत्ते तथा उनके नियोजन के अन्य निबंधन और शर्तें।

(3) इस अधिनियम के अधीन राज्य सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम, बनाए जाने के पश्चात्, यथाशीघ्र, राज्य विधान-मंडल के समक्ष रखा जाएगा।

पहली अनुसूची

(धारा 12 और धारा 14 देखिए)

भाग 1

भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) के अधीन अपराध, आदि

(i) ऐसे अपराध जो मृत्युदंड, आजीवन कारावास या दो वर्ष से अधिक की अवधि के कारावास से दंडनीय नहीं हैं;

(ii) भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की धारा 379, धारा 380 या धारा 381 के अधीन चोरी, जहां चुराई गई संपत्ति का मूल्य बीस हजार रुपए से अधिक नहीं है;

(iii) भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की धारा 411 के अधीन, चुराई गई संपत्ति को प्राप्त करना या प्रतिधारित करना, जहां ऐसी संपत्ति का मूल्य बीस हजार रुपए से अधिक नहीं है;

(iv) भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की धारा 414 के अधीन, चुराई गई संपत्ति को छुपाने या उसके व्ययन में सहायता करना, जहां ऐसी संपत्ति का मूल्य बीस हजार रुपए से अधिक नहीं है;

(v) भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की धारा 454 और धारा 456 के अधीन अपराध;

(vi) भारतीय दंड संहिता (1860 का 46) की धारा 504 के अधीन शांति भंग कराने को प्रकोपित करने के आशय से अपमान और धारा 506 के अधीन ऐसी अवधि के, जो दो वर्ष तक की हो सकेगी, कारावास से या जुर्माने से या दोनों से दंडनीय आपराधिक अभित्रास;

(vii) पूर्वोक्त अपराधों में से किसी का दुष्प्रेरण;

(viii) पूर्वोक्त अपराधों में से कोई अपराध करने का प्रयत्न, जब ऐसा प्रयत्न अपराध हो।

भाग 2

अन्य केन्द्रीय अधिनियमों के अधीन अपराध और अनुतोष

(i) ऐसे किसी कार्य द्वारा गठित कोई अपराध, जिसकी बाबत पशु अतिचार अधिनियम, 1871 (1871 का 1) की धारा 20 के अधीन परिवाद किया जा सकेगा;

(ii) मजदूरी संदाय अधिनियम, 1936 (1936 का 4);

(iii) न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का 11);

(iv) सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 (1955 का 22);

(v) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) के अध्याय 9 के अधीन पत्नियों, बालकों और माता-पिता के भरण-पोषण के लिए आदेश;

(vi) बंधित श्रम पद्धति (उत्सादन) अधिनियम, 1976 (1976 का 19);

(vii) समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976 (1976 का 25);

(viii) घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम, 2005 (2005 का 43)।

भाग 3

राज्य अधिनियमों के अधीन अपराध और अनुतोष

(राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किए जाने वाले)

दूसरी अनुसूची

(धारा 13 और धारा 14 देखिए)

भाग 1

ग्राम न्यायालयों की अधिकारिता के भीतर सिविल प्रकृति के वाद

(i) सिविल विवाद:

(क) संपत्ति क्रय करने का अधिकार;

(ख) सामान्य चरागाहों का उपयोग;

(ग) सिंचाई सरणियों से जल लेने का विनियमन और समय;

(ii) संपत्ति विवाद:

(क) ग्राम और फार्म हाउस (कब्जा);

(ख) जलसरणियां;

(ग) कुएं या नलकूप से जल लेने का अधिकार;

(iii) अन्य विवाद:

(क) मजदूरी संदाय अधिनियम, 1936 (1936 का 4) के अधीन दावे;

(ख) न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का 11) के अधीन दावे;

(ग) व्यापार संव्यवहार या साहूकारी से उद्भूत धन संबंधी वाद;

(घ) भूमि पर खेती में भागीदारी से उद्भूत विवाद;

(ङ) ग्राम पंचायतों के निवासियों द्वारा वन उपज के उपयोग के संबंध में विवाद।

भाग 2

केन्द्रीय सरकार द्वारा धारा 14 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचित केन्द्रीय अधिनियमों के अधीन दावे और विवाद

(केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किए जाने वाले)

भाग 3

राज्य सरकार द्वारा धारा 14 की उपधारा (3) के अधीन अधिसूचित राज्य अधिनियमों के अधीन दावे और विवाद

(राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किए जाने वाले)

टी० के० विश्वनाथन,
सचिव, भारत सरकार।

मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग.

क्रमांक 2532/1/21–अ/वि.सं./2010 भोपाल, दिनांक 4/6/2010

भारत के राजपत्र असाधारण भाग 2 अनुभाग–1 क, खण्ड XLV सं. 1 दिनांक 13 फरवरी, 2009, में प्रकाशित **चीनी विकास निधि (संशोधन) अधिनियम, 2008 (2008 का अधिनियम संख्यांक 4)** का हिन्दी अनुवाद जो राजभाषा अधिनियम, 1963 (1963 का 19) की धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन उसका प्राधिकृत हिन्दी पाठ समझा जायेगा, सर्वसाधारण की जानकारी के लिए एतद्द्वारा पुनः प्रकाशित किया जा रहा है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(सुरेश कुमार श्रीवास्तव)
उप सचिव,
म0प्र0शासन,विधि और विधायी कार्य विभाग.

चीनी विकास निधि (संशोधन) अधिनियम, 2008

(2008 का अधिनियम संख्यांक 4)

[24 मार्च, 2008]

चीनी विकास निधि अधिनियम, 1982 और
चीनी उपकर अधिनियम, 1982
का और संशोधन
करने के लिए
अधिनियम

भारत गणराज्य के उनसठवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम चीनी विकास निधि (संशोधन) अधिनियम, 2008 है।

(2) यह 5 फरवरी, 2008 को प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा।

धारा 4 का संशोधन।

1982 का 4

2. चीनी विकास निधि अधिनियम, 1982 की धारा 4 की उपधारा (1) में खंड (खखख) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"(खखखख) केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर अनुमोदित किसी स्कीम के निबंधनों के अनुसार चीनी कारखानों को दिए गए उधारों पर ब्याज मद्दे वित्तीय सहायता के प्रयोजन के लिए होने वाले व्यय को चुकाना।"।

धारा 3 का संशोधन।

3. चीनी उपकर अधिनियम, 1982 की धारा 3 की उपधारा (1) में,— 1982 का 3

(क) "पन्द्रह रुपए" शब्दों के स्थान पर "पच्चीस रुपए" शब्द रखे जाएंगे;

(ख) परंतुक का लोप किया जाएगा।

निरसन और व्यावृत्ति।

4. (1) चीनी विकास निधि (संशोधन) अध्यादेश, 2008 इसके द्वारा निरसित किया जाता है। 2008 का अध्यादेश 4

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश द्वारा यथासंशोधित चीनी विकास निधि अधिनियम, 1982 और चीनी उपकर अधिनियम, 1982 के अधीन की गई कोई बात या कार्रवाई इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित उक्त अधिनियमों के अधीन की गई समझी जाएगी। 1982 का 4 1982 का 3

मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग.

क्रमांक 2532/2/21–अ/वि.स./2010 भोपाल, दिनांक 5/6/2010

भारत के राजपत्र असाधारण भाग 2 अनुभाग–1 क, खण्ड XLV सं. 1 दिनांक 13 फरवरी, 2009, में प्रकाशित **लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) अधिनियम, 2008 (2008 का अधिनियम संख्याक 10)** का हिन्दी अनुवाद जो राजभाषा अधिनियम, 1963 (1963 का 19) की धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन उसका प्राधिकृत हिन्दी पाठ समझा जायेगा, सर्वसाधारण की जानकारी के लिए एतद्द्वारा पुनः प्रकाशित किया जा रहा है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(सुरेश कुमार श्रीवास्तव)
उप सचिव,
म0प्र0शासन,विधि और विधायी कार्य विभाग.

लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) अधिनियम, 2008

(2008 का अधिनियम संख्यांक 10)

[28 मार्च, 2008]

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 का और संशोधन करने के लिए अधिनियम

भारत गणराज्य के उनसठवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) अधिनियम, 2008 है।

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे।

1950 का 43

धारा 4 का संशोधन।

2. लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) धारा 4 की उपधारा (5) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात्:—

"(5) उपधारा (4) में यथा उपबंधित के सिवाय, अरुणाचल प्रदेश, असम, झारखंड, मणिपुर और नागालैंड राज्यों के संसदीय निर्वाचन-क्षेत्रों को छोड़कर समस्त संसदीय निर्वाचन-क्षेत्रों का विस्तार

2002 का 33

ऐसा होगा जैसा परिसीमन अधिनियम, 2002 के उपबंधों के अधीन परिसीमन आयोग द्वारा किए गए आदेशों द्वारा अवधारित किया गया हो और अरुणाचल प्रदेश, असम, झारखंड, मणिपुर और नागालैंड

राज्यों के संसदीय निर्वाचन-क्षेत्रों का विस्तार ऐसा होगा जैसा परिसीमन अधिनियम, 2002 की धारा 10क और धारा 10ख के उपबंधों को ध्यान में रखते हुए संसदीय और सभा निर्वाचन-क्षेत्रों का परिसीमन आदेश, 2008 में उपबंधित किया गया हो।''।

धारा 7 का संशोधन।

3. मूल अधिनियम की धारा 7 में,—

(i) उपधारा (1ख) के खंड (क) में, ''उनतालीस स्थान'' शब्दों के स्थान पर, ''उनसठ स्थान'' शब्द रखे जाएंगे;

(ii) उपधारा (3) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात्:—

''(3) अरुणाचल प्रदेश, असम, झारखंड, मणिपुर और नागालैंड राज्यों के सभा निर्वाचन-क्षेत्रों को छोड़कर समस्त राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों के प्रत्येक सभा निर्वाचन-क्षेत्र का विस्तार ऐसा होगा जैसा परिसीमन अधिनियम, 2002 के उपबंधों के अधीन परिसीमन आयोग द्वारा 2002 का 33
किए गए आदेशों द्वारा अवधारित किया गया हो और अरुणाचल प्रदेश, असम, झारखंड, मणिपुर और नागालैंड राज्यों के प्रत्येक सभा निर्वाचन-क्षेत्र का विस्तार ऐसा होगा जैसा परिसीमन अधिनियम, 2002 की धारा 10क और धारा 10ख के उपबंधों को ध्यान में रखते हुए संसदीय और सभा निर्वाचन-क्षेत्रों का परिसीमन आदेश, 2008 में उपबंधित किया गया हो।''।

धारा 8 का संशोधन।

4. मूल अधिनियम की धारा 8 में,—

(i) उपधारा (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात्:—

''(1) अरुणाचल प्रदेश, असम, झारखंड, मणिपुर और नागालैंड राज्यों को छोड़कर सभी राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों के संसदीय और सभा निर्वाचन-क्षेत्रों के परिसीमन से संबंधित धारा 4 की उपधारा (5) और धारा 7 की उपधारा (3) में निर्दिष्ट, परिसीमन आयोग द्वारा किए गए और राजपत्र में प्रकाशित समस्त आदेशों को ध्यान में रखते हुए निर्वाचन आयोग,—

(क) किसी ऐसे निर्वाचन-क्षेत्र के विस्तार को परिवर्तित किए बिना, ऐसे संशोधन करने के पश्चात् जो ऐसे आदेशों में दिए गए संसदीय और सभा निर्वाचन-क्षेत्रों के विस्तार के वर्णन को अद्यतन करने के लिए आवश्यक प्रतीत हों;

(ख) अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर और नागालैंड राज्यों के संसदीय और सभा निर्वाचन-क्षेत्रों के परिसीमन से संबंधित परिसीमन अधिनियम, 2002 की धारा 10क और 2002 का 33
झारखंड राज्य के संसदीय और सभा निर्वाचन-क्षेत्रों के परिसीमन से संबंधित उक्त अधिनियम की धारा 10ख के उपबंधों के अधीन राष्ट्रपति द्वारा किए गए आदेशों के अनुसरण में लागू किए गए संसदीय और सभा निर्वाचन-क्षेत्रों का परिसीमन आदेश, 1976 के उपबंधों को ध्यान में रखते हुए,

ऐसे सभी आदेशों को एकल आदेश में समेकित करेगा, जो संसदीय और सभा निर्वाचन-क्षेत्रों का परिसीमन आदेश, 2008 के नाम से ज्ञात होगा और उस आदेश की अधिप्रमाणित प्रतियां, केन्द्रीय सरकार को और ऐसे प्रत्येक राज्य की सरकार को, जिसमें विधान सभा हो, भेजेगा; और तदुपरि वह आदेश धारा 4 की उपधारा (5) और धारा 7 की उपधारा (3) में निर्दिष्ट सभी आदेशों को अधिष्ठित करेगा और विधि का बल रखेगा तथा किसी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जाएगा।'';

(ii) उपधारा (3) में ''परिसीमन अधिनियम, 1972 की धारा 10 की उपधारा (5) में उपबंधित रूप 1972 का 76
में,'' शब्दों, अंकों और कोष्ठकों के स्थान पर ''परिसीमन अधिनियम, 2002 की धारा 10 की उपधारा (5) 2002 का 33
में उपबंधित रूप में,'' शब्द, अंक और कोष्ठक रखे जाएंगे।

नई धारा 8क का अंत:स्थापन।

5. मूल अधिनियम की धारा 8 के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर या नागालैंड राज्यों में संसदीय और सभा निर्वाचन-क्षेत्रों का परिसीमन।

''8क. (1) यदि राष्ट्रपति का यह समाधान हो जाता है कि अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर या नागालैंड राज्य में विद्यमान स्थिति और दशाएं परिसीमन की कार्रवाई करने के लिए अनुकूल हैं तो वह उस राज्य के संबंध में परिसीमन अधिनियम, 2002 की धारा 10क के उपबंधों के अधीन जारी आस्थगन 2002 का 33
आदेश को, आदेश द्वारा, विखंडित कर सकेंगे और निर्वाचन आयोग द्वारा राज्य में परिसीमन की कार्रवाई किए जाने के लिए उपबंध कर सकेंगे।

(2) किसी राज्य के संबंध में किसी आस्थगन आदेश के उपधारा (1) के अधीन विखंडित कर दिए जाने के पश्चात्, यथाशीघ्र, निर्वाचन आयोग, आदेश द्वारा,—

(क) उन संसदीय निर्वाचन-क्षेत्रों का, जिनमें किसी ऐसे राज्य को, जिसे प्रथम अनुसूची में एक से अधिक स्थान आवंटित किए गए हैं, विभाजित किया जाएगा;

(ख) प्रत्येक निर्वाचन-क्षेत्र के विस्तार का; और

(ग) अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या का, यदि कोई है,

अवधारण कर सकेगा।

(3) किसी राज्य के संबंध में किसी आस्थगन आदेश के उपधारा (1) के अधीन विखंडित कर दिए जाने के पश्चात्, यथाशीघ्र, निर्वाचन आयोग, आदेश द्वारा,—

(क) ऐसे सभा निर्वाचन-क्षेत्रों का, जिनमें ऐसे राज्य को, उस राज्य की विधान सभा के निर्वाचनों के प्रयोजन के लिए विभाजित किया जाएगा;

(ख) प्रत्येक निर्वाचन-क्षेत्र के विस्तार का; और

(ग) अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या का, यदि कोई है,

अवधारण कर सकेगा।

(4) उपधारा (1) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, निर्वाचन आयोग, संविधान के उपबंधों और
2002 का 33 परिसीमन अधिनियम, 2002 की धारा 9 की उपधारा (1) के खंड (ग) और खंड (घ) में विनिर्दिष्ट सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए, अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर और नागालैंड राज्यों के संसदीय और सभा निर्वाचन-क्षेत्रों, जिनमें अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थान, यदि कोई हैं, आरक्षित होंगे, का अवधारण करेगा।

(5) निर्वाचन आयोग,—

(क) किसी राज्य के संबंध में, उपधारा (2), उपधारा (3) और उपधारा (4) के अधीन अपने प्रस्तावों का प्रकाशन राजपत्र में, और ऐसी अन्य रीति में भी जिसे वह ठीक समझे, करेगा;

(ख) उस तारीख को विनिर्दिष्ट करेगा जिसको या जिसके पश्चात् प्रस्तावों पर उसके द्वारा आगे विचार किया जाएगा;

(ग) सभी आक्षेपों और सुझावों पर, विचार करेगा जो उसे इस प्रकार विनिर्दिष्ट तारीख से पूर्व प्राप्त हुए हों;

(घ) ऐसे विचार के प्रयोजन के लिए, यदि ऐसा करना ठीक समझे, एक या अधिक सार्वजनिक बैठकें ऐसे राज्य में ऐसे स्थान या स्थानों पर, जिन्हें वह ठीक समझे, करेगा;

(ङ) ऐसे सभी आक्षेपों और सुझावों पर, जो इस प्रकार विनिर्दिष्ट तारीख से पूर्व प्राप्त हों, विचार करने के पश्चात्, आदेश द्वारा, राज्य में संसदीय और सभा निर्वाचन-क्षेत्रों के परिसीमन का, और उस निर्वाचन-क्षेत्र या निर्वाचन-क्षेत्रों का अवधारण करेगा जिनमें, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थान, यदि कोई हों, आरक्षित रहेंगे और ऐसे आदेश राजपत्र में प्रकाशित कराएगा तथा ऐसे प्रकाशन पर आदेश, विधि का बल रखेगा तथा किसी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जाएगा और संसदीय और सभा निर्वाचन-क्षेत्रों का परिसीमन आदेश, 2008 को तद्नुसार संशोधित किया गया समझा जाएगा।

(6) उपधारा (1) और उपधारा (2) तथा उपधारा (5) के खंड (ङ) के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा।

(7) उपधारा (1) और उपधारा (3) तथा उपधारा (5) के खंड (ङ) के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, उस उपधारा के अधीन प्रकाशित किए जाने के पश्चात्, यथाशीघ्र, संबंधित राज्य की विधान सभा के समक्ष रखा जाएगा।''।

धारा 9 का संशोधन।

6. मूल अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (1) के खंड (क) और खंड (कक) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखे जाएंगे, अर्थात्:—

"(क) संसदीय और सभा निर्वाचन-क्षेत्रों का परिसीमन आदेश, 2008 में किसी मुद्रण संबंधी भूल को या अनवधानता से हुई भूल या लोप से उसमें उद्भूत किसी गलती को शुद्ध कर सकेगा;

(कक) संसदीय और सभा निर्वाचन-क्षेत्रों का परिसीमन आदेश, 2008 में ऐसे संशोधन कर सकेगा जैसे उसे इस अधिनियम की धारा 8क के या किसी अन्य केंद्रीय अधिनियम के अधीन संसदीय या सभा निर्वाचन-क्षेत्रों के परिसीमन के संबंध में (जिसके अंतर्गत ऐसे निर्वाचन-क्षेत्रों में अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण भी है) जारी की गई किसी अधिसूचना या आदेश का उक्त आदेश के साथ समेकित करने के लिए आवश्यक या समीचीन प्रतीत हो;"।

धारा 9क और धारा 9ख का लोप।

7. मूल अधिनियम की धारा 9क और धारा 9ख का लोप किया जाएगा।

प्रथम अनुसूची और द्वितीय अनुसूची के स्थान पर नई अनुसूचियों का रखा जाना।

8. मूल अधिनियम की प्रथम अनुसूची और द्वितीय अनुसूची के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूचियां रखी जाएंगी, अर्थात्:—

"प्रथम अनुसूची

(धारा 3 देखिए)

लोक सभा में स्थानों का आवंटन

राज्य/संघ राज्यक्षेत्र का नाम	समय-समय पर यथा संशोधित संसदीय और सभा निर्वाचन-क्षेत्रों का परिसीमन आदेश, 1976 के आधार पर 2004 में यथा गठित सदन में स्थानों की संख्या			संसदीय और सभा निर्वाचन-क्षेत्रों का परिसीमन आदेश, 2008 के अनुसार तत्पश्चात् यथा गठित सदन में स्थानों की संख्या		
	कुल	अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित	अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित	कुल	अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित	अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित
1	2	3	4	5	6	7
I. राज्य:						
1. आन्ध्र प्रदेश	42	6	2	42	7	3
2. अरुणाचल प्रदेश	2	–	–	2	–	–
3. असम	14	1	2	14	1	2
4. बिहार	40	7	–	40	6	–
5. छत्तीसगढ़	11	2	4	11	1	4
6. गोवा	2	–	–	2	–	–
7. गुजरात	26	2	4	26	2	4
8. हरियाणा	10	2	–	10	2	–
9. हिमाचल प्रदेश	4	1	–	4	1	–
10. जम्मू-कश्मीर	6	–	–	6	–	–
11. झारखंड	14	1	5	14	1	5
12. कर्नाटक	28	4	–	28	5	2
13. केरल	20	2	–	20	2	–
14. मध्य प्रदेश	29	4	5	29	4	6
15. महाराष्ट्र	48	3	4	48	5	4

	1	2	3	4	5	6	7
16.	मणिपुर	2	–	1	2	–	1
17.	मेघालय	2	–	–	2	–	2
18.	मिजोरम	1	–	1	1	–	1
19.	नागालैंड	1	–	–	1	–	–
20.	उड़ीसा	21	3	5	21	3	5
21.	पंजाब	13	3	–	13	4	–
22.	राजस्थान	25	4	3	25	4	3
23.	सिक्किम	1	–	–	1	–	–
24.	तमिलनाडु	39	7	–	39	7	–
25.	त्रिपुरा	2	–	1	2	–	1
26.	उत्तराखंड	5	–	–	5	1	–
27.	उत्तर प्रदेश	80	18	–	80	17	–
28.	पश्चिमी बंगाल	42	8	2	42	10	2
	II. संघ राज्यक्षेत्र:						
1.	अण्डमान और निकोबार द्वीप	1	–	–	1	–	–
2.	चंडीगढ़	1	–	–	1	–	–
3.	दादरा और नागर हवेली	1	–	1	1	–	1
4.	दिल्ली	7	1	–	7	1	–
5.	दमन और दीव	1	–	–	1	–	–
6.	लक्षद्वीप	1	–	1	1	–	1
7.	पुडुचेरी	1	–	–	1	–	–
	कुल	543	79	41	543	84	47

द्वितीय अनुसूची

(धारा 7 और धारा 7क देखिए)

विधान सभाओं में स्थानों की कुल संख्या

राज्य/संघ राज्यक्षेत्र का नाम	समय-समय पर यथा संशोधित संसदीय और सभा निर्वाचन-क्षेत्रों का परिसीमन आदेश, 1976 के आधार पर 2004 में यथा गठित सदन में स्थानों की संख्या			संसदीय और सभा निर्वाचन-क्षेत्रों का परिसीमन आदेश, 2008 के अनुसार तत्पश्चात् यथागठित सदन में स्थानों की संख्या		
	कुल	अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित	अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित	कुल	अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित	अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित
1	2	3	4	5	6	7
I. राज्य:						
1. आन्ध्र प्रदेश	294	39	15	294	48	19
2. अरुणाचल प्रदेश	60	–	59	60	–	59
3. असम	126	8	16	126	8	16
4. बिहार	243	39	–	243	38	2
5. छत्तीसगढ़	90	10	34	90	10	29
6. गोवा	40	1	–	40	1	–
7. गुजरात	182	13	26	182	13	27
8. हरियाणा	90	17	–	90	17	–

	1	2	3	4	5	6	7
9.	हिमाचल प्रदेश	68	16	3	68	17	3
10.	जम्मू-कश्मीर*	76	6	–	–	–	–
11.	झारखंड	81	9	28	81	9	28
12.	कर्नाटक	224	33	2	224	36	15
13.	केरल	140	13	1	140	14	2
14.	मध्य प्रदेश	230	34	41	230	35	47
15.	महाराष्ट्र	288	18	22	288	29	25
16.	मणिपुर	60	1	19	60	1	19
17.	मेघालय	60	–	55	60	–	55
18.	मिजोरम	40	–	39	40	–	38
19.	नागालैंड	60	–	59	60	–	59
20.	उड़ीसा	147	22	34	147	24	33
21.	पंजाब	117	29	–	117	34	–
22.	राजस्थान	200	33	24	200	34	25
23.	सिक्किम	32	2	12**	32	2	12**
24.	तमिलनाडु	234	42	3	234	44	2
25.	त्रिपुरा	60	7	20	60	10	20
26.	उत्तराखंड	70	12	3	70	13	2
27.	उत्तर प्रदेश	403	89	–	403	85	–
28.	पश्चिमी बंगाल	294	59	17	294	68	16
	II. संघ राज्य क्षेत्र:						
1.	दिल्ली	70	13	–	70	12	–
2.	पुडुचेरी	30	5	–	30	5	–

*जम्मू-कश्मीर के संविधान के अधीन उस राज्य की विधान सभा में स्थानों की संख्या, पाकिस्तान के कब्जाधीन क्षेत्र के लिए नियत 24 स्थानों का अपवर्जन करके 87 हैं जिनमें से 7 स्थान जम्मू-कश्मीर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1957 के अनुसरण में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित हैं।

**संघों के लिए 1 स्थान और भूटिया लेप्चा-मूल के सिक्किमियों के लिए 12 स्थान आरक्षित।''।

मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग.

क्रमांक 25 /21–अ/वि.स./2010 भोपाल, दिनांक 1/6/2010

भारत के राजपत्र असाधारण भाग 2 अनुभाग–1 क, खण्ड XLV सं. 1 दिनांक 13 फरवरी, 2009, में प्रकाशित **वित्त अधिनियम, 2008 (2008 का अधिनियम संख्यांक 18)** का हिन्दी अनुवाद जो राजभाषा अधिनियम, 1963 (1963 का 19) की धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन उसका प्राधिकृत हिन्दी पाठ समझा जायेगा, सर्वसाधारण की जानकारी के लिए एतद्द्वारा पुनः प्रकाशित किया जा रहा है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(सुरेश कुमार श्रीवास्तव)
उप सचिव,
म0प्र0शासन,विधि और विधायी कार्य विभाग.

वित्त अधिनियम, 2008

(2008 का अधिनियम संख्यांक 18)

[10 मई, 2008]

वित्तीय वर्ष 2008-2009 के लिए केन्द्रीय सरकार की वित्तीय प्रस्थापनाओं को प्रभावी करने के लिए अधिनियम

भारत गणराज्य के उनसठवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

अध्याय 1

प्रारंभिक

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम वित्त अधिनियम, 2008 है ।

(2) इस अधिनियम में जैसा अन्यथा उपबंधित है उसके सिवाय, धारा 2 से धारा 67 तक 1 अप्रैल, 2008 को प्रवृत्त हुई समझी जाएंगी ।

अध्याय 2

आय-कर की दरें

आय-कर ।

2. (1) उपधारा (2) और उपधारा (3) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, 1 अप्रैल, 2008 को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष के लिए आय-कर, पहली अनुसूची के भाग 1 में विनिर्दिष्ट दरों से प्रभारित किया जाएगा और आय-कर अधिनियम, 1961 (जिसे इसमें इसके पश्चात् आय-कर अधिनियम कहा गया है) के अध्याय 8क के अधीन परिकलित आय-कर में से रिबेट घटाकर आए ऐसे कर में, प्रत्येक दशा में, उसमें उपबंधित रीति से, परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए बढ़ा दिया जाएगा । 1961 का 43

(2) उन दशाओं में, जिनमें पहली अनुसूची के भाग 1 का पैरा क लागू होता है, जहां निर्धारिती की, पूर्ववर्ष में, कुल आय के अतिरिक्त, पांच हजार रुपए से अधिक कोई शुद्ध कृषि-आय है, और कुल आय एक लाख दस हजार रुपए से अधिक हो जाती है वहां,—

(क) शुद्ध कृषि-आय को, कुल आय के संबंध में केवल आय-कर प्रभारित करने के प्रयोजन के लिए खंड (ख) में उपबंधित रीति से हिसाब में लिया जाएगा, [अर्थात्, मानो शुद्ध कृषि-आय कुल आय के प्रथम एक लाख दस हजार रुपए के पश्चात् कुल आय में समाविष्ट हो, किंतु कर के दायित्वाधीन न हो] ; और

(ख) प्रभार्य आय-कर निम्नलिखित रीति से परिकलित किया जाएगा, अर्थात्:—

(i) कुल आय और शुद्ध कृषि-आय को संकलित कर दिया जाएगा और संकलित आय के संबंध में आय-कर की रकम, उक्त पैरा क में विनिर्दिष्ट दरों से ऐसे अवधारित की जाएगी मानो ऐसी संकलित आय कुल आय हो ;

(ii) शुद्ध कृषि-आय में एक लाख दस हजार रुपए की राशि बढ़ा दी जाएगी और इस प्रकार बढ़ाई गई शुद्ध कृषि-आय के संबंध में आय-कर की रकम, उक्त पैरा क में विनिर्दिष्ट दरों से ऐसे अवधारित की जाएगी मानो इस प्रकार बढ़ाई गई शुद्ध कृषि-आय कुल आय हो ;

(iii) उपखंड (i) के अनुसार अवधारित आय-कर की रकम में से उपखंड (ii) के अनुसार अवधारित आय-कर की रकम घटा दी जाएगी और इस प्रकार प्राप्त राशि, कुल आय के संबंध में आय-कर होगी:

परंतु पहली अनुसूची के भाग 1 के पैरा क की मद (II) में निर्दिष्ट प्रत्येक स्त्री की दशा में, जो भारत में निवासी है और पूर्ववर्ष के दौरान किसी समय पैंसठ वर्ष से कम आयु की है, इस उपधारा के उपबंध इस प्रकार प्रभावी होंगे मानो "एक लाख दस हजार रुपए" शब्दों के स्थान पर, "एक लाख पैंतालीस हजार रुपए" शब्द रखे गए हों:

परंतु यह और कि पहली अनुसूची के भाग 1 के पैरा क की मद (III) में निर्दिष्ट प्रत्येक व्यष्टि की दशा में, जो भारत में निवासी है और पूर्ववर्ष के दौरान किसी समय पैंसठ वर्ष का या उससे अधिक आयु का है, इस उपधारा के उपबंध इस प्रकार प्रभावी होंगे मानो "एक लाख दस हजार रुपए" शब्दों के स्थान पर, "एक लाख पचानवे हजार रुपए" शब्द रखे गए हों:

परंतु यह भी कि आय-कर अधिनियम के अध्याय 8क के अधीन परिकलित आय-कर के रिबेट की रकम घटाकर इस प्रकार प्राप्त आय-कर की रकम में उस पैरा में उपबंधित रीति से प्रत्येक दशा में परिकलित अधिभार संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा और इस प्रकार प्राप्त राशि, कुल आय के संबंध में आय-कर होगी ।

(3) उन दशाओं में, जिनमें आय-कर अधिनियम के अध्याय 12 या अध्याय 12क या अध्याय 12ज या धारा 115जख या धारा 161 की उपधारा (1क) या धारा 164 या धारा 164क या धारा 167ख के उपबंध लागू होते हैं, प्रभार्य कर का अवधारण उस अध्याय या उस धारा में यथा उपबंधित रीति से और, यथास्थिति, उपधारा (1) द्वारा अधिरोपित दरों के या उस अध्याय या उस धारा में विनिर्दिष्ट दरों के प्रति निर्देश से किया जाएगा:

परंतु धारा 111क या धारा 112 के उपबंधों के अनुसार संगणित आय-कर की रकम में, पहली अनुसूची के भाग 1 के, यथास्थिति, पैरा क, पैरा ख, पैरा ग, पैरा घ या पैरा ङ में यथा उपबंधित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा:

परंतु यह और कि किसी ऐसी आय के संबंध में, जो आय-कर अधिनियम की धारा 115क, धारा 115कख, धारा 115कग, धारा 115कगक, धारा 115कघ, धारा 115ख, धारा 115खख, धारा 115खखक, धारा 115खखग, धारा 115ङ और धारा 115ञख के अधीन कर से प्रभार्य है या अनुषंगी फायदों के संबंध में, जो धारा 115बक के अधीन कर से प्रभार्य है, इस उपधारा के अधीन संगणित आय-कर की रकम में,—

(क) प्रत्येक व्यष्टि, हिंदू अविभक्त कुटुंब, व्यक्ति-संगम और व्यष्टि निकाय की दशा में, चाहे निगमित हो या न हो, जहां कुल आय दस लाख रुपए से अधिक है, वहां ऐसे आय-कर के दस प्रतिशत की दर से ;

(ख) आय-कर अधिनियम की धारा 2 के खंड (31) के उपखंड (vii) में निर्दिष्ट प्रत्येक कृत्रिम विधिक व्यक्ति की दशा में, ऐसे आय-कर के दस प्रतिशत की दर से ;

(ग) प्रत्येक फर्म और देशी कंपनी की दशा में, जहां कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, वहां ऐसे आय-कर के दस प्रतिशत की दर से,

(घ) देशी कंपनी से भिन्न प्रत्येक कंपनी की दशा में, जहां कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, वहां ऐसे आय–कर के ढाई प्रतिशत की दर से,

परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा:

परंतु यह भी कि प्रत्येक ऐसी कंपनी की दशा में, जिसकी कुल आय आय-कर अधिनियम की धारा 115ञख के अधीन कर से प्रभार्य है और ऐसी आय एक करोड़ रुपए से अधिक हो जाती है, ऐसी आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम एक करोड़ रुपए की कुल आय पर आय-कर के रूप में संदेय कुल रकम से आय की उस रकम से अधिक नहीं होगी जो एक करोड़ रुपए से अधिक है :

परंतु यह भी कि आय-कर अधिनियम की धारा 115बक के अधीन कर से प्रभार्य किन्हीं अनुषंगी फायदों की बाबत इस उपधारा के अधीन संगणित आय-कर में,—

(क) प्रत्येक व्यक्ति-संगम और व्यष्टि निकाय की दशा में, चाहे निगमित हो या नहीं, जहां अनुषंगी फायदे दस लाख रुपए से अधिक हैं वहां आय-कर के दस प्रतिशत की दर से ;

(ख) आय-कर अधिनियम की धारा 115ब के खंड (क) के उपखंड (v) में निर्दिष्ट प्रत्येक फर्म, कृत्रिम विधिक व्यक्ति और देशी कंपनी की दशा में, ऐसे आय-कर के दस प्रतिशत की दर से ;

(ग) देशी कंपनी से भिन्न प्रत्येक कंपनी की दशा में, ऐसे आय-कर के ढाई प्रतिशत की दर से,

परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा ।

(4) उन दशाओं में, जिनमें कर, आय-कर अधिनियम की धारा 115ण या धारा 115द की उपधारा (2) के अधीन प्रभारित और संदत्त किया जाना है, कर उन धाराओं में यथा विनिर्दिष्ट दरों से प्रभारित और संदत्त किया जाएगा और उसमें ऐसे कर के दस प्रतिशत की दर से परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा ।

(5) उन दशाओं में, जिनमें कर, आय-कर अधिनियम की धारा 193, धारा 194, धारा 194क, धारा 194ख, धारा 194खख, धारा 194घ और धारा 195 के अधीन, प्रवृत्त दरों से काटा जाना है, उनमें कटौतियां पहली अनुसूची के भाग 2 में विनिर्दिष्ट दरों से की जाएंगी और प्रत्येक दशा में, उसमें उपबंधित रीति से परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा ।

(6) उन दशाओं में, जिनमें कर, आय-कर अधिनियम की धारा 194ग, धारा 194ङ, धारा 194ङङ, धारा 194च, धारा 194छ, धारा 194ज, धारा 194झ, धारा 194ञ, धारा 194ठक, धारा 196ख, धारा 196ग और धारा 196घ के अधीन काटा जाना है, कटौतियां उन धाराओं में विनिर्दिष्ट दरों से की जाएंगी और उसमें—

(क) प्रत्येक व्यष्टि, हिंदू अविभक्त कुटुंब, व्यक्ति-संगम और व्यष्टि निकाय की दशा में, चाहे निगमित हो या न हो, जहां आय अथवा ऐसी कुल आय, जिसका संदाय किया गया है या संदाय किए जाने की संभावना है, और ऐसी कटौती के अधीन रहते हुए, दस लाख रुपए से अधिक है, ऐसे कर के दस प्रतिशत की दर से;

(ख) आय-कर अधिनियम की धारा 2 के खंड (31) के उपखंड (vii) में निर्दिष्ट प्रत्येक कृत्रिम विधिक व्यक्ति की दशा में, ऐसे कर के दस प्रतिशत की दर से;

(ग) प्रत्येक फर्म और देशी कंपनी की दशा में, जहां आय या ऐसी कुल आय, जिसका संदाय किया गया है या संदाय किए जाने की संभावना है और ऐसी कटौती के अधीन रहते हुए, एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे कर के दस प्रतिशत की दर से;

(घ) देशी कंपनी से भिन्न प्रत्येक कंपनी की दशा में, जहां आय या ऐसी कुल आय, जिसका संदाय किया गया है या संदाय किए जाने की संभावना है और ऐसी कटौती के अधीन रहते हुए, एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे कर के ढाई प्रतिशत की दर से,

परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा ।

(7) उन दशाओं में, जिनमें कर का संग्रहण आय-कर अधिनियम की धारा 194ख के परंतुक के अधीन किया जाना है, ऐसा संग्रहण पहली अनुसूची के भाग 2 में विनिर्दिष्ट दरों से किया जाएगा और उसमें उपबंधित रीति से परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा ।

(8) उन दशाओं में, जिनमें कर का संग्रहण आय-कर अधिनियम की धारा 206ग के अधीन किया जाना है, ऐसा संग्रहण, उस धारा में विनिर्दिष्ट दरों से किया जाएगा और उसमें—

(क) प्रत्येक व्यष्टि, हिंदू अविभक्त कुटुंब, व्यक्ति-संगम और व्यष्टि निकाय की दशा में, चाहे निगमित हो या न हो, जहां संगृहीत और ऐसे संग्रहण के अध्यधीन राशि या कुल राशि, दस लाख रुपए से अधिक है, ऐसे कर के दस प्रतिशत की दर से ;

(ख) आय-कर अधिनियम की धारा 2 के खंड (31) के उपखंड (vii) में निर्दिष्ट प्रत्येक कृत्रिम विधिक व्यक्ति की दशा में, ऐसे कर के दस प्रतिशत की दर से ;

(ग) प्रत्येक फर्म और देशी कंपनी की दशा में, जहां संगृहीत और ऐसे संग्रहण के अध्यधीन रकम या ऐसी कुल रकमें एक करोड़ रुपए से अधिक हैं, ऐसे कर के दस प्रतिशत की दर से ;

(घ) देशी कंपनी से भिन्न प्रत्येक कंपनी की दशा में, जहां रकम या ऐसी कुल रकम, जिसका संदाय किया गया है या संदाय किए जाने की संभावना है और ऐसी कटौती के अधीन रहते हुए, एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे कर के ढाई प्रतिशत की दर से,

परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा ।

(9) उपधारा (10) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, उन दशाओं में, जिनमें आय-कर, प्रवृत्त दर या दरों से, आय-कर अधिनियम की धारा 172 की उपधारा (4) या धारा 174 की उपधारा (2) या धारा 174क या धारा 175 या धारा 176 की उपधारा (2) के अधीन प्रभारित किया जाना है या उक्त अधिनियम की धारा 192 के अधीन "वेतन" शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय में से काटा जाना है या उस पर संदाय किया जाना है अथवा जिनमें उक्त अधिनियम के अध्याय 17ग के अधीन संदेय "अग्रिम कर" की संगणना की जानी है, यथास्थिति, ऐसा आय-कर या "अग्रिम कर" पहली अनुसूची के भाग 3 में विनिर्दिष्ट दर या दरों से इस प्रकार प्रभारित किया जाएगा, काटा जाएगा या संगणित किया जाएगा और ऐसे कर में, प्रत्येक दशा में, उसमें उपबंधित रीति से, परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा:

परंतु उन दशाओं में, जिनमें आय-कर अधिनियम के अध्याय 12 या अध्याय 12क या अध्याय 12ज या धारा 115ञख या धारा 161 की उपधारा (1क) या धारा 164 या धारा 164क या धारा 167ख के उपबंध लागू होते हैं, "अग्रिम कर" की संगणना, यथास्थिति, इस उपधारा द्वारा अधिरोपित दरों के या उस अध्याय या धारा में यथाविनिर्दिष्ट दरों के प्रति निर्देश से की जाएगी:

परंतु यह और कि आय-कर अधिनियम की धारा 111क या धारा 112 के उपबंधों के अनुसार संगणित "अग्रिम कर" की रकम में, पहली अनुसूची के भाग 3 के, यथास्थिति, पैरा क, पैरा ख, पैरा ग, पैरा घ या पैरा ङ में यथाउपबंधित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा :

परंतु यह भी कि आय-कर अधिनियम की धारा 115क, धारा 115कख, धारा 115कग, धारा 115कगक, धारा 115कघ, धारा 115ख, धारा 115खख, धारा 115खखक, धारा 115खखग, धारा 115ङ और धारा 115ञख के अधीन कर से प्रभार्य किसी आय के संबंध में पहले परंतुक के अधीन संगणित "अग्रिम कर" में,—

(क) प्रत्येक व्यष्टि, हिंदू अविभक्त कुटुंब, व्यक्ति-संगम और व्यष्टि निकाय की दशा में, चाहे निगमित हो या न हो, जहां कुल आय दस लाख रुपए से अधिक है, ऐसे "अग्रिम कर" के दस प्रतिशत की दर से ;

(ख) आय-कर अधिनियम की धारा 2 के खंड (31) के उपखंड (vii) में निर्दिष्ट प्रत्येक कृत्रिम विधिक व्यक्ति की दशा में, ऐसे "अग्रिम कर" के दस प्रतिशत की दर से;

(ग) प्रत्येक फर्म और देशी कंपनी की दशा में, जहां कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे "अग्रिम कर" के दस प्रतिशत की दर से ;

(घ) देशी कंपनी से भिन्न प्रत्येक कंपनी की दशा में, जहां कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे "अग्रिम कर" के ढाई प्रतिशत की दर से,

परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा :

परंतु यह भी कि प्रत्येक ऐसी कंपनी की दशा में, जिसकी कुल आय आय-कर अधिनियम की धारा 115ञख के अधीन कर से प्रभार्य है और ऐसी आय एक करोड़ रुपए से अधिक हो जाती है, और ऐसी आय पर ऐसे "अग्रिम कर" और अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम एक करोड़ रुपए की कुल आय पर "अग्रिम कर" के रूप में संदेय कुल रकम से आय की उस रकम से अधिक नहीं होगी जो एक करोड़ रुपए से अधिक है :

परंतु यह भी कि आय-कर अधिनियम की धारा 115बक के अधीन कर से प्रभार्य किन्हीं अनुषंगी फायदों की बाबत पहले परंतुक के अधीन संगणित "अग्रिम कर" में,—

(क) प्रत्येक व्यक्ति-संगम और व्यष्टि निकाय की दशा में, चाहे निगमित हो या नहीं, जहां अनुषंगी फायदे दस लाख रुपए से अधिक हैं वहां "अग्रिम कर" के दस प्रतिशत की दर से ;

(ख) आय-कर अधिनियम की धारा 115ब के खंड (क) के उपखंड (v) में निर्दिष्ट प्रत्येक फर्म, कृत्रिम विधिक व्यक्ति और देशी कंपनी की दशा में, ऐसे "अग्रिम कर" के दस प्रतिशत की दर से ;

(ग) देशी कंपनी से भिन्न प्रत्येक कंपनी की दशा में, ऐसे "अग्रिम कर" के ढाई प्रतिशत की दर से,

परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए बढ़ा दिया जाएगा ।

(10) उन दशाओं में, जिनमें पहली अनुसूची के भाग 3 का पैरा क लागू होता है, जहां निर्धारिती की पूर्ववर्ष में या, यदि आय-कर अधिनियम के किसी उपबंध के आधार पर आय-कर पूर्ववर्ष से भिन्न किसी अवधि की आय के संबंध में प्रभारित किया जाना है, ऐसी अन्य अवधि में कुल आय के अतिरिक्त पांच हजार रुपए से अधिक कोई शुद्ध कृषि-आय भी है और कुल आय एक लाख पचास हजार रुपए से अधिक हो जाती है, वहां प्रवृत्त दर या दरों से, उक्त अधिनियम की धारा 174 की उपधारा (2) या धारा 174क या धारा 175 या धारा 176 की उपधारा (2) के अधीन

आय-कर प्रभारित करने में अथवा उक्त अधिनियम के अध्याय 17ग के अधीन संदेय "अग्रिम कर" की संगणना करने में,—

(क) शुद्ध कृषि-आय को, कुल आय के संबंध में, यथास्थिति, केवल ऐसा आय-कर या "अग्रिम कर" प्रभारित या संगणित करने के प्रयोजन के लिए ही, खंड (ख) में उपबंधित रीति से हिसाब में लिया जाएगा, [अर्थात्, मानो शुद्ध कृषि-आय कुल आय के प्रथम एक लाख पचास हजार रुपए के पश्चात् कुल आय में समाविष्ट हो किंतु कर के दायित्वाधीन न हो] ; और

(ख) यथास्थिति, ऐसा आय-कर या "अग्रिम कर" निम्नलिखित रीति से इस प्रकार प्रभारित या संगणित किया जाएगा, अर्थात्:—

(i) कुल आय और शुद्ध कृषि-आय को संकलित किया जाएगा और संकलित आय के संबंध में आय-कर या "अग्रिम कर" की रकम, उक्त पैरा क में विनिर्दिष्ट दरों से ऐसे अवधारित की जाएगी मानो ऐसी संकलित आय कुल आय हो ;

(ii) शुद्ध कृषि-आय में एक लाख पचास हजार रुपए की राशि बढ़ा दी जाएगी और इस प्रकार बढ़ाई गई शुद्ध कृषि-आय के संबंध में आय-कर या "अग्रिम कर" की रकम, उक्त पैरा क में विनिर्दिष्ट दरों से ऐसे अवधारित की जाएगी मानो शुद्ध कृषि-आय कुल आय हो ;

(iii) उपखंड (i) के अनुसार अवधारित आय-कर या "अग्रिम कर" की रकम में से उपखंड (ii) के अनुसार अवधारित, यथास्थिति, आय-कर या "अग्रिम कर" की रकम घटा दी जाएगी और इस प्रकार प्राप्त राशि, कुल आय के संबंध में, यथास्थिति, आय-कर या "अग्रिम कर" होगी :

परंतु पहली अनुसूची के भाग 3 के पैरा क की मद (II) में निर्दिष्ट ऐसी प्रत्येक स्त्री की दशा में, जो भारत में निवासी है और पूर्ववर्ष के दौरान किसी समय पैंसठ वर्ष से कम आयु की है, इस उपधारा के उपबंध इस प्रकार प्रभावी होंगे, मानो "एक लाख पचास हजार रुपए" शब्दों के स्थान पर, "एक लाख अस्सी हजार रुपए" शब्द रखे गए हों;

परंतु यह और कि पहली अनुसूची के भाग 3 के पैरा क की मद (III) में निर्दिष्ट ऐसे प्रत्येक व्यष्टि की दशा में, जो भारत में निवासी है और पूर्ववर्ष के दौरान किसी समय पैंसठ वर्ष का या उससे अधिक आयु का है, इस उपधारा के उपबंध इस प्रकार प्रभावी होंगे, मानो "एक लाख पचास हजार रुपए" शब्दों के स्थान पर, "दो लाख पच्चीस हजार रुपए" शब्द रखे गए हों :

परंतु यह भी कि इस प्रकार प्राप्त आय-कर या "अग्रिम कर" की रकम में, प्रत्येक दशा में उसमें उपबंधित रीति से परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए बढ़ा दिया जाएगा ।

(11) उपधारा (1) से उपधारा (10) में यथा विनिर्दिष्ट और उसमें उपबंधित रीति से परिकलित, संघ के प्रयोजनों के लिए, अधिभार द्वारा बढ़ाई गई आय-कर की रकम में, ऐसे आय-कर और अधिभार के दो प्रतिशत की दर से परिकलित "आय-कर पर शिक्षा उपकर" नाम से ज्ञात, अतिरिक्त अधिभार संघ के प्रयोजनों के लिए बढ़ा दिया जाएगा, जिससे सार्वत्रिक स्तर की क्वालिटी की प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराने और उसका वित्तपोषण करने की सरकार की प्रतिबद्धता को पूरा किया जा सके ।

(12) उपधारा (1) से उपधारा (10) में यथा विनिर्दिष्ट और उसमें उपबंधित रीति से परिकलित, संघ के प्रयोजनों के लिए, अधिभार द्वारा बढ़ाई गई आय-कर की रकम में, ऐसे आय-कर और अधिभार के एक प्रतिशत की दर से परिकलित "आय-कर पर माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा उपकर" नाम से ज्ञात, अतिरिक्त अधिभार संघ के प्रयोजनों के लिए बढ़ा दिया जाएगा, जिससे सार्वत्रिक स्तर की क्वालिटी की माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा उपलब्ध कराने और उसका वित्तपोषण करने की सरकार की प्रतिबद्धता को पूरा किया जा सके ।

(13) इस धारा और पहली अनुसूची के प्रयोजनों के लिए,—

(क) "देशी कंपनी" से कोई भारतीय कंपनी या कोई अन्य ऐसी कंपनी अभिप्रेत है, जिसने 1 अप्रैल, 2008 को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष के लिए, आय-कर अधिनियम

के अधीन आय-कर के दायित्वाधीन अपनी आय के संबंध में ऐसी आय में से संदेय लाभांशों, जिनके अंतर्गत अधिमानी शेयरों पर लाभांश भी हैं, की घोषणा और भारत के भीतर उनके संदाय के लिए विहित इंतजाम कर लिए हैं ;

(ख) "बीमा कमीशन" से बीमा कारबार की याचना करने या उसे उपाप्त करने के लिए, जिसके अन्तर्गत बीमा पालिसियों को जारी रखने, उनका नवीकरण या उन्हें पुनरुज्जीवित करने से संबंधित कारबार है, कमीशन के रूप में या अन्यथा कोई पारिश्रमिक या इनाम अभिप्रेत है ;

(ग) किसी व्यक्ति के संबंध में, "शुद्ध कृषि-आय" से, पहली अनूसूची के भाग 4 में अंतर्विष्ट नियमों के अनुसार संगणित, उस व्यक्ति की किसी भी स्रोत से व्युत्पन्न कृषि-आय की कुल रकम अभिप्रेत है ;

(घ) अन्य सभी शब्दों या पदों के, जो इस धारा में और पहली अनुसूची में प्रयुक्त हैं किन्तु इस उपधारा में परिभाषित नहीं हैं और आय-कर अधिनियम में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे, जो उनके उस अधिनियम् में हैं ।

अध्याय 3

प्रत्यक्ष कर

आय-कर

धारा 2 का संशोधन।

3. आय-कर अधिनियम की धारा 2 में,—

(क) खंड (1क) में स्पष्टीकरण 2 के पश्चात् निम्नलिखित स्पष्टीकरण 1 अप्रैल, 2009 से अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"**स्पष्टीकरण 3**—इस खंड के प्रयोजनों के लिए, नर्सरी में उगाए गए पौधों या पौध से व्युत्पन्न कोई आय कृषि आय समझी जाएगी;";

(ख) खंड (15) के स्थान पर निम्नलिखित खंड 1 अप्रैल, 2009 से रखा जाएगा, अर्थात् :—

'(15) "पूर्त प्रयोजन" के अंतर्गत गरीबों की सहायता, शिक्षा, चिकित्सा सहायता और किसी सामान्य लोक उपयोगी अन्य उद्देश्य को अग्रसर करना भी है:

परंतु किसी सामान्य लोक उपयोगी अन्य उद्देश्य को अग्रसर करना पूर्त प्रयोजन नहीं होगा यदि उसमें किसी उपकर या फीस या किसी अन्य प्रतिफल के लिए व्यापार, वाणिज्य या कारबार की प्रकृति का कोई क्रियाकलाप या किसी व्यापार, वाणिज्य या कारबार के संबंध में कोई सेवा प्रदान करने का कोई क्रियाकलाप करना अंतर्वलित है भले ही ऐसे क्रियाकलाप से आय के उपयोग या उपयोजन या प्रतिधारण की कोई भी प्रकृति हो;'।

धारा 10 का संशोधन

4. आय-कर अधिनियम की धारा 10 में,—

1997 का 26

(क) खंड (26कक), जिसका वित्त अधिनियम, 1997 द्वारा लोप कर दिया गया है, के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा और 1 अप्रैल, 1990 से अंतःस्थापित किया गया समझा जाएगा, अर्थात् :—

'(26ककक) ऐसे व्यष्टि की दशा में, जो सिक्किमी है, उसे निम्नलिखित से प्रोद्भूत या उद्भूत कोई आय—

(क) सिक्किम राज्य में किसी स्रोत से ; या

(ख) लाभांश या प्रतिभूतियों पर ब्याज के रूप में :

परंतु इस खंड की कोई बात ऐसी किसी सिक्किमी स्त्री को लागू नहीं होगी जो 1 अप्रैल, 2008 को या उसके पश्चात् ऐसे किसी व्यष्टि से विवाह करती है जो सिक्किमी नहीं है ।

स्पष्टीकरण—इस खंड के प्रयोजनों के लिए, "सिक्किमी" से,—

(i) ऐसा कोई व्यष्टि अभिप्रेत होगा, जिसका नाम 26 अप्रैल, 1975 के ठीक पूर्व सिक्किम प्रजा नियम, 1961 के साथ पठित सिक्किम प्रजा विनियम, 1961 के अधीन रखे गए रजिस्टर में (जिसे इसमें इसके पश्चात् "सिक्किम प्रजा रजिस्टर" कहा गया है) अभिलिखित है ; या

(ii) ऐसा कोई व्यष्टि अभिप्रेत होगा, जिसका नाम भारत सरकार के आदेश सं0 26030/36/90-आई.सी.आई., तारीख 7 अगस्त, 1990 और 8 अप्रैल, 1991 के समसंख्यक आदेश के आधार पर सिक्किम प्रजा रजिस्टर में सम्मिलित किया गया है; या

(iii) ऐसा कोई अन्य व्यष्टि अभिप्रेत होगा, जिसका नाम सिक्किम प्रजा रजिस्टर में प्रविष्ट नहीं है किन्तु संदेह से परे यह सिद्ध हो गया है कि ऐसे व्यष्टि के पिता या पति या पितामह या उसी पिता से भाई का नाम उस रजिस्टर में अभिलिखित किया गया है ;";

(ख) इस प्रकार अंतःस्थापित खंड (26ककक) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड 1 अप्रैल, 2009 से अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"(26ककख) कृषि उत्पाद के विपणन को विनियमित करने के प्रयोजन के लिए तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित कृषि उत्पाद मंडी समिति या बोर्ड की कोई आय;";

(ग) खंड (29क) में, उपखंड (छ) के पश्चात्, निम्नलिखित उपखंड अंतःस्थापित किया जाएगा और 1 अप्रैल, 2002 से अंतःस्थापित किया गया समझा जाएगा, अर्थात्:—

"(ज) कयर उद्योग अधिनियम, 1953 की धारा 4 के अधीन स्थापित कयर बोर्ड ;"; 1953 का 45

(घ) खंड (42) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"(43) किसी व्यष्टि को धारा 47 के खंड (xvi) में निर्दिष्ट प्रतिवर्ती बंधक के संव्यवहार में ऋण के रूप में, चाहे एकमुश्त या किश्तों में, प्राप्त कोई आय ।"।

धारा 10क का संशोधन।

5. आय–कर अधिनियम की धारा 10क की उपधारा (1) में, चौथे परंतुक में, "2010" अंकों के स्थान पर, "2011" अंक रखे जाएंगे।

धारा 10ख का संशोधन।

6. आय–कर अधिनियम की धारा 10ख की उपधारा (1) में, तीसरे परंतुक में, "2010" अंकों के स्थान पर, "2011" अंक रखे जाएंगे।

धारा 35 का संशोधन।

7. आय-कर अधिनियम की धारा 35 में 1 अप्रैल, 2009 से,—

(क) उपधारा (1) के खंड (ii) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(iiक) किसी ऐसी राशि के एक सही एक बटा चार गुणा के बराबर कोई ऐसी रकम, जो किसी कंपनी को उसके द्वारा किसी वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए प्रयुक्त किए जाने हेतु संदत्त की गई हो:

परंतु ऐसी कंपनी,—

(अ) भारत में रजिस्ट्रीकृत हो,

(आ) उसका मुख्य उद्देश्य वैज्ञानिक अनुसंधान और विकास करना हो,

(इ) उसे इस खंड के प्रयोजनों के लिए तत्समय विहित रीति में विहित प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किया गया हो, और

(ई) वह ऐसी अन्य शर्तों को पूरा करती हो जो विहित की जाएं ;";

(ख) उपधारा (2कख) के खंड (5) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(6) उपधारा (1) के खंड (iiक) के उपखंड (इ) के अधीन अनुमोदित किसी कंपनी को खंड (1) में निर्दिष्ट ऐसे व्यय की बाबत, जो 31 मार्च, 2008 के पश्चात् उपगत किया गया है, कोई कटौती अनुज्ञात नहीं की जाएगी ।"।

8. आय-कर अधिनियम की धारा 35घ में 1 अप्रैल, 2009 से,— धारा 35घ का संशोधन।

(क) "औद्योगिक उपक्रम" शब्दों के स्थान पर, जहां कहीं वे आते हैं, "उपक्रम" शब्द रखा जाएगा ;

(ख) "औद्योगिक एकक" शब्दों के स्थान पर, जहां कहीं वे आते हैं, "एकक" शब्द रखा जाएगा ।

9. आय-कर अधिनियम की धारा 36 की उपधारा (1) में, खंड (xiv) के पश्चात् निम्नलिखित खंड 1 अप्रैल, 2009 से अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:— धारा 36 का संशोधन।

'(xv) निर्धारिती द्वारा पूर्ववर्ष के दौरान अपने कारबार के अनुक्रम में किए गए कराधेय प्रतिभूति संव्यवहारों की बाबत संदत्त प्रतिभूति संव्यवहार कर के बराबर रकम, यदि ऐसे कराधेय प्रतिभूति संव्यवहारों से उद्भूत होने वाली आय "कारबार या वृत्ति के लाभ और अभिलाभ" शीर्ष के अधीन संगणित आय में सम्मिलित की गई है ।

स्पष्टीकरण—इस खंड के प्रयोजनों के लिए, "प्रतिभूति संव्यवहार कर" और "कराधेय प्रतिभूति संव्यवहार" पदों के वही अर्थ होंगे जो वित्त (सख्यांक 2) अधिनियम, 2004 के अध्याय 7 में हैं ; 2004 का 23

(xvi) निर्धारिती द्वारा पूर्ववर्ष के दौरान अपने कारबार के अनुक्रम में किए गए कराधेय वस्तु संव्यवहारों की बाबत संदत्त वस्तु संव्यवहार कर के बराबर रकम, यदि ऐसे कराधेय वस्तु संव्यवहारों से उद्भूत होने वाली आय "कारबार या वृत्ति के लाभ और अभिलाभ" शीर्ष के अधीन संगणित आय में सम्मिलित की गई है ।

स्पष्टीकरण—इस खंड के प्रयोजनों के लिए, "वस्तु संव्यवहार कर" और "कराधेय वस्तु संव्यवहार" पदों के वही अर्थ होंगे जो वित्त अधिनियम, 2008 के अध्याय 7 में हैं ।'।

10. आय-कर अधिनियम की धारा 40 के खंड (क) में,— धारा 40 का संशोधन।

(क) उपखंड (iक) में, 1 अप्रैल, 2005 से,—

(i) "कटौती के पश्चात् पूर्व वर्ष के दौरान या पश्चात्वर्ती वर्ष में उसका धारा 200 की उपधारा (1) के अधीन विहित समय की समाप्ति के पूर्व संदाय नहीं किया गया है" शब्दों, अंकों और कोष्ठकों के स्थान पर, निम्नलिखित शब्द, अंक और कोष्ठक रखे जाएंगे और रखे गए समझे जाएंगे, अर्थात्:—

"कटौती के पश्चात्,—

(अ) उस दशा में जिसमें कर कटौती योग्य था और पूर्व वर्ष के अंतिम मास के दौरान या धारा 139 की उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट नियत समय को या उससे पूर्व इस प्रकार उसकी कटौती की गई थी; या

(आ) किसी अन्य मामले में, पूर्व वर्ष के अंतिम दिन को या उससे पूर्व, उसका संदाय नहीं किया गया है ।";

(ii) परंतुक के स्थान पर, निम्नलिखित परंतुक रखा जाएगा और रखा गया समझा जाएगा, अर्थात्:—

"परंतु जहां किसी ऐसी राशि के संबंध में कर की किसी पश्चात्वर्ती वर्ष में कटौती की गई है या,—

(अ) पूर्व वर्ष के अंतिम मास के दौरान कटौती की गई है, किंतु उसका संदाय उक्त नियत तारीख के पश्चात् किया गया है; या

(आ) पूर्व वर्ष के किसी अन्य मास के दौरान कटौती की गई है, किंतु उसका संदाय उक्त पूर्व वर्ष के अंत के पश्चात् किया गया है,

वहां ऐसी राशि को, उस पूर्ववर्ष की, जिसमें ऐसा कर संदत्त किया गया है, आय की संगणना करने में कटौती के रूप में अनुज्ञात किया जाएगा।";

(ख) उपखंड (झख) का 1 अप्रैल, 2009 से लोप किया जाएगा।

धारा 40क का संशोधन।

11. आय-कर अधिनियम की धारा 40क की उपधारा (3) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधाराएं 1 अप्रैल, 2009 से रखी जाएंगी, अर्थात्:—

"(3) जहां निर्धारिती कोई ऐसा व्यय उपगत करता है जिसकी बाबत किसी व्यक्ति को एक दिन में किया गया संदाय या कुल संदाय बीस हजार रुपए से अधिक राशि के बैंक पर लिखे पाने वाले के खाते में देय चेक या पाने वाले के खाते में देय बैंक ड्राफ्ट से भिन्न किसी अन्य रीति से किया जाता है वहां ऐसे व्यय की बाबत कोई कटौती अनुज्ञात नहीं की जाएगी ।

(3क) जहां किसी व्यय के लिए निर्धारिती द्वारा उपगत किसी दायित्व की बाबत किसी वर्ष के निर्धारण में मोक अनुज्ञात किया गया है और बाद में किसी पूर्ववर्ष के दौरान (जिसे इसमें इसके पश्चात् पश्चात्वर्ती वर्ष कहा गया है) निर्धारिती उसकी बाबत संदाय बैंक पर लिखे पाने वाले के खाते में देय चेक या पाने वाले के खाते में देय बैंक ड्राफ्ट से भिन्न किसी अन्य रीति से करता है वहां इस प्रकार किया गया संदाय कारबार या वृत्ति के लाभ और अभिलाभ समझा जाएगा तथा तदनुसार यदि किसी दिन व्यक्ति को किया गया संदाय या कुल संदाय बीस हजार रुपए से अधिक है तो पश्चात्वर्ती वर्ष की आय के रूप में आय-कर से प्रभार्य होगा :

परंतु जहां बीस हजार रुपए से अधिक का कोई संदाय या कुल संदाय किसी दिन में, किसी व्यक्ति को बैंक पर लिखे पाने वाले के खाते में देय चेक या पाने वाले के खाते में देय बैंक ड्राफ्ट से भिन्न किसी रीति में किया जाता है वहां ऐसे मामलों में और ऐसी परिस्थितियों के अधीन, जो विहित की जाएं, उपलब्ध बैंककारी सेवाओं की प्रकृति और सीमा, कारबार की समीचीनता तथा अन्य सुसंगत तथ्यों को ध्यान में रखते हुए कोई अनुज्ञा नहीं दी जाएगी और कोई संदाय उपधारा (3) और इस उपधारा के अधीन कारबार या वृत्ति का लाभ और अभिलाभ नहीं माना जाएगा ।"।

धारा 43 का संशोधन।

12. आय-कर अधिनियम की धारा 43 के खंड (6) के स्पष्टीकरण 5 के पश्चात् निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाएगा और 1 अप्रैल, 2003 से अंतःस्थापित किया गया समझा जाएगा, अर्थात्:—

"स्पष्टीकरण 6—जहां कोई निर्धारिती विचाराधीन निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष से पूर्ववर्ती किसी पूर्ववर्ष या वर्षों के लिए इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए अपनी कुल आय की संगणना करने के लिए अपेक्षित नहीं था वहां,—

(क) किसी आस्ति की वास्तविक लागत को लेखा बहियों में ऐसी आस्ति के, यदि कोई हो, पुनर्मूल्यांकन के कारण मानी जा सकने वाली रकम से समायोजित किया जाएगा;

(ख) ऐसी आस्ति पर अवक्षयण की कुल रकम से जो विचाराधीन निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष से पूर्ववर्ती ऐसे पूर्ववर्ष या वर्षों की बाबत निर्धारिती की लेखा बहियों में दी गई है, इस खंड के प्रयोजनों के लिए इस अधिनियम के अधीन वास्तव में अनुज्ञात अवक्षयण समझा जाएगा; और

(ग) खंड (ख) के अधीन वास्तव में अनुज्ञात अवक्षयण को आस्ति के ऐसे पुनर्मूल्यांकन के कारण मानी जा सकने वाली अवक्षयण की रकम से समायोजित किया जाएगा ।"।

धारा 44कख का संशोधन।

13. आय-कर अधिनियम की धारा 44कख के स्पष्टीकरण में, खंड (ii) में, "31 अक्तूबर" अंकों और शब्द के स्थान पर, "30 सितंबर" अंक और शब्द रखे जाएंगे।

धारा 47 का संशोधन।

14. आय-कर अधिनियम की धारा 47 में,—

(क) खंड (x) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"(xक) धारा 115कग की उपधारा (1) के खंड (क) में निर्दिष्ट बंधपत्रों का किसी कंपनी के शेयरों या डिबेंचरों में परिवर्तन के रूप में कोई अंतरण ;" ;

(ख) खंड (xv) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"(xvi) केंद्रीय सरकार द्वारा बनाई गई और अधिसूचित की गई स्कीम के अधीन प्रतिवर्ती बंधक के संव्यवहार में किसी पूंजी आस्ति का कोई अंतरण ।"।

धारा 49 का संशोधन।

15. आय-कर अधिनियम की धारा 49 की उपधारा (2क) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात्:—

"(2क) जहां पूंजी आस्ति, जो किसी कंपनी का शेयर या डिबेंचर है, धारा 47 के खंड (x) या खंड (xक) में निर्दिष्ट अंतरण के प्रतिफलस्वरूप निर्धारिती की संपत्ति हो गई है, वहां निर्धारिती को आस्ति के अर्जन की लागत ऐसे डिबेंचर, डिबेंचर स्टाक, बंधपत्र या निक्षेप प्रमाणपत्र की लागत का वह भाग समझी जाएगी, जिसकी बाबत ऐसी आस्ति निर्धारिती द्वारा अर्जित की गई है।"।

धारा 80ग का संशोधन।

16. आय-कर अधिनियम की धारा 80ग में,—

(क) उपधारा (2) में, खंड (xxii) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:—

"(xxiii) वरिष्ठ नागरिक बचत स्कीम नियम, 2004 के अधीन किसी खाते में;

(xxiv) डाकघर सावधि जमा नियम, 1981 के अधीन किसी खाते में पांच वर्षीय सावधि जमा के रूप में।";

(ख) उपधारा (6) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"(6क) यदि कोई रकम, जिसके अंतर्गत उस पर प्रोद्भूत ब्याज भी है, निर्धारिती द्वारा, उसके निक्षेप की तारीख से पांच वर्ष की अवधि की समाप्ति से पूर्व उपधारा (2) के खंड (xxiii) या खंड (xxiv) में निर्दिष्ट उसके खाते से निकाली जाती है तो इस प्रकार निकाली गई रकम उस पूर्ववर्ष की, जिसमें रकम निकाली जाती है, निर्धारिती की आय समझी जाएगी और ऐसे पूर्ववर्ष से सुसंगत निर्धारण वर्ष में कर के लिए दायी होगी:

परंतु कर के लिए दायी रकम में निम्नलिखित रकमें सम्मिलित नहीं होंगी, अर्थात् :—

(i) उपधारा (2) के खंड (xxiii) या खंड (xxiv) में निर्दिष्ट निक्षेपों के संबंध में ब्याज की कोई रकम, जो ऐसे पूर्ववर्ष से पूर्ववर्ती पूर्ववर्ष या वर्षों की निर्धारिती की कुल आय में सम्मिलित की गई है; और

(ii) ऐसे निर्धारिती की मृत्यु पर निर्धारिती के नामनिर्देशिती या विधिक वारिस द्वारा उस पर प्रोद्भूत ब्याज से भिन्न, यदि कोई हो, प्राप्त कोई रकम जो ऐसे पूर्ववर्ष से पूर्ववर्ती पूर्ववर्ष या वर्षों के लिए निर्धारिती की कुल आय में सम्मिलित नहीं की गई थी ।"।

धारा 80घ के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन।

17. आय-कर अधिनियम की धारा 80घ के स्थान पर निम्नलिखित धारा 1 अप्रैल, 2009 से रखी जाएगी, अर्थात् :—

स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम की बाबत कटौती।

'80घ. (1) किसी निर्धारिती की, जो कोई व्यष्टि या हिन्दू अविभक्त कुटुंब है, कुल आय की संगणना करने में उपधारा (2) या उपधारा (3) में विनिर्दिष्ट ऐसी राशि की कटौती

की जाएगी जिसका संदाय उसकी कर से प्रभार्य आय में से, पूर्ववर्ष में नकद से भिन्न किसी ढंग से किया गया है ।

(2) जहां निर्धारिती कोई व्यष्टि है वहां उपधारा (1) में निर्दिष्ट राशि निम्नलिखित का योग होगी, अर्थात्:—

(क) निर्धारिती या उसके कुटुंब के स्वास्थ्य का बीमा कराने या उसे प्रवृत्त रखने के लिए संदत्त संपूर्ण रकम जो कुल मिलाकर पंद्रह हजार रुपए से अधिक नहीं हो; और

(ख) निर्धारिती के माता-पिता के स्वास्थ्य का बीमा कराने या उसे प्रवृत्त रखने के लिए संदत्त संपूर्ण रकम जो कुल मिलाकर पंद्रह हजार रुपए से अधिक नहीं हो।

स्पष्टीकरण—खंड (क) के प्रयोजनों के लिए, "कुटुंब" से निर्धारिती का पति या पत्नी और उसके आश्रित बालक अभिप्रेत हैं ।

(3) जहां निर्धारिती हिन्दू अविभक्त कुटुंब है वहां उपधारा (1) में निर्दिष्ट राशि उस हिन्दू अविभक्त कुटुंब के किसी सदस्य के स्वास्थ्य का बीमा कराने या उसे प्रवृत्त रखने के लिए संदत्त संपूर्ण रकम होगी जो कुल मिलाकर पंद्रह हजार रुपए से अधिक नहीं हो।

(4) जहां उपधारा (2) के खंड (क) या खंड (ख) या उपधारा (3) में विनिर्दिष्ट राशि का संदाय उनमें विनिर्दिष्ट किसी व्यक्ति के स्वास्थ्य का बीमा कराने या उसे प्रवृत्त रखने के लिए किया जाता है और वह व्यक्ति वरिष्ठ नागरिक है वहां इस धारा के उपबंध ऐसे प्रभावी होंगे मानो "पंद्रह हजार रुपए" शब्दों के स्थान पर "बीस हजार रुपए" शब्द रखे गए हों ।

स्पष्टीकरण—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, "वरिष्ठ नागरिक" से भारत में निवासी कोई ऐसा व्यष्टि अभिप्रेत है जो सुसंगत पूर्ववर्ष के दौरान किसी समय पैंसठ वर्ष या अधिक की आयु का है ।

(5) इस धारा में निर्दिष्ट बीमा,—

(क) साधारण बीमा कारबार (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972 की धारा 9 के अधीन बनाए गए भारतीय साधारण बीमा निगम द्वारा इस निमित्त बनाई गई और केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त अनुमोदित स्कीम के अनुसार होगा ; या 1972 का 57

(ख) किसी अन्य बीमाकर्ता द्वारा बनाई गई और बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन स्थापित बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित स्कीम के अनुसार होगा।'। 1999 का 41

80झख का संशोधन।

18. आय-कर अधिनियम की धारा 80झख में,—

(क) उपधारा (9) में, दूसरे परंतुक के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"परंतु यह भी कि जहां ऐसा उपक्रम 1 अप्रैल, 2009 को या उसके पश्चात् खनिज तेल का परिष्करण प्रारंभ करता है वहां इस धारा के अधीन कोई कटौती उस उपक्रम की बाबत तब तक अनुज्ञात नहीं होगी जब तक ऐसा उपक्रम निम्नलिखित शर्तों को पूरा नहीं करता, अर्थात्:—

(i) वह पूर्णतया ऐसी किसी पब्लिक सेक्टर कंपनी या किसी अन्य कंपनी के स्वामित्वाधीन है जिसमें पब्लिक सेक्टर कंपनी या कंपनियां कम से कम उनचास प्रतिशत मताधिकार रखती हैं;

(ii) उसे 31 मई, 2008 को या उससे पूर्व केंद्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त अधिसूचित किया गया है; और

(iii) वह 31 मार्च, 2012 के अपश्चात् परिष्करण का कार्य प्रारंभ करता है।";

(ख) उपधारा (11ख) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा 1 अप्रैल, 2009 से अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

'(11ग) किसी ऐसे उपक्रम की दशा में, जो अपवर्जित क्षेत्र से भिन्न, भारत में किसी भी स्थान पर अवस्थित किसी अस्पताल के प्रचालन और अनुरक्षण के कारबार से लाभ व्युत्पन्न कर रहा है, कटौती की रकम, प्रारंभिक निर्धारण वर्ष से आरंभ होने वाले पांच क्रमवर्ती निर्धारण वर्षों की अवधि के लिए ऐसे कारबार से व्युत्पन्न लाभों और अभिलाभों का सौ प्रतिशत होगी, यदि—

(i) ऐसे अस्पताल का सन्निर्माण 1 अप्रैल, 2008 को प्रारंभ होने वाली और 31 मार्च, 2013 को समाप्त होने वाली अवधि के दौरान किसी समय किया गया है और उसने अपना काम करना आरंभ कर दिया है या आरंभ करता है;

(ii) अस्पताल में रोगियों के लिए कम-से-कम सौ बिस्तर हैं ;

(iii) अस्पताल का सन्निर्माण स्थानीय प्राधिकारी के विनियमों या उपविधियों के अनुसार है; और

(iv) निर्धारिती, आय की विवरणी के साथ, ऐसे प्ररूप में और ऐसी विशिष्टियां अंतर्विष्ट करते हुए, जो विहित की जाएं और धारा 288 की उपधारा (2) के स्पष्टीकरण में यथापरिभाषित किसी लेखापाल द्वारा सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित और सत्यापित रूप में यह प्रमाणित करते हुए कि कटौती का सही रूप में दावा किया गया है, लेखापरीक्षा की रिपोर्ट देता है।

स्पष्टीकरण—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए,—

(क) कोई अस्पताल उस तारीख को सन्निर्मित समझा जाएगा, जिसको ऐसे सन्निर्माण की बाबत संबंधित स्थानीय प्राधिकारी द्वारा समापन प्रमाणपत्र जारी किया गया है;

(ख) "प्रारंभिक निर्धारण वर्ष" से उस पूर्ववर्ष से सुसंगत निर्धारण वर्ष अभिप्रेत है, जिसमें अस्पताल का कारबार कार्य आरंभ करता है ;

(ग) "अपवर्जित क्षेत्र" से ऐसा क्षेत्र अभिप्रेत है जिसमें निम्नलिखित समाविष्ट हैं—

(i) बृहतर मुम्बई नगर क्षेत्र ;
(ii) दिल्ली नगर क्षेत्र ;
(iii) कोलकाता नगर क्षेत्र ;
(iv) चेन्नई नगर क्षेत्र ;
(v) हैदराबाद नगर क्षेत्र ;
(vi) बंगलौर नगर क्षेत्र ;
(vii) अहमदाबाद नगर क्षेत्र ;
(viii) फरीदाबाद जिला ;
(ix) गुड़गांव जिला ;
(x) गौतम बुद्ध नगर जिला ;
(xi) गाजियाबाद जिला ;
(xii) गांधीनगर जिला ; और
(xiii) सिकंदराबाद शहर ;

(घ) नगर क्षेत्र ऐसा क्षेत्र होगा जिसे 2001 की जनगणना के आधार पर ऐसे नगर क्षेत्र में सम्मिलित किया गया है।'।

धारा 80झघ का संशोधन।

19. आय-कर अधिनियम की धारा 80झघ में 1 अप्रैल, 2009 से,—

(क) उपधारा (2) के खंड (ii) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"(iii) विश्व सांस्कृतिक विरासत स्थल वाले विनिर्दिष्ट जिले में अवस्थित होटल के कारबार में लगा हुआ है, यदि ऐसे होटल का निर्माण 1 अप्रैल, 2008 को आरंभ होने वाली और 31 मार्च, 2013 को समाप्त होने वाली अवधि के दौरान किसी समय हुआ है और उसने कार्य करना आरंभ किया है या करता है ।";

(ख) उपधारा (6) के खंड (घ) के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

'(ङ) "विश्व सांस्कृतिक विरासत स्थल वाले विनिर्दिष्ट जिले" से नीचे की सारणी के स्तंभ (3) में तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट राज्यों के उक्त सारणी के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट जिले अभिप्रेत हैं:

सारणी

क्र०सं०	जिले का नाम	राज्य का नाम
(1)	(2)	(3)
1.	आगरा	उत्तर प्रदेश
2.	जलगांव	महाराष्ट्र
3.	औरंगाबाद	महाराष्ट्र
4.	कांचीपुरम	तमिलनाडु
5.	पुरी	उड़ीसा
6.	भरतपुर	राजस्थान
7.	छतरपुर	मध्य प्रदेश
8.	तंजावुर	तमिलनाडु
9.	बेलारी	कर्नाटक
10.	दक्षिण 24 परगना (2001 की जनगणना के आधार पर कोलकाता नगर क्षेत्र के भीतर आने वाले क्षेत्रों को छोड़कर)	पश्चिमी बंगाल
11.	चमोली	उत्तराखंड
12.	रायसेन	मध्य प्रदेश
13.	गया	बिहार
14.	भोपाल	मध्य प्रदेश
15.	पंचमहल	गुजरात
16.	कामरूप	असम
17.	गोलपाड़ा	असम
18.	नागांव	असम
19.	उत्तरी गोवा	गोवा
20.	दक्षिणी गोवा	गोवा
21.	दार्जिलिंग	पश्चिमी बंगाल
22.	नीलगिरी	तमिलनाडु'।

20. आय-कर अधिनियम की धारा 88ङ में उपधारा (2) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :— धारा 88ङ का संशोधन।

"(3) इस धारा के अधीन 1 अप्रैल, 2009 को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष में या उसके पश्चात् कोई कटौती अनुज्ञात नहीं की जाएगी।"।

21. आय-कर अधिनियम की धारा 111क की उपधारा (1) के खंड (i) में, "दस प्रतिशत" शब्दों के स्थान पर "पन्द्रह प्रतिशत" शब्द, 1 अप्रैल, 2009 से रखे जाएंगे। धारा 111क का संशोधन।

22. आय-कर अधिनियम की धारा 115कघ की उपधारा (1) के परंतुक में "दस प्रतिशत" शब्दों के स्थान पर "पन्द्रह प्रतिशत" शब्द, 1 अप्रैल, 2009 से रखे जाएंगे। धारा 115कघ का संशोधन।

23. आय-कर अधिनियम की धारा 115ञख की उपधारा (2) के पश्चात्,— धारा 115ञख का संशोधन।

(क) स्पष्टीकरण को स्पष्टीकरण 1 के रूप में संख्यांकित किया जाएगा और इस प्रकार संख्यांकित स्पष्टीकरण 1 के खंड (छ) के पश्चात्, "निर्दिष्ट कोई रकम" शब्दों से आरंभ होने वाले और "घटा दिए गए हैं,—" शब्दों पर समाप्त होने वाले भाग के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा और 1 अप्रैल, 2001 से रखा गया समझा जाएगा, अर्थात्:—

"(ज) आस्थगित कर की रकम और उसके लिए व्यवस्था,

यदि खंड (क) से खंड (ज) में निर्दिष्ट कोई रकम लाभ-हानि लेखा में विकलित की जाती है और उसमें से घटा दी जाती है,";

(ख) इस प्रकार संख्यांकित स्पष्टीकरण 1 में, खंड (vii) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा और 1 अप्रैल, 2001 से अंतःस्थापित किया गया समझा जाएगा, अर्थात्:—

"(viii) आस्थगित कर की रकम, यदि ऐसी कोई रकम लाभ-हानि लेखे में जमा की गई है।";

(ग) इस प्रकार संख्यांकित स्पष्टीकरण 1 के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा और 1 अप्रैल, 2001 से अंतःस्थापित किया गया समझा जाएगा, अर्थात्:—

"स्पष्टीकरण 2—स्पष्टीकरण 1 के खंड (क) के प्रयोजनों के लिए, आय-कर की रकम में निम्नलिखित सम्मिलित होगा—

(i) धारा 115ण के अधीन वितरित लाभ या धारा 115द के अधीन वितरित आय पर कोई कर ;

(ii) इस अधिनियम के अधीन प्रभारित कोई ब्याज ;

(iii) समय-समय पर केंद्रीय अधिनियमों द्वारा यथा उद्गृहीत अधिभार, यदि कोई हो ;

(iv) समय-समय पर केंद्रीय अधिनियमों द्वारा यथा उद्गृहीत आय-कर पर शिक्षा उपकर, यदि कोई हो ; और

(v) समय-समय पर केंद्रीय अधिनियमों द्वारा यथा उद्गृहीत आय-कर पर माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा उपकर, यदि कोई हो।"।

24. आय-कर अधिनियम की धारा 115ण की उपधारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:— धारा 115ण का संशोधन।

"(1क) उपधारा (1) में निर्दिष्ट रकम को वित्तीय वर्ष के दौरान देशी कंपनी द्वारा प्राप्त लाभांश की रकम, यदि कोई हो, से घटा दिया जाएगा, यदि,—

(क) ऐसा लाभांश उसके समनुषंगी से प्राप्त हुआ है ;

(ख) यदि समनुषंगी कंपनी ने ऐसे लाभांश पर इस धारा के अधीन कर का संदाय किया है ; और

(ग) देशी कंपनी किसी अन्य कंपनी की समनुषंगी नहीं है :

परंतु लाभांश की उसी रकम को एक से अधिक बार कमी के लिए हिसाब में नहीं लिया जाएगा।

स्पष्टीकरण—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, कोई कंपनी किसी अन्य कंपनी की समनुषंगी होगी यदि ऐसी अन्य कंपनी, कंपनी की साधारण शेयर पूंजी के अभिहित मूल्य में आधे से अधिक धारण करती है ।"।

धारा 115बख का संशोधन।

25. आय-कर अधिनियम की धारा 115बख में,—

(क) उपधारा (1) के स्पष्टीकरण के खंड (घ) के उपखंड (i) में "तथा इसके अंतर्गत कर्मचारी स्टाक विकल्प भी है" शब्दों के स्थान पर, "और जहां कर्मचारी स्टाक विकल्प उसकी किसी योजना या स्कीम के अधीन दिया गया है वहां इसके अंतर्गत ऐसी योजना या स्कीम के अधीन प्रस्थापित प्रतिभूतियां भी हैं" शब्द रखे जाएंगे;

(ख) उपधारा (2) में 1 अप्रैल, 2009 से,—

(I) खंड (ख) के उपखंड (ii) के पश्चात् निम्नलिखित उपखंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"(iii) ऐसे अहस्तांतरणीय पूर्व संदत्त इलेक्ट्रानिक मील कार्ड पर कोई व्यय या उसके द्वारा संदाय, जो केवल भोजन स्थलों या दुकानों पर ही प्रयोज्य है और जो ऐसी अन्य शर्तों को पूरा करता है, जो विहित की जाएं;";

(II) खंड (ङ) में स्पष्टीकरण के स्थान पर, निम्नलिखित स्पष्टीकरण रखा जाएगा, अर्थात्:—

"**स्पष्टीकरण**—इस खंड के प्रयोजनों के लिए निम्नलिखित के संबंध में उपगत किसी व्यय या किए गए संदाय को कर्मचारी कल्याण के लिए व्यय के रूप में नहीं समझा जाएगा,—

(i) किसी कानूनी बाध्यता को पूरा करने; या

(ii) व्यवसाय संबंधी परिसंकट को दूर करने; या

(iii) नियोजक द्वारा चलाए जा रहे अस्पताल या औषधालय में प्राथमिक चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करने; या

(iv) कर्मचारी के बालकों के लिए शिशु गृह सुविधा प्रदान करने; या

(v) ऐसे किसी खिलाड़ी को प्रायोजित करने, जो कर्मचारी है; या

(vi) कर्मचारियों के लिए खेलकूद समारोह आयोजित करने; ";

(III) खंड (ट) का लोप किया जाएगा।

धारा 115बग का संशोधन ।

26. आय-कर अधिनियम की धारा 115बग की उपधारा (1) में 1 अप्रैल, 2009 से,—

(i) खंड (ग) में, "खंड (क) से खंड (ट)" शब्दों, कोष्ठकों और अक्षरों के स्थान पर, "खंड (क) से खंड (ठ)" शब्द, कोष्ठक और अक्षर रखे जाएंगे ;

(ii) खंड (घ) में, "खंड (ठ) से खंड (त)" शब्दों, कोष्ठकों और अक्षरों के स्थान पर, "खंड (ड) से खंड (त)" शब्द, कोष्ठक और अक्षर रखे जाएंगे ।

धारा 115बघ का संशोधन ।

27. आय-कर अधिनियम की धारा 115बघ की उपधारा (1) के स्पष्टीकरण के खंड (क) में, "31 अक्तूबर" अंक और शब्द के स्थान पर, "30 सितंबर" अंक और शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 115बङ का संशोधन ।

28. आय-कर अधिनियम की धारा 115बङ में,—

(अ) उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधाराएं रखी जाएंगी, अर्थात्:—

'(1) जहां धारा 115बघ के अधीन विवरणी दी गई है वहां ऐसी विवरणी पर निम्नलिखित रीति से कार्यवाही की जाएगी, अर्थात्:—

(क) अनुषंगी फायदों के मूल्य की संगणना निम्नलिखित समायोजन करने के पश्चात् की जाएगी, अर्थात्:—

(i) विवरणी में कोई गणित संबंधी गलती; या

(ii) कोई गलत दावा, यदि ऐसा गलत दावा विवरणी में किसी सूचना से प्रकट है;

(ख) कर और ब्याज यदि कोई है, की संगणना, खंड (क) के अधीन संगणित अनुषंगी फायदों के मूल्य के आधार पर की जाएगी;

(ग) निर्धारिती द्वारा संदेय राशि या उसे देय प्रतिदाय की रकम का अवधारण संदत्त किसी अग्रिम कर, स्वनिर्धारण के आधार पर संदत्त किसी कर और कर या ब्याज के रूप में अन्यथा संदत्त किसी रकम का खंड (ख) के अधीन संगणित कर और ब्याज, यदि कोई हो, में समायोजन के पश्चात् किया जाएगा;

(घ) कोई सूचना खंड (ग) के अधीन निर्धारिती द्वारा संदेय किए जाने के लिए अवधारित राशि या उसे देय प्रतिदाय की रकम को विनिर्दिष्ट करते हुए तैयार या उत्पन्न की जाएगी और निर्धारिती को भेजी जाएगी; और

(ङ) खंड (ग) के अधीन अवधारण के अनुसरण में निर्धारिती को देय प्रतिदाय की रकम निर्धारिती को मंजूर की जाएगी:

परंतु इस उपधारा के अधीन कोई सूचना उस वित्तीय वर्ष के, जिसमें विवरणी दी गई है, अंत से एक वर्ष की समाप्ति के पश्चात् नहीं भेजी जाएगी।

स्पष्टीकरण—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए,—

(क) "विवरणी में किसी सूचना से प्रकट गलत दावे" से ऐसा दावा अभिप्रेत है जो विवरणी में किसी प्रविष्टि के आधार पर,—

(i) किसी ऐसी मद से संबंधित है जो ऐसी विवरणी की उसी या किसी अन्य मद की किसी अन्य प्रविष्टि से असंगत है;

(ii) जिसकी बाबत ऐसी प्रविष्टि को सिद्ध करने के लिए दी जाने के लिए अपेक्षित सूचना इस अधिनियम के अधीन इस प्रकार नहीं दी गई है; या

(iii) किसी कटौती या अनुषंगी फायदों के मूल्य की बाबत है, जहां ऐसी कटौती या ऐसा मूल्य विनिर्दिष्ट कानूनी सीमा से अधिक है जो धनीय रकम या प्रतिशत या अनुपात या उसके खंड के रूप में व्यक्त की जा सकती थी;

(ख) विवरणी की अभिस्वीकृति उस दशा में सूचना समझी जाएगी जहां खंड (ग) के अधीन निर्धारिती द्वारा कोई राशि संदेय नहीं है या उसे प्रतिदेय नहीं है और जहां खंड (क) के अधीन कोई समायोजन नहीं किया गया है।

(1क) उपधारा (1) के अधीन विवरणियों पर कार्यवाही करने के प्रयोजनों के लिए, बोर्ड उस उपधारा के अधीन अपेक्षित रूप में निर्धारिती द्वारा संदेय कर या उसे देय प्रतिदाय का शीघ्रता से अवधारण करने की दृष्टि से विवरणियों की कार्यवाहियों के केन्द्रीयकरण के लिए स्कीम बना सकेगा।

(1ख) जैसा अभिव्यक्त रूप से अन्यथा उपबंधित है उसके सिवाय, उपधारा (1क) के अधीन बनाई गई स्कीम को प्रभावी करने के प्रयोजन के लिए केन्द्रीय

सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, यह निदेश दे सकेगी कि विवरणियों की कार्यवाही से संबंधित इस अधिनियम के कोई उपबंध लागू नहीं होंगे या ऐसे अपवादों, उपांतरणों और अनुकूलनों के साथ लागू होंगे जो उस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किए जाएं, तथापि ऐसा कोई निदेश 31 मार्च, 2009 के पश्चात् जारी नहीं किया जाएगा।

(1ग) उपधारा (1ख) के अधीन जारी की गई प्रत्येक अधिसूचना, उपधारा (1क) के अधीन बनाई गई स्कीम के साथ, अधिसूचना के जारी किए जाने के पश्चात्, यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखी जाएगी।';

(आ) उपधारा (2) के परंतुक में, "उस मास के, जिसमें विवरणी दी गई है, अंत से बारह मास" शब्दों के स्थान पर, "उस वित्तीय वर्ष के, जिसमें विवरणी दी गई है, अंत से छह मास" शब्द रखें जाएंगे।

नई धारा 115बटख का अंतःस्थापन।

29. आय-कर अधिनियम की धारा 115बटक के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

कर्मचारी द्वारा कर का समझा गया संदाय।

"115बटख. (1) जहां किसी नियोजक ने धारा 115बख की उपधारा (1) के खंड (घ) में निर्दिष्ट विनिर्दिष्ट प्रतिभूति या श्रम साध्य शेयरों के आबंटन या अंतरण की बाबत किसी अनुषंगी फायदा कर का संदाय कर दिया है और बाद में ऐसा कर कर्मचारी से वसूल कर लिया है, वहां यह समझा जाएगा कि इस प्रकार वसूल किया गया अनुषंगी फायदा कर उस कर्मचारी द्वारा केवल उस सीमा तक उसे उपलब्ध कराए गए अनुषंगी फायदे के मूल्य के संबंध में संदत्त कर है, जिस तक उसकी रकम धारा 115बग की उपधारा (1) के खंड (खक) के अधीन यथा अवधारित, ऐसे कर्मचारी को प्रदान किए गए अनुषंगी फायदे के मूल्य से संबंधित है।

(2) इस अधिनियम के किन्हीं अन्य उपबंधों में किसी बात के होते हुए भी जहां कर्मचारी से वसूल किए गए अनुषंगी फायदा कर को उपधारा (1) के अधीन ऐसे कर्मचारी द्वारा संदत्त कर समझा गया है वहां ऐसा कर्मचारी, इस अधिनियम के अधीन,—

(i) कर के ऐसे संदाय में से किसी प्रतिदाय के लिए ; या

(ii) कर के ऐसे संदाय का अन्य आय संबंधी कर दायित्व के संबंध में या किसी अन्य कर दायित्व के संबंध में किसी मुजरे का,

दावा करने के लिए हकदार नहीं होगा।"।

धारा 139 का संशोधन।

30. आय-कर अधिनियम की धारा 139 में,—

(क) उपधारा (1) के स्पष्टीकरण 2 के खंड (क) में, "अक्तूबर का 31वां दिन" शब्दों और अंकों के स्थान पर, "30 सितंबर" अंक और शब्द रखे जाएंगे;

(ख) उपधारा (9) के स्पष्टीकरण के खंड (ग) के उपखंड (i) में, "1 अप्रैल, 2008 के पूर्व" अंकों और शब्दों का लोप किया जाएगा।

धारा 142 का संशोधन।

31. आय-कर अधिनियम की धारा 142 की उपधारा (2ग) के परंतुक में, "इस निमित्त निर्धारिती द्वारा आवेदन किए जाने पर" शब्दों के स्थान पर, "स्वप्रेरणा से या इस निमित्त निर्धारिती द्वारा आवेदन किए जाने पर" शब्द रखे जाएंगे।

धारा 143 का संशोधन।

32. आय-कर अधिनियम की धारा 143 में,—

(क) उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधाराएं रखी जाएंगी, अर्थात्:—

'(1) जहां विवरणी धारा 139 के अधीन या धारा 142 की उपधारा (1) के अधीन किसी सूचना के उत्तर में दी गई है वहां ऐसी विवरणी पर निम्नलिखित रीति में कार्यवाही की जाएगी, अर्थात्:—

(क) कुल आय या हानि की संगणना निम्नलिखित समायोजन करने के पश्चात् की जाएगी, अर्थात्:—

(i) विवरणी में कोई गणित संबंधी गलती ; या

(ii) कोई गलत दावा, यदि ऐसा गलत दावा विवरणी में किसी सूचना से प्रकट है ; या

(ख) कर और ब्याज की, यदि कोई हो, संगणना खंड (क) के अधीन संगणित कुल आय के आधार पर की जाएगी;

(ग) निर्धारिती द्वारा संदेय राशि या उसे देय प्रतिदाय की रकम, स्रोत पर काटे गए किसी कर, स्रोत पर संगृहीत किसी कर, संदत्त किसी अग्रिम कर, धारा 90 या धारा 90क के अधीन किसी करार के अधीन अनुज्ञेय किसी राहत या धारा 91 के अधीन अनुज्ञेय किसी राहत, अध्याय 8 के भाग क के अधीन अनुज्ञेय किसी रिबेट, स्वनिर्धारण पर संदत्त किसी कर और कर या ब्याज के रूप में अन्यथा संदत्त किसी रकम से खंड (ख) के अधीन संगणित कर और ब्याज, यदि कोई हो, के समायोजन के पश्चात् अवधारित की जाएगी ;

(घ) खंड (ग) के अधीन निर्धारिती द्वारा संदेय किए जाने के लिए अवधारित राशि या उसे देय प्रतिदाय की रकम विनिर्दिष्ट करते हुए एक सूचना तैयार या उत्पन्न की जाएगी और निर्धारिती को भेजी जाएगी; और

(ङ) खंड (ग) के अधीन अवधारण के अनुसरण में निर्धारिती को देय प्रतिदाय की रकम निर्धारिती को मंजूर की जाएगी:

परंतु सूचना निर्धारिती को ऐसे मामले में भी भेजी जाएगी जहां निर्धारिती द्वारा विवरणी में घोषित हानि समायोजित कर दी गई है किंतु उसके द्वारा कोई कर या ब्याज संदेय नहीं है या कोई प्रतिदाय उसे देय नहीं है:

परंतु यह और कि इस उपधारा के अधीन कोई सूचना उस वित्तीय वर्ष के अंत से एक वर्ष की समाप्ति के पश्चात् नहीं भेजी जाएगी जिसमें विवरणी दी गई है।

स्पष्टीकरण—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए,—

(क) "विवरणी में किसी सूचना से प्रकट गलत दावा" से ऐसा दावा अभिप्रेत है, जो विवरणी में किसी प्रविष्टि के आधार पर,—

(i) किसी ऐसी मद से संबंधित है जो ऐसी विवरणी में उसी या किसी अन्य मद की किसी अन्य प्रविष्टि से असंगत है;

(ii) जिसकी बाबत ऐसी प्रविष्टि को सिद्ध करने के लिए दी जाने के लिए अपेक्षित सूचना इस अधिनियम के अधीन इस प्रकार नहीं दी गई है; या

(iii) किसी कटौती की बाबत है जहां ऐसी कटौती विनिर्दिष्ट कानूनी सीमा से अधिक है जो धनीय रकम या प्रतिशत या अनुपात या उसके खंड के रूप में व्यक्त की गई होती;

(ख) विवरणी की अभिस्वीकृति उस दशा में सूचना समझी जाएगी जहां खंड (ग) के अधीन निर्धारिती द्वारा कोई राशि संदेय नहीं है या उसे प्रतिदेय नहीं है और जहां खंड (क) के अधीन कोई समायोजन नहीं किया गया है।

(1क) उपधारा (1) के अधीन विवरणियों पर कार्यवाही करने के प्रयोजनों के लेए, बोर्ड उक्त उपधारा के अधीन अपेक्षित रूप में निर्धारिती द्वारा संदेय कर या उसे

देय प्रतिदाय का शीघ्रता से अवधारण करने की दृष्टि से विवरणियों की कार्यवाहियों के केन्द्रीयकरण के लिए स्कीम बना सकेगा।

(1ख) जैसा अभिव्यक्त रूप से अन्यथा उपबंधित है उसके सिवाय, उपधारा (1क) के अधीन बनाई गई स्कीम को प्रभावी करने के प्रयोजन के लिए केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, यह निदेश दे सकेगी कि विवरणियों की कार्यवाही से संबंधित इस अधिनियम के कोई उपबंध लागू नहीं होंगे या ऐसे अपवादों, उपांतरणों और अनुकूलनों के साथ लागू होंगे जो उस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किए जाएं; तथापि, ऐसा कोई निदेश 31 मार्च, 2009 के पश्चात् जारी नहीं किया जाएगा।

(1ग) उपधारा (1ख) के अधीन जारी की गई प्रत्येक अधिसूचना, उपधारा (1क) के अधीन बनाई गई स्कीम के साथ, अधिसूचना जारी किए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखी जाएगी।';

(ख) उपधारा (2) के खंड (ii) में परंतुक के स्थान पर निम्नलिखित परंतुक रखा जाएगा, अर्थात्:—

"परंतु खंड (ii) के अधीन निर्धारिती पर किसी सूचना की तामील उस वित्तीय वर्ष के अंत से जिसमें विवरणी दी जाती है, छह मास के अवसान के पश्चात् नहीं की जाएगी।"।

धारा 147 का संशोधन।

33. आय-कर अधिनियम की धारा 147 में, परंतुक के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"परंतु यह और कि निर्धारण अधिकारी, उस आय से भिन्न, जिसमें ऐसे विषय अंतर्वलित हैं जो किसी अपील, निर्देश या पुनरीक्षण की विषय-वस्तु हैं, ऐसी आय का, जो कर से प्रभार्य है और निर्धारण से छूट गई है, निर्धारण या पुनः निर्धारण कर सकेगा।"।

धारा 151 का संशोधन।

34. आय-कर अधिनियम की धारा 151 की उपधारा (2) के पश्चात्, निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाएगा और 1 अक्तूबर, 1998 से अंतःस्थापित किया गया समझा जाएगा, अर्थात्:—

"**स्पष्टीकरण**—शंकाओं को दूर करने के लिए यह घोषित किया जाता है कि, यथास्थिति, संयुक्त आयुक्त, आयुक्त या मुख्य आयुक्त के लिए, धारा 148 के अधीन सूचना जारी करने के लिए मामले की उपयुक्तता के बारे में निर्धारण अधिकारी द्वारा अभिलिखित किए गए कारणों के आधार पर समाधान हो जाने के पश्चात्, स्वयं ऐसी सूचना जारी करना आवश्यक नहीं है।"।

धारा 153 का संशोधन।

35. आय-कर अधिनियम की धारा 153 की उपधारा (3) के पश्चात्,—

(क) निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी और 1 जून, 2003 से अंतःस्थापित की गई समझी जाएगी, अर्थात्:—

"(4) इस धारा, धारा 153क की उपधारा (2) और धारा 153ख की उपधारा (1) के पूर्वगामी उपबंधों में किसी बात के होते हुए भी, किसी निर्धारण वर्ष के संबंध में निर्धारण या पुनः निर्धारण का आदेश, जो धारा 153क की उपधारा (2) के अधीन पुनःप्रवर्तित हो गया है, ऐसे पुनःप्रवर्तन के मास के अंत से एक वर्ष के भीतर या इस धारा अथवा धारा 153ख की उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर, इनमें से जो भी पश्चात्वर्ती हो, किया जाएगा।";

(ख) स्पष्टीकरण 1 में,—

(i) परंतुक में, "उपधारा (2) और उपधारा (2क)" कोष्ठकों, अंकों, शब्द और अक्षर के स्थान पर, "उपधारा (2), उपधारा (2क) और उपधारा (4)" कोष्ठक, अंक, अक्षर और शब्द रखे जाएंगे और 1 जून, 2003 से रखे गए समझे जाएंगे;

(ii) परंतुक के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा और 1 जून, 2007 से अंतःस्थापित किया गया समझा जाएगा, अर्थात्:—

"परंतु यह और कि जहां समझौता आयोग के समक्ष किसी कार्यवाही का धारा 245जक के अधीन उपशमन हो जाता है वहां, यथास्थिति, निर्धारण, पुनः निर्धारण या पुनः संगणना का आदेश करने के लिए निर्धारण अधिकारी को इस धारा के अधीन उपलब्ध परिसीमा की अवधि, धारा 245जक की उपधारा (4) के अधीन अवधि के अपवर्जन के पश्चात्, एक वर्ष से कम की नहीं होगी ; और जहां परिसीमा की ऐसी अवधि एक वर्ष से कम है वहां वह एक वर्ष के लिए बढ़ाई गई समझी जाएगी; और धारा 149, धारा 153ख, धारा 154, धारा 155, धारा 158खड और धारा 231 के अधीन परिसीमा की अवधि का अवधारण करने के प्रयोजनों के लिए और, यथास्थिति, धारा 243 या धारा 244 या धारा 244क के अधीन ब्याज के संदाय के प्रयोजनों के लिए, यह परन्तुक भी तदनुसार लागू होगा।"।

धारा 153क का संशोधन।

36. आय-कर अधिनियम की धारा 153क को उसकी उपधारा (1) के रूप में पुनः संख्यांकित किया जाएगा और,—

(क) इस प्रकार पुनः संख्यांकित उपधारा (1) के दूसरे परंतुक में, "इस धारा में निर्दिष्ट" शब्दों के स्थान पर, "इस उपधारा में निर्दिष्ट" शब्द रखे जाएंगे और 1 जून, 2003 से रखे गए समझे जाएंगे;

(ख) इस प्रकार पुनः संख्यांकित उपधारा (1) के पश्चात् और स्पष्टीकरण से पूर्व निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा और 1 जून, 2003 से अंतःस्थापित किया गया समझा जाएगा, अर्थात्:—

"(2) यदि उपधारा (1) के अधीन आरंभ की गई कोई कार्यवाही या किया गया निर्धारण या पुनः निर्धारण का कोई आदेश अपील में या किसी अन्य विधिक कार्यवाही में बातिल कर दिया गया है तो, उपधारा (1) या धारा 153 में किसी बात के होते हुए भी, किसी निर्धारण वर्ष के संबंध में निर्धारण या पुनःनिर्धारण, जिसका उपधारा (1) के दूसरे परंतुक के अधीन उपशमन हो गया है, आयुक्त द्वारा ऐसे बातिलीकरण के आदेश की प्राप्ति की तारीख से पुनःप्रवर्तित हो जाएगा:

परंतु यदि बातिलीकरण का ऐसा आदेश अपास्त कर दिया जाता है तो ऐसा पुनःप्रवर्तन प्रभावी नहीं रहेगा।"।

धारा 153ख का संशोधन।

37. आय-कर अधिनियम की धारा 153ख की उपधारा (1) में, 1 जून, 2003 से,—

(i) खंड (क) में, "धारा 153क" शब्द, अंकों और अक्षर के स्थान पर, "धारा 153क की उपधारा (1)" शब्द, अंक, अक्षर और कोष्ठक रखे जाएंगे और रखे गए समझे जाएंगे;

(ii) स्पष्टीकरण में,—

(अ) खंड (vi) के पश्चात् और "अपवर्जित की जाएगी" शब्दों से पहले निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा और अंतःस्थापित किया गया समझा जाएगा, अर्थात्:—

"(vii) धारा 153क की उपधारा (2) में निर्दिष्ट निर्धारण या पुनः निर्धारण की किसी कार्यवाही या आदेश के बातिलीकरण की तारीख से प्रारंभ होने वाली और ऐसी तारीख तक की अवधि, जिसको आयुक्त को ऐसे बातिलीकरण के आदेश को अपास्त करने वाला आदेश प्राप्त होता है।";

(आ) परंतुक में, "इस धारा के खंड (क) या खंड (ख)" शब्दों, कोष्ठकों और अक्षरों के स्थान पर, "इस उपधारा के खंड (क) या खंड (ख)" शब्द, कोष्ठक और अक्षर रखे जाएंगे और रखे गए समझे जाएंगे।

धारा 153ग का संशोधन।

38. आय-कर अधिनियम की धारा 153ग की उपधारा (1) के परंतुक में "धारा 153क" शब्द, अंकों और अक्षर के स्थान पर, "धारा 153क की उपधारा (1)" शब्द, कोष्ठक, अंक और अक्षर रखे जाएंगे और 1 जून, 2003 से रखे गए समझे जाएंगे।

धारा 153घ का संशोधन।

39. आय-कर अधिनियम की धारा 153घ में "धारा 153क" शब्द, अंकों और अक्षर के स्थान पर, "धारा 153क की उपधारा (1)" शब्द, अंक, अक्षर और कोष्ठक रखे जाएंगे और 1 जून, 2007 से रखे गए समझे जाएंगे।

धारा 156 का संशोधन।

40. आय-कर अधिनियम की धारा 156 में निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"परंतु जहां धारा 143 की उपधारा (1) के अधीन निर्धारिती द्वारा संदाय किए जाने के लिए किसी राशि का अवधारण किया जाता है, वहां उस उपधारा के अधीन सूचना इस धारा के प्रयोजनों के लिए मांग की सूचना समझी जाएगी।"।

धारा 191 का संशोधन।

41. आय-कर अधिनियम की धारा 191 में स्पष्टीकरण के स्थान पर निम्नलिखित स्पष्टीकरण रखा जाएगा और 1 जून, 2003 से रखा गया समझा जाएगा, अर्थात्:—

"स्पष्टीकरण—शंकाओं को दूर करने के लिए यह घोषित किया जाता है कि यदि ऐसा कोई व्यक्ति जिसके अंतर्गत किसी कंपनी का प्रधान अधिकारी भी है,—

(क) जिससे इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार किसी राशि की कटौती करना अपेक्षित है; या

(ख) जो धारा 192 की उपधारा (1क) में निर्दिष्ट है और जो नियोजक है,

इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन यथा अपेक्षित संपूर्ण कर की या उसके किसी भाग की कटौती नहीं करता है अथवा इस प्रकार कटौती करने के पश्चात् संदाय करने में असफल रहता है या उसका संदाय नहीं करता है और जहां निर्धारिती भी ऐसे कर का सीधे संदाय करने में असफल रहा है वहां ऐसा व्यक्ति, ऐसे किन्हीं अन्य परिणामों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, जो वह उपगत करे, ऐसे कर की बाबत धारा 201 की उपधारा (1) के अर्थ के भीतर व्यतिक्रमी निर्धारिती समझा जाएगा।"।

धारा 193 का संशोधन।

42. आय-कर अधिनियम की धारा 193 के परंतुक के खंड (viii) के पश्चात् और स्पष्टीकरण से पूर्व निम्नलिखित खंड 1 जून, 2008 से अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"(ix) किसी कंपनी द्वारा जारी किसी प्रतिभूति पर, जहां ऐसी प्रतिभूति डिमैटिरियलाइज्ड रूप में है और प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार भारत में किसी मान्यताप्राप्त स्टाक एक्सचेंज में सूचीबद्ध है, संदेय कोई ब्याज।"। 1956 का 42

धारा 194ग का संशोधन।

43. आय-कर अधिनियम की धारा 194ग की उपधारा (1) के खंड (ट) में, "हिंदु अविभक्त कुटुंब" शब्दों के पश्चात्, "या कोई व्यक्ति संगम या व्यष्टि निकाय, चाहे निगमित हो या नहीं, उनसे भिन्न जो पूर्ववर्ती खंडों में से किसी के अधीन आते हैं" शब्द 1 जून, 2008 से अंतःस्थापित किए जाएंगे।

धारा 195 का संशोधन।

44. आय-कर अधिनियम की धारा 195 की उपधारा (5) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

"(6) उपधारा (1) में निर्दिष्ट व्यक्ति किसी राशि के संदाय से संबंधित जानकारी ऐसे प्ररूप में और ऐसी रीति में देगा, जो बोर्ड द्वारा विहित की जाए।"।

धारा 199 के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन।

45. आय-कर अधिनियम की धारा 199 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात्:—

कटौती किए गए कर के लिए मुजरा।

"199. (1) ऐसी कोई कटौती, जो इस अध्याय के पूर्वगामी उपबंधों के अनुसार की गई है और केन्द्रीय सरकार को संदत्त की गई है, यथास्थिति, उस व्यक्ति की ओर से, जिसकी आय से कटौती की गई थी या प्रतिभूति के स्वामी या निक्षेपकर्ता या संपत्ति के स्वामी या यूनिटधारक अथवा शेयरधारक की ओर से कर का संदाय समझी जाएगी।

(2) ऐसी कोई राशि, जो धारा 192 की उपधारा (1क) में निर्दिष्ट है और जिसका केन्द्रीय सरकार को संदाय कर दिया गया है, ऐसे व्यक्ति की ओर से, जिसकी आय की बाबत कर का ऐसा संदाय किया गया है, संदत्त कर समझी जाएगी।

(3) बोर्ड, इस अध्याय के उपबंधों के निबंधनानुसार कटौती किए गए कर या संदत्त कर की बाबत मुजरा देने के प्रयोजनों के लिए, ऐसे नियम बना सकेगा, जो आवश्यक हों, जिनके अंतर्गत उपधारा (1) और उपधारा (2) में निर्दिष्ट व्यक्ति से भिन्न किसी व्यक्ति को और उस निर्धारण वर्ष के संबंध भी, जिसके लिए ऐसा मुजरा दिया जा सकेगा, मुजरा देने के प्रयोजनों के लिए नियम भी हैं।"।

धारा 201 का संशोधन।

46. आय-कर अधिनियम की धारा 201 की उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी और 1 जून, 2002 से रखी गई समझी जाएगी, अर्थात्:—

"(1) जहां ऐसा कोई व्यक्ति, जिसके अंतर्गत किसी कंपनी का प्रधान अधिकारी भी है,—

(क) जिससे इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार किसी राशि की कटौती करना अपेक्षित है; या

(ख) जो धारा 192 की उपधारा (1क) में निर्दिष्ट है और जो नियोजक है,

इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन यथा अपेक्षित संपूर्ण कर की या उसके किसी भाग की कटौती नहीं करता है या उसका संदाय नहीं करता है अथवा इस प्रकार कटौती करने के पश्चात् संदाय करने में असफल रहता है वहां ऐसा व्यक्ति, ऐसे किन्हीं अन्य परिणामों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, जो वह उपगत करे, ऐसे कर की बाबत व्यतिक्रमी निर्धारिती समझा जाएगा:

परंतु ऐसे व्यक्ति से धारा 221 के अधीन ऐसी कोई शास्ति तब तक प्रभारित नहीं की जाएगी जब तक निर्धारण अधिकारी का यह समाधान नहीं हो जाता है कि ऐसा व्यक्ति, ऐसे कर की कटौती करने और उसका संदाय करने में, ठोस और पर्याप्त कारणों के बिना, असफल रहा है।"।

धारा 203 का संशोधन।

47. आय-कर अधिनियम की धारा 203 की उपधारा (3) में, "1 अप्रैल, 2008" अंकों और शब्द के स्थान पर, "1 अप्रैल, 2010" अंक और शब्द रखे जाएंगे।

धारा 206ग का संशोधन।

48. आय-कर अधिनियम की धारा 206ग में,—

(क) उपधारा (4) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात्:—

"(4) इस धारा के उपबंधों के अनुसार संगृहीत और केन्द्रीय सरकार के खाते में संदत्त कोई रकम उस व्यक्ति की ओर से कर का संदाय समझी जाएगी, जिससे रकम संगृहीत की गई है और ऐसे व्यक्ति को किसी विशिष्ट निर्धारण वर्ष में इस प्रकार संगृहीत रकम के लिए ऐसे नियमों के अनुसार, जो समय-समय पर बोर्ड द्वारा विहित किए जाएं, मुजरा दिया जाएगा।";

(ख) उपधारा (5) के पहले परंतुक में, "1 अप्रैल, 2008" अंकों और शब्द के स्थान पर, "1 अप्रैल, 2010" अंक और शब्द रखे जाएंगे।

धारा 251 का संशोधन।

49. आय–कर अधिनियम की धारा 251 की उपधारा (1) में खंड (क) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"(कक) निर्धारण आदेश के विरुद्ध किसी अपील में, जिसकी बाबत समझौता आयोग के समक्ष धारा 245जक के अधीन कार्यवाही का उपशमन किया जाता है, वह पूर्व में निर्धारिती द्वारा प्रस्तुत की गई सभी सामग्री और अन्य सूचना या समझौता आयोग द्वारा उसके समक्ष कार्यवाही के प्रक्रम में की गई जांच के परिणामों या अभिलिखित किए गए साक्ष्य और ऐसी अन्य सामग्री पर विचार करने के पश्चात्, जो उसके अभिलेख में लाई जाएं, निर्धारण की पुष्टि कर सकेगा, उसे घटा, बढ़ा, या रद्द कर सकेगा।"।

धारा 254 का संशोधन।

50. आय-कर अधिनियम की धारा 254 की उपधारा (2क) के तीसरे परंतुक के स्थान पर निम्नलिखित परंतुक 1 अक्तूबर, 2008 से रखा जाएगा, अर्थात्:—

"परंतु यह भी कि यदि ऐसी अपील का पहले परंतुक के अधीन अनुज्ञात अवधि या दूसरे परंतुक के अधीन विस्तारित या अनुज्ञात अवधि या अवधियों के भीतर, जो किसी भी दशा में तीन सौ पैंसठ दिन से अधिक की नहीं होंगी, इस प्रकार निपटारा नहीं किया जाता है तो रोक आदेश ऐसी अवधि या अवधियों की समाप्ति के पश्चात् इस प्रकार बातिल हो जाएगा चाहे अपील का निपटारा करने में विलंब निर्धारिती की ओर से नहीं हुआ हो।"।

नई धारा 268क का अंतःस्थापन।

51. आय-कर अधिनियम की धारा 268 के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी और 1 अप्रैल, 1999 से अंतःस्थापित की गई समझी जाएगी, अर्थात्:—

आय-कर प्राधिकारी द्वारा अपील या निर्देश के लिए आवेदन का फाइल किया जाना।

"268क. (1) बोर्ड, समय-समय पर, इस अध्याय के उपबंधों के अधीन किसी आय-कर प्राधिकारी द्वारा अपील या निर्देश के लिए आवेदन के फाइल किए जाने को विनियमित करने के प्रयोजन के लिए, ऐसी धनीय सीमाएं नियत करते हुए, जो वह ठीक समझे, अन्य आय-कर प्राधिकारियों को आदेश, अनुदेश या निर्देश जारी कर सकेगा।

(2) जहां उपधारा (1) के अधीन जारी किए गए आदेशों, अनुदेशों या निर्देशों के अनुसरण में, किसी आय-कर प्राधिकारी ने किसी निर्धारण वर्ष के संबंध में किसी निर्धारिती के मामले में किसी विवाद्यक के संबंध में, कोई अपील या निर्देश के लिए आवेदन फाइल नहीं किया है तो इससे ऐसा प्राधिकारी,—

(क) किसी अन्य निर्धारण वर्ष के लिए उसी निर्धारिती के ; या

(ख) उसी या किसी अन्य निर्धारण वर्ष के लिए किसी अन्य निर्धारिती के,

मामले में उसी विवाद्यक पर कोई अपील या निर्देश के लिए आवेदन फाइल करने से निवारित नहीं होगा।

(3) इस बात के होते हुए भी कि उपधारा (1) के अधीन जारी किए गए आदेशों या अनुदेशों या निर्देशों के अनुसरण में किसी आय-कर प्राधिकारी द्वारा कोई अपील या निर्देश के लिए आवेदन फाइल नहीं किया गया है, किसी निर्धारिती के लिए, जो किसी अपील या निर्देश में पक्षकार है, यह विधिपूर्ण नहीं होगा कि वह इस बात का प्रतिवाद करे कि आय-कर प्राधिकारी ने किसी मामले में अपील या निर्देश के लिए आवेदन फाइल न करके विवादग्रस्त विवाद्यक पर विनिश्चय में उपमति दी है।

(4) ऐसी अपील या निर्देश की सुनवाई करने वाला अपील अधिकरण या न्यायालय उपधारा (1) के अधीन जारी आदेशों, अनुदेशों या निर्देशों और उन परिस्थितियों का ध्यान रखेगा जिनके अधीन किसी मामले की बाबत ऐसी अपील या निर्देश के लिए आवेदन फाइल किया गया था या नहीं किया गया था।

(5) ऐसे प्रत्येक आदेश, अनुदेश या निर्देश को, जो बोर्ड द्वारा किसी अपील या निर्देश के लिए आवेदन को फाइल करने के संबंध में धनीय सीमाओं को नियत करने के लिए जारी किया गया है, उपधारा (1) के अधीन जारी किया गया समझा जाएगा और उपधारा (2), उपधारा (3) और उपधारा (4) के उपबंध तद्नुसार लागू होंगे।"।

धारा 271 का संशोधन।

52. आय-कर अधिनियम की धारा 271 की उपधारा (1क) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी और 1 अप्रैल, 1989 से अंतःस्थापित की गई समझी जाएगी, अर्थात्:—

"(1ख) जहां निर्धारण या पुनः निर्धारण के किसी आदेश में किसी निर्धारिती की कुल आय या हानि की संगणना करने में कोई रकम जोड़ी या अननुज्ञात की जाती है और उक्त आदेश में उपधारा (1) के खंड (ग) के अधीन शास्ति की कार्यवाहियां आरंभ किए जाने का निर्देश अंतर्विष्ट है, वहां निर्धारण या पुनः निर्धारण के ऐसे आदेश के बारे में यह समझा जाएगा कि वह उक्त खंड (ग) के अधीन शास्ति की कार्यवाहियां आरंभ किए जाने के लिए निर्धारण अधिकारी के समाधान का गठन करता है।"।

नई धारा 273कक का अंतःस्थापन।

53. आय-कर अधिनियम की धारा 273क के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

शास्ति से उन्मुक्ति देने की आयुक्त की शक्ति।

"273कक. (1) कोई व्यक्ति शास्ति से उन्मुक्ति देने के लिए आयुक्त को आवेदन कर सकेगा, यदि,—

(क) उसने धारा 245ग के अधीन समझौते के लिए आवेदन किया है और समझौते की कार्यवाहियों का धारा 245जक के अधीन उपशमन हो गया है;

(ख) इस अधिनियम के अधीन शास्ति की कार्यवाहियां आरंभ कर दी गई हैं।

(2) उपधारा (1) के अधीन आयुक्त को आवेदन उपशमन के पश्चात् शास्ति के अधिरोपण के पश्चात् नहीं किया जाएगा।

(3) आयुक्त ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो वह अधिरोपित करना ठीक समझे, उस व्यक्ति को इस अधिनियम के अधीन किसी शास्ति के अधिरोपण से उन्मुक्ति प्रदान कर सकेगा, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि उस व्यक्ति ने उपशमन के पश्चात् आय-कर प्राधिकारी को उसके समक्ष कार्यवाहियों में सहयोग किया है और अपनी आय और उस रीति का, जिसमें ऐसी आय व्युत्पन्न की गई है, पूर्ण और सही प्रकटन किया है।

(4) उपधारा (3) के अधीन किसी व्यक्ति को दी गई उन्मुक्ति वापस ले ली जाएगी, यदि ऐसा व्यक्ति ऐसी किसी शर्त का पालन करने में असफल रहता है, जिसके अधीन रहते हुए उन्मुक्ति प्रदान की गई थी और तत्पश्चात् इस अधिनियम के उपबंध इस प्रकार लागू होंगे मानो ऐसी उन्मुक्ति प्रदान नहीं की गई हो।

(5) उपधारा (3) के अधीन किसी व्यक्ति को प्रदान की गई उन्मुक्ति आयुक्त द्वारा किसी समय वापस ली जा सकेगी, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि उस व्यक्ति ने उपशमन के पश्चात् किन्हीं कार्यवाहियों के दौरान आय-कर प्राधिकारी से निर्धारण के लिए सारवान् किन्हीं विशिष्टियों को छिपाया था या मिथ्या साक्ष्य दिया था तथा तत्पश्चात् ऐसा व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन ऐसी किसी शास्ति के अधिरोपण के लिए दायी हो जाएगा, जिसके लिए ऐसा व्यक्ति तब दायी होता यदि ऐसी उन्मुक्ति प्रदान न की गई होती।"।

नई धारा 278कख का अंतःस्थापन।

54. आय-कर अधिनियम की धारा 278कक के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

अभियोजन से उन्मुक्ति देने की आयुक्त की शक्ति।

"278कख. (1) कोई व्यक्ति अभियोजन से उन्मुक्ति देने के लिए आयुक्त को आवेदन कर सकेगा, यदि उसने धारा 245ग के अधीन समझौते के लिए आवेदन किया है और समझौते की कार्यवाहियों का धारा 245जक के अधीन उपशमन हो गया है।

(2) उपधारा (1) के अधीन आयुक्त को आवेदन उपशमन के पश्चात् अभियोजन कार्यवाहियों के संस्थापन के पश्चात् नहीं किया जाएगा।

(3) आयुक्त ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो वह अधिरोपित करना ठीक समझे, उस व्यक्ति को इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के लिए अभियोजन से उन्मुक्ति प्रदान कर सकेगा, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि उस व्यक्ति ने, उपशमन के पश्चात्, आय-कर प्राधिकारी को उसके समक्ष कार्यवाहियों में सहयोग किया है और अपनी आय और उस रीति का, जिसमें ऐसी आय व्युत्पन्न की गई है, पूर्ण और सही प्रकटन किया है:

परंतु जहां धारा 245ग के अधीन समझौते के लिए आवेदन 1 जून, 2007 के पूर्व किया गया था वहां आयुक्त इस अधिनियम के अधीन या भारतीय दंड संहिता के अधीन 1860 का 45
या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य केंद्रीय अधिनियम के अधीन किसी अपराध के लिए अभियोजन से उन्मुक्ति प्रदान कर सकेगा।

(4) उपधारा (3) के अधीन किसी व्यक्ति को दी गई उन्मुक्ति वापस ले ली जाएगी यदि ऐसा व्यक्ति ऐसी किसी शर्त का पालन करने में असफल रहता है, जिसके अधीन रहते हुए उन्मुक्ति प्रदान की गई थी और तत्पश्चात् इस अधिनियम के उपबंध इस प्रकार लागू होंगे मानो ऐसी उन्मुक्ति प्रदान नहीं की गई हो।

(5) उपधारा (3) के अधीन किसी व्यक्ति को प्रदान की गई उन्मुक्ति आयुक्त द्वारा किसी समय वापस ली जा सकेगी, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि उस व्यक्ति ने उपशमन के पश्चात् किन्हीं कार्यवाहियों के दौरान आय-कर प्राधिकारी से निर्धारण के लिए सारवान् किन्हीं विशिष्टियों को छिपाया था या मिथ्या साक्ष्य दिया था और तत्पश्चात् ऐसे व्यक्ति का ऐसे अपराध के लिए, जिसके संबंध में उन्मुक्ति प्रदान की गई थी या ऐसे किसी अन्य अपराध के संबंध में विचारण किया जा सकेगा, जिसके बारे में वह कार्यवाहियों के संबंध में दोषी रहा प्रतीत होता हो।"।

धारा 282क का :स्थापन ।

55. आय-कर अधिनियम की धारा 282 के पश्चात्, निम्नलिखित धारा 1 जून, 2008 से अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

नाओं और अन्य तावेजों का धेप्रमाणन।

"282क. (1) जहां इस अधिनियम में यह अपेक्षित है कि किसी आय-कर प्राधिकारी द्वारा सूचना या अन्य दस्तावेज जारी किए जाने चाहिएं, वहां ऐसी सूचना या अन्य दस्तावेज पर उस प्राधिकारी द्वारा हस्तलेख में हस्ताक्षर किया जाएगा।

(2) किसी आय-कर प्राधिकारी द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए जारी की जाने, तामील की जाने या दी जाने वाली प्रत्येक सूचना या अन्य दस्तावेज, यदि अभिहित आय-कर प्राधिकारी का नाम और पद उस पर मुद्रित, स्टांपित अथवा अन्यथा लिखित है, तो अधिप्रमाणित किया गया समझा जाएगा।

(3) इस धारा के प्रयोजनों के लिए, अभिहित आय-कर प्राधिकारी से उपधारा (2) में यथा उपबंधित रीति से अधिप्रमाणन के पश्चात् ऐसी सूचना या अन्य दस्तावेज जारी करने, तामील करने या देने के लिए बोर्ड द्वारा प्राधिकृत कोई आय-कर प्राधिकारी अभिप्रेत है।"।

धारा 292खख अंतःस्थापन ।

56. आय-कर अधिनियम की धारा 292ख के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

ना का कतिपय लों में विधिमान्य ना जाना ।

"292खख. जहां कोई निर्धारिती किसी निर्धारण या पुनः निर्धारण से संबंधित किसी कार्यवाही में उपसंजात हो गया है या उसने जांच में सहयोग किया है वहां यह समझा जाएगा कि इस अधिनियम के किसी उपबंध के अधीन कोई सूचना, जिसकी उस पर तामील की जानी अपेक्षित है, इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार समय के भीतर, उस पर सम्यक् रूप से तामील हो गई है और ऐसा निर्धारिती इस अधिनियम के अधीन किसी कार्यवाही या जांच में ऐसी कोई आपत्ति करने से प्रवारित होगा कि सूचना की,—

(क) उस पर तामील नहीं की गई थी; या

(ख) समय के भीतर उस पर तामील नहीं की गई थी; या

(ग) उस पर अनुचित तरीके से तामील की गई थी :

परंतु इस धारा की कोई बात वहां लागू नहीं होगी जहां निर्धारिती ने ऐसे निर्धारण या पुनःनिर्धारण के पूरा होने से पूर्व ऐसी आपत्ति की है।"।

292ग का न।

57. आय-कर अधिनियम की धारा 292ग को उसकी उपधारा (1) के रूप में पुनः संख्यांकित किया जाएगा, और,—

(क) इस प्रकार पुनः संख्यांकित उपधारा (1) में, "धारा 132 के अधीन किसी तलाशी" शब्दों और अंकों के पश्चात्, "या धारा 133क के अधीन सर्वेक्षण" शब्द, अंक और अक्षर अंतःस्थापित किए जाएंगे और 1 जून, 2002 से अंतःस्थापित किए गए समझे जाएंगे;

(ख) इस प्रकार पुनः संख्यांकित उपधारा (1) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी और 1 अक्तूबर, 1975 से अंतःस्थापित की गई समझी जाएगी, अर्थात्:—

"(2) जहां कोई लेखा बहियां, अन्य दस्तावेज या आस्तियां धारा 132क के उपबंधों के अनुसार अध्यपेक्षा करने वाले अधिकारी को परिदत्त कर दी गई हैं वहां उपधारा (1) के उपबंध इस प्रकार लागू होंगे मानो ऐसी लेखा बहियां, अन्य दस्तावेज या आस्तियां, जिन्हें धारा 132क की उपधारा (1) के, यथास्थिति, खंड (क) या खंड (ख) या खंड (ग) में निर्दिष्ट व्यक्ति से अभिरक्षा में लिया गया था, धारा 132 के अधीन किसी तलाशी के दौरान उस व्यक्ति के कब्जे या नियंत्रण में पाई गई थी ।"।

धारा 295 का संशोधन।

58. आय-कर अधिनियम की धारा 295 की उपधारा (2) में, खंड (च) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"(चक) वह प्ररूप और रीति, जिसमें धारा 195 की उपधारा (6) के अधीन किसी राशि के संदाय से संबंधित जानकारी दी जा सकेगी;"।

चतुर्थ अनुसूची का संशोधन।

59. आय-कर अधिनियम की चतुर्थ अनुसूची के भाग क के नियम 3 के उपनियम (1) के पहले परंतुक में, "31 मार्च, 2008" शब्द और अंकों के स्थान पर, "31 मार्च, 2009" शब्द और अंक रखे जाएंगे ।

धन-कर

धारा 17 का संशोधन

60. धन-कर अधिनियम की धारा 17 में,—

(क) उपधारा (1) के दूसरे परंतुक के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"परंतु यह भी कि निर्धारण अधिकारी, उस शुद्ध धन से जो किसी अपील, निर्देश या पुनरीक्षण की विषय-वस्तु है, भिन्न, ऐसे शुद्ध धन का, जो कर से प्रभार्य है और निर्धारण से छूट गया है, निर्धारण या पुनः निर्धारण कर सकेगा।";

(ख) उपधारा (1ख) के खंड (ख) के पश्चात्, निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाएगा, और 1 अक्तूबर, 1998 से अंतःस्थापित किया गया समझा जाएगा, अर्थात्:—

"स्पष्टीकरण—शंकाओं को दूर करने के लिए यह घोषित किया जाता है कि, यथास्थिति, संयुक्त आयुक्त, आयुक्त या मुख्य आयुक्त के लिए सूचना जारी करने के लिए मामले की उपयुक्तता के बारे में निर्धारण अधिकारी द्वारा, अभिलिखित किए गए कारणों के आधार पर समाधान हो जाने के पश्चात्, स्वयं ऐसी सूचना जारी करना आवश्यक नहीं है।"।

धारा 17क का संशोधन।

61. धन-कर अधिनियम की धारा 17क की उपधारा (4) के पश्चात् स्पष्टीकरण 1 के परंतुक के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा और 1 जून, 2007 से अंतःस्थापित किया गया समझा जाएगा, अर्थात्:—

"परंतु यह और कि जहां समझौता आयोग के समक्ष किसी कार्यवाही का धारा 22जक के अधीन उपशमन हो जाता है वहां, यथास्थिति, निर्धारण या पुनःनिर्धारण का आदेश करने के लिए निर्धारण अधिकारी को उपलब्ध इस धारा में निर्दिष्ट परिसीमा की अवधि, धारा 22जक की उपधारा (4) के अधीन अवधि के अपवर्जन के पश्चात्, एक वर्ष से कम की नहीं होगी ; और जहां परिसीमा की ऐसी अवधि एक वर्ष से कम की है वहां उसे एक वर्ष के लिए बढ़ाया गया समझा जाएगा।"।

धारा 18 का संशोधन।

62. धन-कर अधिनियम की धारा 18 की उपधारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी और 1 अप्रैल, 1989 से अंतःस्थापित की गई समझी जाएगी, अर्थात्:—

"(1क) जहां निर्धारण या पुनः निर्धारण के किसी आदेश में किसी निर्धारिती के शुद्ध धन की संगणना करने में कोई रकम जोड़ी या अननुज्ञात की जाती है और उक्त आदेश में उपधारा (1) के खंड (ग) के अधीन शास्ति की कार्यवाहियां आरंभ किए जाने के लिए

निर्देश अंतर्विष्ट है वहां निर्धारण या पुनः निर्धारण के ऐसे आदेश के बारे में यह समझा जाएगा कि वह उक्त खंड (ग) के अधीन शास्ति की कार्यवाहियां आरंभ करने के लिए निर्धारण अधिकारी के समाधान का गठन करता है।"।

नई धारा 18खक का अंतःस्थापन।

63. धन-कर अधिनियम की धारा 18ख के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

शास्ति से उन्मुक्ति देने की आयुक्त की शक्ति।

"18खक. (1) कोई व्यक्ति शास्ति से उन्मुक्ति देने के लिए आयुक्त को आवेदन कर सकेगा, यदि,—

(क) उसने धारा 22ग के अधीन समझौते के लिए आवेदन किया है और समझौते की कार्यवाहियों का धारा 22जक के अधीन उपशमन हो गया है;

(ख) इस धारा के अधीन शास्ति की कार्यवाहियां आरंभ कर दी गई हैं।

(2) उपधारा (1) के अधीन आयुक्त को आवेदन उपशमन के पश्चात् शास्ति के अधिरोपण के पश्चात् नहीं किया जाएगा।

(3) आयुक्त, ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो वह अधिरोपित करना ठीक समझे, उस व्यक्ति को इस अधिनियम के अधीन किसी शास्ति के अधिरोपण से उन्मुक्ति प्रदान कर सकेगा, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि उस व्यक्ति ने, उपशमन के पश्चात्, धन-कर प्राधिकारी को उसके समक्ष कार्यवाहियों में सहयोग किया है और अपने शुद्ध धन और उस रीति का, जिसमें ऐसा शुद्ध धन व्युत्पन्न किया गया है, पूर्ण और सही प्रकटन किया है।

(4) उपधारा (3) के अधीन किसी व्यक्ति को दी गई उन्मुक्ति वापस ले ली जाएगी, यदि ऐसा व्यक्ति ऐसी किसी शर्त का पालन करने में असफल रहता है, जिसके अधीन उन्मुक्ति प्रदान की गई थी और तत्पश्चात् इस अधिनियम के उपबंध इस प्रकार लागू होंगे मानो ऐसी उन्मुक्ति प्रदान नहीं की गई हो।

(5) उपधारा (3) के अधीन किसी व्यक्ति को प्रदान की गई उन्मुक्ति आयुक्त द्वारा किसी समय वापस ली जा सकेगी, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि उस व्यक्ति ने उपशमन के पश्चात् किन्हीं कार्यवाहियों के दौरान धन-कर प्राधिकारी से निर्धारण के लिए सारवान् किन्हीं विशिष्टियों को छिपाया था या मिथ्या साक्ष्य दिया था तथा तत्पश्चात् ऐसा व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन ऐसी किसी शास्ति के अधिरोपण के लिए दायी हो जाएगा, जिसके लिए ऐसा व्यक्ति तब दायी होता यदि ऐसी उन्मुक्ति प्रदान न की गई होती।"।

धारा 23क का संशोधन।

64. धन कर अधिनियम की धारा 23क की उपधारा (9) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी अर्थात्:—

"(9क) निर्धारण आदेश के विरुद्ध ऐसी किसी अपील का निपटारा करने में, जिसकी बाबत समझौता आयोग के समक्ष कार्यवाही का धारा 22जक के अधीन उपशमन किया जाता है, वह पूर्व में निर्धारिती द्वारा प्रस्तुत की गई सभी सामग्री और अन्य सूचना या समझौता आयोग द्वारा उसके समक्ष कार्यवाही के प्रक्रम में की गई जांच के परिणामों या अभिलिखित किए गए साक्ष्य और ऐसी अन्य सामग्री पर विचार करने के पश्चात्, जो उसके अभिलेख में लाई जाएं, निर्धारण की पुष्टि कर सकेगा, उसे घटा, बढ़ा या रद्द कर सकेगा।"।

धारा 35छक का अंतःस्थापन।

65. धन-कर अधिनियम की धारा 35छ के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

अभियोजन से उन्मुक्ति देने की आयुक्त की शक्ति।

"35छक. (1) कोई व्यक्ति अभियोजन से उन्मुक्ति देने के लिए आयुक्त को आवेदन कर सकेगा, यदि उसने धारा 22ग के अधीन समझौते के लिए आवेदन किया है और समझौते की कार्यवाहियों का धारा 22जक के अधीन उपशमन हो गया है।

(2) उपधारा (1) के अधीन आयुक्त को आवेदन उपशमन के पश्चात् अभियोजन कार्यवाहियों के संस्थित किए जाने के पश्चात् नहीं किया जाएगा।

(3) आयुक्त, ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो वह अधिरोपित करना ठीक समझे, उस व्यक्ति को इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के लिए अभियोजन से उन्मुक्ति प्रदान कर सकेगा, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि उस व्यक्ति ने उपशमन के पश्चात् धन-कर प्राधिकारी को उसके समक्ष कार्यवाहियों में सहयोग किया है और अपने शुद्ध धन और उस रीति का, जिसमें ऐसा शुद्ध धन व्युत्पन्न किया गया है, पूर्ण और सही प्रकटन किया है:

परंतु जहां धारा 22ग के अधीन समझौते के लिए आवेदन 1 जून, 2007 के पूर्व किया गया था वहां आयुक्त इस अधिनियम के अधीन या भारतीय दंड संहिता के अधीन या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य केंद्रीय अधिनियम के अधीन किसी अपराध के लिए अभियोजन से उन्मुक्ति प्रदान कर सकेगा। 1860 का 45

(4) उपधारा (3) के अधीन किसी व्यक्ति को दी गई उन्मुक्ति वापस ले ली जाएगी यदि ऐसा व्यक्ति ऐसी किसी शर्त का पालन करने में असफल रहता है, जिसके अधीन रहते हुए उन्मुक्ति प्रदान की गई थी और तत्पश्चात् इस अधिनियम के उपबंध इस प्रकार लागू होंगे मानो ऐसी उन्मुक्ति प्रदान नहीं की गई हो ।

(5) उपधारा (3) के अधीन किसी व्यक्ति को प्रदान की गई उन्मुक्ति आयुक्त द्वारा किसी समय वापस ली जा सकेगी, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि उस व्यक्ति ने उपशमन के पश्चात् किन्हीं कार्यवाहियों के दौरान धन-कर प्राधिकारी से निर्धारण के लिए सारवान् किन्हीं विशिष्टियों को छिपाया था या मिथ्या साक्ष्य दिया था और तत्पश्चात् ऐसे व्यक्ति का ऐसे अपराध के लिए, जिसके संबंध में उन्मुक्ति प्रदान की गई थी या ऐसे किसी अन्य अपराध के संबंध में विचारण किया जा सकेगा, जिसके बारे में वह किन्हीं कार्यवाहियों के संबंध में दोषी रहा प्रतीत होता हो ।"।

नई धारा 42 का अंतःस्थापन।

66. धन-कर अधिनियम की धारा 41 के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

कतिपय परिस्थितियों में सूचना का विधिमान्य समझा जाना।

"42. जहां कोई निर्धारिती निर्धारण या पुनःनिर्धारण से संबंधित किसी कार्यवाही में उपसंजात हो गया है या उसमें जांच सहयोग की है वहां यह समझा जाएगा कि इस अधिनियम के किसी उपबंध के अधीन कोई सूचना, जिसकी उस पर तामील की जानी अपेक्षित है, इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार समय के भीतर उस पर सम्यक् रूप से तामील हो गई है और ऐसा निर्धारिती इस अधिनियम के अधीन किसी कार्यवाही या जांच में ऐसी कोई आपत्ति करने से प्रवारित होगा कि सूचना की,—

(क) उस पर तामील नहीं की गई थी ; या

(ख) समय के भीतर उस पर तामील नहीं की गई थी ; या

(ग) उस पर अनुचित तरीके से तामील की गई थी:

परंतु इस धारा की कोई बात वहां लागू नहीं होगी जहां निर्धारिती ने ऐसे निर्धारण या पुनःनिर्धारण के पूरा होने से पूर्व ऐसी आपत्ति की है।"।

धारा 42घ का संशोधन।

67. धन-कर अधिनियम की धारा 42घ को उसकी उपधारा (1) के रूप में पुनःसंख्यांकित किया जाएगा और इस प्रकार पुनःसंख्यांकित उपधारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी और 1 अक्तूबर, 1975 से अंतःस्थापित की गई समझी जाएगी, अर्थात्:—

"(2) जहां कोई लेखा बहियां, अन्य दस्तावेज या आस्तियां धारा 37ख के उपबंधों के अनुसार अध्यपेक्षा करने वाले अधिकारी को परिदत्त कर दी गई हैं वहां उपधारा (1) के उपबंध इस प्रकार लागू होंगे मानो ऐसी लेखा बहियां, अन्य दस्तावेज या आस्तियां, जिन्हें धारा 37ख की उपधारा (1) के, यथास्थिति, खंड (क) या खंड (ख) या खंड (ग) में निर्दिष्ट व्यक्ति से अभिरक्षा में लिया गया था, धारा 37क के अधीन किसी तलाशी के दौरान उस व्यक्ति के कब्जे या नियंत्रण में पाई गई थीं।"।

अध्याय 4

अप्रत्यक्ष कर

सीमाशुल्क

धारा 28ख का संशोधन।

68. सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की (जिसे इसमें इसके पश्चात् सीमाशुल्क अधिनियम कहा गया है) धारा 28ख में,— 1962 का 52

(i) उपधारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

''(1क) ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जिसने किसी व्यक्ति से किसी रीति में किसी माल पर निर्धारित या अवधारित शुल्क से अधिक कोई रकम संगृहीत या संदत्त की है या ऐसे किसी माल पर, जो पूर्णतया शुल्क से छूट प्राप्त है या शून्य दर पर प्रभार्य है, सीमाशुल्क के रूप में कोई रकम संगृहीत की है इस प्रकार संगृहीत रकम का, केन्द्रीय सरकार के खाते में तुरंत संदाय करेगा ।'';

(ii) उपधारा (2) में ''उपधारा (1)'' शब्द, कोष्ठकों और अंक के स्थान पर, '', यथास्थिति, उपधारा (1) या उपधारा (1क)'' शब्द, कोष्ठक, अंक और अक्षर रखे जाएंगे;

(iii) उपधारा (4) में,—

(क) ''उपधारा (1) या उपधारा (3)'' शब्दों, कोष्ठकों और अंकों के स्थान पर, '', यथास्थिति, उपधारा (1) या उपधारा (1क) या उपधारा (3)'' शब्द, कोष्ठक, अंक और अक्षर रखे जाएंगे;

(ख) ''उपधारा (1)'' शब्द, कोष्ठकों और अंक के स्थान पर, ''उपधारा (1) और उपधारा (1क)'' शब्द, कोष्ठक, अंक और अक्षर रखे जाएंगे ।

धारा 108 का संशोधन।

69. सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 108 की उपधारा (1) में, ''केंद्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त सम्यक् रूप से सशक्त किए गए'' शब्दों का लोप किया जाएगा और 13 जुलाई, 2006 से लोप किया गया समझा जाएगा ।

धारा 117 का संशोधन।

70. सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 117 में, ''दस हजार रुपए'' शब्दों के स्थान पर, ''एक लाख रुपए'' शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 129क का संशोधन।

71. सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 129क की उपधारा (2) में, निम्नलिखित परंतुक और स्पष्टीकरण अंत में अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:—

'परंतु जहां सीमाशुल्क के आयुक्तों की समिति की राय आयुक्त (अपील) के आदेश के विरुद्ध अपील के संबंध में भिन्न है, वहां वह ऐसे प्रश्न या प्रश्नों को कथित करेगी, जिन पर उनकी राय भिन्न है और सीमाशुल्क के अधिकारिता संबंधी मुख्य आयुक्त को निर्देश करेगी, जो आदेश के तथ्यों पर विचार करने के पश्चात्, यदि उसकी यह राय है कि आयुक्त (अपील) द्वारा पारित किया गया आदेश वैध या उचित नहीं है तो समुचित अधिकारी को ऐसे आदेश के विरुद्ध अपील अधिकरण में अपील करने का निदेश देगा ।

स्पष्टीकरण—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, ''अधिकारिता संबंधी मुख्य आयुक्त'' से वह सीमाशुल्क मुख्य आयुक्त अभिप्रेत है जिसकी उस विषय में न्यायनिर्णायक प्राधिकारी पर अधिकारिता है।'।

धारा 129घ का संशोधन।

72. सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 129घ में,—

(i) उपधारा (1) में, निम्नलिखित परंतुक अंत में अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

''परंतु जहां सीमाशुल्क के मुख्य आयुक्तों की समिति की राय, सीमाशुल्क आयुक्त के विनिश्चय या आदेश की वैधता या औचित्य के बारे में भिन्न है, वहां वह ऐसे प्रश्न या प्रश्नों को कथित करेगी जिन पर उनकी राय भिन्न है और बोर्ड को निर्देश करेगी, जो सीमाशुल्क आयुक्त द्वारा किए गए विनिश्चय या पारित आदेश के तथ्यों पर विचार करने के पश्चात्, यदि उसकी यह राय है कि सीमाशुल्क आयुक्त द्वारा दिया गया विनिश्चय या पारित आदेश वैध या उचित नहीं है तो वह आदेश द्वारा ऐसे आयुक्त या किसी अन्य आयुक्त को यह निदेश दे सकेगा कि वह उस विनिश्चय या आदेश से उद्भूत होने वाले ऐसे प्रश्नों के अवधारण के लिए अपील अधिकरण को आवेदन करे, जो उसके आदेश में विनिर्दिष्ट किए जाएं।'';

(ii) उपधारा (3) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात्:—

"(3) यथास्थिति, उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन प्रत्येक आदेश न्यायनिर्णायक प्राधिकारी के विनिश्चय या आदेश की संसूचना की तारीख से तीन मास की अवधि के भीतर किया जाएगा।"।

नई धारा 129ङङ का अंतःस्थापन।

73. सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 129ङ के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

धारा 129ङ के परंतुक के अधीन जमा की गई रकम के विलंबित प्रतिदाय पर ब्याज।

"129ङङ. जहां धारा 129ङ के पहले परंतुक के अधीन आयुक्त (अपील) या अपील अधिकरण (जिसे इसमें इसके पश्चात् अपील प्राधिकारी कहा गया है) द्वारा पारित किसी आदेश के अनुसरण में अपीलार्थी द्वारा जमा की गई रकम का अपील प्राधिकारी के आदेश के परिणामस्वरूप प्रतिदाय किया जाना अपेक्षित है और ऐसी रकम का प्रतिदाय न्यायनिर्णायक प्राधिकारी को ऐसे आदेश की संसूचना की तारीख से तीन मास के भीतर नहीं किया जाता है वहां, जब तक अपील प्राधिकारी के आदेश के प्रवर्तन पर किसी उच्चतर न्यायालय या अधिकरण द्वारा रोक न लगा दी गई हो, अपीलार्थी को अपील प्राधिकारी के आदेश की संसूचना की तारीख से तीन मास की समाप्ति के पश्चात् उस रकम के प्रतिदाय की तारीख तक धारा 27क में विनिर्दिष्ट दर से ब्याज संदत्त किया जाएगा।"।

धारा 141 का संशोधन।

74. सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 141 को उसकी उपधारा (1) के रूप में संख्यांकित किया जाएगा और इस प्रकार संख्यांकित उपधारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

"(2) आयातित या निर्यात माल को किसी सीमाशुल्क क्षेत्र में ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, प्राप्त, भंडारित, परिवर्त्त, प्रेषित या अन्यथा संभाला जा सकेगा और पूर्वोक्त क्रियाकलापों में लगे व्यक्तियों के उत्तरदायित्व वे होंगे जो विहित किए जाएं।"।

धारा 158 का संशोधन।

75. सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 158 की उपधारा (2) के खंड (ii) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्:—

"(ii) यह उपबंध कर सकता है कि कोई व्यक्ति, जो किसी नियम या विनियम के किसी उपबंध का उल्लंघन करता है या ऐसे उल्लंघन का दुष्प्रेरण करता है या जो किसी नियम या विनियम के किसी ऐसे उपबंध का अनुपालन करने में असफल रहता है, जिसका अनुपालन करना उसका कर्तव्य था, ऐसी शास्ति का, जो पचास हजार रुपए तक की हो सकेगी, दायी होगा।"।

सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 25 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई अधिसूचना का संशोधन।

1962 का 52

76. भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं0 सा0का0नि0 277(अ), तारीख 1 अप्रैल, 2003 में, जो सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी की गई थी, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं0 सा0का0नि0 673(अ), तारीख 17 नवंबर, 2005 द्वारा अंतःस्थापित की गई शर्त सं0 7, जो यह उपबंध करती है "कि आयातकर्ता उक्त प्रमाणपत्र में विकलित की गई रकम के लिए उक्त सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 3 के अधीन उद्ग्रहणीय अतिरिक्त शुल्क की वापसी या केन्द्रीय मूल्य वर्धित कर प्रत्यय प्राप्त करने का हकदार होगा", विनिर्दिष्ट रूप से सभी प्रयोजनों के लिए 4 जून, 2005 से ही सभी तात्विक समयों पर प्रवृत्त हुई और सदैव प्रवृत्त हुई समझी जाएगी।

स्पष्टीकरण—शंकाओं को दूर करने के लिए यह घोषित किया जाता है कि किसी व्यक्ति की ओर से कोई कार्य या लोप किसी ऐसे अपराध के रूप में दंडनीय नहीं होगा, जो उस दशा में इस प्रकार दंडनीय नहीं होता यदि यह धारा प्रवर्तन में नहीं आई होती।

सीमाशुल्क टैरिफ

1975 के अधिनियम 51 का संशोधन।

77. सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे इसमें इसके पश्चात् सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम कहा गया है) में,—

'(i) धारा 9क में उपधारा (2क) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात्:—

'(2क) उपधारा (1) और उपधारा (2) में किसी बात के होते हुए भी, उपधारा (1) के अधीन जारी की गई कोई अधिसूचना या उपधारा (2) के अधीन अधिरोपित कोई प्रतिपाटन शुल्क किसी शत-प्रतिशत निर्यातोन्मुख उपक्रम द्वारा आयातित वस्तुओं को तब तक लागू नहीं होगा जब तक,—

(i) यथास्थिति, ऐसी अधिसूचनाओं या ऐसे अधिरोपणों में विनिर्दिष्ट रूप से लागू न किया गया हो; या

(ii) आयातित वस्तु की घरेलू टैरिफ क्षेत्र में उस रूप में निकासी या उसे ऐसे किसी माल के विनिर्माण में प्रयुक्त न किया गया हो जो घरेलू टैरिफ क्षेत्र में निकासी किया गया हो और ऐसे मामलों में इस प्रकार निकासी किए गए या इस प्रकार प्रयुक्त वस्तु के उस भाग पर ऐसा प्रतिपाटन शुल्क उद्गृहीत किया जाएगा जो उस समय उद्ग्रहणीय था जब उसका भारत में आयात किया गया था।

स्पष्टीकरण—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, "शत-प्रतिशत निर्यातोन्मुख उपक्रम" पद का वही अर्थ होगा जो केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 3 की उपधारा (1) के स्पष्टीकरण 2 में है।'; 1944 का 1

(ii) पहली अनुसूची का संशोधन, दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट रीति में किया जाएगा;

(iii) दूसरी अनुसूची का संशोधन, तीसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट रीति में किया जाएगा।

उत्पाद-शुल्क

धारा 2 का संशोधन। 78. केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 की (जिसे इसमें इसके पश्चात् केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम कहा गया है) धारा 2 के खंड (घ) के पश्चात्, निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:— 1944 का 1

'स्पष्टीकरण—इस खंड के प्रयोजनों के लिए, ''माल'' के अंतर्गत ऐसी कोई वस्तु, सामग्री या पदार्थ है, जो प्रतिफल के लिए क्रय और विक्रय किए जाने के योग्य है और ऐसा माल विपण्य समझा जाएगा।'।

नई धारा 3क का अंतःस्थापन। 79. केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 3 के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

अधिसूचित माल की बाबत उत्पादन की क्षमता के आधार पर उत्पाद-शुल्क प्रभारित करने की केंद्रीय सरकार की शक्ति।

'3क. (1) धारा 3 में किसी बात के होते हुए भी, जहां केंद्रीय सरकार की, किसी विनिर्दिष्ट वर्णन के उत्पाद-शुल्क्य माल के विनिर्माण या उत्पादन की प्रक्रिया की प्रकृति को, ऐसे माल के संबंध में शुल्क से अपवंचन की सीमा या ऐसे अन्य कारकों को, जो सुसंगत हों, ध्यान में रखते हुए, यह राय है कि राजस्व के हित की रक्षा करने के लिए आवश्यक है तो वह, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, ऐसे माल को अधिसूचित माल के रूप में विनिर्दिष्ट कर सकेगी और ऐसे माल पर इस धारा के उपबंधों के अनुसार उत्पाद-शुल्क उद्गृहीत और संगृहीत किया जाएगा।

(2) जहां उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना जारी की जाती है वहां केंद्रीय सरकार, नियमों द्वारा,—

(क) उस कारखाने की, जिसमें ऐसे माल का उत्पादन किया जाता है, केंद्रीय उत्पाद-शुल्क सहायक आयुक्त की पंक्ति से अनिम्न किसी अधिकारी द्वारा वार्षिक उत्पादन क्षमता के अवधारण की रीति का उपबंध कर सकेगी और ऐसी वार्षिक क्षमता ऐसे कारखाने द्वारा ऐसे माल का वार्षिक उत्पादन माना जाएगा; या

(ख) (i) ऐसे माल के उत्पादन से सुसंगत कारक और उस मात्रा को विनिर्दिष्ट कर सकेगी, जिसका ऐसे कारक की किसी इकाई के उपयोग द्वारा उत्पादन किया जाना माना जाता है; और

(ii) उस कारखाने की, जिसमें ऐसे माल का उत्पादन किया जाता है, ऐसे कारक के आधार पर केंद्रीय उत्पाद-शुल्क सहायक आयुक्त की पंक्ति से अनिम्न

किसी अधिकारी द्वारा वार्षिक उत्पादन क्षमता के अवधारण का उपबंध कर सकेगी और ऐसी वार्षिक उत्पादन क्षमता, ऐसे कारखाने द्वारा ऐसे माल का वार्षिक उत्पादन समझी जाएगी:

परंतु जहां अधिसूचित माल का उत्पादन करने वाला कारखाना केवल वर्ष के एक भाग के दौरान ही चलता है, वहां उसके वार्षिक उत्पादन की संगणना वार्षिक उत्पादन क्षमता के आनुपातिक आधार पर की जाएगी:

परंतु यह और कि ऐसे मामले में जहां उत्पादन से सुसंगत कारक वर्ष के दौरान किसी समय परिवर्तित या उपांतरित किया जाता है, वहां वार्षिक उत्पादन का ऐसे परिवर्तन या उपांतरण को ध्यान में रखते हुए आनुपातिक आधार पर पुनःनिर्धारण किया जाएगा ।

(3) अधिसूचित माल पर उत्पाद-शुल्क का उद्ग्रहण, यथास्थिति, उत्पादन एकक पर या उत्पादन से सुसंगत ऐसे कारक के आधार पर ऐसी दर पर किया जाएगा, जो केंद्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, विनिर्दिष्ट करे और उसका संग्रहण ऐसी रीति से किया जाएगा, जो विहित की जाए:

परंतु जहां अधिसूचित माल का उत्पादन करने वाले कारखाने ने पन्द्रह दिन की या उससे अधिक की लगातार किसी अवधि के दौरान अधिसूचित माल का उत्पादन नहीं किया है, वहां आनुपातिक आधार पर संगणित शुल्क को ऐसी अवधि की बाबत कम कर दिया जाएगा यदि ऐसे माल का विनिर्माता ऐसी शर्तों को पूरा करता है, जो विहित की जाएं ।

(4) इस धारा के उपबंध किसी शत-प्रतिशत निर्यातोन्मुख उपक्रम द्वारा उत्पादित या विनिर्मित और भारत में किसी अन्य स्थान पर लाए गए माल को लागू नहीं होंगे ।

स्पष्टीकरण 1—शंकाओं को दूर करने के लिए यह स्पष्ट किया जाता है कि सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 3 के प्रयोजनों के लिए अधिसूचित माल पर उद्ग्रहणीय उत्पाद-शुल्क, तत्समय प्रवृत्त किसी अधिसूचना के साथ पठित केंद्रीय उत्पाद-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1985 की पहली अनुसूची और दूसरी अनुसूची के अधीन ऐसे माल पर उद्ग्रहणीय उत्पाद-शुल्क समझा जाएगा ।

1975 का 51

1986 का 5

स्पष्टीकरण 2—इस धारा के प्रयोजनों के लिए, ''शत-प्रतिशत निर्यातोन्मुख उपक्रम'' पद का वही अर्थ होगा, जो धारा 3 में है।'।

80. केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 11ख में,— धारा 11ख का संशोधन।

(i) उपधारा (1) में,—

(क) ''उत्पाद-शुल्क'' शब्दों के स्थान पर, जहां-जहां वे आते हैं, ''उत्पाद-शुल्क और ऐसे शुल्क पर संदत्त ब्याज, यदि कोई हो'' शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) ''शुल्क'' शब्द के स्थान पर, जहां-जहां वह आता है, ''शुल्क और ऐसे शुल्क पर संदत्त ब्याज, यदि कोई हो'' शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) उपधारा (2) में, पहले परंतुक के खंड (क) और खंड (ग) के सिवाय,—

(क) ''उत्पाद-शुल्क'' शब्दों के स्थान पर, जहां-जहां वे आते हैं, ''उत्पाद-शुल्क और ऐसे शुल्क पर संदत्त ब्याज, यदि कोई हो'' शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) ''शुल्क'' शब्द के स्थान पर, जहां-जहां वह आता है, ''शुल्क और ऐसे शुल्क पर संदत्त ब्याज, यदि कोई हो'' शब्द रखे जाएंगे ।

81. केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 11घ में,— धारा 11घ का संशोधन।

(i) उपधारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

''(1क) प्रत्येक ऐसा व्यक्ति, जिसने किसी व्यक्ति से, किसी रीति में, किसी उत्पाद-शुल्क्य माल पर निर्धारित या अवधारित और संदत्त शुल्क से अधिक कोई रकम संगृहीत और संदत्त की है या किसी ऐसे उत्पाद-शुल्क्य माल पर, जो शुल्क से पूर्णतया छूट प्राप्त है, उत्पाद-शुल्क के रूप में कोई रकम संगृहीत की है, या वह शून्य दर पर प्रभार्य है, इस प्रकार संगृहीत किसी रकम का तुरंत केन्द्रीय सरकार के खाते में संदाय करेगा।'';

(ii) उपधारा (2) में, ''उपधारा (1)'' शब्द, कोष्ठकों और अंक के स्थान पर, ''यथास्थिति, उपधारा (1) या उपधारा (1क)'' शब्द, कोष्ठक, अंक और अक्षर रखे जाएंगे;

(iii) उपधारा (4) में,—

(क) ''उपधारा (1) या उपधारा (3)'' शब्दों, कोष्ठकों और अंकों के स्थान पर, ''यथास्थिति, उपधारा (1) या उपधारा (1क) या उपधारा (3)'' शब्द, कोष्ठक, अंक और अक्षर रखे जाएंगे;

(ख) ''उपधारा (1)'' शब्द, कोष्ठकों और अंक के स्थान पर, ''उपधारा (1) और उपधारा (1क)'' शब्द, कोष्ठक, अंक और अक्षर रखे जाएंगे।

धारा 11घघ का संशोधन।

82. केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 11घघ की उपधारा (1) में, ''ऐसे माल के क्रेता से निर्धारित या अवधारित शुल्क से अधिक रकम संगृहीत की गई है वहां ऐसा व्यक्ति'' शब्दों के स्थान पर ''ऐसे माल के क्रेता या किसी व्यक्ति से निर्धारित या अवधारित शुल्क से अधिक रकम संगृहीत की गई है और संदाय की गई है या जहां किसी व्यक्ति ने किसी ऐसे उत्पाद-शुल्क माल पर, जो पूर्णतः शुल्क से छूट प्राप्त है या शुल्क की शून्य दर पर प्रभार्य है, उत्पाद-शुल्क के रूप में किसी रकम को संगृहीत किया है, वहां ऐसा व्यक्ति'' शब्द रखे जाएंगे।

धारा 35ख का संशोधन।

83. केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 35ख की उपधारा (2) में, निम्नलिखित परंतुक और स्पष्टीकरण अंत में अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:—

'परंतु जहां केंद्रीय उत्पाद-शुल्क के आयुक्तों की समिति की राय आयुक्त (अपील) के आदेश के विरुद्ध अपील के संबंध में भिन्न है, वहां वह ऐसे प्रश्न या प्रश्नों को कथित करेगी, जिन पर उनकी राय भिन्न है और केंद्रीय उत्पाद-शुल्क के अधिकारिता संबंधी मुख्य आयुक्त को निर्देश करेगी, जो आदेश के तथ्यों पर विचार करने के पश्चात्, यदि उसकी यह राय है कि आयुक्त (अपील) द्वारा पारित किया गया आदेश वैध या उचित नहीं है तो किसी केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिकारी को यह निदेश देगा कि वह उस आदेश के विरुद्ध अपील अधिकरण को अपील करे।'

स्पष्टीकरण—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, ''अधिकारिता संबंधी मुख्य आयुक्त'' से वह केंद्रीय उत्पाद-शुल्क मुख्य आयुक्त अभिप्रेत है, जिसकी उस मामले में न्यायनिर्णयक प्राधिकारी पर अधिकारिता है।'।

धारा 35ङ का संशोधन।

84. केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 35ङ में,—

(i) उपधारा (1) में, निम्नलिखित परंतुक अंत में अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

''परंतु जहां केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क के मुख्य आयुक्तों की समिति की राय, केंद्रीय उत्पाद-शुल्क आयुक्त के विनिश्चय या आदेश की वैधता या औचित्य के बारे में भिन्न है, वहां वह ऐसे प्रश्न या प्रश्नों को कथित करेगी, जिन पर उनकी राय भिन्न है और बोर्ड को निर्देश करेगी, जो विनिश्चय या आदेश के तथ्यों पर विचार करने के पश्चात्, यदि उसकी यह राय है कि केंद्रीय उत्पाद-शुल्क आयुक्त द्वारा पारित किया गया विनिश्चय या आदेश वैध या उचित नहीं है तो वह, आदेश द्वारा, ऐसे आयुक्त या किसी अन्य आयुक्त को यह निदेश दे सकेगा कि वह उस विनिश्चय या आदेश से उद्भूत होने वाले ऐसे प्रश्नों के अवधारण के लिए अपील अधिकरण को आवेदन करे, जो उसके आदेश में विनिर्दिष्ट किए जाएं।'';

(ii) उपधारा (3) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात्:—

''(3) यथास्थिति, उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन प्रत्येक आदेश

न्यायनिर्णायक प्राधिकारी के विनिश्चय या आदेश की संसूचना की तारीख से तीन मास की अवधि के भीतर किया जाएगा।''।

नई धारा 35चच का अंतःस्थापन।

85. केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 35च के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

धारा 35च के परंतुक के अधीन जमा की गई रकम के विनिधान प्रतिदाय पर ब्याज।

''35चच. जहां धारा 35च के पहले परंतुक के अधीन आयुक्त (अपील) या अपील अधिकरण (जिसे इसमें इसके पश्चात् अपील प्राधिकारी, कहा गया है) द्वारा पारित किसी आदेश के अनुसरण में अपीलार्थी द्वारा जमा की गई रकम का अपील प्राधिकारी के आदेश के परिणामस्वरूप प्रतिदाय किया जाना अपेक्षित है और ऐसी रकम का प्रतिदाय न्यायनिर्णायक प्राधिकारी को ऐसे आदेश की संसूचना की तारीख से तीन मास के भीतर नहीं किया जाता है वहां, जब तक अपील प्राधिकारी के आदेश के प्रवर्तन पर किसी उच्चतर न्यायालय या अधिकरण द्वारा रोक न लगा दी गई हो, अपीलार्थी को अपील प्राधिकारी के आदेश की संसूचना की तारीख से तीन मास की समाप्ति के पश्चात् उस रकम के प्रतिदाय की तारीख तक धारा 11खख में विनिर्दिष्ट दर से ब्याज संदत्त किया जाएगा।''।

केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 का संशोधन।

86. (1) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 37 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाए गए केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 में भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 699(अ), तारीख 22 सितंबर, 1994 द्वारा राजपत्र में प्रकाशित केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क (ग्यारहवां संशोधन) नियम, 1994 के नियम 2 द्वारा यथाप्रतिस्थापित नियम 12, चौथी अनुसूची के स्तंभ (2) में यथा विनिर्दिष्ट रीति में उस अनुसूची के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट नियम के सामने उस अनुसूची के स्तंभ (3) में विनिर्दिष्ट तत्स्थानी तारीख से ही भूतलक्षी रूप से संशोधित हो जाएगा और संशोधित किया गया समझा जाएगा।

(2) किसी न्यायालय, अधिकरण या अन्य प्राधिकारी के किसी निर्णय, डिक्री या आदेश में किसी बात के होते हुए भी, उपधारा (1) द्वारा यथासंशोधित नियम के अधीन 8 जुलाई, 1999 से ही प्रारंभ होने वाली और 30 जून, 2001 को समाप्त होने वाली अवधि के दौरान किसी समय की गई या किए जाने के लिए तात्पर्यित कोई कार्रवाई या बात सभी प्रयोजनों के लिए विधिमान्य रूप से और प्रभावी रूप से इस प्रकार की गई और सदैव की गई समझी जाएगी मानो उपधारा (1) द्वारा किया गया संशोधन सभी तात्विक समयों पर प्रवर्तन में रहा था।

(3) उपधारा (1) में निर्दिष्ट केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के अधिक्रमण के होते हुए भी, केन्द्रीय सरकार को उस उपधारा के प्रयोजनों के लिए भूतलक्षी प्रभाव से इस प्रकार नियम बनाने की शक्ति होगी और यह माना जाएगा कि उसे इस प्रकार नियम बनाने की शक्ति है मानो केन्द्रीय सरकार को केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 37 के अधीन सभी तात्विक समयों पर भूतलक्षी रूप से नियम बनाने की शक्ति थी।

स्पष्टीकरण—शंकाओं को दूर करने के लिए यह घोषित किया जाता है कि किसी व्यक्ति की ओर से कोई कार्य या लोप ऐसे अपराध के रूप में दंडनीय नहीं होगा जो, यदि यह धारा प्रवृत्त नहीं हुई होती तो इस प्रकार दंडनीय नहीं होता।

केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क (सं॰ 2) नियम, 200 का संशोधन।

87. (1) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 37 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाए गए केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क (सं. 2) नियम, 2001 में, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 444(अ), तारीख 21 जून, 2001 द्वारा राजपत्र में यथा प्रकाशित उसका नियम 18, पांचवीं अनुसूची के स्तंभ (2) में यथाविनिर्दिष्ट रीति में, उस अनुसूची के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट नियम के सामने उस अनुसूची के स्तंभ (3) में विनिर्दिष्ट तत्स्थानी तारीख से ही भूतलक्षी रूप से संशोधित हो जाएगा और संशोधित किया गया समझा जाएगा।

(2) किसी न्यायालय, अधिकरण या अन्य प्राधिकारी के किसी निर्णय, डिक्री या आदेश

में किसी बात के होतें हुए भी, उपधारा (1) द्वारा यथासंशोधित नियम के अधीन 1 जुलाई, 2001 से ही प्रारंभ होने वाली और 28 फरवरी, 2002 को समाप्त होने वाली अवधि के दौरान किसी समय की गई या किए जाने के लिए तात्पर्यित कोई कार्रवाई या बात सभी प्रयोजनों के लिए विधिमान्य रूप से और प्रभावी रूप से इस प्रकार की गई और सदैव की गई समझी जाएगी मानो उपधारा (1) द्वारा किया गया संशोधन सभी तात्विक समयों पर प्रवर्तन में रहा था।

(3) उपधारा (1) में निर्दिष्ट केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क (सं. 2) नियम, 2001 के अधिक्रमण के होते हुए भी, केन्द्रीय सरकार को, उस उपधारा के प्रयोजनों के लिए भूतलक्षी रूप से इस प्रकार नियम बनाने की शक्ति होगी और यह माना जाएगा कि उसे इस प्रकार नियम बनाने की शक्ति है मानो केन्द्रीय सरकार को केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 37 के अधीन सभी तात्विक समयों पर भूतलक्षी रूप से नियम बनाने की शक्ति थी।

स्पष्टीकरण—शंकाओं को दूर करने के लिए यह घोषित किया जाता है कि किसी व्यक्ति की ओर से कोई कार्य या लोप ऐसे अपराध के रूप में दंडनीय नहीं होगा जो, यदि यह धारा प्रवर्तन में नहीं आई होती तो इस प्रकार दंडनीय नहीं होता।

द्रीय उत्पाद-शुल्क ग्रम, 2002 का ोधन।

88. (1) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 37 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाए गए केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 2002 में भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 143(अ), तारीख 1 मार्च, 2002 द्वारा राजपत्र में यथा प्रकाशित उसका नियम 18, छठी अनुसूची के स्तंभ (2) में यथा विनिर्दिष्ट रीति में उस अनुसूची के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट नियम के सामने उस अनुसूची के स्तंभ (3) में विनिर्दिष्ट तत्स्थानी तारीख से ही भूतलक्षी रूप से संशोधित हो जाएगा और संशोधित किया गया समझा जाएगा।

(2) किसी न्यायालय, अधिकरण या अन्य प्राधिकारी के किसी निर्णय, डिक्री या आदेश में किसी बात के होते हुए भी, उपधारा (1) द्वारा यथासंशोधित नियम के अधीन 1 मार्च, 2002 से ही प्रारंभ होने वाली और 7 दिसंबर, 2006 को समाप्त होने वाली अवधि के दौरान किसी समय की गई या किए जाने के लिए तात्पर्यित कोई कार्रवाई या बात सभी प्रयोजनों के लिए विधिमान्य रूप से और प्रभावी रूप से इस प्रकार की गई और सदैव की गई समझी जाएगी मानो उपधारा (1) द्वारा किया गया संशोधन सभी तात्विक समयों पर प्रवर्तन में रहा था।

(3) केन्द्रीय सरकार को उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए भूतलक्षी रूप से इस प्रकार नियम बनाने की शक्ति होगी और यह माना जाएगा कि उसे इस प्रकार नियम बनाने की शक्ति है मानो केन्द्रीय सरकार को केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 37 के अधीन सभी तात्विक समयों पर भूतलक्षी रूप से नियम बनाने की शक्ति थी।

स्पष्टीकरण—शंकाओं को दूर करने के लिए यह घोषित किया जाता है कि किसी व्यक्ति की ओर से कोई कार्य या लोप ऐसे अपराध के रूप में दंडनीय नहीं होगा जो, यदि यह धारा प्रवर्तन में नहीं आई होती तो इस प्रकार दंडनीय नहीं होता।

उत्पाद-शुल्क टैरिफ

6 के अधिनियम 5 संशोधन।

89. केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1985 की (जिसे इसमें इसके पश्चात् केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम कहा गया है), पहली अनुसूची का संशोधन सातवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट रीति से किया जाएगा।

अध्याय 5

सेवा कर

90. वित्त अधिनियम, 1994 में,— 1994 के अधिनियम 32 का संशोधन।

(अ) धारा 65 में, उस तारीख से जो केंद्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे,—

(1) खंड (7क) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

'(7ख) ''सहयुक्त उद्यम'' का वही अर्थ है जो आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 92क में है;'; 1961 का 43

(2) खंड (12) में,—

(क) उपखंड (क) की मद (iv) के स्थान पर, निम्नलिखित मद रखी जाएगी, अर्थात्:—

''(iv) प्रतिभूति और विदेशी मुद्रा (फोरेक्स) दलाली, और विदेशी मुद्रा का क्रय या विक्रय, जिसके अंतर्गत धन परिवर्तन भी है;'';

(ख) उपखंड (ख) के स्थान पर, निम्नलिखित उपखंड रखा जाएगा, अर्थात्:—

''(ख) किसी विदेशी मुद्रा दलाल या विदेशी मुद्रा के प्राधिकृत व्यौहारी या किसी प्राधिकृत धन परिवर्तक द्वारा, उनसे भिन्न जो उपखंड (क) के अंतर्गत आते हैं, प्रदान की गई विदेशी मुद्रा दलाली और विदेशी मुद्रा का क्रय या विक्रय, जिसके अंतर्गत धन परिवर्तन भी है ;'';

(ग) इस प्रकार यथासंशोधित उपखंड (ख) के पश्चात्, निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंत में, अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

'**स्पष्टीकरण**—इस खंड के प्रयोजनों के लिए यह घोषित किया जाता है कि ''विदेशी मुद्रा का क्रय या विक्रय, जिसके अंतर्गत धन परिवर्तन भी है'' के अंतर्गत विदेशी मुद्रा का क्रय या विक्रय भी है, चाहे, यथास्थिति, ऐसे क्रय या विक्रय के लिए प्रतिफल पृथक् रूप से विनिर्दिष्ट किया गया हो या नहीं;';

(3) खंड (19) में,—

(क) उपखंड (ii) में, निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंत में, अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

'**स्पष्टीकरण**—शंकाओं को दूर करने के लिए, यह घोषित किया जाता है कि इस उपखंड के प्रयोजनों के लिए, ''कक्षीकार द्वारा उपलब्ध कराई गई सेवा के संवर्धन या विपणन के संबंध में सेवा'' के अंतर्गत कक्षीकार द्वारा किसी भी रूप में या किसी भी नाम से आयोजित, संचालित या संवर्धित भाग्य के खेलों के संवर्धन या विपणन के संबंध में, चाहे आन लाइन द्वारा संचालित की गई हो या नहीं, जिसके अंतर्गत लाटरी, लोटो, बिंगो भी है, उपलब्ध कराई गई कोई सेवा है;';

(ख) ''कोई ऐसी सूचना प्रौद्योगिकी सेवा और'' शब्दों का लोप किया जाएगा;

(ग) स्पष्टीकरण के खंड (ख) का लोप किया जाएगा;

(4) खंड (23) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्:—

'(23) ''स्थोरा उठाई-धराई सेवा'' से स्थोरा की लदाई, उतराई, पैकिंग या पैकिंग हटाना अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत निम्नलिखित भी है,—

(क) विशेष आधानों में ढुलाई के लिए या गैर आधानीकृत ढुलाई के लिए दी गई स्थोरा की उठाई-धराई सेवाएं, सभी प्रकार के परिवहन के लिए किसी आधान ढुलाई टर्मिनल या किसी अन्य ढुलाई टर्मिनल द्वारा दी गई सेवाएं और ढुलाई से आनुषंगिक स्थोरा उठाई-धराई सेवा; और

(ख) लदाई, उतराई, पैकिंग हटाने जैसी एक या अधिक अन्य सेवाओं सहित या रहित स्थोरा या माल के परिवहन के साथ पैंकिंग की सेवा,

किंतु इसके अंतर्गत निर्यात स्थोरा या यात्री सामान की उठाई-धराई या केवल माल का परिवहन नहीं है;';

(5) खंड (31) में, ''किसी कक्षीकार को'' शब्दों के स्थान पर, ''किसी व्यक्ति को'' शब्द रखे जाएंगे ;

(6) खंड (53) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

'(53क) ''सूचना प्रौद्योगिकी साफ्टवेयर'' से अनुदेशों, डाटा, ध्वनि या प्रतिरूप का कोई प्रतिरूपण अभिप्रेत है, जिसके अंतर्गत स्रोत कोड और वस्तु कोड भी है, जो किसी यंत्र में पठनीय रूप में अंकित किया गया है और किसी कम्प्यूटर या स्वचालित डाटा प्रसंस्करण मशीन या किसी अन्य युक्ति या उपस्कर के माध्यम से उपयोक्ता को परिचालित या पारस्परिक क्रिया करने के योग्य है;';

(7) खंड (57क) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्:—

'(57क) ''इंटरनेट दूरसंचार सेवा'' के अंतर्गत निम्नलिखित हैं,—

(i) इंटरनेट आधार सेवाएं, जिसके अंतर्गत एक इंटरनेट सेवा प्रदाता द्वारा दूसरे इंटरनेट सेवा प्रदाता को दी गई इंटरनेट ट्रैफिक की वाहक सेवाएं भी हैं;

(ii) इंटरनेट पहुंच सेवाएं, जिसके अंतर्गत इंटरनेट से सीधे संपर्क और ग्राहक के वेब पृष्ठ के लिए स्थान का उपबंध भी है;

(iii) दूरसंचार सेवाओं का उपबंध, जिनके अंतर्गत इंटरनेट पर फैक्स, टेलीफोनी, ऑडियो कांफ्रेंसिंग और वीडियो कांफ्रेंसिंग भी है;';

(8) खंड (64) के स्पष्टीकरण के स्थान पर, निम्नलिखित स्पष्टीकरण रखा जाएगा, अर्थात्:—

'**स्पष्टीकरण**—शंकाओं को दूर करने के लिए यह घोषित किया जाता है कि इस खंड के प्रयोजनों के लिए,—

(क) ''माल'' के अंतर्गत कंप्यूटर सॉफ्टवेयर भी है;

(ख) ''संपत्ति'' के अंतर्गत सूचना प्रौद्योगिकी सॉफ्टवेयर भी है;';

(9) खंड (68) में ''किसी कक्षीकार को'' शब्दों के स्थान पर, ''किसी अन्य व्यक्ति को'' शब्द रखे जाएंगे;

(10) खंड (75) में ''किसी ग्राहक को'' शब्दों के स्थान पर, ''किसी व्यक्ति को'' शब्द रखे जाएंगे;

(11) खंड (86ग) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

'(86घ) ''प्रसंस्करण और निकासगृह'' से निकास निगम सहित ऐसा कोई व्यक्ति अभिप्रेत है, जिसे निम्नलिखित के संबंध में निकासगृह के कर्तव्यों और कृत्यों का पालन करने के लिए किसी मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज, मान्यताप्राप्त संगम या रजिस्ट्रीकृत संगम द्वारा प्राधिकृत या समनुदेशित किया गया है—

(i) प्रतिभूति, माल या अग्रिम संविदाओं के विक्रय या क्रय और उनके अंतर के लिए या उनके संबंध में संविदाओं के आवधिक निपटान;

(ii) प्रतिभूतियों, माल या अग्रिम संविदाओं के परिदान और उनके लिए संदाय;

(iii) प्रतिभूतियों, माल और अग्रिम संविदाओं से आनुषंगिक या संबंधित कोई अन्य विषय;';

(12) खंड (90क) के अंत में आने वाले स्पष्टीकरण को उसके स्पष्टीकरण 1 के रूप में संख्यांकित किया जाएगा और इस प्रकार संख्यांकित स्पष्टीकरण 1 के पश्चात् निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

'स्पष्टीकरण 2—शंकाओं को दूर करने के लिए यह घोषित किया जाता है कि इस खंड के प्रयोजनों के लिए, ''स्थावर संपत्ति को किराए पर देना,'' के अंतर्गत किसी स्थावर संपत्ति में, उक्त स्थावर संपत्ति के कब्जे या नियंत्रण के अंतरण पर ध्यान दिए बिना, स्थान के प्रयोग की अनुज्ञा या अनुमति देना भी है;';

(13) खंड (92) में, ''किसी कक्षीकार को'' शब्दों के स्थान पर, ''किसी व्यक्ति को'' शब्द रखे जाएंगे;

(14) खंड (105) में,—

(क) उपखंड (ङ), उपखंड (ज), उपखंड (ञ), उपखंड (ट), उपखंड (त), उपखंड (थ), उपखंड (द), उपखंड (ध), उपखंड (न), उपखंड (प), उपखंड (फ), उपखंड (ब), उपखंड (भ), उपखंड (ग), उपखंड (य), उपखंड (यक), उपखंड (यग), उपखंड (यझ), उपखंड (यञ), उपखंड (यप), उपखंड (ययन) और उपखंड (ययब) में आरंभ में आने वाले ''किसी कक्षीकार को'' शब्दों के स्थान पर, ''किसी व्यक्ति को'' शब्द रखे जाएंगे;

(ख) उपखंड (च), उपखंड (ट), उपखंड (यख), उपखंड (यज), उपखंड (यड), उपखंड (यण), उपखंड (यथ), उपखंड (यन), उपखंड (यय), उपखंड (ययघ), उपखंड (ययछ), उपखंड (ययत), उपखंड (ययफ) और उपखंड (ययभ) में आरंभ में आने वाले ''किसी ग्राहक को'' शब्दों के स्थान पर, ''किसी व्यक्ति को'' शब्द रखे जाएंगे;

(ग) उपखंड (छ) के स्थान पर निम्नलिखित उपखंड रखा जाएगा, अर्थात्:—

''(छ) किसी व्यक्ति को, इंजीनियरी की एक या अधिक शाखाओं में, जिसके अंतर्गत कंप्यूटर हार्डवेयर इंजीनियरी की शाखा भी है, किसी रीति में सलाह, परामर्श या तकनीकी सहायता के संबंध में किसी परामर्शी इंजीनियर द्वारा,

स्पष्टीकरण—इस उपखंड के प्रयोजनों के लिए यह घोषित किया जाता है कि कंप्यूटर हार्डवेयर इंजीनियरी और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंजीनियरी दोनों की शाखाओं में सलाह, परामर्श या तकनीकी सहायता के संबंध में परामर्शी इंजीनियर द्वारा दी गई सेवाएं भी इस उपखंड के अधीन वर्गीकृत किए जाने के योग्य होंगी;'';

(घ) उपखंड (ड) में, ''किसी कक्षीकार को'' और ''कक्षीकार'' शब्दों के स्थान पर, जहां कहीं वे आते हैं, क्रमशः ''किसी व्यक्ति को'' और ''ऐसा व्यक्ति'' शब्द रखे जाएंगे;

(ङ) उपखंड (ययट) के स्थान पर, निम्नलिखित उपखंड रखा जाएगा, अर्थात्:—

''(ययट) किसी व्यक्ति को, विदेशी मुद्रा में किसी प्राधिकृत व्यवहारी या किसी बैंककारी कंपनी से भिन्न किसी प्राधिकृत मुद्रा परिवर्तक या किसी वित्तीय संस्था, जिसके अंतर्गत कोई गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनी भी है या उपखंड (यड) में निर्दिष्ट किसी अन्य निगमित निकाय या वाणिज्यिक समुत्थान सहित किसी विदेशी मुद्रा दलाल द्वारा;'';

(च) उपखंड (यययप) में, ''इंटरनेट टेलीफोनी'' शब्दों के स्थान पर, ''इंटरनेट दूरसंचार सेवा'' शब्द रखे जाएंगे ;

(छ) उपखंड (ययययघ) के पश्चात् निम्नलिखित उपखंड अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:—

''(ययययङ) किसी व्यक्ति को, कारबार या वाणिज्य के प्रक्रम या अग्रसरण में प्रयोग के लिए सूचना प्रौद्योगिकी सॉफ्टवेयर के संबंध में किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, जिसके अंतर्गत निम्नलिखित भी हैं,—

(i) सूचना प्रौद्योगिकी सॉफ्टवेयर का विकास;

(ii) सूचना प्रौद्योगिकी सॉफ्टवेयर का अध्ययन, विश्लेषण, डिजाइन और कार्यक्रमण;

(iii) सूचना प्रौद्योगिकी सॉफ्टवेयर का अनुकूलन, उन्नयन, संवर्धन, कार्यान्वयन और उससे संबंधित अन्य ऐसी सेवाएं;

(iv) सूचना प्रौद्योगिकी सॉफ्टवेयर से संबंधित विषयों पर सलाह, परामर्श और सहायता देना, जिसके अंतर्गत किसी पद्धति के कार्यान्वयन, डाटा आधारित डिजाइन के लिए विनिर्देशों, किसी नई पद्धति के आरंभिक चरण के दौरान मार्गदर्शन और सहायता, डाटा आधार को सुरक्षित रखने के विनिर्देश, स्वामित्व से संबंधित सूचना प्रौद्योगिकी सॉफ्टवेयर सलाह के संबंध में साध्यता अध्ययनों का संचालन करना भी है;

(v) वाणिज्यिक समुपयोजन के लिए सूचना प्रौद्योगिकी सॉफ्टवेयर के प्रयोग का अधिकार अर्जित करना, जिसके अंतर्गत सूचना प्रौद्योगिकी सॉफ्टवेयर के पुनःनिर्माण, वितरण और विक्रय करने का अधिकार और अन्य सूचना प्रौद्योगिकी सॉफ्टवेयर उत्पादों के सृजन और उनमें सम्मिलित किए जाने के लिए सॉफ्टवेयर घटकों के प्रयोग का अधिकार भी है;

(vi) इलैक्ट्रानिक रूप में प्रदाय किए गए सूचना प्रौद्योगिकी सॉफ्टवेयर के उपयोग का अधिकार अर्जित करना;

(ययययच) किसी पालिसीधारक को, यूनिटबद्ध जीवन बीमा कारबार के अधीन, जिसे सामान्य रूप से यूनिटबद्ध बीमा योजना (यूलिप) स्कीम के नाम से जाना जाता है, विनिधान के प्रबंध के संबंध में, जीवन बीमा कारबार करने वाले किसी बीमाकर्ता द्वारा,

स्पष्टीकरण—इस उपखंड के प्रयोजनों के लिए,—

(i) बीमाकर्ता द्वारा यूनिटबद्ध बीमा कारबार की पृथक् की गई निधि का प्रबंध, यूनिटबद्ध जीवन बीमा कारबार के अधीन विनिधान के प्रबंध के संबंध में पालिसीधारक को बीमाकर्ता द्वारा प्रदान की गई सेवा समझा जाएगा; और

(ii) उपलब्ध कराई गई या उपलब्ध कराई जाने वाली उक्त सेवाओं के लिए पालिसीधारक से बीमाकर्ता द्वारा प्रभारित सकल रकम निम्नलिखित के बीच के अंतर के बराबर होगी,—

(क) यूनिटबद्ध बीमा योजना पालिसी के लिए पालिसीधारक द्वारा संदाय किया गया प्रीमियम; और

(ख) जोखिम सुरक्षा के लिए, चाहे जीवन, स्वास्थ्य या अन्य विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए हो, संदत्त या मान्य प्रीमियम की राशि और वास्तविक विनिधान के लिए, पृथक् की गई रकम।

दृष्टांत

यूनिटबद्ध बीमा योजना पालिसी के लिए संदत्त कुल प्रीमियम = 100/- रुपए

जोखिम प्रीमियम = 10/- रुपए

वास्तव में विनिधान की गई रकम = 85/- रुपए

उपलब्ध कराई गई सेवा के लिए प्रभारित सकल रकम = 5/- रुपए [100-(10 + 85)] ;

(iii) खंड (ii) में निर्दिष्ट रकम के अतिरिक्त, प्रभारित सकल रकम में बीमाकर्ता द्वारा यूनिटबद्ध बीमा कारबार के अधीन विनिधान के प्रबंध के संबंध में पालिसीधारक से बाद में प्रभारित, चाहे आवधिक रूप से या नहीं, कोई रकम सम्मिलित होगी;

(यययचछ) किसी व्यक्ति को, प्रतिभूतियों के क्रय करने, विक्रय करने या उनमें व्यवहार करने के कारबार में सहायता देने, उसे विनियमित या नियंत्रित करने के संबंध में, जिसके अंतर्गत प्रतिभूतियों के व्यापार, प्रसंस्करण, निकासी और संव्यवहारों के समाधान के संबंध में प्रदान की गई सेवाएं भी हैं, किसी मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज द्वारा;

(यययचज) किसी व्यक्ति को, किसी माल या अग्रिम संविदाओं के विक्रय या क्रय के कारबार में सहायता करने, उसे विनियमित या नियंत्रित करने के संबंध में, जिसके अंतर्गत माल या अग्रिम संविदाओं के व्यापार, प्रसंस्करण, निकासी और संव्यवहारों के समाधान के संबंध में प्रदान की गई सेवाएं भी हैं, किसी मान्यताप्राप्त संगम या रजिस्ट्रीकृत संगम द्वारा;

(ययययझ) किसी व्यक्ति को, प्रतिभूतियों, माल या अग्रिम संविदाओं के प्रसंस्करण, निकासी और संव्यवहारों के समाधान के संबंध में, जिसके अंतर्गत ऐसी प्रतिभूतियों, माल और अग्रिम संविदाओं के आनुषंगिक या उससे संबद्ध कोई अन्य विषय भी हैं, किसी प्रसंस्करण और निकासी गृह द्वारा;

(ययययञ) किसी व्यक्ति को, मूर्त माल के प्रदाय के संबंध में, जिसके अंतर्गत प्रयोग के लिए मशीनरी, उपस्कर और साधित्र, ऐसी मशीनरी, उपस्कर और साधित्रों के कब्जे और प्रभावी नियंत्रण को अंतरित करने के अधिकार के बिना भी हैं, किसी अन्य व्यक्ति द्वारा;'';

(15) खंड (106) में, ''माल या सामग्री या'' शब्दों के पश्चात्, ''सूचना प्रौद्योगिकी सॉफ्टवेयर या'' शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे;

(16) खंड (108) में, ''प्रक्रिया या सामग्री'' शब्दों के स्थान पर, उन दोनों स्थानों पर जहां वे आते हैं, ''प्रक्रिया या सामग्री या सूचना प्रौद्योगिकी सॉफ्टवेयर'' शब्द रखे जाएंगे;

(17) खंड (109क) के उपखंड (ग) में, ''इंटरनेट टेलीफोनी'' शब्दों के स्थान पर, ''इंटरनेट दूरसंचार सेवा'' शब्द रखे जाएंगे;

(18) खंड (115) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्:—

'(115) ''पर्यटन प्रचालक'' से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जो किसी प्रकार के परिवहन द्वारा पर्यटन की योजना, समय सूची बनाने, उसका आयोजन या इंतजाम करने के कारबार में (जिसमें वास-सुविधा, दृश्य अवलोकन या अन्य वैसी ही सेवाओं का इंतजाम सम्मिलित हो सकेगा) लगा हुआ है और इसके अंतर्गत ऐसा कोई व्यक्ति भी है, जो मोटर यान अधिनियम, 1988 या उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन अनुदत्त किसी अनुज्ञापत्र, संजली गाड़ी के अनुज्ञापत्र से भिन्न, के अंतर्गत किसी पर्यटन यान या किसी भी नाम से ज्ञात संविदा वहन में पर्यटन का प्रचालन करने के कारबार में लगा हुआ है। 1988 का 59

स्पष्टीकरण—इस खंड के प्रयोजनों के लिए, ''पर्यटन'' पद के अंतर्गत किसी विषय या क्षेत्र के संबंध में कौशल या ज्ञान या शिक्षा प्रदान करने वाले किसी शैक्षिक निकाय द्वारा, वाणिज्यिक प्रशिक्षण या कोचिंग सेंटर से भिन्न, उपयोग के लिए आयोजित या इंतजाम की गई यात्रा नहीं है;';

(आ) धारा 66 में, ऐसी तारीख से, जो केंद्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे, ''और उपखंड (ययययघ)'' शब्द, कोष्ठकों और अक्षरों के स्थान पर, ''उपखंड (ययययघ), उपखंड (ययययङ), उपखंड (ययययच), उपखंड (ययययछ), उपखंड (ययययज), उपखंड (ययययझ) और उपखंड (ययययञ)'' शब्द, कोष्ठक और अक्षर रखे जाएंगे;

(इ) धारा 67 के स्पष्टीकरण के खंड (ग) में, ''बही समायोजन'' शब्दों के स्थान पर, निम्नलिखित शब्द रखे जाएंगे, अर्थात्:—

'बही समायोजन और जहां करधेय सेवा का संव्यवहार किसी सहयुक्त उद्यम के साथ है, वहां सेवा कर का संदाय करने के लिए दायी किसी व्यक्ति की लेखा बहियों में किसी खाते में, चाहे ''उचंत खाता'' या किसी अन्य नाम से ज्ञात हो, यथास्थिति, जमा की गई या उससे विकलित किसी रकम';

(ई) धारा 70 के पश्चात्, निम्नलिखित धाराएं अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:—

सेवा कर विवरणी के तैयारकर्ता के माध्यम से विवरणियों को प्रस्तुत किए जाने के लिए स्कीम।

''71. (1) धारा 70 के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, बोर्ड, धारा 70 के अधीन विवरणी तैयार करने और देने में किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग को समर्थ बनाने के प्रयोजनों के लिए, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, एक स्कीम बना सकेगा और स्कीम के अधीन उस रूप में कार्य करने के लिए किसी सेवा कर विवरणी तैयारकर्ता को प्राधिकृत कर सकेगा।

(2) सेवा कर विवरणी तैयारकर्ता व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग को, ऐसी रीति से, जो इस धारा के अधीन बनाई गई स्कीम में विनिर्दिष्ट की जाए, विवरणी तैयार करने और देने में सहायता करेगा।

(3) इस धारा के प्रयोजनों के लिए,—

(क) ''सेवा कर विवरणी तैयारकर्ता'' से कोई ऐसा व्यष्टि अभिप्रेत है, जिसे इस धारा के अधीन बनाई गई स्कीम के अधीन सेवा कर विवरणी तैयारकर्ता के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत किया गया है;

(ख) ''व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग'' से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जो स्कीम में विनिर्दिष्ट किया जाए, जिससे धारा 70 के अधीन फाइल किए जाने के लिए अपेक्षित विवरणी देने की अपेक्षा की गई है।

(4) इस धारा के अधीन बोर्ड द्वारा बनाई गई स्कीम में निम्नलिखित के लिए उपबंध किया जा सकेगा, अर्थात्:—

(क) वह रीति, जिसमें और वह अवधि, जिसके लिए सेवा कर विवरणी तैयारकर्ता को उपधारा (1) के अधीन प्राधिकृत किया जाएगा;

(ख) सेवा कर विवरणी तैयारकर्ता के रूप में कार्य करने वाले किसी व्यक्ति की शैक्षणिक और अन्य अर्हताएं तथा उसके द्वारा पूरा किए जाने वाला अपेक्षित प्रशिक्षण और अन्य शर्तें;

(ग) सेवा कर विवरणी तैयारकर्ता के लिए आचार संहिता;

(घ) सेवा कर विवरणी तैयारकर्ता के कर्तव्य और बाध्यताएं;

(ङ) वे परिस्थितियां, जिनके अधीन किसी सेवा कर विवरणी तैयारकर्ता को दिया गया प्राधिकार वापस लिया जा सकेगा;

(च) कोई अन्य विषय, जो इस धारा के प्रयोजनों के लिए स्कीम द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाने के लिए अपेक्षित है या किया जाए।

72. यदि सेवा कर का संदाय करने के लिए दायी कोई व्यक्ति— सर्वोत्तम निर्णय के आधार पर निर्धारण।

(क) धारा 70 के अधीन विवरणी देने में असफल रहता है;

(ख) विवरणी देने के पश्चात् इस अध्याय के उपबंधों या उसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार कर का निर्धारण करने में असफल रहता है,

तो केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिकारी, ऐसे व्यक्ति से, ऐसे लेखे, दस्तावेज या अन्य साक्ष्य, जो वह आवश्यक समझे, प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकेगा और ऐसी सभी सुसंगत सामग्री पर विचार करने के पश्चात्, जो उपलब्ध हैं या जो उसने इकट्ठी की हैं, उस व्यक्ति को सुने जाने का अवसर देने के पश्चात् लिखित आदेश द्वारा, अपने सर्वोत्तम निर्णय के आधार पर कराधेय सेवा के मूल्य का निर्धारण करेगा और ऐसे निर्धारण के आधार पर निर्धारिती द्वारा संदेय या निर्धारिती को प्रतिदेय राशि का अवधारण करेगा।'';

(ङ) धारा 77 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात्:—

''77. (1) कोई व्यक्ति,— उन नियमों और अधिनियम के उपबंधों के उल्लंघन के लिए शास्ति जिनके लिए अन्यत्र कोई शास्ति विनिर्दिष्ट नहीं है।

(क) जो सेवा कर का संदाय करने के लिए दायी है या जिससे रजिस्ट्रीकरण कराने की अपेक्षा है, धारा 69 या इस अध्याय के अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार रजिस्ट्रीकरण कराने में असफल रहता है, ऐसी शास्ति का,

जो पांच हजार रुपए तक की या नियत तारीख के पश्चात् प्रथम दिन से आरंभ होने और वास्तविक अनुपालन की तारीख तक की अवधि के दौरान ऐसे प्रत्येक दिन के लिए, जिसके दौरान ऐसी असफलता जारी रहती है, दो सौ रुपए तक की, इनमें से जो भी अधिक हो, हो सकेगी, संदाय करने का दायी होगा;

(ख) जो इस अध्याय के उपबंधों या इसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार यथा अपेक्षित लेखा बहियों और अन्य दस्तावेजों को रखने, बनाए रखने या उन्हें प्रतिधारित करने में असफल रहता है, ऐसी शास्ति का, जो पांच हजार रुपए तक की हो सकेगी, दायी होगा;

(ग) जो—

(i) इस अध्याय के उपबंधों या उसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार किसी अधिकारी द्वारा मांगी गई सूचना देने में असफल रहता है; या

(ii) इस अध्याय के उपबंधों या उसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिकारी द्वारा मांगे गए दस्तावेजों को पेश करने में असफल रहता है; या

(iii) जब उसे किसी जांच में कोई साक्ष्य देने या कोई दस्तावेज पेश करने के संबंध में हाजिर होने के लिए समन जारी किया गया हो, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिकारी के समक्ष हाजिर होने में असफल रहता है;

ऐसी शास्ति का, जो पांच हजार रुपए तक की या नियत तारीख के पश्चात् प्रथम दिन से आरंभ होने और वास्तविक अनुपालन की तारीख तक की अवधि के दौरान ऐसे प्रत्येक दिन के लिए, जिसके दौरान ऐसी असफलता जारी रहती है, दो सौ रुपए तक की, इनमें से जो भी अधिक हो, हो सकेगी, संदाय करने का दायी होगा;

(घ) जिससे इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से इलैक्ट्रानिक रूप में कर का संदाय करने की अपेक्षा की जाती है, इलैक्ट्रानिक रूप में कर का संदाय करने में असफल रहता है, ऐसी शास्ति का जो पांच हजार रुपए तक की हो सकेगी, दायी होगा;

(ङ) जो अधिनियम के उपबंधों या उसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार गलत या अपूर्ण ब्यौरों के साथ बीजक जारी करता है या अपनी लेखा बहियों में बीजक का हिसाब रखने में असफल रहता है, ऐसी शास्ति का, जो पांच हजार रुपए तक की हो सकेगी, दायी होगा।

(2) ऐसा कोई व्यक्ति, जो इस अध्याय के किसी उपबंध का या उसके अधीन बनाए गए किन्हीं नियमों का उल्लंघन करता है, जिसके लिए इस अध्याय में अलग से किसी शास्ति का उपबंध नहीं है, ऐसी शास्ति का, जो पांच हजार रुपए तक की हो सकेगी, दायी होगा।''।

(ऊ) धारा 78 के चौथे परंतुक के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

''परंतु यह भी कि यदि इस धारा के अधीन शास्ति संदेय है तो धारा 76 के उपबंध लागू नहीं होंगे।'',

(ऋ) धारा 83 में, ''धारा 35च'' शब्द, अंकों और अक्षर के पश्चात्, ''धारा 35चच'' शब्द, अंक और अक्षर अंतःस्थापित किए जाएंगे;

(ए) धारा 86 में,—

(i) उपधारा (2) में, निम्नलिखित परंतुक अंत में अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

''परंतु जहां केंद्रीय उत्पाद-शुल्क के मुख्य आयुक्तों की समिति की राय केंद्रीय उत्पाद-शुल्क आयुक्त के आदेश से भिन्न है, वहां वह ऐसे प्रश्न या प्रश्नों का कथन करेगी, जिन पर उनकी राय भिन्न है और बोर्ड को निर्देश करेगी, जो आदेश के तथ्यों पर विचार करने के पश्चात्, यदि उसकी यह राय है कि केंद्रीय उत्पाद-शुल्क आयुक्त द्वारा पारित आदेश वैध या उचित नहीं है तो केंद्रीय उत्पाद-शुल्क आयुक्त को यह निदेश देगा कि वह उस आदेश के विरुद्ध अपील अधिकरण में अपील करे ।'';

(ii) उपधारा (2क) में, निम्नलिखित परंतुक और स्पष्टीकरण अंत में अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:—

'परंतु जहां आयुक्तों की समिति की राय केंद्रीय उत्पाद-शुल्क आयुक्त (अपील) के आदेश से भिन्न है, वहां वह ऐसे प्रश्न या प्रश्नों का कथन करेगी जिन पर उसकी राय भिन्न है और अधिकारिता संबंधी मुख्य आयुक्त को निर्देश करेगी, जो आदेश के तथ्यों पर विचार करने के पश्चात्, यदि उसकी यह राय है कि केंद्रीय उत्पाद-शुल्क आयुक्त (अपील) द्वारा पारित आदेश वैध या उचित नहीं है तो किसी केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिकारी को यह निदेश देगा कि वह उस आदेश के विरुद्ध अपील अधिकरण में अपील करे।

स्पष्टीकरण—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, ''अधिकारिता संबंधी मुख्य आयुक्त'' से वह मुख्य आयुक्त अभिप्रेत है, जिसकी उस मामले में संबंधित न्यायनिर्णायक प्राधिकारी पर अधिकारिता है ।';

(ऐ) धारा 94 की उपधारा (4) में, ''बनाया गया प्रत्येक नियम और धारा 93 के अधीन'' शब्दों और अंकों के स्थान पर, ''बनाया गया प्रत्येक नियम, धारा 71 के अधीन बनाई गई स्कीम और धारा 93 के अधीन'' शब्द और अंक रखे जाएंगे;

(ओ) धारा 95 की उपधारा (1घ) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

''(1ङ) यदि वित्त अधिनियम, 2008 द्वारा इस अध्याय में समाविष्ट किसी कराधेय सेवा के मूल्य के क्रियान्वयन, वर्गीकरण या निर्धारण की बाबत कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो केंद्रीय सरकार, राजपत्र में प्रकाशित ऐसे आदेश द्वारा, जो इस अध्याय के उपबंधों से असंगत न हो, उस कठिनाई को दूर कर सकेगी:

परंतु ऐसा कोई आदेश, उस तारीख से एक वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जाएगा, जिसको वित्त विधेयक, 2008 को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त होती है।''।

अध्याय 6

सेवा कर विवाद समाधान स्कीम, 2008

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ।

91. (1) इस स्कीम का संक्षिप्त नाम सेवा कर विवाद समाधान स्कीम, 2008 है।

(2) यह 1 जुलाई, 2008 को प्रवृत्त होगी।

परिभाषाएं।

92. इस स्कीम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

1994 का 32

(क) ''अध्याय'' से वित्त अधिनियम, 1994 का अध्याय 5 अभिप्रेत है;

(ख) ''अभिहित प्राधिकारी'' से केंद्रीय उत्पाद-शुल्क सहायक आयुक्त की पंक्ति से अनिम्न पंक्ति का ऐसा अधिकारी अभिप्रेत है, जिसे इस स्कीम के प्रयोजनों के लिए, केंद्रीय उत्पाद-शुल्क आयुक्त द्वारा अधिसूचित किया गया है;

(ग) ''व्यक्ति'' से ऐसा कोई व्यक्ति अभिप्रेत है, जिसके विरुद्ध कोई बकाया कर लंबित है;

(घ) ''विहित'' से इस स्कीम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है;

(ङ) ''बकाया कर'' से अध्याय के अधीन देय या संदेय या उद्ग्रहणीय, किंतु 1 मार्च, 2008 को असंदत्त ऐसा सेवा कर, उपकर, ब्याज या शास्ति अभिप्रेत है, जिसकी बाबत,—

(i) अध्याय के अधीन कोई आदेश पारित किया गया है; या

(ii) अध्याय के अधीन 1 मार्च, 2008 को या उसके पूर्व मांग सूचना या हेतुक दर्शित करने की सूचना जारी की गई है;

(च) उन सभी अन्य शब्दों और पदों के, जो इसमें प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं, किंतु अध्याय या उसके अधीन बनाए गए नियमों में परिभाषित किए गए हैं, वही अर्थ होंगे, जो अध्याय या उसके अधीन बनाए गए नियमों में क्रमशः उनके हैं।

कीम का लागू ोना।

93. यह स्कीम अवधारण के किसी विनिश्चय, आदेश, या, यथास्थिति, ऐसी किसी मांग सूचना या हेतुक दर्शित करने की सूचना को लागू नहीं होगी,—

(i) जो बकाया कर, जिसके अंतर्गत सेवा कर भी है, से संबंधित है और ऐसे सेवा कर की रकम पच्चीस हजार रुपए से अधिक है; या

(ii) जहां ऐसा आदेश या सूचना वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 73क के अधीन किया गया है या जारी की गई है।

र संदाय का माधन।

94. इस स्कीम के उपबंधों के अधीन रहते हुए, जहां कोई व्यक्ति, 1 जुलाई, 2008 को या उसके पश्चात्, किंतु 30 सितंबर, 2008 को या उसके पूर्व, ऐसे बकाया कर की बाबत धारा 95 के उपबंधों के अनुसार अभिहित प्राधिकारी को कोई घोषणा करता है, वहां अध्याय में किसी बात के होते हुए भी, इस स्कीम के अधीन घोषणाकर्ता द्वारा संदेय रकम इसमें नीचे विनिर्दिष्ट दरों से अवधारित की जाएगी, अर्थात्:—

(क) जहां बकाया कर, अवधारण, निर्धारण या, यथास्थिति, न्यायनिर्णायक प्राधिकारी के आदेश के कारण उद्भूत हुआ है,—

(i) ऐसे बकाया कर में पच्चीस हजार रुपए से अनधिक की सेवा कर की रकम सम्मिलित है, वहां सेवा कर की रकम के पचास प्रतिशत की दर से;

(ii) ऐसे बकाया कर में केवल, अध्याय के अधीन, संदेय ब्याज, या उद्गृहीत शास्ति या दोनों समाविष्ट हैं, वहां ऐसे बकाया कर के पच्चीस प्रतिशत की दर से:

परंतु यदि उद्गृहीत शास्ति की रकम, उस सेवा कर की रकम से, जिससे वह संबंधित है, अधिक हो जाती है, तो सेवा कर की रकम को शास्ति की रकम माना जाएगा;

(ख) जहां बकाया कर, यथास्थिति, हेतुक दर्शित करने की सूचना या मांग सूचना के कारण उद्भूत हुआ है,—

(i) ऐसे बकाया कर में पच्चीस हजार रुपए से अनधिक की सेवा कर की रकम सम्मिलित है, वहां सेवा कर की रकम के पचास प्रतिशत की दर से;

(ii) ऐसे बकाया कर में केवल, अध्याय के अधीन, संदेय ब्याज या उद्ग्रहणीय

शास्ति या दोनों समाविष्ट हैं, वहां अधिकतम उद्ग्रहणीय शास्ति और संदेय ब्याज के पच्चीस प्रतिशत की दर से:

परंतु यदि उद्ग्रहणीय शास्ति की रकम, उस सेवा कर की रकम से, जिससे वह संबंधित है, अधिक हो जाती है, तो सेवा कर की रकम को शास्ति की रकम माना जाएगा।

घोषणा में दी जाने वाली विशिष्टियां।

95. धारा 94 के अधीन घोषणा अभिहित प्राधिकारी को की जाएगी और वह ऐसे प्ररूप में होगी तथा ऐसी रीति से सत्यापित की जाएगी, जो विहित की जाए।

बकाया कर के संदाय का समय और रीति।

96. (1) अभिहित प्राधिकारी, धारा 94 के अधीन घोषणा के प्राप्त होने की तारीख से पन्द्रह दिन के भीतर इस स्कीम के उपबंधों के अनुसार घोषणाकर्ता द्वारा संदेय रकम का, आदेश द्वारा अवधारण करेगा:

परंतु जहां घोषणा में की गई कोई तात्विक विशिष्टि अभिहित प्राधिकारी द्वारा किसी प्रक्रम में मिथ्या पाई जाती है, वहां यह समझा जाएगा कि घोषणा कभी नहीं की गई थी और अध्याय के अधीन सभी लंबित कार्यवाहियां पुनः प्रवर्तित हुई समझी जाएंगी।

(2) घोषणाकर्ता, उपधारा (1) के अधीन अभिहित प्राधिकारी के आदेश की प्राप्ति के तीस दिन के भीतर अभिहित प्राधिकारी द्वारा अवधारित राशि का संदाय करेगा और ऐसे संदाय के तथ्य की उसके सबूत सहित अभिहित प्राधिकारी को सूचना देगा और तब अभिहित प्राधिकारी घोषणाकर्ता को ऐसे प्ररूप में, जो विहित किया जाए, एक प्रमाणपत्र जारी करेगा।

(3) इस स्कीम के अधीन संदेय राशि का अवधारण करने वाला उपधारा (1) के अधीन पारित प्रत्येक आदेश उसमें कथित विषयों की बाबत निश्चायक होगा और ऐसे आदेश के अंतर्गत आने वाले किसी विषय को अध्याय के अधीन किसी अन्य कार्यवाही में पुनः खोला नहीं जाएगा।

(4) जहां घोषणाकर्ता ने किसी प्राधिकारी, अधिकरण या न्यायालय के समक्ष बकाया कर के कारण दिए जाने वाले किसी आदेश या सूचना के विरुद्ध कोई अपील, निर्देश या हेतुक दर्शित करने के लिए सूचना का प्रत्युत्तर फाइल किया है, वहां अध्याय के किसी अन्य उपबंध में किसी बात के होते हुए भी, ऐसी अपील, निर्देश या प्रत्युत्तर वापस ले लिया गया समझा जाएगा:

परंतु जहां घोषणाकर्ता ने किसी उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय के समक्ष बकाया कर के संबंध में किसी आदेश के विरुद्ध रिट याचिका, अपील या निर्देश फाइल किया है, वहां घोषणाकर्ता ऐसे उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय के समक्ष ऐसी रिट याचिका, अपील या निर्देश वापस लेने के लिए आवेदन फाइल करेगा और न्यायालय की इजाजत से ऐसी रिट याचिका, अपील या निर्देश के वापस ले लिए जाने के पश्चात्, उपधारा (2) में निर्दिष्ट संसूचना के साथ ऐसे वापस लेने का सबूत देगा।

कतिपय मामलों में अपील प्राधिकारी द्वारा कार्यवाही न किया जाना।

97. कोई अपील प्राधिकारी, घोषणा में विनिर्दिष्ट बकाया कर से संबंधित ऐसे किसी विवाधक का विनिश्चय करने के लिए कार्यवाही नहीं करेगा, जिसकी बाबत अभिहित प्राधिकारी द्वारा धारा 96 के अधीन कोई आदेश किया गया है।

स्कीम के अधीन संदत्त रकम का लौटाया न जाना।

98. धारा 94 के अधीन की गई घोषणा के अनुसरण में संदत्त कोई रकम, किन्हीं भी परिस्थितियों में लौटाई नहीं जाएगी।

शंकाओं का दूर किया जाना।

99. शंकाओं को दूर करने के लिए यह घोषित किया जाता है कि धारा 96 की उपधारा (3) में अभिव्यक्त रूप में जैसा अन्यथा उपबंधित है, उसके सिवाय इस स्कीम की किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह घोषणाकर्ता को उन बातों के सिवाय, जिनके संबंध में घोषणा की गई है, किन्हीं कार्यवाहियों में कोई फायदा, रियायत या उन्मुक्ति प्रदान करती है।

कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति।

100. (1) यदि इस स्कीम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है

तो केन्द्रीय सरकार, ऐसे आदेश द्वारा, जो इस स्कीम के उपबंधों से असंगत न हो, उस कठिनाई को दूर कर सकेगी:

परंतु ऐसा कोई आदेश ऐसी तारीख से, जिसको इस स्कीम के उपबंध प्रवृत्त होते हैं, दो वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जाएगा।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, किए जाने के पश्चात्, यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा।

नियम बनाने की शक्ति।

101. (1) केन्द्रीय सरकार, इस स्कीम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियम बना सकेगी।

(2) पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियमों में निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों का उपबंध किया जा सकेगा, अर्थात्:—

(क) वह प्ररूप, जिसमें कोई घोषणा धारा 95 के अधीन की जा सकेगी और वह रीति, जिसमें ऐसी घोषणा का सत्यापन किया जा सकेगा;

(ख) उस प्रमाणपत्र का प्ररूप, जो धारा 96 की उपधारा (2) के अधीन जारी किया जा सकेगा;

(ग) कोई अन्य विषय, जो नियमों द्वारा विहित किया जाना है या विहित किया जाए अथवा जिसकी बाबत उपबंध किया जाए।

(3) केन्द्रीय सरकार इस स्कीम के अधीन बनाए गए प्रत्येक नियम को, उसके बनाए जाने के पश्चात्, यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखवाएगी । यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों से पूरी हो सकेगी । यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा । यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् वह निष्प्रभाव हो जाएगा । किन्तु नियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

अध्याय 7

वस्तु संव्यवहार कर

स्तार, प्रारंभ और गू होना।

102. (1) इस अध्याय का विस्तार, संपूर्ण भारत पर है।

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो केंद्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे।

(3) यह इस अध्याय के प्रारंभ पर या उसके पश्चात् किए गए कराधेय वस्तु संव्यवहारों को लागू होगा।

भाषाएं।

103. इस अध्याय में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(1) ''अपील अधिकरण'' से आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 252 के अधीन गठित अपील अधिकरण अभिप्रेत है; 1961 का 43

(2) ''निर्धारण अधिकारी'' से वह आय-कर अधिकारी या सहायक आय-कर आयुक्त या उप आय-कर आयुक्त या संयुक्त आय-कर आयुक्त या अपर आय-कर आयुक्त अभिप्रेत है, जो बोर्ड द्वारा इस अध्याय के अधीन निर्धारण अधिकारी को प्रदत्त या समनुदेशित सभी

या किन्हीं शक्तियों का प्रयोग करने और सौंपे गए कृत्यों का पालन करने के लिए प्राधिकृत किया गया है;

(3) ''वस्तु संव्यवहार कर'' से इस अध्याय के उपबंधों के अधीन कराधेय वस्तु संव्यवहारों पर उद्ग्रहणीय कर अभिप्रेत है;

(4) ''विहित'' से इस अध्याय के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है;

(5) ''कराधेय वस्तु संव्यवहार'' से मान्यताप्राप्त संगमों में व्यवहार किए गए माल के विकल्प या वस्तु व्युत्पन्न के विकल्प या किसी अन्य वस्तु व्युत्पन्न के क्रय या विक्रय का संव्यवहार अभिप्रेत है;

(6) उन शब्दों और पदों के, जो इस अध्याय में प्रयुक्त हैं किंतु परिभाषित नहीं हैं, और अग्रिम संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1952, आय-कर अधिनियम, 1961 या उनके अधीन बनाए गए नियमों में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे, जो उन अधिनियमों में क्रमशः उनके हैं।

1952 का 74
1961 का 43

104. इस अध्याय के प्रारंभ की तारीख से ही, नीचे सारणी के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट प्रत्येक कराधेय वस्तु संव्यवहार के संबंध में ऐसे संव्यवहार के मूल्य पर उक्त सारणी के स्तंभ (3) में तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट दरों पर वस्तु संव्यवहार कर प्रभारित किया जाएगा और ऐसा कर उक्त सारणी के स्तंभ (4) में तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट, यथास्थिति, विक्रेता या क्रेता द्वारा संदेय होगा: वस्तु संव्यवहार कर का प्रभार।

सारणी

क्रम सं०	कराधेय वस्तु संव्यवहार	दर	द्वारा संदेय
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	माल में विकल्प या किसी वस्तु व्युत्पन्न में विकल्प का विक्रय	0.017 प्रतिशत	विक्रेता
2.	जहां किसी विकल्प का प्रयोग किया गया है, वहां माल में विकल्प या वस्तु व्युत्पन्न में किसी विकल्प का विक्रय	0.125 प्रतिशत	क्रेता
3.	अन्य वस्तु व्युत्पन्न में विकल्प का विक्रय	0.017 प्रतिशत	विक्रेता

105. धारा 104 में सारणी के स्तंभ (2) के अधीन विनिर्दिष्ट कराधेय वस्तु संव्यवहार का मूल्य,— कराधेय वस्तु संव्यवहार का मूल्य।

(क) क्रम सं0 1 के सामने ऐसे संव्यवहारों के संबंध में, विकल्प प्रीमियम होगा;

(ख) क्रम सं0 2 के सामने ऐसे संव्यवहारों के संबंध में, वह कीमत होगी जिस पर, यथास्थिति, माल में विकल्प या वस्तु व्युत्पन्न में विकल्प तय किया जाता है;

(ग) क्रम सं0 3 के सामने ऐसे संव्यवहारों के संबंध में, वह कीमत होगी, जिस पर वस्तु व्युत्पन्न का विक्रय किया जाना है।

106. (1) प्रत्येक मान्यताप्राप्त संगम (जिसे इस अध्याय में इसके पश्चात् निर्धारिती कहा गया है), यथास्थिति, ऐसे क्रेता या विक्रेता से, जो उस मान्यताप्राप्त संगम में कराधेय वस्तु संव्यवहार करता है, धारा 104 में विनिर्दिष्ट दरों पर वस्तु संव्यवहार कर का संग्रहण करेगा। वस्तु संव्यवहार कर का संग्रहण और वसूली।

(2) उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार किसी कलैंडर मास के दौरान संगृहीत वस्तु संव्यवहार कर का, प्रत्येक निर्धारिती द्वारा उक्त कलैंडर मास के ठीक बाद के मास के सातवें दिन तक, केन्द्रीय सरकार के खाते में संदाय किया जाएगा।

(3) ऐसा कोई निर्धारिती, जो उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार कर का संग्रहण करने में असफल रहता है, ऐसी असफलता के होते हुए भी, उपधारा (2) के उपबंधों के अनुसार केन्द्रीय सरकार के खाते में कर का संदाय करने का दायी होगा।

विवरणी का दिया जाना।

107. (1) प्रत्येक निर्धारिती, प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अन्त के पश्चात् विहित समय-सीमा के भीतर, उस मान्यताप्राप्त संगम में उस वित्तीय वर्ष के दौरान किए गए सभी कराधेय वस्तु संव्यवहारों के संबंध में ऐसे प्ररूप में और ऐसी रीति से सत्यापित तथा ऐसी विशिष्टियां उपवर्णित करते हुए, जो विहित की जाएं, एक विवरणी तैयार करेगा और उसे निर्धारण अधिकारी या बोर्ड द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अन्य प्राधिकारी या अभिकरण को परिदत्त करेगा या परिदत्त कराएगा।

(2) जहां कोई निर्धारिती, विहित समय सीमा के भीतर उपधारा (1) के अधीन विवरणी देने में असफल रहता है, वहां निर्धारण अधिकारी ऐसे निर्धारिती को एक सूचना जारी कर सकेगा और उस पर उसकी तामील उससे यह अपेक्षा करते हुए कर सकेगा कि वह विहित प्ररूप में और विहित रीति से सत्यापित ऐसी विशिष्टियां उपवर्णित करते हुए, ऐसे समय के भीतर, जो विहित किया जाए, विवरणी प्रस्तुत करे।

(3) कोई निर्धारिती, जिसने उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन विहित समय-सीमा के भीतर विवरणी प्रस्तुत नहीं की है या उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन विवरणी प्रस्तुत कर दिए जाने के पश्चात् उसे उसमें किसी लोप या गलत कथन का पता लगता है तो वह निर्धारण किए जाने के पूर्व किसी समय, यथास्थिति, विवरणी या पुनरीक्षित विवरणी प्रस्तुत कर सकेगा।

निर्धारण।

108. (1) इस अध्याय के अधीन निर्धारण करने के प्रयोजनों के लिए, निर्धारण अधिकारी किसी ऐसे निर्धारिती पर, जिसने धारा 107 के अधीन विवरणी प्रस्तुत की है या जिस पर उस धारा की उपधारा (2) के अधीन सूचना की तामील की गई है, चाहे कोई विवरणी दी गई है या नहीं, किसी सूचना की तामील कर सकेगा, जिसमें विनिर्दिष्ट की जाने वाली तारीख को, ऐसे लेखाओं या दस्तावेजों या अन्य साक्ष्य को, जिसकी निर्धारण अधिकारी इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए अपेक्षा करे, प्रस्तुत करने या कराने की उससे अपेक्षा की जाएगी और वह समय-समय पर ऐसी और सूचनाओं की तामील कर सकेगा जिनमें उससे ऐसे अतिरिक्त लेखाओं या दस्तावेजों या अन्य साक्ष्य को, जिसकी वह अपेक्षा करे, प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जा सकेगी।

(2) निर्धारण अधिकारी ऐसे लेखाओं, दस्तावेजों या अन्य साक्ष्य पर, यदि कोई हों, विचार करने के पश्चात्, जो उपधारा (1) के अधीन उसने प्राप्त किए हैं और किसी अन्य सुसंगत सामग्री पर विचार करने के पश्चात्, जो उसने एकत्रित की है, लिखित आदेश द्वारा सुसंगत वित्तीय वर्ष के दौरान कराधेय वस्तु संव्यवहारों का मूल्य निर्धारित करेगा और ऐसे निर्धारण के आधार पर संदेय वस्तु संव्यवहार कर या देय प्रतिदाय का अवधारण करेगा:

परंतु इस उपधारा के अधीन कोई निर्धारण सुसंगत वित्तीय वर्ष के अंत से दो वर्ष की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जाएगा।

(3) प्रत्येक निर्धारिती, यदि उपधारा (2) के अधीन निर्धारण पर उसे कोई रकम प्रतिदेय है तो ऐसे समय के भीतर, जो विहित किया जाए, यथास्थिति, विक्रेता या क्रेता को, जिससे ऐसी रकम संगृहीत की गई थी, उस रकम का प्रतिदाय करेगा।

भूल की परिशुद्धि।

109. (1) अभिलेख से प्रकट किसी भूल की परिशुद्धि करने की दृष्टि से, निर्धारण अधिकारी, इस अध्याय के उपबंधों के अधीन उसके द्वारा पारित किसी आदेश को, उस वित्तीय वर्ष के अंत से, जिसमें वह आदेश, जिसमें संशोधन किए जाने की वांछा की गई है, पारित किया गया था, एक वर्ष के भीतर संशोधित कर सकेगा।

(2) जहां उपधारा (1) में निर्दिष्ट किसी आदेश से संबंधित अपील के रूप में किसी कार्यवाही में किसी मामले पर विचार किया गया है और उसका विनिश्चय किया गया है, वहां

ऐसा आदेश पारित करने वाला निर्धारण अधिकारी, तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में किसी बात के होते हुए भी, उस मामले से, जिस पर इस प्रकार विचार किया गया है और जिसे विनिश्चित किया गया है, भिन्न किसी मामले के संबंध में उस उपधारा के अधीन आदेश का संशोधन कर सकेगा।

(3) इस धारा के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए, निर्धारण अधिकारी, या तो स्वप्रेरणा से या निर्धारिती द्वारा उसकी जानकारी में लाई गई किसी भूल पर उपधारा (1) के अधीन कोई संशोधन कर सकेगा।

(4) कोई संशोधन, जिसका प्रभाव किसी निर्धारण को बढ़ाना या किसी प्रतिदाय को कम करना या अन्यथा निर्धारिती के दायित्व को बढ़ाना है, इस धारा के अधीन तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि निर्धारण अधिकारी ने निर्धारिती को ऐसा करने के अपने आशय की सूचना न दे दी हो और निर्धारिती को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर अनुज्ञात न कर दिया गया हो।

(5) इस धारा के अधीन संशोधन का आदेश निर्धारण अधिकारी द्वारा लिखित में किया जाएगा।

(6) इस अध्याय के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए, जहां किसी ऐसे संशोधन का प्रभाव निर्धारण को कम करना है वहां निर्धारण अधिकारी ऐसा प्रतिदाय करेगा, जो उस निर्धारिती को देय हो।

(7) जहां किसी ऐसे संशोधन का प्रभाव निर्धारण को बढ़ाना या पहले से किए गए प्रतिदाय को कम करना है, वहां निर्धारण अधिकारी निर्धारिती द्वारा संदेय राशि विनिर्दिष्ट करते हुए आदेश करेगा और इस अध्याय के उपबंध तदनुसार लागू होंगे।

वस्तु संव्यवहार कर के विलंबित संदाय पर ब्याज।

110. ऐसा प्रत्येक निर्धारिती, जो धारा 106 के अधीन यथा अपेक्षित वस्तु संव्यवहार कर या उसके किसी भाग को, उस धारा में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर केंद्रीय सरकार के खाते में जमा करने में असफल रहता है, प्रत्येक उस मास या मास के भाग के लिए, जिस तक कर या उसके किसी भाग के ऐसे जमा करने में विलंब किया गया है, ऐसे कर के एक प्रतिशत की दर से साधारण ब्याज का संदाय करेगा।

वस्तु संव्यवहार कर के संग्रहण या संदाय में असफलता के लिए शास्ति।

111. कोई निर्धारिती, जो,—

(क) धारा 106 के अधीन यथा अपेक्षित संपूर्ण वस्तु संव्यवहार कर या उसके किसी भाग का संग्रहण करने में असफल रहता है; या

(ख) वस्तु संव्यवहार कर संगृहीत करने के पश्चात् ऐसे कर का उस धारा की उपधारा (2) के उपबंधों के अनुसार केंद्रीय सरकार के खाते में संदाय करने में असफल रहता है,—

(i) खंड (क) में निर्दिष्ट मामले में, उस धारा की उपधारा (3) के उपबंधों के अनुसार कर का या धारा 110 के उपबंधों के अनुसार ब्याज का, यदि कोई हो, संदाय करने के अतिरिक्त, वस्तु संव्यवहार कर की उस रकम के बराबर, जिसका संग्रहण करने में वह असफल रहा था, राशि का शास्ति के रूप में संदाय करने के लिए दायी होगा;

(ii) खंड (ख) में निर्दिष्ट मामले में, उस धारा की उपधारा (2) के उपबंधों के अनुसार कर का और धारा 110 के उपबंधों के अनुसार ब्याज का संदाय करने के अतिरिक्त, ऐसे प्रत्येक दिन के लिए, जिसके दौरान असफलता जारी रहती है, एक हजार रुपए की राशि का शास्ति के रूप में संदाय करेगा; तथापि, इस खंड के अधीन शास्ति उस वस्तु संव्यवहार कर की रकम से अधिक नहीं होगी, जिसका संदाय करने में वह असफल रहा था।

विवरणी देने में असफलता के लिए शास्ति।

112. जहां कोई निर्धारिती विहित समय-सीमा के भीतर धारा 107 की उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन विवरणी देने में असफल रहता है तो वह ऐसे प्रत्येक दिन

के लिए, जिसके दौरान असफलता जारी रहती है, सौ रुपए की राशि का शास्ति के रूप में संदाय करने के लिए दायी होगा।

सूचना का अनुपालन करने में असफलता के लिए शास्ति।

113. यदि निर्धारण अधिकारी का, इस अध्याय के अधीन किन्हीं कार्यवाहियों के दौरान यह समाधान हो जाता है कि निर्धारिती धारा 108 की उपधारा (1) के अधीन सूचना का अनुपालन करने में असफल रहा है तो वह यह निदेश दे सकेगा कि ऐसा निर्धारिती उसके द्वारा संदेय किसी वस्तु संव्यवहार कर और ब्याज, यदि कोई हो, के अतिरिक्त, ऐसे प्रत्येक दिन के लिए जिसके दौरान असफलता जारी रहती है, दस हजार रुपए की राशि का शास्ति के रूप में संदाय करेगा।

कतिपय दशाओं में शास्ति का अधिरोपित न किया जाना।

114. (1) धारा 111 या धारा 112 या धारा 113 में किसी बात के होते हुए भी, उक्त धाराओं में निर्दिष्ट किसी असफलता के लिए कोई शास्ति अधिरोपणीय नहीं होगी, यदि निर्धारिती निर्धारण अधिकारी के समाधान के लिए यह साबित कर देता है कि उक्त असफलता के लिए युक्तियुक्त कारण था।

(2) इस अध्याय के अधीन कोई शास्ति अधिरोपित करने वाला कोई आदेश तब तक नहीं किया जाएगा, जब तक कि निर्धारिती को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर न दे दिया गया हो।

आय-कर अधिनियम के कतिपय उपबंधों का लागू होना।

115. आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 120, धारा 131, धारा 133क, धारा 156, धारा 178, धारा 220 से धारा 227, धारा 229, धारा 232; धारा 260क, धारा 261, धारा 262, धारा 265 से धारा 269, धारा 278ख, धारा 282 और धारा 288 से धारा 293 के उपबंध, जहां तक हो सके, वस्तु संव्यवहार कर के संबंध में लागू होंगे। 1961 का 43

आय-कर आयुक्त (अपील) को अपीलें।

116. (1) धारा 108 के अधीन निर्धारण अधिकारी द्वारा किए गए किसी निर्धारण आदेश या धारा 109 के अधीन किसी आदेश से या इस अध्याय के अधीन निर्धारित किए जाने के उसके दायित्व से इन्कार करने वाले किसी आदेश से या इस अध्याय के अधीन शास्ति के अधिरोपण के किसी आदेश से व्यथित कोई निर्धारिती, निर्धारण अधिकारी के आदेश की प्राप्ति की तारीख से तीस दिन के भीतर, आय-कर आयुक्त (अपील) को अपील कर सकेगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन प्रत्येक अपील ऐसे प्ररूप में होगी और ऐसी रीति से सत्यापित की जाएगी जो विहित की जाए और उसके साथ एक हजार रुपए की फीस होगी।

(3) जहां कोई अपील उपधारा (1) के अधीन फाइल की गई है, वहां आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 249 से धारा 251 के उपबंध, जहां तक हो सके, ऐसी अपील को लागू होंगे। 1961 का 43

अपील अधिकरण को अपील।

117. (1) धारा 116 के अधीन आय-कर आयुक्त (अपील) द्वारा किए गए आदेश से व्यथित कोई निर्धारिती ऐसे आदेश के विरुद्ध अपील अधिकरण को अपील कर सकेगा।

(2) आय-कर आयुक्त, यदि वह धारा 116 के अधीन आय-कर आयुक्त (अपील) द्वारा पारित किसी आदेश पर आक्षेप करता है तो निर्धारण अधिकारी को ऐसे आदेश के विरुद्ध अपील अधिकरण को अपील करने का निदेश दे सकेगा।

(3) उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन प्रत्येक अपील, उस तारीख से, जिसको वह आदेश, जिसके विरुद्ध अपील किए जाने की वांछा की गई है, यथास्थिति, निर्धारिती या आय-कर आयुक्त को प्राप्त होता है, साठ दिन के भीतर फाइल की जाएगी।

(4) उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन प्रत्येक अपील ऐसे प्ररूप में होगी और ऐसी रीति से सत्यापित की जाएगी जो विहित की जाए और उपधारा (1) के अधीन फाइल की गई अपील की दशा में, उसके साथ एक हजार रुपए की फीस होगी।

(5) जहां कोई अपील, उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन अपील अधिकरण के समक्ष फाइल की गई है, वहां आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 253 से धारा 255 के उपबंध, जहां तक हो सके, ऐसी अपील को लागू होंगे। 1961 का 43

मिथ्या कथन के लिए दण्ड।

118. (1) यदि कोई व्यक्ति, इस अध्याय के या उसके अधीन बनाए गए किसी नियम के अधीन किसी सत्यापन में ऐसा मिथ्या कथन करता है या ऐसा लेखा या कथन परिदत्त करता है, जो मिथ्या है, और जिसके बारे में वह यह जानता है या यह विश्वास करता है कि वह मिथ्या है या जिसके सही होने का विश्वास नहीं करता है, तो वह कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से, दंडनीय होगा।

1974 का 2

(2) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 में किसी बात के होते हुए भी, उपधारा (1) के अधीन दंडनीय कोई अपराध, उस संहिता के अर्थ के भीतर असंज्ञेय समझा जाएगा।

अभियोजन का संस्थित किया जाना।

119. किसी व्यक्ति के विरुद्ध, धारा 118 के अधीन किसी अपराध के लिए कोई अभियोजन मुख्य आय-कर आयुक्त की पूर्व मंजूरी के बिना, संस्थित नहीं किया जाएगा ।

नियम बनाने की शक्ति।

120. (1) केंद्रीय सरकार, इस अध्याय के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियम बना सकेगी।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध कर सकेंगे, अर्थात्:—

(क) वह समय-सीमा, जिसके भीतर और वह प्ररूप तथा रीति, जिसमें ऐसी विवरणी धारा 107 के अधीन परिदत्त की जाएगी या परिदत्त कराई जाएगी या दी जाएगी; और

(ख) वह प्ररूप, जिसमें धारा 116 और या धारा 117 के अधीन अपील फाइल की जा सकेगी और वह रीति, जिसमें वह सत्यापित की जा सकेगी।

(3) इस अध्याय के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम उसके बनाए जाने के पश्चात्, यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा । यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी। यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन, उस नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं, तो तत्पश्चात्, वह नियम ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा । यदि उक्त अवसान के पश्चात् दोनों सदन इस बात पर सहमत हो जाएं कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो वह तत्पश्चात् निष्प्रभाव हो जाएगा; किन्तु नियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति।

121. (1) यदि इस अध्याय के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो केंद्रीय सरकार राजपत्र में प्रकाशित ऐसे आदेश द्वारा, जो इस अध्याय के उपबंधों से असंगत न हो, उस कठिनाई को दूर कर सकेगी:

परंतु ऐसा कोई आदेश उस तारीख से, जिसको इस अध्याय के उपबंध प्रवृत्त होते हैं, दो वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जाएगा।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, उसके किए जाने के पश्चात्, यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा।

अध्याय 8

प्रकीर्ण

2001 के अधिनियम 14 की सातवीं अनुसूची का संशोधन।

122. वित्त अधिनियम, 2001 की सातवीं अनुसूची, आठवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट रीति से संशोधित की जाएगी।

2002 के अधिनियम 58 की धारा 13 का संशोधन।

123. भारतीय यूनिट ट्रस्ट (उपक्रम का अंतरण और निरसन) अधिनियम, 2002 की धारा 13 की उपधारा (1) में, ''नियत दिन को संगणित पांच वर्ष की अवधि के लिए'' शब्दों के स्थान पर, ''नियत दिन को प्रारंभ होने वाली और 31 मार्च, 2009 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए'' शब्द और अंक रखे जाएंगे तथा 1 फरवरी, 2008 से रखे गए समझे जाएंगे।

2004 के अधिनियम 23 का संशोधन।

124. वित्त (संख्यांक 2) अधिनियम, 2004 में, 1 जून, 2008 से,—

(i) धारा 98 की सारणी में, क्र. सं. 4 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्र0 सं0 और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :—

क्र.सं.	कराधेय प्रतिभूति संव्यवहार	दर	द्वारा संदेय
(1)	(2)	(3)	(4)
''4	(क) प्रतिभूतियों में विकल्प का विक्रय	0.017 प्रतिशत	विक्रेता
	(ख) प्रतिभूतियों में विकल्प का विक्रय, जहां विकल्प का प्रयोग किया जाता है	0.125 प्रतिशत	क्रेता
	(ग) प्रतिभूतियों में वायदा सौदे का विक्रय	0.017 प्रतिशत	विक्रेता'';

(ii) धारा 99 के खंड (क) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्:—

''(क) प्रतिभूतियों में विकल्प से संबंधित कराधेय प्रतिभूति संव्यवहार की दशा में,—

(i) धारा 98 की सारणी के क्रम संख्यांक 4 के मद (क) में संव्यवहार की बाबत विकल्प प्रीमियम होगा;

(ii) धारा 98 की सारणी के क्रम संख्यांक 4 की मद (ख) में संव्यवहार की बाबत तय की गई कीमत होगी;''।

2005 के अधिनियम 18 का संशोधन।

125. वित्त अधिनियम, 2005 में,—

(i) धारा 95 में, उपधारा (2) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा 1 अप्रैल, 2009 से अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

''(3) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, 1 अप्रैल, 2009 को या उसके पश्चात् किए गए किसी कराधेय बैंककारी संव्यवहार की बाबत कोई बैंककारी नकद संव्यवहार कर प्रभारित नहीं किया जाएगा।'';

(ii) सातवीं अनुसूची, नवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट रीति से संशोधित की जाएगी।

पहली अनुसूची

(धारा 2 देखिए)

भाग 1

आय-कर

पैरा क

(I) इस पैरा की मद (II) और मद (III) में निर्दिष्ट व्यष्टि से भिन्न प्रत्येक व्यष्टि या हिन्दू अविभक्त कुटुंब या व्यक्ति-संगम या व्यष्टि निकाय की, चाहे वह निगमित हो या नहीं, या आय-कर अधिनियम की धारा 2 के खंड (31) के उपखंड (vii) में निर्दिष्ट प्रत्येक कृत्रिम विधिक व्यक्ति की दशा में, जो ऐसी दशा नहीं है, जिसमें इस भाग का कोई अन्य पैरा लागू होता है,—

आय-कर की दरें

(1) जहां कुल आय 1,10,000 रु0 से अधिक नहीं है	कुछ नहीं ;
(2) जहां कुल आय 1,10,000 रु0 से अधिक है किंतु 1,50,000 रु0 से अधिक नहीं है	उस रकम का 10 प्रतिशत, जिससे कुल आय 1,10,000 रु0 से अधिक हो जाती है;
(3) जहां कुल आय 1,50,000 रु0 से अधिक है किंतु 2,50,000 रु0 से अधिक नहीं है	4,000 रु0 धन उस रकम का 20 प्रतिशत, जिससे कुल आय 1,50,000 रु0 से अधिक हो जाती है ;
(4) जहां कुल आय 2,50,000 रु0 से अधिक है	24,000 रु0 धन उस रकम का 30 प्रतिशत, जिससे कुल आय 2,50,000 रु0 से अधिक हो जाती है ।

(II) प्रत्येक ऐसे व्यष्टि की दशा में, जो भारत में निवासी स्त्री है और जो पूर्ववर्ष के दौरान किसी समय पैंसठ वर्ष से कम आयु की है—

आय-कर की दरें

(1) जहां कुल आय 1,45,000 रु0 से अधिक नहीं है	कुछ नहीं;
(2) जहां कुल आय 1,45,000 रु0 से अधिक है किंतु 1,50,000 रु0 से अधिक नहीं है	उस रकम का 10 प्रतिशत, जिससे कुल आय 1,45,000 रु0 से अधिक हो जाती है ;
(3) जहां कुल आय 1,50,000 रु0 से अधिक है किंतु 2,50,000 रु0 से अधिक नहीं है	500 रु0 धन उस रकम का 20 प्रतिशत, जिससे कुल आय 1,50,000 रु0 से अधिक हो जाती है ;
(4) जहां कुल आय 2,50,000 रु0 से अधिक है	20,500 रु0 धन उस रकम का 30 प्रतिशत, जिससे कुल आय 2,50,000 रु0 से अधिक हो जाती है ।

(III) प्रत्येक ऐसे व्यष्टि की दशा में, जो भारत में निवासी है और जो पूर्ववर्ष के दौरान किसी समय पैंसठ वर्ष या अधिक आयु का है—

आय-कर की दरें

(1) जहां कुल आय 1,95,000 रु0 से अधिक नहीं है	कुछ नहीं :
(2) जहां कुल आय 1,95,000 रु0 से अधिक है किंतु 2,50,000 रु0 से अधिक नहीं है	उस रकम का 20 प्रतिशत, जिससे कुल आय 1,95,000 रु0 से अधिक हो जाती है ;
(3) जहां कुल आय 2,50,000 रु0 से अधिक है	11,000 रु0 धन उस रकम का 30 प्रतिशत, जिससे कुल आय 2,50,000 रु0 से अधिक हो जाती है।

आय-कर पर अधिभार

इस पैरा के पूर्ववर्ती उपबंधों या धारा 111क या धारा 112 के अनुसार संगणित आय-कर की रकम में से,—

(i) ऐसे प्रत्येक व्यष्टि या हिन्दू अविभक्त कुटुंब या व्यक्ति-संगम या व्यष्टि निकाय की दशा में, जिसकी कुल आय दस लाख रुपए से अधिक है, अध्याय 8क के अधीन परिकलित आय-कर के रिबेट की रकम घटा दी जाएगी और इस प्रकार घटा कर आए आय-कर में, ऐसे आय-कर के दस प्रतिशत की दर से परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा;

(ii) मद (i) में उल्लिखित व्यक्तियों से भिन्न प्रत्येक व्यक्ति की दशा में, ऐसे आय-कर के दस प्रतिशत की दर से परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा:

परंतु ऊपर मद (i) में उल्लिखित व्यक्तियों की दशा में, जिनकी कुल आय दस लाख रुपए से अधिक है, ऐसी आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम, दस लाख रुपए की कुल आय पर, आय-कर के रूप में संदेय उस कुल रकम से, जो दस लाख रुपए से अधिक है, अधिक नहीं होगी।

पैरा ख

प्रत्येक सहकारी सोसाइटी की दशा में,—

आय-कर की दरें

(1) जहां कुल आय 10,000 रु0 से अधिक नहीं है	कुल आय का 10 प्रतिशत ;
(2) जहां कुल आय 10,000 रु0 से अधिक है किंतु 20,000 रु0 से अधिक नहीं है	1,000 रु0 धन उस रकम का 20 प्रतिशत, जिससे कुल आय 10,000 रु0 से अधिक हो जाती है ;
(3) जहां कुल आय 20,000 रु0 से अधिक है	3,000 रु0 धन उस रकम का 30 प्रतिशत, जिससे कुल आय 20,000 रु0 से अधिक हो जाती है ।

पैरा ग

प्रत्येक फर्म की दशा में,—

आय-कर की दर

संपूर्ण कुल आय पर 30 प्रतिशत ।

आय-कर पर अधिभार

प्रत्येक फर्म की दशा में, जिसकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, इसमें इसके पूर्व विनिर्दिष्ट दर से या धारा 111क या धारा 112 में संगणित आय-कर की रकम में, ऐसे आय-कर के दस प्रतिशत की दर से परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा :

परंतु ऐसी प्रत्येक फर्म की दशा में, जिसकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, आय-कर और ऐसे आय-कर पर अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम, एक करोड़ रुपए की कुल आय पर आय-कर के रूप में संदेय उस कुल रकम से, जो एक करोड़ रुपए से अधिक है, अधिक नहीं होगी।

पैरा घ

प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी की दशा में,—

आय-कर की दर

संपूर्ण कुल आय पर 30 प्रतिशत ।

पैरा ङ

किसी कंपनी की दशा में,—

आय-कर की दरें

I. देशी कंपनी की दशा में — कुल आय का 30 प्रतिशत;

II. देशी कंपनी से भिन्न कंपनी की दशा में,—

(i) कुल आय के उतने भाग पर, जो निम्नलिखित के रूप में है,—

(क) 31 मार्च, 1961 के पश्चात् किंतु 1 अप्रैल, 1976 के पूर्व उसके द्वारा सरकार या किसी भारतीय समुत्थान के साथ किए गए किसी करार के अनुसरण में उस सरकार या भारतीय समुत्थान से प्राप्त स्वामित्व; अथवा

(ख) 29 फरवरी, 1964 के पश्चात् किंतु 1 अप्रैल, 1976 के पूर्व उसके द्वारा सरकार या किसी भारतीय समुत्थान के साथ किए गए किसी करार के अनुसरण में उस सरकार या भारतीय समुत्थान से तकनीकी सेवाएं प्रदान करने के लिए प्राप्त फीस,

और जहां, दोनों में से किसी भी दशा में, ऐसा करार केंद्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है, वहां — 50 प्रतिशत ;

(ii) कुल आय के अतिशेष पर, यदि कोई हो — 40 प्रतिशत ।

आय-कर पर अधिभार

प्रत्येक कंपनी की दशा में, इस पैरा के पूर्ववर्ती उपबंधों के अनुसार या धारा 111क या धारा 112 में संगणित आय-कर की रकम में, निम्नलिखित दर से परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा,—

(i) प्रत्येक देशी कंपनी की दशा में, जिसकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे आय-कर के दस प्रतिशत की दर से ;

(ii) देशी कंपनी से भिन्न प्रत्येक कंपनी की दशा में, जिसकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, ढाई प्रतिशत की दर से :

परंतु ऐसी प्रत्येक देशी कंपनी की दशा में, जिसकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, आय-कर और ऐसे आय-कर पर अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम, एक करोड़ रुपए की कुल आय पर आय-कर के रूप में संदेय उस कुल रकम से, जो एक करोड़ रुपए से अधिक है, अधिक नहीं होगी।

भाग 2

कतिपय दशाओं में स्रोत पर कर की कटौती की दरें

ऐसी प्रत्येक दशा में, जिसमें आय-कर अधिनियम की धारा 193, धारा 194, धारा 194क, धारा 194ख, धारा 194खख, धारा 194घ और धारा 195 के उपबंधों के अधीन कर की कटौती प्रवृत्त दरों से की जानी है, आय में से कटौती निम्नलिखित दरों पर कटौती के अधीन रहते हुए की जाएगी:—

	आय-कर की दर
1. कंपनी से भिन्न व्यक्ति की दशा में,—	
(क) जहां व्यक्ति भारत में निवासी है,—	
(i) "प्रतिभूतियों पर ब्याज" से भिन्न ब्याज के रूप में आय पर	10 प्रतिशत ;
(ii) लाटरी, वर्ग पहेली, ताश के खेल और किसी प्रकार के अन्य खेल से जीत के रूप में आय पर	30 प्रतिशत ;
(iii) घुड़दौड़ से जीत के रूप में आय पर	30 प्रतिशत ;
(iv) बीमा कमीशन के रूप में आय पर	10 प्रतिशत ;
(v) निम्नलिखित पर संदेय ब्याज के रूप में आय पर—	10 प्रतिशत ;
(अ) किसी स्थानीय प्राधिकारी या किसी केंद्रीय, राज्य या प्रांतीय अधिनियम द्वारा स्थापित किसी निगम द्वारा या उसकी ओर से धन के लिए पुरोधृत किए गए कोई डिबेंचर या अन्य प्रतिभूतियां ;	
(आ) किसी कंपनी द्वारा पुरोधृत किए गए कोई डिबेंचर, जहां ऐसे डिबेंचर, भारत में मान्यताप्राप्त किसी स्टाक एक्सचेंज में प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 (1956 का 42) और उसके अधीन बनाए गए किन्हीं नियमों के अनुसार सूचीबद्ध हैं;	
(इ) केंद्रीय या राज्य सरकार की कोई प्रतिभूति	
(vi) किसी अन्य आय पर	20 प्रतिशत ;

	आय-कर की दर
(ख) जहां व्यक्ति भारत में निवासी नहीं है,—	
(i) अनिवासी भारतीय की दशा में,—	
(अ) विनिधान से किसी आय पर	20 प्रतिशत ;
(आ) धारा 115ङ में निर्दिष्ट दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभों के रूप में आय पर	10 प्रतिशत ;
(इ) धारा 111क में निर्दिष्ट अल्पकालिक पूंजी अभिलाभों के रूप में आय पर	15 प्रतिशत ;
(ई) दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभों के रूप में अन्य आय पर [जो धारा 10 के खंड (33), खंड (36) और खंड (38) में निर्दिष्ट दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ नहीं है]	20 प्रतिशत ;
(उ) सरकार या किसी भारतीय समुत्थान द्वारा विदेशी करेंसी में उधार लिए गए धन या उपगत ऋण पर सरकार या भारतीय समुत्थान द्वारा संदेय ब्याज के रूप में आय पर	20 प्रतिशत ;
(ऊ) उसके द्वारा सरकार या किसी भारतीय समुत्थान के साथ किए गए किसी करार के अनुसरण में, उस सरकार या भारतीय समुत्थान द्वारा संदेय स्वामिस्व के रूप में आय पर, जहां ऐसा स्वामिस्व, भारतीय समुत्थान को आय-कर अधिनियम की धारा 115क की उपधारा (1क) के पहले परंतुक में निर्दिष्ट किसी विषय की किसी पुस्तक में प्रतिलिप्यधिकार के संबंध में अथवा भारत में निवासी किसी व्यक्ति को आय-कर अधिनियम की धारा 115क की उपधारा (1क) के दूसरे परंतुक में निर्दिष्ट किसी कंप्यूटर साफ्टवेयर के संबंध में सभी या किन्हीं अधिकारों के (जिनके अंतर्गत अनुज्ञप्ति देना भी है) अंतरण के प्रतिफल के रूप में, है—	
(I) जहां करार 1 जून, 1997 को या उसके पश्चात् किन्तु 1 जून, 2005 के पूर्व किया गया है,	20 प्रतिशत ;
(II) जहां करार 1 जून, 2005 को या उसके पश्चात् किया गया है,	10 प्रतिशत ;
(ऋ) उसके द्वारा सरकार या किसी भारतीय समुत्थान के साथ किए गए किसी करार के अनुसरण में, और जहां ऐसा करार किसी भारतीय समुत्थान के साथ है, वहां वह करार केंद्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित है या जहां वह भारत सरकार की तत्समय प्रवृत्त औद्योगिक नीति में सम्मिलित किसी विषय से संबंधित है, वहां वह करार उस नीति के अनुसार है, उस सरकार या भारतीय समुत्थान द्वारा संदेय स्वामिस्व के रूप में [जो उपखंड (ख)(i)(च) में निर्दिष्ट प्रकृति का स्वामिस्व नहीं है] आय पर,—	
(I) जहां करार 1 जून, 1997 को या उसके पश्चात्, किन्तु, 1 जून, 2005 के पूर्व किया गया है,	20 प्रतिशत ;
(II) जहां करार 1 जून, 2005 को या उसके पश्चात् किया गया है,	10 प्रतिशत ;
(ए) सरकार या किसी भारतीय समुत्थान के साथ किए गए किसी करार के अनुसरण में, और जहां ऐसा करार किसी भारतीय समुत्थान के साथ है, वहां वह करार केंद्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित है या जहां वह भारत सरकार की तत्समय प्रवृत्त औद्योगिक नीति में सम्मिलित किसी विषय से संबंधित है, वहां वह करार उस नीति के अनुसार है, उस सरकार या भारतीय समुत्थान द्वारा तकनीकी सेवाओं के लिए संदेय फीस के रूप में आय पर,—	
(I) जहां करार 1 जून, 1997 को या उसके पश्चात्, किन्तु, 1 जून, 2005 के पूर्व किया गया है,	20 प्रतिशत ;
(II) जहां करार 1 जून, 2005 को या उसके पश्चात् किया गया है,	10 प्रतिशत ;
(ऐ) लाटरी, वर्ग पहेली, ताश के खेल और किसी प्रकार के अन्य खेल से जीत के रूप में आय पर	30 प्रतिशत ;

	आय-कर की दर
(ओ) घुड़दौड़ से जीत के रूप में आय पर	30 प्रतिशत ;
(औ) अन्य सम्पूर्ण आय पर	30 प्रतिशत ;
(ii) किसी अन्य व्यक्ति की दशा में,—	
(अ) सरकार या किसी भारतीय समुत्थान द्वारा विदेशी करेंसी में उधार लिए गए धन या उपगत ऋण पर सरकार या भारतीय समुत्थान द्वारा संदेय ब्याज के रूप में आय पर	20 प्रतिशत ;
(आ) उसके द्वारा सरकार या किसी भारतीय समुत्थान के साथ किए गए किसी करार के अनुसरण में, उस सरकार या भारतीय समुत्थान द्वारा संदेय स्वामिस्व के रूप में आय पर, जहां ऐसा स्वामिस्व, भारतीय समुत्थान को आय-कर अधिनियम की धारा 115क की उपधारा (1क) के पहले परंतुक में निर्दिष्ट किसी विषय की किसी पुस्तक में प्रतिलिप्यधिकार के संबंध में अथवा भारत में निवासी किसी व्यक्ति को आय-कर अधिनियम की धारा 115क की उपधारा (1क) के दूसरे परंतुक में निर्दिष्ट किसी कंप्यूटर साफ्टवेयर के संबंध में सभी या किन्हीं अधिकारों के (जिनके अंतर्गत अनुज्ञप्ति देना भी है) अंतरण के प्रतिफल के रूप में, है—	
(I) जहां करार 1 जून, 1997 को या उसके पश्चात्, किन्तु 1 जून, 2005 के पूर्व किया गया है,	20 प्रतिशत ;
(II) जहां करार 1 जून, 2005 को या उसके पश्चात् किया गया है,	10 प्रतिशत ;
(इ) उसके द्वारा सरकार या किसी भारतीय समुत्थान के साथ किए गए किसी करार के अनुसरण में, और जहां ऐसा करार किसी भारतीय समुत्थान के साथ है, वहां करार केंद्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित है या जहां वह भारत सरकार की तत्समय प्रवृत्त औद्योगिक नीति में सम्मिलित किसी विषय से संबंधित है, वहां वह करार उस नीति के अनुसार है, सरकार या भारतीय समुत्थान द्वारा संदेय स्वामिस्व के रूप में [जो उपमद (ख)(ii)(आ) में निर्दिष्ट प्रकृति का स्वामिस्व नहीं है], आय पर,—	
(I) जहां करार 1 जून, 1997 को या उसके पश्चात्, किन्तु 1 जून, 2005 के पूर्व किया गया है,	20 प्रतिशत;
(II) जहां करार 1 जून, 2005 को या उसके पश्चात् किया गया है,	10 प्रतिशत ;
(ई) उसके द्वारा सरकार या किसी भारतीय समुत्थान के साथ किए गए किसी करार के अनुसरण में, और जहां ऐसा करार किसी भारतीय समुत्थान के साथ है, वहां वह करार केंद्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित है या जहां वह भारत सरकार की तत्समय प्रवृत्त औद्योगिक नीति में सम्मिलित किसी विषय से संबंधित है, वहां वह करार उस नीति के अनुसार है, उस सरकार या भारतीय समुत्थान द्वारा तकनीकी सेवाओं के लिए संदेय फीस के रूप में आय पर,—	
(I) जहां करार 1 जून, 1997 को या उसके पश्चात्, किन्तु 1 जून, 2005 के पूर्व किया गया है,	20 प्रतिशत ;
(II) जहां करार 1 जून, 2005 को या उसके पश्चात् किया गया है,	10 प्रतिशत ;
(उ) लाटरी, वर्ग पहेली, ताश के खेल और किसी प्रकार के अन्य खेल से जीत के रूप में आय पर	30 प्रतिशत ;
(ऊ) घुड़दौड़ से जीत के रूप में आय पर	30 प्रतिशत ;
(ऋ) धारा 111क में निर्दिष्ट अल्पकालिक पूंजी अभिलाभों के रूप में आय पर	15 प्रतिशत ;
(ए) दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभों के रूप में अन्य आय पर [जो धारा 10 के खंड (33), खंड (36) और खंड (38) में निर्दिष्ट दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ नहीं है]	20 प्रतिशत;
(ऐ) अन्य सम्पूर्ण आय पर	30 प्रतिशत।

	आय-कर की दर
2. किसी कंपनी की दशा में,—	
(क) जहां कंपनी देशी कंपनी है,—	
(i) "प्रतिभूतियों पर ब्याज" से भिन्न ब्याज के रूप में आय पर	20 प्रतिशत ;
(ii) लाटरी, वर्ग पहेली, ताश के खेल और किसी प्रकार के अन्य खेल से जीत के रूप में आय पर	30 प्रतिशत ;
(iii) घुड़दौड़ से जीत के रूप में आय पर	30 प्रतिशत ;
(iv) किसी अन्य आय पर	20 प्रतिशत ;
(ख) जहां कंपनी देशी कंपनी नहीं है,—	
(i) लाटरी, वर्ग पहेली, ताश के खेल और किसी प्रकार के अन्य खेल से जीत के रूप में आय पर	30 प्रतिशत ;
(ii) घुड़दौड़ से जीत के रूप में आय पर	30 प्रतिशत ;
(iii) सरकार या किसी भारतीय समुत्थान द्वारा विदेशी करेंसी में उधार लिए गए धन या उपगत ऋण पर सरकार या भारतीय समुत्थान द्वारा संदेय ब्याज के रूप में आय पर	20 प्रतिशत ;
(iv) 31 मार्च, 1976 के पश्चात् उसके द्वारा सरकार या किसी भारतीय समुत्थान के साथ किए गए किसी करार के अनुसरण में उस सरकार या भारतीय समुत्थान द्वारा संदेय स्वामित्व के रूप में आय पर, जहां ऐसा स्वामित्व, भारतीय समुत्थान को आय-कर अधिनियम की धारा 115क की उपधारा (1क) के पहले परंतुक में निर्दिष्ट विषय की किसी पुस्तक में प्रतिलिप्यधिकार के संबंध में अथवा भारत में निवासी किसी व्यक्ति को आय-कर अधिनियम की धारा 115क की उपधारा (1क) के दूसरे परंतुक में निर्दिष्ट किसी कंप्यूटर साफ्टवेयर के संबंध में सभी या किन्हीं अधिकारों के (जिनके अंतर्गत अनुज्ञप्ति देना भी है) अंतरण के प्रतिफल के रूप में है—	
(अ) जहां करार 1 जून, 1997 के पूर्व किया गया है	30 प्रतिशत ;
(आ) जहां करार 1 जून, 1997 को या उसके पश्चात्, किंतु 1 जून, 2005 के पूर्व किया गया है	20 प्रतिशत ;
(इ) जहां करार 1 जून, 2005 को या उसके पश्चात् किया गया है	10 प्रतिशत ;
(v) उसके द्वारा सरकार या किसी भारतीय समुत्थान के साथ किए गए किसी करार के अनुसरण में, और जहां ऐसा करार किसी भारतीय समुत्थान के साथ है, वहां वह करार केंद्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है अथवा जहां वह भारत सरकार की तत्समय प्रवृत्त औद्योगिक नीति में सम्मिलित विषय से संबंधित है वहां वह करार उस नीति के अनुसार है, उस सरकार या भारतीय समुत्थान द्वारा संदेय स्वामित्व के रूप में आय पर [जो उपमद (ख)(iv) में निर्दिष्ट प्रकृति का स्वामित्व नहीं है]—	
(अ) जहां करार 31 मार्च, 1961 के पश्चात्, किंतु 1 अप्रैल, 1976 के पूर्व किया गया है	50 प्रतिशत;
(आ) जहां करार 31 मार्च, 1976 के पश्चात्, किन्तु 1 जून, 1997 के पूर्व किया गया है	30 प्रतिशत ;
(इ) जहां करार 1 जून, 1997 को या उसके पश्चात्, किन्तु 1 जून, 2005 के पूर्व किया गया है	20 प्रतिशत ;
(ई) जहां करार 1 जून, 2005 को या उसके पश्चात् किया गया है	10 प्रतिशत ;
(vi) उसके द्वारा सरकार या किसी भारतीय समुत्थान के साथ किए गए किसी करार के अनुसरण में, और जहां ऐसा करार किसी भारतीय समुत्थान के साथ है, वहां वह करार केंद्रीय सरकार द्वारा	

	आय-कर की दर
अनुमोदित कर दिया गया है अथवा जहां वह भारत सरकार की तत्समय प्रवृत्त औद्योगिक नीति में सम्मिलित विषय से संबंधित है, वहां वह करार उस नीति के अनुसार है, उस सरकार या भारतीय समुत्थान द्वारा, तकनीकी सेवाओं के लिए, संदेय फीस के रूप में आय पर,—	
(अ) जहां करार 29 फरवरी, 1964 के पश्चात्, किंतु 1 अप्रैल, 1976 के पूर्व किया गया है	50 प्रतिशत ;
(आ) जहां करार 31 मार्च, 1976 के पश्चात्, किन्तु 1 जून, 1997 के पूर्व किया गया है	30 प्रतिशत ;
(इ) जहां करार 1 जून, 1997 को या उसके पश्चात्, किन्तु 1 जून, 2005 के पूर्व किया गया है	20 प्रतिशत ;
(ई) जहां करार 1 जून, 2005 को या उसके पश्चात् किया गया है	10 प्रतिशत ;
(vii) धारा 111क में निर्दिष्ट अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ के रूप में आय पर	15 प्रतिशत ;
(viii) दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभों के रूप में आय पर [जो धारा 10 के खंड (33), खंड (36) और खंड (38) में निर्दिष्ट दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ नहीं है]	20 प्रतिशत ;
(ix) किसी अन्य आय पर	40 प्रतिशत ।

स्पष्टीकरण—इस भाग की मद 1(ख)(i) के प्रयोजन के लिए, "विनिधान से आय" और "अनिवासी भारतीय" के वही अर्थ हैं, जो आय-कर अधिनियम के अध्याय 12क में हैं।

आय-कर पर अधिभार

निम्नलिखित उपबंधों के अनुसार कटौती की गई आय-कर की रकम में,—

(अ) इस भाग की मद 1 के उपबंधों के अनुसार, संघ के प्रयोजनों के लिए—

(i) प्रत्येक व्यष्टि, हिंदू अविभक्त कुटुंब, व्यक्ति-संगम और व्यष्टि-निकाय की दशा में, चाहे निगमित हो या नहीं, जहां संदत्त या संदाय किए जाने के लिए संभाव्य आय अथवा ऐसी आय का योग और कटौती के अधीन रहते हुए, दस लाख रुपए से अधिक है, ऐसे कर के दस प्रतिशत की दर से;

(ii) आय-कर अधिनियम की धारा 2 के खंड (31) के उपखंड (vii) में निर्दिष्ट प्रत्येक कृत्रिम विधिक व्यक्ति की दशा में, ऐसे कर के दस प्रतिशत की दर से;

(iii) प्रत्येक फर्म की दशा में, जहां संदत्त या संदाय किए जाने के लिए संभाव्य आय या ऐसी आय का योग और कटौती के अधीन रहते हुए, एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे कर के दस प्रतिशत की दर से,

परिकलित अधिभार बढ़ा दिया जाएगा;

(आ) इस भाग की मद 2 के उपबंधों के अनुसार, संघ के प्रयोजनों के लिए,—

(i) प्रत्येक देशी कंपनी की दशा में, जहां संदत्त या संदाय किए जाने के लिए संभाव्य आय या ऐसी आय का योग और कटौती के अधीन रहते हुए, एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे आय कर के दस प्रतिशत की दर से;

(ii) किसी देशी कंपनी से भिन्न प्रत्येक कंपनी की दशा में, जहां संदत्त या संदाय किए जाने के लिए संभाव्य आय या ऐसी आय का योग और कटौती के अधीन रहते हुए, एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे आय-कर के ढाई प्रतिशत की दर से,

परिकलित अधिभार बढ़ा दिया जाएगा।

भाग 3

कतिपय दशाओं में आय-कर के प्रभारण, "वेतन" शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय से आय-कर की कटौती और "अग्रिम कर" की संगणना के लिए दरें

उन दशाओं में जिनमें आय-कर, प्रवृत्त दर या दरों से, आय-कर अधिनियम की धारा 172 की उपधारा (4) या उक्त अधिनियम की धारा 174 की उपधारा (2) या धारा 174क या धारा 175 या धारा 176 की उपधारा (2) के अधीन प्रभारित किया जाना है अथवा "वेतन" शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय में से उक्त अधिनियम की धारा 192 के अधीन काटा जाना है या उस पर संदाय किया जाना है अथवा जिसमें उक्त अधिनियम के अध्याय 17ग के अधीन संदेय "अग्रिम कर" की संगणना की जानी है, यथास्थिति, ऐसा आय-कर या "अग्रिम कर" [जो आय-कर अधिनियम के अध्याय 12 या अध्याय 12क के अधीन कर से प्रभार्य किसी आय या अध्याय 12ज के अधीन प्रभार्य अनुषंगी फायदे या धारा 115ञख या धारा 161 की उपधारा (1क) या धारा 164 या धारा 164क या धारा 167ख के अधीन, उस अध्याय या धारा में विनिर्दिष्ट दरों पर कर से प्रभार्य किसी आय के संबंध में "अग्रिम कर" नहीं है या धारा 115क या धारा 115कख या धारा 115कग या धारा 115कगक या धारा 115कघ या धारा 115ख या धारा 115खख या धारा 115खखक या धारा 115खखग या धारा 115ङ या धारा 115ञख के अधीन कर से प्रभार्य किसी आय या धारा 115बक के अधीन कर से प्रभार्य अनुषंगी फायदे के संबंध में ऐसे "अग्रिम कर" पर अधिभार नहीं है] निम्नलिखित दर या दरों से, प्रभारित किया जाएगा, काटा जाएगा या संगणित किया जाएगा:—

पैरा क

(I) इस पैरा की मद (II) और मद (III) में निर्दिष्ट व्यष्टि से भिन्न प्रत्येक व्यष्टि या हिन्दू अविभक्त कुटुंब या व्यक्ति-संगम या व्यष्टि-निकाय की, चाहे निगमित हो या नहीं या आय-कर अधिनियम की धारा 2 के खंड (31) के उपखंड (vii) में निर्दिष्ट प्रत्येक कृत्रिम विधिक व्यक्ति की दशा में, जो ऐसी दशा नहीं है, जिसे इस भाग का कोई अन्य पैरा लागू होता है,—

आय-कर की दरें

(1) जहां कुल आय 1,50,000 रु0 से अधिक नहीं है	कुछ नहीं ;
(2) जहां कुल आय 1,50,000 रु0 से अधिक है किंतु 3,00,000 रु0 से अधिक नहीं है	उस रकम का 10 प्रतिशत, जिससे कुल आय 1,50,000 रु0 से अधिक हो जाती है;
(3) जहां कुल आय 3,00,000 रु0 से अधिक है, किंतु 5,00,000 रु0 से अधिक नहीं है	15,000 रु0 धन उस रकम का 20 प्रतिशत, जिससे कुल आय 3,00,000 रु0 से अधिक हो जाती है;
(4) जहां कुल आय 5,00,000 रु0 से अधिक है	55,000 रु0 धन उस रकम का 30 प्रतिशत, जिससे कुल आय 5,00,000 रु0 से अधिक हो जाती है।

(II) प्रत्येक ऐसे व्यष्टि की दशा में, जो भारत में निवासी स्त्री है और जो पूर्ववर्ष के दौरान किसी समय पैंसठ वर्ष से कम आयु की है —

आय-कर की दरें

(1) जहां कुल आय 1,80,000 रु0 से अधिक नहीं है	कुछ नहीं;
(2) जहां कुल आय 1,80,000 रु0 से अधिक है किंतु 3,00,000 रु0 से अधिक नहीं है	उस रकम का 10 प्रतिशत, जिससे कुल आय 1,80,000 रु0 से अधिक हो जाती है;
(3) जहां कुल आय 3,00,000 रु0 से अधिक है, किंतु 5,00,000 रु0 से अधिक नहीं है	12,000 रु0 धन उस रकम का 20 प्रतिशत, जिससे कुल आय 3,00,000 रु0 से अधिक हो जाती है;
(4) जहां कुल आय 5,00,000 रु0 से अधिक है	52,000 रु0 धन उस रकम का 30 प्रतिशत, जिससे कुल आय 5,00,000 रु0 से अधिक हो जाती है।

(III) प्रत्येक ऐसे व्यष्टि की दशा में, जो भारत में निवासी है और जो पूर्ववर्ष के दौरान किसी समय पैंसठ वर्ष या अधिक आयु का है—

आय-कर की दरें

(1) जहां कुल आय 2,25,000 रु0 से अधिक नहीं है	कुछ नहीं;
(2) जहां कुल आय 2,25,000 रु0 से अधिक है, किन्तु 3,00,000 से अधिक नहीं है	उस रकम का 10 प्रतिशत, जिससे कुल आय 2,25,000 रु0 से अधिक हो जाती है;
(3) जहां कुल आय 3,00,000 रु0 से अधिक है किंतु 5,00,000 रु0 से अधिक नहीं है	7,500 रु0 धन उस रकम का 20 प्रतिशत, जिससे कुल आय 3,00,000 रु0 से अधिक हो जाती है;
(4) जहां कुल आय 5,00,000 रु0 से अधिक है	47,500 रु0 धन उस रकम का 30 प्रतिशत, जिससे कुल आय 5,00,000 रु0 से अधिक हो जाती है।

आय-कर पर अधिभार

इस पैरा के पूर्ववर्ती उपबंधों या धारा 111क या धारा 112 के अनुसार संगणित आय-कर की रकम में से,—

(i) ऐसे प्रत्येक व्यष्टि या हिन्दू अविभक्त कुटुंब या व्यक्ति-संगम या व्यष्टि-निकाय की दशा में, जिसकी कुल आय दस लाख रुपए से अधिक है, ऐसे आय-कर के दस प्रतिशत की दर से परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा;

(ii) मद (i) में उल्लिखित व्यक्तियों से भिन्न प्रत्येक व्यक्ति की दशा में, ऐसे आय-कर के दस प्रतिशत की दर से परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा:

परंतु ऊपर मद (i) में उल्लिखित व्यक्तियों की दशा में, जिनकी कुल आय दस लाख रुपए से अधिक है, ऐसी आय पर आय–कर और अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम, दस लाख रुपए की कुल रकम पर, आय-कर के रूप में संदेय उस कुल रकम से, जो दस लाख रुपए से अधिक है, अधिक नहीं होगी।

पैरा ख

प्रत्येक सहकारी सोसाइटी की दशा में,—

आय-कर की दरें

(1) जहां कुल आय 10,000 रु0 से अधिक नहीं है	कुल आय का 10 प्रतिशत ;
(2) जहां कुल आय 10,000 रु0 से अधिक है, किंतु 20,000 रु0 से अधिक नहीं है	1,000 रु0 धन उस रकम का 20 प्रतिशत, जिससे कुल आय 10,000 रु0 से अधिक हो जाती है;
(3) जहां कुल आय 20,000 रु0 से अधिक है	3,000 रु0 धन उस रकम का 30 प्रतिशत, जिससे कुल आय 20,000 रु0 से अधिक हो जाती है।

पैरा ग

प्रत्येक फर्म की दशा में,—

आय-कर की दर

संपूर्ण कुल आय पर 30 प्रतिशत।

आय-कर पर अधिभार

प्रत्येक फर्म की दशा में, जिसकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, इसमें इसके पूर्व विनिर्दिष्ट दर से या धारा 111क या धारा 112 में संगणित आय-कर की रकम में, ऐसे आय-कर के दस प्रतिशत की दर से परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा:

परंतु ऐसी प्रत्येक फर्म की दशा में, जिसकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, आय-कर और ऐसे आय-कर पर अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम, एक करोड़ रुपए की कुल आय पर आय-कर के रूप में संदेय उस कुल रकम से, एक करोड़ रुपए से अधिक नही होगी जो उस आय की रकम से अधिक है जो एक करोड़ रुपए से अधिक है।

पैरा घ

प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी की दशा में,—

आय-कर की दर

संपूर्ण कुल आय पर — 30 प्रतिशत।

पैरा ङ

कंपनी की दशा में,—

आय-कर की दरें

I. देशी कंपनी की दशा में — कुल आय का 30 प्रतिशत;

II. देशी कंपनी से भिन्न कंपनी की दशा में,—

(i) कुल आय के उतने भाग पर, जो निम्नलिखित के रूप में है,—

(क) 31 मार्च, 1961 के पश्चात्, किंतु 1 अप्रैल, 1976 के पूर्व उसके द्वारा सरकार या किसी भारतीय समुत्थान के साथ किए गए किसी करार के अनुसरण में सरकार या भारतीय समुत्थान से प्राप्त स्वामित्व; या

(ख) 29 फरवरी, 1964 के पश्चात्, किंतु 1 अप्रैल, 1976 के पूर्व उसके द्वारा सरकार या किसी भारतीय समुत्थान के साथ किए गए किसी करार के अनुसरण में सरकार या भारतीय समुत्थान से प्राप्त तकनीकी सेवाएं प्रदान करने के लिए फीस,

और जहां, दोनों में से प्रत्येक दशा में, ऐसा करार केंद्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है — 50 प्रतिशत;

(ii) कुल आय के अतिशेष पर, यदि कोई हो — 40 प्रतिशत।

आय-कर पर अधिभार

प्रत्येक कंपनी की दशा में, इस पैरा के पूर्ववर्ती उपबंधों के अनुसार या धारा 111क या धारा 112 में संगणित आय-कर की रकम में निम्नलिखित दर से,—

(i) प्रत्येक देशी कंपनी की दशा में, जिसकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे आय-कर के दस प्रतिशत की दर से ;

(ii) देशी कंपनी से भिन्न प्रत्येक कंपनी की दशा में, जिसकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, ढाई प्रतिशत की दर से,

परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा:

परंतु ऐसी प्रत्येक कंपनी की दशा में, जिसकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, आय-कर और ऐसे आय-कर पर अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम, एक करोड़ रुपए की कुल रकम पर आय-कर के रूप में संदेय उस कुल रकम से, जो एक करोड़ रुपए से अधिक है, अधिक नहीं होगी।

भाग 4

[धारा 2(12)(ग) देखिए]

शुद्ध कृषि-आय की संगणना के नियम

नियम 1—आय-कर अधिनियम की धारा 2 के खंड (1क) के उपखंड (क) में निर्दिष्ट प्रकृति की कृषि-आय इस प्रकार संगणित की जाएगी मानो वह उस अधिनियम के अधीन "अन्य स्रोतों से आय" शीर्ष के अधीन आय-कर से प्रभार्य आय हो और उस अधिनियम की धारा 57 से धारा 59 के उपबंध, जहां तक हो सके, तदनुसार लागू होंगे:

परंतु धारा 58 की उपधारा (2) इस उपांतर के साथ लागू होगी कि उसमें धारा 40क के प्रति निर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि उसके अंतर्गत धारा 40क की उपधारा (3) और उपधारा (4) के प्रति निर्देश नहीं हैं।

नियम 2—आय-कर अधिनियम की धारा 2 के खंड (1क) के उपखंड (ख) या उपखंड (ग) में निर्दिष्ट प्रकृति की कृषि-आय [जो ऐसी आय से भिन्न है, जो ऐसे भवन से व्युत्पन्न होती है, जिसकी उक्त उपखंड (ग) में निर्दिष्ट भाटक या आमदनी के पाने वाले को या खेतिहर को या वस्तु रूप में भाटक के पाने वाले को निवास-गृह के रूप में आवश्यकता हो] इस प्रकार संगणित की जाएगी मानो वह उस अधिनियम के अधीन "कारबार या वृत्ति के लाभ और अभिलाभ" शीर्ष के अधीन आय-कर से प्रभार्य आय हो और आय-कर अधिनियम की धारा 30, धारा 31, धारा 32, धारा 36, धारा 37, धारा 38, धारा 40, धारा 40क [उसकी उपधारा (3) और उपधारा (4) से भिन्न] धारा 41, धारा 43, धारा 43क, धारा 43ख और धारा 43ग के उपबंध, जहां तक हो सके, तदनुसार लागू होंगे।

नियम 3—आय-कर अधिनियम की धारा 2 के खंड (1क) के उपखंड (ग) में निर्दिष्ट प्रकृति की कृषि-आय, जो ऐसी आय है, जो ऐसे भवन से व्युत्पन्न होती है, जिसकी उक्त उपखंड (ग) में निर्दिष्ट भाटक या आमदनी के पाने वाले को या खेतिहर को या वस्तु रूप में भाटक के पाने वाले को निवास-गृह के रूप में आवश्यकता हो, इस प्रकार संगणित की जाएगी मानो वह उस अधिनियम के अधीन "गृह-संपत्ति से आय" शीर्ष के अधीन आय-कर से प्रभार्य आय हो और उस अधिनियम की धारा 23 से धारा 27 के उपबंध, जहां तक हो सके, तदनुसार लागू होंगे।

नियम 4—इन नियमों के किन्हीं अन्य उपबंधों में किसी बात के होते हुए भी, उस दशा में—

(क) जहां निर्धारिती को, भारत में उसके द्वारा उपजाई गई और विनिर्मित चाय के विक्रय से आय व्युत्पन्न होती है, वहां ऐसी आय, आय-कर नियम, 1962 के नियम 8 के अनुसार संगणित की जाएगी और ऐसी आय के साठ प्रतिशत भाग को, निर्धारिती की कृषि-आय समझा जाएगा;

(ख) जहां निर्धारिती को, भारत में उसके द्वारा उगाए गए रबड़ के पौधों से उसके द्वारा विनिर्मित या प्रसंस्कृत तकनीकी रूप से विनिर्दिष्ट ब्लाक रबड़ के सेंट्रीफ्यूज लेटेक्स या सिनेक्स या क्रेप्स पर आधारित लेटेक्स (जैसे पेल लेटेक्स क्रेप) या ब्राउन क्रेप (जैसे एस्टेट ब्राउन क्रेप, रिमिल्ड क्रेप, स्माक्ड ब्लेन्केट क्रेप या फ्लेट बार्क क्रेप) के विक्रय से आय व्युत्पन्न होती है, वहां ऐसी आय, आय-कर नियम, 1962 के नियम 7क के अनुसार संगणित की जाएगी और ऐसी आय के पैंसठ प्रतिशत भाग को, निर्धारिती की कृषि-आय समझा जाएगा;

(ग) जहां निर्धारिती को, भारत में उसके द्वारा उपजाई गई और विनिर्मित कॉफी के विक्रय से आय व्युत्पन्न होती है, वहां ऐसी आय, आय-कर नियम, 1962 के नियम 7ख के अनुसार संगणित की जाएगी और ऐसी आय के, यथास्थिति, साठ प्रतिशत या पचहत्तर प्रतिशत भाग को, निर्धारिती की कृषि-आय समझा जाएगा।

नियम 5—जहां निर्धारिती किसी ऐसे व्यक्ति-संगम या व्यष्टि निकाय (हिन्दू अविभक्त कुटुंब, कंपनी या फर्म से भिन्न) का सदस्य है, जिसकी पूर्ववर्ष में आय-कर अधिनियम के अधीन कर से प्रभार्य या तो कोई आय नहीं है या जिसकी कुल आय किसी व्यक्ति-संगम या व्यष्टि निकाय (हिंदू अविभक्त कुटुंब, कंपनी या फर्म से भिन्न) की दशा में कर से प्रभार्य न होने वाली अधिकतम रकम से अधिक नहीं है, किंतु जिसकी कोई कृषि-आय भी है, वहां उस संगम या निकाय की कृषि-आय या हानि, इन नियमों के अनुसार संगणित की जाएगी और इस प्रकार संगणित कृषि-आय या हानि में निर्धारिती के अंश को, निर्धारिती की कृषि-आय या हानि समझा जाएगा।

नियम 6—जहां कृषि-आय के किसी स्रोत के संबंध में पूर्ववर्ष के लिए संगणना का परिणाम हानि है, वहां ऐसी हानि, कृषि-आय के किसी अन्य स्रोत से उस पूर्ववर्ष के लिए निर्धारिती की किसी आय के प्रति, यदि कोई हो, मुजरा की जाएगी:

परंतु जहां निर्धारिती किसी व्यक्ति-संगम या व्यष्टि निकाय का सदस्य है और, यथास्थिति, संगम या निकाय की कृषि-आय में निर्धारिती का अंश हानि है, वहां ऐसी हानि, कृषि-आय के किसी अन्य स्रोत से निर्धारिती की किसी आय के प्रति मुजरा नहीं की जाएगी।

नियम 7—राज्य सरकार द्वारा कृषि-आय पर उद्गृहीत किसी कर मद्दे निर्धारिती द्वारा संदेय किसी राशि की, कृषि-आय की संगणना करने में, कटौती की जाएगी।

नियम 8—(1) जहां निर्धारिती की, 2008 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष में कोई कृषि-आय है और 2000 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2001 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2002 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2003 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2004 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2005 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2006 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2007 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्षों से सुसंगत पूर्ववर्षों में से किसी एक या अधिक के लिए निर्धारिती की कृषि-आय की संगणना का शुद्ध परिणाम हानि है, वहां इस अधिनियम की धारा 2 की उपधारा (2) के प्रयोजनों के लिए,—

(i) 2000 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए इस प्रकार संगणित हानि, उस परिमाण तक, यदि कोई हो, जिस तक ऐसी हानि 2001 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2002 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2003 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2004 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2005 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2006 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2007 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए कृषि-आय के प्रति मुजरा नहीं की गई है;

(ii) 2001 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए इस प्रकार संगणित हानि, उस परिमाण तक, यदि कोई हो, जिस तक ऐसी हानि 2002 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2003 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2004 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2005 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2006 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2007 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए कृषि-आय के प्रति मुजरा नहीं की गई है;

(iii) 2002 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए इस प्रकार संगणित हानि, उस परिमाण तक, यदि कोई हो, जिस तक ऐसी हानि 2003 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2004 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2005 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2006 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2007 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए कृषि-आय के प्रति मुजरा नहीं की गई है;

(iv) 2003 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए इस प्रकार संगणित हानि, उस परिमाण तक, यदि कोई हो, जिस तक ऐसी हानि 2004 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2005 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2006 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2007 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए कृषि-आय के प्रति मुजरा नहीं की गई है;

(v) 2004 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए इस प्रकार संगणित हानि, उस परिमाण तक, यदि कोई हो, जिस तक ऐसी हानि 2005 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2006 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2007 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए कृषि-आय के प्रति मुजरा नहीं की गई है;

(vi) 2005 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए इस प्रकार संगणित हानि, उस परिमाण तक, यदि कोई हो, जिस तक ऐसी हानि 2006 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2007 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए कृषि-आय के प्रति मुजरा नहीं की गई है;

(vii) 2006 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए इस प्रकार संगणित हानि, उस परिमाण तक, यदि कोई हो, जिस तक ऐसी हानि 2007 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए कृषि-आय के प्रति मुजरा नहीं की गई है;

(viii) 2007 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए इस प्रकार संगणित हानि,

2008 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए निर्धारिती की कृषि-आय के प्रति मुजरा की जाएगी।

(2) जहां निर्धारिती की, 2009 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष में या, यदि आय-कर अधिनियम के किसी उपबंध के आधार पर, आय-कर उस पूर्ववर्ष से भिन्न किसी अवधि की आय के संबंध में प्रभारित किया जाना है तो, ऐसी अन्य अवधि में, कोई कृषि-आय है और 2001 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2002 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2003 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2004 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2005 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2006 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2007 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2008 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्षों से सुसंगत पूर्ववर्षों में से किसी एक या अधिक के लिए निर्धारिती की कृषि-आय की संगणना का शुद्ध परिणाम हानि है, वहां इस अधिनियम की धारा 2 की उपधारा (10) के प्रयोजनों के लिए,—

(i) 2001 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए इस प्रकार संगणित हानि, उस परिमाण तक, यदि कोई हो, जिस तक ऐसी हानि 2002 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2003 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2004 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2005 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2006 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2007 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2008 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए कृषि-आय के प्रति मुजरा नहीं की गई है;

(ii) 2002 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए इस प्रकार संगणित हानि, उस परिमाण तक, यदि कोई हो, जिस तक ऐसी हानि 2003 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2004 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2005 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2006 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2007 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2008 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए कृषि-आय के प्रति मुजरा नहीं की गई है;

(iii) 2003 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए इस प्रकार संगणित हानि, उस परिमाण तक, यदि कोई हो, जिस तक ऐसी हानि 2004 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2005 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2006 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2007 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2008 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए कृषि-आय के प्रति मुजरा नहीं की गई है;

(iv) 2004 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए इस प्रकार संगणित हानि, उस परिमाण तक, यदि कोई हो, जिस तक ऐसी हानि 2005 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2006 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2007 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2008 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए कृषि-आय के प्रति मुजरा नहीं की गई है;

(v) 2005 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए इस प्रकार संगणित हानि, उस परिमाण तक, यदि कोई हो, जिस तक ऐसी हानि 2006 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2007 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2008 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए कृषि-आय के प्रति मुजरा नहीं की गई है;

(vi) 2006 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए इस प्रकार संगणित हानि, उस परिमाण तक, यदि कोई हो, जिस तक ऐसी हानि 2007 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2008 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए कृषि-आय के प्रति मुजरा नहीं की गई है;

(vii) 2007 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए इस प्रकार संगणित हानि, उस परिमाण तक, यदि कोई हो, जिस तक ऐसी हानि 2008 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए कृषि-आय के प्रति मुजरा नहीं की गई है;

(viii) 2008 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए इस प्रकार संगणित हानि,

2009 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए निर्धारिती की कृषि-आय के प्रति मुजरा की जाएगी।

(3) जहां किसी स्रोत से कृषि-आय प्राप्त करने वाले व्यक्ति का, कोई अन्य व्यक्ति, विरासत से भिन्न रीति से, उसी हैसियत में उत्तराधिकारी हो गया है, वहां उपनियम (1) या उपनियम (2) की कोई बात, हानि उठाने वाले व्यक्ति से भिन्न किसी व्यक्ति को, यथास्थिति, उपनियम (1) या उपनियम (2) के अधीन मुजरा कराने का हकदार नहीं बनाएगी।

(4) इस नियम में किसी बात के होते हुए भी, ऐसी हानि, जिसे निर्धारण अधिकारी द्वारा इन नियमों के या वित्त अधिनियम, 2000 (2000 का 10) की पहली अनुसूची के या वित्त अधिनियम, 2001 (2001 का 14) की पहली अनुसूची के या वित्त अधिनियम, 2002 (2002 का 20) की पहली अनुसूची के या वित्त अधिनियम, 2003 (2003 का 32) की पहली अनुसूची के या वित्त (संख्यांक 2) अधिनियम, 2004 (2004 का 23) की पहली अनुसूची के या वित्त अधिनियम, 2005 (2005 का 18) की पहली अनुसूची के या वित्त अधिनियम, 2006 (2006 का 21) की पहली अनुसूची के या वित्त अधिनियम, 2007 (2007 का 22) की पहली अनुसूची के भाग 4 में अंतर्विष्ट नियमों के उपबंधों के अधीन अवधारित नहीं किया गया है, यथास्थिति, उपनियम (1) या उपनियम (2) के अधीन मुजरा नहीं की जाएगी।

नियम 9—जहां इन नियमों के अनुसार की गई संगणना का शुद्ध परिणाम हानि है, वहां इस प्रकार संगणित हानि पर ध्यान नहीं दिया जाएगा और शुद्ध कृषि-आय को शून्य समझा जाएगा।

नियम 10—आय-कर अधिनियम के निर्धारण की प्रक्रिया से संबंधित उपबंध (जिनके अंतर्गत आय के पूर्णांकन से संबंधित धारा 288क के उपबंध भी हैं) आवश्यक उपांतरणों सहित, निर्धारिती की शुद्ध कृषि-आय की संगणना के संबंध में उसी प्रकार लागू होंगे, जैसे वे कुल आय के निर्धारण के संबंध में लागू होते हैं।

नियम 11—निर्धारिती की शुद्ध कृषि-आय की संगणना करने के प्रयोजनों के लिए, निर्धारण अधिकारी को वही शक्तियां होंगी जो उसे कुल आय के निर्धारण के प्रयोजनों के लिए आय-कर अधिनियम के अधीन हैं।

दूसरी अनुसूची

[धारा 77(ii) देखिए]

सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की पहली अनुसूची में,—

(1) अध्याय 24 में, टैरिफ मद 2402 10 10 और मद 2402 10 20 में, उनमें से प्रत्येक के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "60%" प्रविष्टि रखी जाएगी;

(2) अध्याय 27 में, टैरिफ मद 2716 00 00 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "2000 रुपए प्रति 1000 किलोवाट" प्रविष्टि रखी जाएगी।

तीसरी अनुसूची

[धारा 77(iii) देखिए]

सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की दूसरी अनुसूची में,—

(i) शीर्ष सं॰ 12 के सामने स्तंभ (3) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "3,000 रुपए प्रति टन" प्रविष्टि रखी जाएगी;

(ii) शीर्ष सं॰ 26 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

शीर्ष सं॰	वस्तु का वर्णन	शुल्क की दर
(1)	(2)	(3)
"27.	कच्चा लोहा और स्पीगेलाइजेन, जो पिगों, ब्लाकों या अन्य प्राथमिक रूपों में हैं	20%
28.	प्रपिंडकों, गुटिकाओं या इसी प्रकार के रूपों में लौह अयस्क को सीधे क्षीण करके प्राप्त किए गए लौहमय उत्पाद और अन्य स्पंजी लौहमय उत्पाद; प्रपिंडकों, गुटिकाओं या वैसे ही रूपों में 99.94% भार तक न्यूनतम शुद्धता वाला लौह	20%
29.	लौहमय अपशिष्ट और स्क्रैप, लौह या इस्पात के पुनर्गलन स्क्रैप पिंड	20%
30.	कच्चे लोहे, स्पीगेलाइजेन, लौह या इस्पात की कणिकाएं और चूर्ण	20%
31.	पिंडों या अन्य प्राथमिक रूपों में लोहा और अमिश्रातु इस्पात	20%
32.	लोहे या अमिश्रातु इस्पात के अर्ध तैयार उत्पाद	20%
33.	लोहे या अमिश्रातु इस्पात के सपाट वेल्लित उत्पाद, तप्त वेल्लित, न कि पट्टित, लेपित या विलेपित	20%
34.	लोहे या अमिश्रातु इस्पात के सपाट वेल्लित उत्पाद, शीत वेल्लित (शीत क्षीणित), न कि पट्टित, लेपित या विलेपित	20%
35.	लोहे या अमिश्रातु इस्पात के सपाट वेल्लित उत्पाद, जस्ते से लेपित या विलेपित	20%
36.	लोहे या अमिश्रातु इस्पात की अनियमितत: आवलित कुंडली में शलाकाएं और छड़ें, तप्त वेल्लित	20%
37.	लोहे या अमिश्रातु इस्पात की अन्य शलाकाएं और छड़ें, फोर्ज के बजाय और कर्मित न की गई, तप्त वेल्लित, तप्त कर्षित या तप्त उत्सारित, किंतु इसके अंतर्गत वे भी हैं जो वेल्लन के पश्चात् मोड़ी गई हैं	20%
38.	लोहे या अमिश्रातु इस्पात की अन्य शलाकाएं और छड़ें	20%
39.	लोहे या अमिश्रातु इस्पात के ऐंगल, आकार और खंड	20%
40.	लोहे या अमिश्रातु इस्पात की तार	20%
41.	लोहे या इस्पात की ट्यूबें और पाइपें	20%
42.	बासमती चावल	12000 रुपए प्रति टन।"

चौथी अनुसूची

(धारा 86 देखिए)

केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के उपबंध जिसका संशोधन किया जाना है	संशोधन	संशोधन के प्रभाव की अवधि
(1)	(2)	(3)
तारीख 22 सितंबर, 1994 की अधिसूचना सं० सा.का.नि.. 699(अ) द्वारा यथा प्रतिस्थापित केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 का नियम 12।	केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 12 के उपनियम (1) में परंतुक के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :— "परंतु यह और कि कारखाने से निर्यात के लिए निकाले गए उत्पाद-शुल्क्य माल पर संदत्त शुल्क की रिबेट संदत्त शुल्क के उस भाग के लिए भी अनुज्ञेय होगी जिसके लिए भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 508(अ), तारीख 8 जुलाई, 1999 [32/99-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 8 जुलाई, 1999] या सा.का.नि. 509(अ), तारीख 8 जुलाई, 1999 [33/99-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 8 जुलाई, 1999] के निबंधनों के अनुसार प्रतिदाय अनुदत्त किया गया है।"।	8 जुलाई, 1999 से 30 जून 2001 तक (दोनों दिन सहित)।

पांचवीं अनुसूची

(धारा 87 देखिए)

केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क (सं. 2) नियम, 2001 के उपबंध जिसका संशोधन किया जाना है	संशोधन	संशोधन के प्रभाव की अवधि
(1)	(2)	(3)
तारीख 21 जून, 2001 की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 444(अ) द्वारा यथा प्रकाशित केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क (सं. 2) नियम, 2001 का नियम 18 ।	केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क (सं. 2) नियम, 2001 के नियम 18 में, स्पष्टीकरण के पहले निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:— "परंतु यह कि कारखाने से निर्यात के लिए निकाले गए उत्पाद-शुल्क्य माल पर संदत्त शुल्क का रिबेट संदत्त शुल्क के उस भाग के लिए भी अनुज्ञेय होगा जिसके लिए भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 508(अ), तारीख 8 जुलाई, 1999 [32/99-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 8 जुलाई, 1999] या सा.का.नि.सं. 509(अ), तारीख 8 जुलाई, 1999 [33/99-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 8 जुलाई, 1999], सा.का.नि. सं. 565(अ), तारीख 31 जुलाई, 2001 [39/2001-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 31 जुलाई, 2001], के निबंधनों के अनुसार प्रतिदाय अनुदत्त किया गया है।"।	1 जुलाई, 2001 से 28 फरवरी, 2002 तक (दोनों दिनों सहित)।

छठी अनुसूची

(धारा 88 देखिए)

केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 2002 के उपबंध जिसका संशोधन किया जाना है	संशोधन	संशोधन के प्रभाव की अवधि
(1)	(2)	(3)
तारीख 1 मार्च, 2002 की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 143(अ) द्वारा यथा प्रकाशित केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 2002 का नियम 18 ।	केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 2002 के नियम 18 में, स्पष्टीकरण के पहले निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:— "परंतु यह कि कारखाने से निर्यात के लिए निकाले गए उत्पाद-शुल्क्य माल पर संदत्त शुल्क का रिबेट संदत्त शुल्क के उस भाग के लिए भी अनुज्ञेय होगा जिसके लिए भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 508(अ), तारीख 8 जुलाई, 1999 [32/99-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 8 जुलाई, 1999] या सा.का.नि. सं. 509(अ), तारीख 8 जुलाई, 1999 [33/99-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 8 जुलाई, 1999], सा.का.नि. सं. 565(अ), तारीख 31 जुलाई, 2001 [39/2001-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 31 जुलाई, 2001] या भारत सरकार के तत्कालीन वित्त और कंपनी कार्य मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 764(अ), तारीख 14 नवंबर, 2002 [56/2002-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 14 नवंबर, 2002], सं. सा.का.नि. 765(अ), तारीख 14 नवंबर, 2002 [57/2002-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 14 नवंबर, 2002] या भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 513(अ), तारीख 25 जून, 2003 [56/2003-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 25 जून, 2003], सं. सा.का.नि. 717(अ), तारीख 9 सितंबर, 2003 [71/2003-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 9 सितंबर, 2003] के निबंधनों के अनुसार प्रतिदाय अनुदत्त किया गया है।"।	1 मार्च, 2002 से 7 दिसंबर, 2006 तक (दोनों दिनों सहित)।

सातवीं अनुसूची

(धारा 89 देखिए)

केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क टैरिफ अधिनियम की पहली अनुसूची में,—

(1) अध्याय 24 में,—

(i) टैरिफ मद 2402 20 10 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "659 रुपए प्रति हजार" प्रविष्टि रखी जाएगी;

(ii) टैरिफ मद 2402 20 20 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "1068 रुपए प्रति हजार" प्रविष्टि रखी जाएगी;

(2) अध्याय 25 में,—

(i) टैरिफ मद 2523 10 00 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "450 रुपए प्रति टन" प्रविष्टि रखी जाएगी;

(ii) टैरिफ मद 2523 29 10, 2523 29 20, 2523 29 30, 2523 29 40 और 2523 29 90 में, उनमें से प्रत्येक के सामने स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "900 रुपए प्रति टन" प्रविष्टि रखी जाएगी;

(3) अध्याय 39 के टिप्पण 16 में, "धातुकरण" शब्द के स्थान पर, "धातुकरण या पटलीकरण या लेकरकरण" शब्द रखे जाएंगे;

(4) अध्याय 85 में, टैरिफ मद 8523 80 20 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "12%" प्रविष्टि रखी जाएगी।

आठवीं अनुसूची

(धारा 122 देखिए)

वित्त अधिनियम, 2001 (2001 का 14) की सातवीं अनुसूची में,—

(1) टैरिफ मद 2402 20 10 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "90 रुपए प्रति हजार" प्रविष्टि रखी जाएगी;

(2) टैरिफ मद 2402 20 20 में स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "145 रुपए प्रति हजार" प्रविष्टि रखी जाएगी;

(3) टैरिफ मद 2709 00 00 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित टैरिफ मदें और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:—

टैरिफ मद	माल का वर्णन	इकाई	शुल्क की दर
(1)	(2)	(3)	(4)
"8517 12	— — सेल्यूलर नेटवर्कों या अन्य वायरलैस नेटवर्कों के लिए टेलीफोनः		
8517 12 10	— — — पुश बटन की तरह के	इ0	1%
8517 12 90	— — — अन्य	इ0	1%";

(4) उपशीर्ष 5402 20, टैरिफ मद 5402 20 10, 5402 20 90, 5402 33 00, 5402 46 00, 5402 47 00, 5402 52 00, 5402 62 00, 5406 10 00 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा।

नवीं अनुसूची

[धारा 125(ii) देखिए]

वित्त अधिनियम, 2005 (2005 का 18) की सातवीं अनुसूची में,—

(1) टैरिफ मद 2402 20 10 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "70 रुपए प्रति हजार" प्रविष्टि रखी जाएगी;

(2) टैरिफ मद 2402 20 20 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "110 रुपए प्रति हजार" प्रविष्टि रखी जाएगी।

भाग ४ (ग)
प्रारूप नियम

परिवहन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 9 अगस्त 2010

एफ-1-6/2009/आठ.—मध्यप्रदेश मोटरयान नियम, 1994 में संशोधन का निम्नलिखित प्रारूप जिसे राज्य सरकार, मोटरयान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 65, 95, 96 धारा 138 की उपधारा (2) के खण्ड (ङ) तथा 211 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, बनाना प्रस्तावित करती है, उक्त अधिनियम की धारा 212 की उपधारा (1) द्वारा अपेक्षित किए गए अनुसार ऐसे समस्त व्यक्तियों की, जिनके कि उससे प्रभावित होने की संभावना है, जानकारी के लिये एतद्द्वारा, प्रकाशित किया जाता है और एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस सूचना के मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से 30 दिवस का अवसान होने पर उक्त प्रारूप पर विचार किया जाएगा.

ऐसी किसी भी आपत्ति या सुझाव पर, जो उक्त प्रारूप के संबंध में किसी व्यक्ति से ऊपर विनिर्दिष्ट कालावधि के पूर्व, प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, परिवहन विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल, कक्ष क्रमांक 434 में कार्यालयीन समय में प्राप्त हो, राज्य सरकार द्वारा विचार किया जाएगा.

संशोधन का प्रारूप

उक्त नियमों में,

1. नियम 64 में, उपनियम (1) में, शब्द ''सहायक प्रादेशिक परिवहन अधिकारी'' के पश्चात्, शब्द ''अथवा जिला परिवहन अधिकारी'' अन्त:स्थापित किया जाए.

2. नियम 67 में, उपनियम (1) में, खण्ड (क) को खण्ड (क क) के रूप में पुनर्क्रमांकित किया जाए और इस प्रकार पुनर्क्रमांकित खण्ड (क क) के पूर्व, निम्नलिखित नया खण्ड अन्त:स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

''(क) अधिनियम की धारा 72 एवं धारा 74 के अधीन जिले के भीतर मंजिली गाड़ी या ठेका गाड़ी का अनुज्ञापत्र मंजूर करना, नामंजूर करना या उसका नवीकरण करना;''.

3. नियम 77 में, उपनियम (1) के पश्चात्, निम्नलिखित उपनियम अन्त:स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

''(1 क) यात्रियों को सुरक्षित, निरापद तथा सुविधाजनक परिवहन सेवाएं सुनिश्चित करने की दृष्टि से अनुज्ञापत्र मंजूर करने वाला प्राधिकारी, किसी मंजिली गाड़ी का अनुज्ञापत्र मंजूर करते समय निम्नलिखित शर्तों का पालन करेगा, अर्थात् :—

(एक) ऐसे यान को, जिसके विनिर्माण वर्ष से 10 वर्ष पूर्ण हो चुके हों अन्तर्राज्यीय मार्ग पर चलने के लिये मंजिली गाड़ी का अनुज्ञापत्र मंजूर नहीं किया जाएगा;

(दो) ऐसे यान को, जिसके विनिर्माण वर्ष से 15 वर्ष पूर्ण हो चुके हों, राज्य के भीतर साधारण मार्ग पर चलने के लिये मंजिली गाड़ी का अनुज्ञापत्र मंजूर नहीं किया जाएगा;

(तीन) ऐसे यान को, जिसके विनिर्माण वर्ष से 20 वर्ष पूर्ण हो चुके हों, किसी भी मार्ग पर चलने के लिये मंजिली गाड़ी का अनुज्ञापत्र मंजूर नहीं किया जाएगा;

(चार) एकल फेरे में, 150 किलोमीटर या उससे अधिक लंबी दूरी के मार्ग पर निम्नलिखित श्रेणी के यानों को, जिनकी बैठक क्षमता प्रत्येक के समक्ष दर्शाई गई है, चलाये जाने के लिये अनुज्ञात किया जाएगा :—

1.	डीलक्स/वातानुकूलित बस	चालक व परिचालक को छोड़कर, 35+2 से कम सीटें न हों.
2.	एक्प्रेस बस	चालक व परिचालक को छोड़कर, 45+2 से कम सीटें न हो.
3.	साधारण बस	चालक व परिचालक को छोड़कर, 50+2 से कम सीटें न हों.''.

4. नियम 103 में, उपनियम (1) के पश्चात्, निम्नलिखित उपनियम अन्त:स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"(1 क) पारस्परिक परिवहन अनुबंध के अन्तर्गत अन्तर्राज्यीय मार्ग पर मंजिली गाड़ी के अनुज्ञापत्र पर चलाए जा रहे यान की दशा में, यान की विंडस्क्रीन के ऊपरी किनारे पर तथा यान की बॉडी के दोनों ओर बाहरी भाग पर सफेद रंग से पेंट की गई पट्टी पर नीले रंग से "मध्यप्रदेश परिवहन" लिखा जाएगा. पट्टी की चौड़ाई 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई में अक्षरों का आकार 8 सेंटीमीटर होगा और वे ऐसे होंगे कि 25 मीटर की दूरी से साफ-साफ पढ़े जा सकते हों.".

5. नियम 116 में, उपनियम (1) के पश्चात्, निम्नलिखित उपनियम अन्त:स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"(1 क) मंजिली गाड़ी सेवायान, जिनकी बैठक क्षमता चालक और परिचालक को छोड़कर 6 से लेकर 21 तक है, "ग्रामीण सेवायान" के रूप में वर्गीकृत किए जाएंगे और नियम 116 क के खण्ड (दो) के अधीन यथाविनिर्दिष्ट "ग्रामीण मार्गों" पर ही चलाए जाएंगे. विंडस्क्रीन के ऊपरी किनारे पर तथा यान की बॉडी के दोनों ओर बाहरी भाग पर सफेद रंग से पेंट की गई पट्टी पर नीले रंग से "ग्रामीण सेवायान" लिखा जाएगा. पट्टी की चौड़ाई 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई में अक्षरों का आकार 8 सेंटीमीटर होगा और वे ऐसे होंगे कि 25 मीटर की दूरी से साफ-साफ पढ़े जा सकते हों.".

6. नियम 116 के पश्चात्, निम्नलिखित नियम अन्त:स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"(116 क) मध्यप्रदेश राज्य में मार्गों का वर्गीकरण और उन पर यान चलाए जाने का नियंत्रण.

(1) मार्गों का वर्गीकरण निम्नलिखित श्रेणियों में किया जाएगा :—

(एक) "साधारण मार्ग" से अभिप्रेत है, ऐसा मार्ग जो किसी ऐसे नगर या शहर को दूसरे ऐसे नगर या शहर से जोड़ता है, जो या तो तहसील मुख्यालय हो या नगरपालिक निगम, नगरपालिका या नगर पंचायत के अधीन नगरीय क्षेत्र हो. ऐसे मार्ग का कोई भाग साधारण मार्ग भी कहलाएगा.

(दो) "ग्रामीण मार्ग" से अभिप्रेत है, ऐसा मार्ग जो किसी ग्राम या नगर को दूसरे ग्राम या नगर से जोड़ता है, किन्तु जिसमें साधारण मार्ग का 5 किलोमीटर से अधिक का भाग सम्मिलित नहीं है.

(2) "साधारण मार्ग" पर ऐसे यात्रीयान को, जिनकी बैठक क्षमता चालक एवं परिचालक को छोड़कर 22 से कम हैं, चलाए जाने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएगा.

(3) "ग्रामीण मार्ग" पर ऐसे यात्रीयान को, जिनकी बैठक क्षमता चालक एवं परिचालक को छोड़कर 22 से अधिक है, चलाए जाने के लिये अनुज्ञात नहीं किया जाएगा.".

7. नियम 204 में, उपनियम (3) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम अन्त:स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"(4) (क) राज्य सरकार, राजपत्र में, अधिसूचना द्वारा, किसी व्यक्ति/अधिकारी/निकाय को बस स्टेण्ड के संधारण एवं उन्नयन के लिये एजेंसी घोषित कर सकेगी.

(ख) राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, किसी व्यक्ति/अधिकारी/निकाय को ऐसे बस स्टेंडों का उपयोग करने वाले यानों के स्वामियों से शुल्क संगृहीत करने के लिये प्राधिकृत कर सकेगी. शुल्क की दरें, राज्य सरकार द्वारा, अधिसूचना द्वारा, समय-समय पर विनिर्दिष्ट की जा सकेंगी.".

NOTICE

F-1-6-2009-VIII.—The following draft of amendment in the Madhya Pradesh Motor Vehicles Rules, 1994, which the State Government proposes to make in exercise of the powers conferred by section 65, 95, 96, clause (e) of sub-section (2) of section 138 and 211 of the Motor Vehicles Act, 1988 (No. 59 of 1988), is hereby, published as required by sub-section (1) of Section 212 of the said Act, for the information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said-draft will be taken into consideration on the expiry of 30 days from the date of publication of this notice in the Madhya Pradesh Gazette.

Any objection or suggestion which may be received by the Principal Secretary, Government of

Madhya Pradesh, Transport Department during office hours at Room No. 434, Mantralaya, Vallabh Bhawan, Bhopal from any person with respect to the said draft before the period specified above will be considered by the State Government.

DRAFT OF AMENDMENT

In the said rules,—

1. In rule 64, in sub-rule (1), after the words "Assistant Regional Transport Officer", the words "or District Transport Officer" shall be inserted.

2. In rule 67, in sub-rule (1), clause (a) shall be renumbered as clause (aa) and before clause (aa) as so renumbered the following new clause shall be inserted, namely :—

"(a) to grant, refuse or renew a stage carriage or contract carriage permit within a district under Section 72 and Section 74 of the Act;".

3. In rule 77, after sub-rule (1), the following sub-rule shall be inserted, namely :—

"(1a) In order to ensure safe, secure and convenient transport services to the passengers, the permit granting authority while granting a stage carriage permit shall abide the following conditions, namely :—

(i) that no stage carriage permit shall be granted on interstate route to a vehicle which has completed 10 years from the manufacture year;

(ii) that not stage carriage permit shall be granted for ordinary route within the State to a vehicle which has completed 15 years from the year of manufacture;

(iii) that no stage carriage permit shall be granted for any route to the vehicle which has completed 20 years from the year of manufacture;

(iv) that for long distance route of 150 km or above in a single trip, the following category of vehicles with seating capacity shown against each shall be permitted to ply :—

1.	Deluxe/Air conditioned bus	not less than 35+2 seats, excluding driver and conductor
2.	Express bus	not less than 45+2 seats excluding driver and conductor
3	Ordinary bus	not less than 50+2 seates, excluding driver and conductor".

4. In rule 103, after sub-rule (1), the following sub-rule shall be inserted, namely:—

"(1A) In case of a vehicle with stage carriage permit plying on interstate route under Reciprocal Transport Agreement, "Madhya Pradesh Parivahan" shall be painted in blue colour on a white strip on the upper edge of the wind screen and on the exterior of both sides of the body. The size of the strip shall be 10 cm wide and size of the letters shall be 8 cm in height and be such that it is clearly legible from a distance of 25 metres.".

5. In rule 116, after sub-rule (1), the following sub-rule shall be inserted, namely :—

"(1a) Stage carriage service vehicle having seating capacity 6 to 21 excluding the driver and conductor shall be classified as "Rural Service Vehicle" and shall ply exclusively on "Rural Routes" as specified under clause (ii) of rule 116A. "Rural Service Vehicle" shall be painted on such vehicle in blue colour on a white strip on the upper edge of the wind screen and on the exterior of both sides of the body. The size of the strip shall be 10 cm wide and size of the letters shall be 8 cm in height and be such that it is clearly legible from a distance of 25 meters.".

6. After rule 116, the following rule shall be inserted, namely:—

"116A Classification of routes in the State of Madhya Pradesh and control of plying vehicles thereon. (1) The routes shall be classified in the following categories :—

(i) "ordinary route" means a route which connects one town or city with another town or city, which are either Tahsil headquarter or urban area under the Municipal Corporation, Municipality or Nagar Panchayat. Any part of such route shall also be called "ordinary route";

(ii) "rural route" means a route which connects one village or town with another village or town but does not include portion of ordinary route exceeding 5 km.

(2) On "ordinary route" a passenger vehicle having seating capacity of less than 22 seats excluding dirver and conductor shall not be permitted to ply.

(3) On "rural route" a passenger vehicle having seating capacity of more than 22 seats excluding driver and conductor shall not be permitted to ply.".

7. In rule 204, after sub-rule (3), the following sub-rule shall be inserted, namely :—

"(4) (a) The State Government may, by notification in the official Gazette, declare any person/officer/ body to be the agency for maintenance and upgradation of bus stand.

(b) The State Government may, by notification in the official Gazette, authorize any person/officer/ body to collect fees from the vehicle owners using such bus stands. The rate of fees may be specified by the State Government from time to time by notification.".

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
दिलीप राज द्विवेदी, उपसचिव.

अन्तिम नियम

आवास एवं पर्यावरण विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 31 जुलाई 2010

सूचना

क्र. एफ-3-33-2009-बत्तीस.—मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23, सन् 1973) की धारा 24 की उपधारा (3) के साथ पठित धारा 85 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा प्राप्त आपत्ति एवं सुझावों पर विचारोपरान्त मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 1984 में निम्नलिखित संशोधन करती है जिसका धारा 85 की उपधारा (1) द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार, पूर्व में प्रकाशन किया जा चुका है.

संशोधन

उक्त नियमों में, नियम 21 में, उपनियम (3) में, खण्ड (क) को निम्नानुसार स्थापित किया जाता है, अर्थात्:—

"अधिनियम की धारा 29 के अधीन किसी भूमि के विकास की अनुज्ञा के लिए आवेदित भूमि के क्षेत्र के लिए कलेक्टर मुद्रांक द्वारा उस वर्ष के लिए विनिर्दिष्ट मार्गदर्शक दर के 0.25 प्रतिशत के समतुल्य होगी."

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
वर्षा नावलेकर, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 31 जुलाई 2010

क्र. एफ-3-33-2009-बत्तीस.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड "ख" के अनुसरण में आवास एवं पर्यावरण विभाग की सूचना क्रमांक एफ-3-33-2009-बत्तीस, दिनांक 31 जुलाई 2010 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
वर्षा नावलेकर, उपसचिव.

Bhopal, the 31st July 2010

NOTICE

No. F-3-33-2009-XXXII.–Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973 (No. 23 of 1973), is hereby published, as required by sub-section (1) of Section 85 of the said Act, the State Government hereby, makes the following further amendment in the Madhya Pradesh Bhumi Vikas Niyam, 1984, the same having been previously published as required by sub-section (1) of Section 85 and after giving considerations to the objections & suggestions received namely:—

AMENDMENT

In the said rules, in rule 21, in sub-rule (3), clause (a), is substituted, namely:—

"Under section 29 of the Act, the fee for permission of development of any land, shall be equivalent to 0.25 percent of the guideline rate of the area of applied land specified by the Collector Stamp for the year."

By order and in the name of the Governor of
Madhya Pradesh,
VARSHA NAOLEKAR, Dy. Secy.

मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल, भोपाल

भोपाल, दिनांक 10 अगस्त 2010

अधिसूचना क्र. भसं.कमं.-योजना-01-2010.—भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 1996 की धारा 22 की उपधारा (1) की कण्डिका (एच) सहपठित मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवाशर्तों का विनियमन) नियम, 2002 के नियम 277, 279 एवं 280 के अधीन प्रदत्त शक्तियों एवं प्रावधानों के अंतर्गत, मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिक कौशल उन्नयन प्रशिक्षण योजना, 2010 मध्यप्रदेश शासन के अनुमोदन के पश्चात् अधिसूचित करता है :—

(क) संक्षिप्त नाम, विस्तार, परिधि और लागू होना.—(1) यह योजना म. प्र. भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिक कौशल उन्नयन प्रशिक्षण योजना, 2010 कहलाएगी.

(2) यह योजना सम्पूर्ण मध्यप्रदेश राज्य में प्रभावशील होगी.

(3) यह योजना भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवाशर्तों का विनियमन) अधिनियम, 1996 की धारा 22 की उपधारा (1) की कण्डिका (एच) सहपठित मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवाशर्तों का विनियमन) नियम, 2002 के नियम 277, 279 एवं 280 के अंतर्गत म. प्र. भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल द्वारा अधिसूचना मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से लागू होगी.

(4) यह योजना उन भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकारों पर प्रभावशील होगी, जो अधिनियम की धारा 12 सहपठित नियम 272 के अंतर्गत हिताधिकारी परिचय पत्र धारी है एवं 18 से 45 वर्ष आयु के हैं.

(ख) **परिभाषाएं.**—इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :—

(1) अधिनियम का आशय भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996 से अभिप्रेत है.

(2) नियम का आशय म. प्र. भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्तों का विनियमन) नियम, 2002 से अभिप्रेत है.

(3) बोर्ड या मण्डल से आशय अधिनियम की धारा 18 की उपधारा (1) के अधीन गठित म. प्र. भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार मण्डल से अभिप्रेत है.

(4) सचिव से आशय अधिनियम की धारा 19 के अधीन नियुक्त मण्डल के सचिव से अभिप्रेत है.

(5) कौशल उन्नयन प्रशिक्षण से आशय राज्य शासन के अथवा उसके द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्थान द्वारा भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिकों के लिए संचालित कौशल उन्नयन प्रशिक्षण कार्यक्रम से अभिप्रेत है.

(6) निर्माण श्रमिक/कर्मकार से आशय समस्त वैध परिचय-पत्र धारी भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिकों से अभिप्रेत है.

(7) आश्रित से आशय ऐसे पंजीकृत निर्माण श्रमिक के निम्नानुसार कोई भी रिश्तेदार को आश्रित माना जायेगा :—

(i) पत्नी अथवा पति (यथा स्थितिनुसार)
(ii) बच्चे जिनकी आयु 18 से 45 वर्ष हो,
(iii) पूर्व मृतक बेटे की विधिवा और बच्चे जिनकी आयु 18 से 45 वर्ष हो,
(iv) आश्रित माता पिता जिनकी आयु 45 वर्ष से कम हो.

(8) इस योजना में परिभाषित न किए गए शब्दों का निर्वचन उन शब्दों या पदों के संबंध में, जो इस योजना में परिभाषित नहीं किए गए हैं, किन्तु अधिनियम या नियम में परिभाषित या प्रयुक्त है, वही अर्थ होगा, जो अधिनियम या नियम में परिभाषित है.

(ग) **योजना का विवरण.**—1. अधिनियम की धारा 22 की उपधारा (1) की कंडिका (एच) सहपठित नियम 277, 278 एवं 279 के अन्तर्गत भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिकों के कौशल उन्नयन के लिए प्रशिक्षण हेतु यह योजना होगी. इस योजना का लाभ योजना के अन्तर्गत पात्रता रखने वाले सभी हिताधिकारी परिचयपत्रधारी भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिकों तथा उनके परिवार के आश्रित सदस्यों को मिलेगा.

2. **पात्रता.**—18 से 45 वर्ष आयु के 3 वर्ष से वैध परिचयपत्रधारी निर्माण श्रमिक एवं उनके परिवार के आश्रित सदस्य जो न्यूनतम चौथी कक्षा उत्तीर्ण हों, योजना के लिए पात्र हिताधिकारी होंगे.

3. **योजना.**—(1) हिताधिकारियों का चयन, राज्य शासन के तकनीकी शिक्षा विभाग के अन्तर्गत संचालित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान अथवा राज्य शासन द्वारा मान्यता प्राप्त किसी शासकीय संस्थान, अर्द्धशासकीय या निजी संस्थान जिसे मण्डल द्वारा अनुमोदित किया गया हो, द्वारा हिताधिकारियों के प्रस्तुत आवेदन की जांच के आधार पर एवं आवश्यकता पड़ने पर उनके साक्षात्कार द्वारा किया जाएगा.

(2) शासकीय विभाग द्वारा संचालित संस्था को इस योजना के अन्तर्गत प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाने हेतु योग्य संस्थानों की सूची मंडल को प्रेषित कर अनुमोदन प्राप्त करना होगा. अर्द्धशासकीय उपक्रम, संस्थान अथवा निजी संस्थान को प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाने हेतु योग्य संस्थानों की सूची मंडल को प्रेषित कर अनुमोदन हेतु आवेदन प्रस्तुत करना होगा. आवेदन में संस्था/विभाग/उपक्रम की जानकारी तथा प्रशिक्षण संस्थान का नाम, पता, शासन से मान्यता संबंधी अभिलेख, पंजीयन/अनुज्ञप्ति, संचालित पाठ्यक्रम, उपलब्ध अधोसंरचना, प्रशिक्षण हेतु उपलब्ध सीटें, प्रशिक्षण कार्यक्रम एवं प्रशिक्षकों की जानकारी तथा अनुभव एवं अन्य संबंधित जानकारी जो मंडल चाहे, प्रस्तुत करना होगी. इन आवेदनों पर मण्डल द्वारा परीक्षण करने के पश्चात् उपयुक्त पाए जाने पर मण्डल द्वारा इनका अनुमोदन किया जाएगा.

(3) अर्द्धशासकीय उपक्रम, संस्थान एवं निजी संस्थानों द्वारा आवेदन के साथ प्रत्येक प्रशिक्षण संस्थान के मान से रुपये एक हजार आवेदन शुल्क मण्डल को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से भुगतान किया जाएगा, जो वापसी योग्य नहीं होगा.

(4) यह पंजीयन 2 वर्ष की अवधि हेतु होगा किन्तु मण्डल द्वारा इसके पूर्व भी पंजीयन समाप्ति का निर्णय कारण सहित लिखित आदेश जारी करते हुए लिया जा सकेगा.

(5) योजना के अन्तर्गत कौशल उन्नयन प्रशिक्षण कार्यक्रम की एक बैच की अधिकतम अवधि तीन माह तक की होगी तथा संबंधित संस्थान को प्रशिक्षण कार्यक्रम का विस्तृत विवरण एवं तिथियां मण्डल को प्रेषित करना होगा. जिसमें मण्डल आवश्यकता होने पर यथास्थिति संशोधन कर सकेगा.

(6) प्रशिक्षण कार्यक्रम की तिथियों में चयनित हिताधिकारी को श्रम विभाग द्वारा अकुशल निर्माण श्रमिक हेतु घोषित न्यूनतम वेतन की प्रचलित दर से आनुपातिक क्षतिपूर्ति भत्ता मण्डल की ओर से दिया जाएगा, जो संबंधित संस्थान के माध्यम से उपस्थिति का सत्यापन प्राप्त होने पर वितरित किया जाएगा.

(7) यदि प्रशिक्षण संस्थान से हिताधिकारी के आवास की दूरी 10 किलोमीटर से अधिक है तो इस संबंध में प्रमाण प्रस्तुत करने पर रु. 5/- प्रतिदिन की दर से प्रशिक्षण दिवस हेतु परिवहन क्षतिपूर्ति भत्ता प्रशिक्षु को दिया जाएगा.

(8) प्रशिक्षण के दौरान संबंधित प्रशिक्षण संस्थान को रु. 750/- प्रति श्रमिक प्रति बैच की दर से प्रशिक्षण के आयोजन का व्यय देय होगा, जिसमें से 50 प्रतिशत राशि संस्थान को प्रशिक्षण व्यय के रूप में एवं शेष 50 प्रतिशत राशि संबंधित प्रशिक्षक को मानदेय के रूप में दी जाएगी.

(9) प्रशिक्षण सफलता पूर्वक पूर्ण करने वाले हिताधिकारी को मण्डल एवं प्रशिक्षण संस्थान द्वारा संयुक्त रूप से जारी प्रमाण-पत्र प्रदान किया जाएगा तथा मण्डल द्वारा प्रशिक्षण से संबंधित व्यवसाय हेतु रु. पांच हजार तक के मूल्य के औजार (टूलकिट) अथवा मशीन प्रदान की जाएगी.

(10) प्रशिक्षण कार्यक्रम में होने वाले व्यय का विस्तृत विवरण संबंधित संस्थान द्वारा मण्डल को अग्रिम प्रेषित किया जाएगा, जिसका 50 प्रतिशत तक मण्डल द्वारा संस्थान को अग्रिम दिया जा सकेगा एवं शेष राशि प्रशिक्षण कार्यक्रम की पूर्णता संबंधी प्रतिवेदन प्राप्त होने पर उसके लेखा की जांच के पश्चात् मण्डल द्वारा जारी की जाएगी.

(11) चयनित हिताधिकारी के लिए प्रशिक्षण पूर्णतः निःशुल्क होगा.

(घ) **आवेदन की प्रक्रिया.**—(1) पात्र हिताधिकारी को प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए निर्धारित प्रपत्र में आवेदन ग्रामीण क्षेत्रों में मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत एवं शहरी क्षेत्रों में जहां श्रम कार्यालय है, वहां श्रम कार्यालय में एवं अन्यथा अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) को प्रस्तुत करना होगा.

(2) उक्त आवेदन-पत्र को प्रारंभिक जांच के बाद निर्धारित पात्रता वाले हिताधिकारियों के आवेदन-पत्र संबंधित कार्यालय द्वारा निकटतम स्थित प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित करने वाली मंडल द्वारा अनुमोदित चयनित संस्था को आवेदन प्राप्ति के 30 दिवस में अग्रेषित कर दिए जायेंगे जिन्हें संबंधित संस्थान विचार हेतु ग्रहण करेगा एवं चयन होने पर चयनित हिताधिकारियों को प्रशिक्षण में उपस्थिति हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम की प्रति सहित अग्रिम सूचना प्रेषित करेगा. जिसकी प्रति मंडल को दी जाएगी.

(3) आवेदन को अमान्य करने का अधिकार संबंधित प्रशिक्षण संस्थान को होगा जिसके विरुद्ध आवेदक मण्डल को आवेदन को अमान्य करने की सूचना प्राप्त होने के 7 दिवस में अपील कर सकेगा. मण्डल द्वारा उक्त पर विचार कर 15 दिवस में आवेदक एवं संबंधित संस्थान को निर्णय की सूचना दी जाएगी. यह निर्णय अंतिम होगा एवं पक्षों को मान्य होगा.

(ड़) **विसंगति का निराकरण.**—योजना में उल्लेखित शर्तों/नियमों के अतिरिक्त यदि कोई विसंगति उत्पन्न होती है, उस स्थिति में मण्डल के सचिव का निर्णय अंतिम माना जाएगा.

प्रभात दुबे, सचिव.

प्रपत्र

हिताधिकारी द्वारा कौशल उन्नयन प्रशिक्षण योजना हेतु आवेदन-पत्र

पासपोर्ट फोटो

1. आवेदक का नाम ..... (परिचयपत्रधारी श्रमिक स्वयं अथवा उसका परिवार का पात्र सदस्य)
2. पिता/पति का नाम .....
3. आयु (जन्म प्रमाण-पत्र की प्रति संलग्न करें) .....
4. (i) पत्राचार का पता .....
   (ii) स्थाई पता .....
5. मण्डल के परिचयपत्रधारी श्रमिक का नाम
   (i) परिचय-पत्र का क्रमांक (प्रति संलग्न करें) .....
   (ii) जारी किए जाने का वर्ष .....
   (iii) नवीनीकरण की तिथि .....
   (iv) जारी करने वाला कार्यालय .....
6. आवेदक का परिचयपत्रधारी श्रमिक से संबंध .....
7. शैक्षणिक योग्यता (प्रमाण-पत्र की प्रति संलग्न करें) .....
8. आवेदित प्रशिक्षण पाठ्यक्रम का नाम—(न्यूनतम दो पाठ्यक्रम वरीयता क्रम में दें)
   (i) मेसन, (ii) प्लम्बर, (iii) इलैक्ट्रीशियन, (iv) कारपेन्टर, (v) सर्वेयर, (vi) वायरमैन, (vii) फिटर, (viii) अन्य . . . . . (नाम दें).
9. मण्डल से अनुमोदित प्रशिक्षण संस्थान का नाम एवं पता जहां प्रशिक्षण चाहते हैं:— .....

परिचयपत्रधारी श्रमिक के
हस्ताक्षर/अंगूठा निशानी
नाम .....
पता .....
.....

आवेदक के हस्ताक्षर/
अंगूठा निशानी
नाम .....
पता .....
.....
स्थान .....
दिनांक . . . . . .

उक्त आवेदन दिनांक . . . . . को पूर्ण एवं आवश्यक दस्तावेजों सहित प्राप्त हुआ. आवेदक प्रथमदृष्टया पात्र होने पर आवेदन . . . . . प्रशिक्षण संस्था को अग्रेषित किया जाता है.

या

आवेदन निम्न कमियों/त्रुटियों के कारण निरस्त किया गया.

स्थान .....
दिनांक . . . . . .

प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर
कार्यालय का नाम, पता/सील

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2010.